पत्राचार पाठ्यक्रम
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल
(द्वारा सर्वाधिकार सुरक्षित)

डिप्लोमा इन एज्यूकेशन परीक्षा
(प्रथम वर्ष)

प्रश्न पत्र — प्रथम

भारतीय समाज में शिक्षा
पाठ संख्या 6 से 10

पत्राचार पाठ्यक्रम
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल
(द्वारा सर्वाधिकार सुरक्षित)
डी.एड. प्रथम वर्ष
प्रथम प्रश्न पत्र
विषय – भारतीय समाज में शिक्षा

विषयः– शिक्षा की चुनौतियां व शिक्षा की व्यवस्था पाठ – 6

विषयांश–

1. बहुकक्षा शिक्षण/समूह शिक्षण/बहुस्तरीय शिक्षण मानवीय व भौतिक संसाधनों का शैक्षिक उपयोग, नवाचार, संपूर्ण साक्षरता, कामकाजी बालक–बालिकाओं की शिक्षा।
2. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा विकलांगता की पहचान, शिक्षा एवं विशेष योजनाएं अल्प संख्यक वर्ग।
3. बालिका शिक्षा व इसकी शिक्षा व्यवस्था सुविधा वंचित वर्ग के बच्चों के लिये शिक्षा का प्रावधान।
4. अन्य चुनौतियाँ।

प्रिय छात्राध्यापकों!

विगत इकाई में आपने पाठ्यक्रम का अर्थ, स्वरूप, निर्माण, आवश्यकता आदि के बारे में अध्ययन किया। इस इकाई में हम शिक्षा की चुनौतियां, कठिनाईयों के विषय में अध्ययन करेंगे। साथ ही शिक्षा की व्यवस्था के संदर्भ में भी जानेगे। प्रस्तुत पाठ को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से तीन उप इकाईयों में बांटा गया है।

उप इकाई – 1

बहुकक्षा शिक्षणः–

आजादी के पश्चात शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्र में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों की संख्या में आशातीत वृद्धि हुई है। किंतु निरंतर जनसंख्या वृद्धि के कारण प्राथमिक विद्यालयों में अभी भी एक या दो शिक्षक नियुक्त है। पांच कक्षाओं के लिये दो शिक्षकों की नियुक्ति एक बड़ी समस्या है। साथ ही वैयक्तिक भिन्नता, अभिरूचि, उपलब्धता एवं मानसिक परिपक्वता आदि अनेक समस्याएं सामने आती है।

शिक्षकों की नियुक्ति की समस्या का संबंध अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। धनाभाव के कारण सभी कक्षाओं में अलग–अलग शिक्षकों की नियुक्ति करना भी संभव नहीं है। अतः इस समस्या के निदान के लिये ऐसी शिक्षण युक्तियां तथा तकनीकें अपनानी होंगी, जिसके द्वारा एक ही समय में ज्यादा से ज्यादा कक्षाओं को पढ़ाया जा सके।

बहुकक्षा शिक्षण की उपयोगिता –

विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के कारण बहुकक्षा शिक्षण काफी उपयोगी होता है। अपने देश में बहुकक्षा शिक्षण को सुनियोजित व सुव्यवस्थित ढंग से लागू किया जाये तो बड़ी संख्या में छात्र लाभांवित हो सकेंगे। बहुश्रेणी शिक्षण के लिये निम्नलिखित बिंदु सहायक रहेंगेः–

1. कक्षा की बैठक व्यवस्था – प्रायः विद्यालयों में एक या दो कमरे तथा बरामदा होते है या पास में कुछ खुली जगह या आंगन होता है। खुली जगह में बड़े वृक्ष आदि होते है। इनकी छाया में कक्षा लगाई जा सकती है। जिस विद्यालय में एक ही कक्ष होता है वहां शिक्षण कार्य अलग–अलग दिशा की ओर छात्रों को बिठाकर किया जा सकता है।
2. बहु कक्षा शिक्षण नीतियां – बहुश्रेणी व बहु स्तरीय शिक्षण नीति का शिक्षा के उद्देश्यों, पाठयक्रम दक्षताओं की प्राप्ति के लिये निर्माण किया जाता है। यह शिक्षण नीति बहुत समान होते हुये भी परिस्थिति परिवेश व संसाधनों के संदर्भ में विशिष्ट हो जाती है। बहुकक्षा शिक्षण के लिये मॉनीटरों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मॉनीटरों का चुनाव करते समय यह गौर करना चाहिए कि छात्र पढ़ने में बेहतर हो और कक्षा को सुव्यवस्थित रख सके। इनको शिक्षण की प्रस्तावित विषयवस्तु से पूर्व ही परिचित करा दें उन्हें शिक्षण सामग्री से भी पूर्ण परिचित करा दें। आवश्यक निर्देश श्यामपट पर लिख देना चाहिए।

समूह शिक्षण :–

समूह शिक्षण – एक कक्षा का एक समूह या कभी–कभी सीखने के स्तर केआधार पर एक ही कक्षा के दो या तीन उपसमूह हो सकते हे। समूह शिक्षण में लचीलापन आवश्यक है अर्थात आवश्यकतानुसार तथा अधिगम स्तर के अनुसार बच्चे एक समूह से दूसरे समूह में जा सकते है।

समस्तरीय– समस्तरीय समूह शिक्षण का अर्थ है कि एक ही कक्षा के सभी बच्चे या समकक्ष अधिगम स्तर के सभी बच्चे एक साथ बैठकर कार्य करें। जब बच्चे स्वअधिगम कर रहे हो तो उस परिस्थिति में समस्तरीय समूह व्यवस्था लाभप्रद होती है।

उदाहरण – कक्षा 1 और 2 को साथ बैठाकर पढ़ाया जा रहा है, यहां पर बच्चे समस्तरीय नहीं होंगे, अर्थात् कक्षा 1 के बच्चों का स्तर अलग और कक्षा 2 के बच्चों का स्तर अलग होगा। किन्तु पढ़ाने के बाद अभ्यास कार्य या स्वअधिगम के लिये कक्षा 1 के बच्चों को अलग तथा कक्षा 2 के बच्चों को अलग समूह में बैठा दिया जाये तो स्वअधिगम के लिये वे समस्तरीय कहलायेंगे।

मिश्रित समूह– मिश्रित समूह का अर्थ है कि प्रत्येक समूह में सामान्य स्तर से अधिक तथा सामान्य स्तर से कम दोनों प्रकार के बच्चे हो सकते है। इसमें उच्च कक्षा या उच्च अधिगम स्तर के बच्चे भी हो सकते है। संगी साथी द्वारा शिक्षण कार्य करने में यह समूह शिक्षण व्यवस्था की जा सकती है।

उदाहरण– कक्षा 1, 2 का एक समूह (अ) और कक्षा 3, 4 का एक समूह (ब) तथा 5 का एक (स) समूह है। यदि अब समूह (अ) को कक्षा 3 की मॉनीटर की सहायता से शिक्षण कार्य किया जाये तो यह व्यवस्था मिश्रित या उर्ध्वाधर समूह शिक्षण कहलाता है।

बहुस्तरीय शिक्षण–

बहुस्तरीय शिक्षण – शिक्षण व्यवस्था में सभी कक्षाओं के छात्रों को एक शिक्षक पूरे समय नहीं पढ़ा सकता। जब वह एक कक्षा में पढ़ायेगा तब उसकी अन्य कक्षायें स्वअध्ययन या सामूहिक क्रियाकलाप आदि करेंगी। बच्चे क्या करेंगे? इसका नियोजन शिक्षक पहले ही कर लें, इससे शिक्षण कार्य आसानी से किया जा सकता है। इसके लिये निम्न बाते आवश्यक हैः–

1. शिक्षण की एक मासिक या साप्ताहिक योजना बनानी पड़ेगी जिसमें शाला के अन्दर और बाहर दोनों प्रकार के क्रियाकलापों का संतुलन होगा।

2. समय सारिणी में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख करें कि कुल कितने समूह बनेंगे। किस समूह में शिक्षक स्वयं पढ़ायेगा, किस समूह में बच्चे स्वअध्ययन करेंगे तथा किस समूह में मॉनीटर सहायता करेगा।
3. उपलब्ध कमरे या बरामदा आदि को ध्यान में रखकर बैठक व्यवस्था बनाई जावे।
4. विषयगत कार्य (भाषा / गणित) कक्षा के कमरे या बरामदे में आयोजित करें, जबकि क्रियाकलाप कक्षा के बाहर खुले मैदान या पेड़ के नीचे हो सकते है।
5. 1 से 3 तक की कक्षाओं को एक–एक सामूहिक रूप में पढ़ाया जा सकता है। किन्तु अभ्यास कार्य कक्षावार अलग–अलग ही होंगे। अर्थात किसी एक अवधारणा को सामूहिक रूप से पढ़ाने के बाद कक्षा 1, 2 एवं 3 के बच्चों को उनके अधिगम स्तर के अनुरूप अभ्यास कार्य दिये जा सकते है।
6. कक्षा 4 एवं 5 में विषय–वस्तु अधिक होती है, अतः विषय वस्तु के आधार पर इन कक्षाओं को अलग–अलग पढ़ाया जाना अच्छा होगा। इन कक्षाओं की कुछ गतिविधियां, क्रियाकलाप सामूहिक रूप से भी किये जा सकते है। इन कक्षाओं को अभ्यास कार्य अलग–अलग ही दिये जाने चाहिए।

बहु स्तरीय शिक्षण कार्य का आयोजन –

पढ़ाने की केन्द्रकृत प्रणाली को न अपनाते हुये बच्चों के अधिगम स्तर के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया को छोटे–छोटे समूहों में आयोजित करना लाभप्रद होता है, चूंकि समूह में छात्र–छात्रा के बीच, शिक्षक और छात्रा तथा छात्र और अन्य (मॉनीटर) के बीच आमने–सामने पारस्परिक अन्तः क्रिया होती है। अतः समूह शिक्षण मेंः–

1. विद्यार्थियों को सीखने का अधिक समय मिलता है।
2. सभी विद्यार्थी पारस्परिक व सक्रिय रूप में भाग लेते है।
3. विद्यार्थी अपने अनुभवों, विचारों को संगठित करना सीख लेते है।
4. शिक्षक को एक–एक बच्चे पर अधिक ध्यान देने का मौका मिलता है।
5. कमजोर व मंदगति से सीखने वाले बालकों की विशिष्ट कठिनाइयों की पहचान करने का मौका मिलता है, इससे उपचारात्मक शिक्षण कार्य किया जा सकता है।

मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का शैक्षिक उपयोग–नवाचार

वर्तमान शताब्दी में शिक्षा का प्रसार बड़ी तीव्र गति से हुआ है। अन्य विकासशील राष्ट्रों की तुलना में भारत ने योग्य नागरिकों के निर्माण में शिक्षा का महत्व भलीं भांति समझा है। स्वतंत्रता के बाद शिक्षा का संख्यात्मक प्रसार किया है। इस संख्यात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त शिक्षक भी नियुक्त किये गये। शिक्षाविदों ने माना कि शिक्षण प्रक्रिया में अनेक त्रुटियां है ओर इसमें सुधार की अतिआवश्यकता है। इन त्रुटियों को दूर करने के लिये शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिये अनेक प्रयोगों के फलस्वरूप सूक्ष्म अध्यापन जैसे सामर्थ्यनिष्ठ नवाचार शिक्षा क्षेत्र में सामने आये।

सूक्ष्म शिक्षण–

सूक्ष्म शिक्षण छात्राध्यापक को प्रशिक्षण देने का एक उपागम हैं शिक्षक प्रशिक्षण का प्रमुख उद्देश्य शिक्षक में शिक्षण की कुशलता उत्पन्न करना है। मूलरूप में सूक्ष्म शिक्षण एक छोटे पैमाने पर शिक्षण अनुभव है। इसमें सिखाने की सामग्री हे। एलेन रियन के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण इस प्रकार है–

1. सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है।
2. सूक्ष्म शिक्षण से प्रचलित कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को कम कर दिया गया है।

3. सूक्ष्म शिक्षण में एक विशिष्ट कार्य को पूर्ण करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है।
4. सूक्ष्म शिक्षण में परिणामों के सामान्य ज्ञान या परिशोधन प्रतिपुष्टि को महत्व दिया गया है।

सूक्ष्म शिक्षण से वास्तविक शिक्षण की पृष्ठभूमि तैयार की जाती है, यह परिस्थिति के अनुकूल परिवर्तनशील एवं लचीली है।

शैक्षिक प्रौद्योगिकः–

शैक्षिक नवाचार के अन्तर्गत शैक्षिक प्रौद्योगिकी भी अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी शिक्षण के व्यवहारिक पक्ष पर बल देती है। इसके निम्नांकित प्रमुख उद्देश्य है–

1. शिक्षा के उद्देश्यों का प्रतिपालन करना तथा उन्हें व्यवहारिक रूप में लिखना।
2. पाठयवस्तु की व्यवस्था करना।
3. छात्रों के गुणों का विश्लेषण करना।
4. पाठयवस्तु का प्रस्तुतीकरण करना।
5. छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना।
6. पुनर्बलन की प्रविधियों का चयन करना।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी का महत्व एवं उपयोगिता –

1. शैक्षिक प्रौद्योगिकी द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठ, सरल, सुगम और प्रभावोत्पादक बनाया जा सकता है।
2. इसकी सहायता से शिक्षक एक प्रबंधक के रूप में छात्रों के एक बड़े समूह को कम समय, कम खर्चे पर अच्छी तरह शिक्षा प्रदान कर सकता है।
3. इसकी सहायता से जनसाधारण को अनिवार्य शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा तथा अनवरत शिक्षा आदि के कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक प्रचार प्रसार तथा विकास में योगदान दिया जा सकता है।
4. इसके द्वारा पत्राचार पाठयक्रम को प्रभावशाली बनाया जा सकता है।
5. इसकी सहायता से शिक्षा को जन–जन तक तथा दूर–दूर के गांवों तक पहुंचाया जा सकता है।

शैशिक प्रौद्योगिकी में उपयोग होने वाले प्रमुख उपकरण निम्न प्रकार से है–

1. **टेप रिकार्ड –** टेपरिकार्ड की सहायता से शिक्षण की समुचित व्यवस्था की जा सकती है। जिन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है वहां पर विषयवस्तु को रिकार्ड करके दूसरी कक्षाओं में अथवा एक साथ कई छात्रों को सुनवाकर शिक्षण कार्य किया जा सकता है।
2. **ऐपिडास्कोप –** जब कभी आकृतियों, आंकड़ों, चित्रों, ग्राफ आदि को बड़ा करके कक्षा में दिखाना होता है। तब एपीडास्कोप का प्रयोग किया जाता है। इसके माध्यम से शिक्षक को श्यामपट पर चित्र नहीं बनाने पड़ते है बल्कि दीवार पर चित्र बड़े आकार में उसीक्षण छात्रों व शिक्षक को उपलब्ध हो जाते है।
3. **रेडियो –** आज रेडियों से कौन परिचित नहीं है। समय–समय पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का उपयोग रेडियो के माध्यम से कक्षा में कराया जा सकता है। वार्ता प्रारंभ होने से पहले शिक्षक को आवश्यक सामग्री एकत्र कर लेनी चाहिए तथा बाद में विचार विमर्श भी करना चाहिए।
4. **दूरदर्शन –** टी.वी. पर रेडियो+घटनाएं, दृश्य सभी देखे जाते हैं। इस तरह यह अत्यंत प्रभावशाली उपकरण है। प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का रेडियो की भांति उपयोग किया जाना चाहिए। रेडियो श्रव्यमान है जबकि यह श्रव्य और दृश्य दोनों ही है। इसी कारण छात्रों को ज्यादा प्रभावी ढंग से समझने में सहायता मिलती है।
5. **कम्प्यूटर –** यह कठोर उपागम का सबसे शक्तिशाली प्रभावी उपकरण है। आज कम्प्यूटर ने मनुष्य के संपूर्ण जीवन को प्रभावित किया है। इसे विद्युत मस्तिष्क भी कहते है। कम्प्यूटर द्वारा

छात्रों का सीधा संबंध पाठयक्रम से हो जाता है। शिक्षक दोनों को जोड़ने की कड़ी का कार्य करता है। कम्प्यूटर का उपयोग शिक्षण, अनुदेशन प्रक्रिया, परामर्श, शोध कार्य तथा परीक्षा प्रणाली में काफी हो रहा है।

संपूर्ण साक्षरता –

5 मई 1988 ई. को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना एक सामाजिक व प्रौद्योगिकी के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर की गई। साक्षरता मिशन के अन्तर्गत संचालित संपूर्ण साक्षरता अभियान (प्रौढ़ शिक्षा) की सफलता से यह तथ्य सामने आया कि संपूर्ण साक्षरता की प्राप्ति कठिन अवश्य है, किंतु असंभव नहीं। इस लक्ष्य को प्रत्येक स्तर पर दृढ़ संकल्प, समन्वित जन सहयोग तथा सुनियोजित प्रयास से संचालित करके प्राप्त किया जा सकता है।

प्रौढ़ शिक्षा – प्रौढ़ निरक्षर, अशिक्षित या अनपढ़ व्यक्तियों (बालक, बालिकाओं, स्त्री, पुरूष) को निश्चित अवधि तक सप्रयत्न पढ़ाने लिखाने के बाद साक्षर एवं शिक्षित करने का एक प्रमुख साधन है।

बारकट के अनुसार – ''प्रौढ़ शिक्षा वह अंशकालिक शिक्षा है जिसे वयस्क स्त्री पुरूष अपना कार्य करते हुये प्राप्त करते है।''

श्री एस.एन. मुखर्जी के अनुसार – ''प्रौढ़ शिक्षा में मोटे तौर पर वह सभी औपचारिक शिक्षा जो प्रौढ़ों को दी जाती है, आती है।''

प्रौढ़ शिक्षा के उद्‌देश्य –

1. व्यक्ति के मौलिक कौशलों, लिखना, पढ़ना, गिनना आदि में विकास करना।
2. व्यावसायिक, व्यापारिक, औद्योगिक, कृषि एवं कुटीर उद्योगों आदि की समुचित जानकारी देना।
3. स्वच्छता, सफाई, स्वास्थ्य आदि की जानकारी देना।
4. जीवन के विकास हेतु समाज के प्रति व्यक्ति के अधिकरण एवं कर्तव्यों की जानकारी देना।
5. समाजिक व राजनीतिक विकास, समुदायिक विकास, सहकारी संस्थाओं का निर्माण व विकास आदि की जानकारी देना।

प्रौढ़ शिक्षा का महत्व –

प्रौढ़ शिक्षा ने साक्षरता वृद्धि में अति महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्पष्ट है कि साक्षरता की दृष्टि से प्रौढ़ शिक्षा का बड़ा महत्व है जिसका उल्लेख निम्नानुसार किया जा सकता है–

1. साक्षरता में सप्रयास वृद्धि करने की दृष्टि से यह अति उपयोगी है।
2. प्रौढ़ व्यक्तियों में आवश्यक नागरिक गुणों का विकास करना ताकि लोकतंत्र की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकें।
3. प्रौढ़ व्यक्तियों में अच्छे गुणों आदतों परंपराओं, रूचियों मूल्यों तथा मान्यताओं का विकास करने हेतु।
4. व्यक्तित्व का विकास करने के लिये प्रौढ़ शिक्षा आवश्यक है ताकि लोगों में आत्मविश्वास व आत्मगौरव की भावना जाग्रत और हीन भावनाओं का अंत हो।
5. देश के विकास एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम की सफलता के लिये।

कामकाजी बालक–बालिकाओं की शिक्षा –

पीढ़ियों से चली आ रही निरक्षरता से पैदा होने वाली गरीबी ने बचपन से ही कामकाज करने वाले बच्चों की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी की है। इसके अतिरिक्त धनार्जन की मजबूरी तथा लालच ने कानूनी, गैर कानूनी शोषण को भी प्रोत्साहन दिया है। शिक्षा के उद्‌देश्य की प्राप्ति करने के लिये

कामकाजी बालक–बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करना अतिआवश्यक है। वर्तमान समय में हमारे देश में लगभग नौ करोड़ कामकाजी बच्चे हैं।

कामकाजी बालक–बालिकाओं की शिक्षा –

1. कामकाजी बच्चों के लिये विभिन्न शिक्षा प्रणालियों को उनकी आवश्यकतानुसार बनाना, जैसे उनके कार्य स्थल पर ही कुछ निश्चित समय में उनको पढ़ाने की व्यवस्था की जाना।
2. फर्म मालिक एवं प्रबंधक स्वयं रूचि लेकर कामकाजी बालक–बालिकाओं को शिक्षा संबंधित क्रियाकलापों में शामिल करें।
3. कामकाजी बच्चों को मुक्त एवं दूर शिक्षण की व्यवस्था करके इनको शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जावे।
4. इनके माता–पिता को प्रोत्साहन दिया जाये ताकि वे अपने बच्चों को शिक्षा की ओर प्रेरित कर सकें।
5. ऐसे बालक–बालिकाओं के लिये रात्रिकालीन स्कूलों की व्यवस्था की जा सकती है। ताकि वे काम करने के साथ–साथ थोड़ी पढ़ाई भी कर सकें।

पाठगत प्रश्न

प्रश्न 1. बहुकक्षा शिक्षण की संकल्पना क्या है?
प्रश्न 2. शिक्षण कार्य में कम्प्यूटर की उपयोगिता बतावें?
प्रश्न 3. संपूर्ण साक्षरता से क्या अभिप्राय है?

उप इकाई – 2

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा–

हर स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों में से कुछ छात्र ऐसे भी होते है जो किन्ही विशेषताओं के कारण अन्य छात्रों से भिन्न दिखाई देते है। विशिष्ट छात्र उन्हें कहा जाता है जो अपनी योग्यताओं, क्षमताओं व्यक्तित्व एवं व्यवहार संबंधी विशेषताओं की दृष्टि से अपनी आयु के अन्य औसत और असमान्य बालकों से बहुत भिन्न होते है। ऐसे छात्र अन्य छात्रों की तुलना में अपनी विशिष्टता रखते है अर्थात ऐसे विद्यार्थी मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक दृष्टि से या तो बहुत पिछड़े हुये होते है अथवा बहुत आगे निकल जाते है। दोनों ही स्थितियों में इनका समायोजन कठिन हो जाता है।

पिछड़े बालकों की पहचान–

जो बालक कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाता है तथा कक्षा के औसत छात्रों से पीछे रहता है। इसे पिछड़ा बालक कहते है।

पिछड़े बालक में निम्न विशेषतायें पाई जाती हैः–

1. सीखने की धीमी गति।
2. समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति।
3. जन्मजात योग्यताओं की तुलना में कम शैक्षिक उपलब्धि।
4. विद्यालय के पाठयक्रम से लाभ उठाने की असमर्थता।
5. सामान्य शिक्षण विधियों द्वारा शिक्षा गृहण करने में विफलता।
6. विद्यालय कार्य में सामान्य बालकों के समान प्रगति करने की अयोग्यता।

पिछड़पन व शैक्षिक मंदता के कारणः–

1. सामान्य से कम शारीरिक विकास।
2. शारीरिक दोष।
3. शारीरिक रोग।
4. निम्न सामान्य वृद्धि।
5. परिवार की निर्धनता।
6. परिवार के झगड़े।
7. माता–पिता की अशिक्षा।
8. माता–पिता की बुरी आदतें।

विकलांगता की पहचान, शिक्षा की व्यवस्था एवं विशेष योजनाएं–

हर बालक को जीने एवं विकास करने को समान अधिकार प्राप्त है। कुछ बालकों में जन्म से शरीर में शरीर के किसी न किसी अंग में दोष होता है अथवा बाद में किसी बीमारी, दुर्घटना के कारण शरीर का कोई अंग सामान्य रूप से कार्य करने में असमर्थ रहता है। ऐसे बालकों को विकलांग बालक कहा जाता है।

शिक्षा का विकास बालक की मानसिक परिपक्वता पर निर्भर करता है। जिन विकलांग बालकों ने अपनी हीनता पर विजय प्राप्त कर ली है वे संसार में बहुत प्रसिद्ध हुये है। अतः विकलांग बालकों की शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो कि बालक अपनी समयोजन शक्ति को स्थापित करके हीनता की भावना से बाहर निकल सकें। विकलांग बालकों की शिक्षा व्यवस्था निम्न प्रकार से होनी चाहिए–

1. **विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना –** विकलांग बालकों हेतु अलग विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना करनी चाहिए। ताकि ऐसे बालकों को पूर्ण सुविधा प्राप्त हो सके। उनके बैठने हेतु सुविधा जनक स्थान, साफ विद्यालय का प्रबंध आदि हो। इस तरह का शैक्षिक वातावरण उनके विकास में सहायक रहेगा।
2. **डॉक्टर व विशेषज्ञों का उपयोग –** विकलांगों की शारीरिक और मानसिक समस्याओं का समाधान करना जरूरी है। अतः शारीरिक परिक्षण हेतु डॉक्टरों एवं विशेषज्ञों का निःशुल्क प्रबंध बालकों हेतु होना चाहिए।
3. **सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार –** विकलांग बालक परिवार से साथियों से तथा अध्यापकों आदि से सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार चाहते है। उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाये ताकि वे अपनी कमजोरी को याद न कर सकें। जब वे अपने भीतर हीनता को महसूस नहीं करेंगे तो सामान्य रूप से कार्य करके अपनी क्षमताओं का उचित प्रयोग कर सकेंगे।
4. **सहायक सामग्री का निःशुल्क प्रयोग –** विकलांग बालकों हेतु वैसाखी, सही सुनने का यंत्र, कमजोर आंखों के चश्में, अंधे बालको हेतु विशेष ब्रेललिपी पुस्तके आदि का प्रबंध करना चाहिए तथा छात्रों को निःशुल्क सामग्री मिलनी चाहिए। इनसे संबंधित यंत्रों का पूर्ण ज्ञान व प्रयोग की विधि का पूर्ण ज्ञान छात्रों को दिया जाये ताकि वे इनका सदुपयोग कर सकें।
5. **व्यावसायिक पाठ्यक्रम –** इन छात्रों की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विकलांगों को स्वयं की रोजीरोटी कमाने लायक बनाना है। इनमें शारीरिक अपंग बालकों हेतु अलग से तथा अंधो हेतु अलग, गूंगे, बहरे हेतु भिन्न व्यवसायों का प्रबंध होना चाहिए। व्यवसाय पूर्ण रूप से उनकी क्षमता तथा विकलांग की सामर्थ्य के अनुसार होना चाहिए। पाठयक्रम मौखिक तथा क्रियात्मक होना चाहिए। इस तरह से सभी बालक अपनी क्षमतानुसार व्यवसाय को सीख जायेंगे। फिर समाज के ऊपर बोझा न बनकर विकास में सहयोगी बनेंगे।
6. **पौष्टिक आहार –** इन बालकों का आहार पौष्टिक हो ताकि वे स्वयं शक्तिशाली बन सके। कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। अतः ये बालक कोमल और निर्बल न रहे इस बात की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

विकलांग बालकों की शिक्षा की समस्याये–

1. अर्थ का अभाव
2. पर्याप्त विद्यालयों का अभाव
3. प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव
4. शैक्षिक उपकरणों की कमी
5. शासन की उदासीनता

विकलांग बालकों की शिक्षा के लिये विशेष योजनायें –

विकलांगों की संस्था के नाम (1) माधव अंधाश्रम ग्वालियर (2) मूक–वधिर संस्थान इन्दौर

माधव आश्रम– यह अंधे बालक–बालिकाओं हेतु शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था है। इसमें आवासीय रूप से बालक बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था है। यह आश्रम एक पंजीकृत समीति के द्वारा चलाया जाता है। इस आश्रम में ब्रेल पद्धति से शिक्षा दी जाती है। शिक्षा के अतिरिक्त कार्य अनुभव के लिये सिलाई, बुनाई, कुर्सी बुनना, पालिश करना, संगीत आदि कई प्रकार के हुनर सिखाये जाते है, ताकि बड़े होने पर वे जीविकोपार्जन का साधन बन सकें।

बालिका शिक्षा व इसकी शिक्षा व्यवस्था –

स्त्री शिक्षा का महत्व–

स्त्री और पुरूष मानव जीवन की अगली पीढ़ी के सृष्टा है। कोई भी समाज बिना स्त्री जाति के आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिये स्त्रियों का हमारे सामाजिक जीवन में बड़ा महत्व है। बच्चे सर्वप्रथम माँ से ही सीखना आरंभ करते है यदि स्त्री पढ़ी लिखी व सुसंस्कृत होगी तो बालक का शारीरिक व मानसिक विकास उचित दिशा में होगा। बालक में मानवीय गुणों के विकास के लिये स्त्री शिक्षा अति महत्वपूर्ण है। भावी पीढ़ी को समाज और राष्ट्र के लिये उपयोगी बनाने के लिये एवं लोकतंत्र की सफलता, चरित्रवान और आदर्श नागरिकों के निर्माण की दृष्टि से भी स्त्री शिक्षा महत्वपूर्ण है।

स्त्री शिक्षा की आवश्यकता –

स्वाधीनता के पूर्व से ही स्त्री शिक्षा के महत्व को समझते हुये स्त्री शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया गया। स्वतंत्र भारत में भारतीय संविधान में स्त्री, पुरूष दोनों को समान दृष्टि से देखा गया। पुरूष के समान स्त्रियों को भी सभी प्रकार के कानूनी एवं राजनीतिक अधिकार प्रदान किये गये है। ऐसी स्थिति में स्त्रियों का शिक्षित होना नितांत आवश्यक हो गया है। स्त्रियों को अपने कर्तव्य का कुशलता पूर्वक पालन करने, अधिकारों का प्रयोग करने में सक्षम बनाने, बच्चों के लालन पालन से लेकर आर्थिक दृष्टि से अपने पैरों पर खड़ा करने तथा समान सहभागिता को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सुनिश्चित करने आदि की दृष्टि से स्त्री शिक्षा आवश्यकता समझी गई। स्त्री को शिक्षित करने के लिये बचपन से अर्थात बालिका को शिक्षित करना होगा।

बालिका शिक्षा निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आवश्यक है –

1. अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सजग करने हेतु।
2. निर्भीकता और आत्म विश्वास के गुणों का विकास करना।
3. नैतिक एवं चारित्रिक विकास हेतु।
4. व्यावसायिक जीविकोपार्जन एवं कला के क्षेत्र में दक्ष बनाने हेतु।
5. नेतृत्व एवं उत्तरदायित्व की क्षमता विकसित करने हेतु।
6. सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास हेतु।

बालिका वर्ग की शिक्षा में बाधक कठिनाइयां –

1. **आर्थिक बाधायें –** हमारा देश आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, अतः बालिका वर्ग की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करने में सदैव आर्थिक बाधा आगे आ जाती है। आर्थिक अभाव और शासकीय अनुदान न मिलने के कारण धन की व्यवस्था नहीं हो सकती है। ऐसी स्थिति में बालिका वर्ग की शिक्षा आर्थिक बाधाओं के कारण निरंतर पिछड़ती रही है।
2. **सामाजिक रूढ़ियां व मान्यतायें –** ग्रामीण क्षेत्र में बाल विवाह के कारण बालिकाओं की शिक्षा में बाधा आती है। मुस्लिम वर्ग में पर्दा प्रथा और बाल विवाह के कारण बालिकाओं को विद्यालयों में भेजना सामाजिक मान्यताओं और धर्म के विरूद्ध समझते है। सह शिक्षा को वे पसंद नहीं करते इसलिये वे लड़कों के साथ लड़कियों को प्रवेश दिलाना उपयुक्त नहीं समझते।
3. **पृथक बालिका विद्यालयों का अभाव –** देश में पृथक बालिका विद्यालयों की बहुत कमी है। देश के दो तिहाई से अधिक गांव ऐसे है जहां प्राथमिक शिक्षा के लिये भी कोई बालिका विद्यालय नहीं है। रूढ़िवादी परिवार की बालिकायें कन्या शालाओं के अभाव में शिक्षा लेने से वंचित रह जाती है। इस प्रकार प्रारंभिक शिक्षा की मूलभूत आवश्यकता भी पूरी नहीं हो पाती है।
4. **कुशल शिक्षिकाओं का अभाव –** कन्या शालाओं में शिक्षिकाओं का प्रायः अभाव रहता है। शिक्षिकाओं की कमी नगरीय क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं अधिक है। इस अभाव के अनेक कारण है जैसे आवास की सुविधाओं की कमी पति–पत्नि के एक स्थान पर सेवारत रहने की समस्या, ग्रामीण क्षेत्रों में अलग रहने के कारण असुरक्षा की भावना, पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह आदि।

बालिकाओं की शिक्षा प्रसार हेतु विभिन्न बाधाओं एवं कठिनाइयां होते भी व्यापक जन जागरण अभियान चलाया जाना चाहिए।

बालिका वर्ग की शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास एवं प्रगति का उल्लेख निम्नानुसार किया जा रहा हैः–

1. **बालिका विद्यालय की स्थापना –** म.प्र. में दूसरी पंचवर्षीय योजना से नौवीं पंचवर्षीय योजनावधि के अन्त तक बालिकाओं के लिये पृथक से प्राइमरी, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, महा विद्यालयों की स्थापना की गई है। प्रत्येक जिले व बड़ी आबादी वाले तहसीलों में एक कन्या महाविद्यालय तथा संभाग स्तर पर स्नातकोत्तर महाविद्यालय की स्थापना की गई है।
2. **महिला शिक्षकों की नियुक्ति –** बालिकाओं के शिक्षा प्रसार हेतु प्राथमिक स्तर से महाविद्यालय स्तर तक महिला शिक्षकों की नियुक्तियां की गई है। आज शिक्षा विभाग में पुरूष और महिला शिक्षकों का अनुपात 4:2 है। इसमें सर्वाधिक महिला शिक्षक प्राथमिक और मीडिल स्कूलों में कार्यरत है।
3. **शिक्षिकाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था –** म.प्र. में प्राथमिक तथा मीडिल स्कूल में कार्य करने वाली प्रशिक्षित शिक्षिकाओं को प्रदेश में स्थित 41 डाइट और बी.टी.आई. संस्थाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। उच्च विद्यालय एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बी.एड़ उपाधि हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करने की व्यवस्था है।
4. **महिला शिक्षिकाओं की आवासीय सुविधा –** महिला शिक्षिकाओं के लिये ग्रामीण, ब्लॉक, तहसील स्तर पर सरकार, पंचायतों की ओर से आवासीय सुविधायें प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों के सभी स्तरों पर महिला शिक्षिकाओं के लिये आवासीय व्यवस्था स्तंत्रत अथवा बालिका हॉस्टल में प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गई है।

   पत्राचार पाठयक्रम की सुविधा – म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा बालिकाओं को शिक्षा के लिये ओपन हाई स्कूल पत्राचार पाठयक्रम की सुविधा प्रदान कर रखी है। उक्त परीक्षा उत्तीर्ण

करने के बाद वे नियमित छात्राओं के रूप में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रवेश ले सकती है।

5. **प्रौढ़ शालायें एवं औपचारिकेतर शिक्षा विद्यालय –** प्रौढ़ शालाओं द्वारा स्त्री शिक्षा के लिये जो प्रचार–प्रसार किया गया उससे जहां साक्षरता बढ़ी वहीं दूसरी ओर बालिकाओं की शिक्षा का महत्व भी समझने लगे है। जिसके फलस्वरूप बालिकाओं को पढ़ने हेतु नियमित रूप विद्यालयों में भेजना प्रारंभ हुआ जो पहले शिक्षा के महत्व और आवश्यकता से अनभिज्ञ थे।

   औपचारिकेतर शिक्षा 9 से 14 वर्ष के बालक–बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था करती है।

अल्पसंख्यकों की शिक्षा –

भारतीय संविधान की धारा–29 तथा 30 में अल्पसंख्यकों को भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने तथा अपनी संस्थाये, धर्म या भाषा पर आधारित शिक्षा संस्थायें स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

संविधान की धारा–30 में शैक्षिक संस्थाओं को स्थापना करने तथा संचालित करने के लिए अल्पसंख्यकों को निम्न अधिकार प्रदान किये गये हैं–

1. सभी अल्पसंख्यक चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हो उन्हें अपनी इच्छानुसार शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना करने एवं उसका संचालन करने का अधिकार होगा।
2. शासन इस आधार पर कोइ भेदभाव नहीं करेगा कि इसका प्रबंध अल्पसंख्यकों द्वारा किया जाता है, चाहे वह किसी धर्म या भाषा पर आधारित हो।

इसी तरह धारा 350 के अन्तर्गत निम्न प्राथमिकता प्रदान की गई है–

"प्रत्येक राज्य तथा राज्य के अन्तर्गत स्थानीय अधिकारियों का यह सतत प्रयास होगा कि भाषायी अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उनकी मातृभाषा में देने की पर्याप्त सुविधा प्रदान करें एवं राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश जारी करे जैसा वह ऐसी सुविधाओं के प्रावधानों को सुरक्षित रखने के लिऐ आवश्यक तथा उपयुक्त समझे।"

अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए दीर्घकालिक कार्यक्रम –

शिक्षा नीति में अल्पसंख्यक की शिक्षा के लिए निम्न दीर्घकालिक कार्यक्रमों की घोषणा की गई है –

(क) शिशु तथा परंपरागत स्कूल शिक्षा – (1) परंपरागत स्कूलों में स्वैच्छिक आधार पर विज्ञान, गणित तथा अंग्रेजी शिक्षण प्रदान करने का प्रयास करना। (2) जहां तक संभव हो इन स्कूलों तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक प्रमुख आबादी वाले क्षेत्रों में शिशु–शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करना। (3) सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्यों को इन संस्थाओं में प्रारंभ करना। (4) शिक्षा विभाग द्वारा सहायता के लिए एक केन्द्रीय योजना लागू करना।

(ख) प्राथमिक शिक्षा – (1) शैक्षिक सुविधाओं के संबंध में भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त द्वारा अपेक्षित सांख्यिकीय सूचना के समाकलन हेतु संस्थागत पद्धति का राज्य सरकारों द्वारा निर्माण करना। (2) भाषायी अल्पसंख्यक अध्यापकों के पदों की स्वीकृति तथा नियुक्ति के लिए जिला कलेक्टर को अधिकार प्रदान करके विलम्ब को खत्म करना। (3) राज्य सरकारों द्वारा अल्पसंख्यक भाषाओं में पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता का सर्वेक्षण तथा अल्पसंख्यक भाषाओं में मुद्रण सुविधाओं को व्यवस्थित करना (4) राज्य सरकारों द्वारा अल्पसंख्यक भाषाओं के अध्यापकों हेतु अध्यापक प्रशिक्षण सुविधाओं की उपलब्धता का सर्वेक्षण तथा जहां कहीं जरूरी हो ऐसी सुविधा बढ़ाना। (5) स्थानीय शिल्पों, व्यवसायों में प्रशिक्षण हेतु शैक्षिक समय का 15 प्रतिशत उपयोग करने का प्रयास किया जाना तथा कारीगरों और कृषि श्रमिकों के बच्चों हेतु सायंकालीन कक्षाओं का आयोजन करना।

(ग) मिडिल तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा – (1) एन.सी.ई.आर.टी. तथा अन्य स्त्रोत केन्द्रों द्वारा विज्ञान गणित और सामाजिक विज्ञानों, अंग्रेजी एवं जीविका मार्ग दर्शन में अल्पसंख्यक संस्थाओं के

शिक्षकों हेतु एक सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्य का विस्तार करना। (2) एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा आधुनिक शैक्षणिक तकनीकी प्रदान करने के लिए अल्पसंख्यक संस्थाओं के प्रबंधकों एवं प्रधानाचार्यों के लिए अनुस्थापन पाठयक्रमों की योजना लागू करना। (3) स्कूल शिक्षा में कम्प्यूटर साक्षरता योजना में अल्पसंख्यक प्रबंधित शैक्षणिक संस्थाओं को उचित प्रतिनिधित्व देना।

(घ) **महिला शिक्षा –** (1) चूंकि शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों में महिला साक्षरता तथा लड़कियों का नामांकन सबसे कम है। अतः लड़कियों के स्कूल खोलने, अध्यापिकाओं की नियुक्ति, लड़कियों के छात्रावास खोलने एवं मध्यान्ह भोजन, वर्दी आदि की सुविधायें प्रदान करने की योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यकों की आवश्यकतायें पूरी करना। (2) राज्य सरकारों द्वारा शिल्प का उत्पादन तथा प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के लिए महिला शिक्षकों को वरीयता प्रदान की जाये।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की सिफारिश के अनुसार कुछ अल्पसंख्यक लोग शैक्षिक दृष्टि से वंचित तथा पिछड़े हुए हैं। समानता तथा सामाजिक न्याय का तकाजा है कि इन समूहों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाये। स्वाभाविक है कि सरकार अपनी संस्थाये गठित करने, संचालित करने तथा अपनी भाषा एवं संस्कृति को समुन्नत करने की गारंटी देती है। इस गारंटी की अनुपालता तो होगी पर ऐसी व्यवस्था भी की जायेगी ताकि पाठय पुस्तकों के निर्माण तथा समस्त विद्यालय गतिविधियों में वस्तुनिष्ठता प्रदर्शित हो और समान राष्ट्रीय पाठयक्रम की भावना के अनुसार समान राष्ट्रीय उद्‌देश्यों एवं आदर्शों पर आधारित एकीकृत समन्वय का विकास संभव हो सके।

घुमक्कड़ जातियों एवं विमोचित जातियों को शिक्षित करने की कठिन समस्या को हल करने हेतु अधिक शक्ति से कार्य करने की आवश्यकता है। इसके लिए छात्रावासों की व्यवस्था पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। अल्पसंख्यकों की शिक्षा के विस्तार में जो आर्थिक तथा सामाजिक कठिनाइयां है। उन्हें समाप्त करने के लिए बहुत ही एकाग्र होकर प्रयत्न करने की आवश्यकता है। उनके लिए प्राथमिक स्तर पर सुविधायें जुटानी होंगी एवं दूर क्षेत्रों में आश्रम विद्यालय खोलने होंगे।

माध्यमिक स्तर पर विद्यालयों, छात्रावास संबंधी सुविधायें एवं छात्रवृत्तियों में बहुत अधिक वृद्धि करनी होगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में छात्रवृत्ति कार्यक्रम से संबंधित प्रशासन को विकेन्द्रित करना होगा एवं उसे ज्यादा कुशलतापूर्वक चलाना होगा। माध्यमिक एवं विश्वविद्यालय स्तरों पर विशेष अध्यापन की व्यवस्था करनी होगी।

पाठगत प्रश्न

प्रश्न 1. बालिका शिक्षा में आने वाली बाधायें क्या–क्या है?

प्रश्न 2. पिछड़े बालकों की विशेषतायें क्या है?

प्रश्न 3. अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिये राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों पर प्रकाश डालिये।

उप इकाई – 3

सुविधा वंचित वर्ग के बच्चे –

सुविधा वंचित वर्ग के अन्तर्गत समाज का वह वर्ग आता है जो शैक्षिक अवसरों की समानता का लाभ उठाने में किसी न किसी कारणवश वंचित रह जाता है। निर्धन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछड़ा हुआ वर्ग, महिलाये, अल्पसंख्यक और विकलांग आदि सुविधा वंचित वर्ग में आते है। साधनविहीन ग्रामीण क्षेत्र के निवासी भी सुविधा वंचित वर्ग में आते है।

सुविधा वंचित वर्ग के शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण –

सुविधा वंचित वर्ग के पिछड़ेपन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैः–

1. **सामाजिक पिछड़ापन** — इस वर्ग में ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में निवास करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछड़ी हुई जाति के व्यक्ति आते हैं। ग्रामीण, कृषि श्रमिक, नगरों में काम करने वाले श्रमिक और सेवक, निजी संस्थानों में कार्य करने वाले मजदूर, घरेलू नौकर आदि शामिल है। इन सभी की सामाजिक और आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण ये लोग अपने बच्चों को या तो स्कूल में पढ़ने भेज नहीं पाते या कुछ समय के बाद स्कूल भेजना बंद करने के लिये विवश हो जाते है।
2. **निर्धनता** — निम्न वर्ग का उच्च जातियों द्वारा सदा ही आर्थिक शोषण होता रहा है। आज भी उनकी दशा में विशेष सुधार नहीं हुआ है। अतः यह वर्ग निर्धनता से बुरी तरह ग्रस्त है। गरीबी के कारण माता—पिता बच्चों को काम पर लगा देते है और उन्हें पढ़ने नहीं भेजते अगर जाते भी है तो पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है।
3. **रूढ़िवादिता व अंधविश्वास** — इन वर्गों के लोगों का समाज आज भी अत्यंत रूढ़ीवादी एवं अंधविश्वासी है। नवीन तर्कपूर्ण विचार ग्रहण को बहुत प्रयास करने के बाद ही यह वर्ग तैयार हो पाता है। अंधविश्वास से घिरे होने के कारण ये शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दे पाते हैं। अंध विश्वासों में पड़कर अनेक बार ये लोग अपना भारी नुकसान भी कर लेते है।
4. **विद्यालय की स्थापना व शिक्षक समस्या** — इस वर्ग एवं जातियों की अधिकांश संख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। इन क्षेत्रों में आवागमन के साधनों का अभाव है। प्रायः विद्यालय पहुंचने के लिये सड़कें नहीं है। आदिवासी क्षेत्रों में अधिकांश लोग घने जंगल, पर्वतीय प्रदेश और दूरस्थ स्थानों पर रहते हैं, जहां विद्यालय खोलना संभव नहीं हो पाता है। यदि किसी प्रकार स्कूल खोल भी दिये जाते है तो दूरदराज के गांवों और जंगली क्षेत्रों में शिक्षक और शिक्षिकाएं जाने को तैयार नहीं होते है। इन सब कारणों से इस वर्ग के बच्चों की शिक्षा में बाधा उत्पन्न होती है।

सुविधा वंचित वर्ग के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था की बाधाओं को दूर करने के लिये निम्नलिखित उपाय सुझाये गये जिनमें से प्रमुख हैः—

1. **यातायात सुविधाओं का विकास** — यदि सुदूर गांवों में आवागमन सुगम हो जाये तो शिक्षक शिक्षिकाएं गांव में जाना चाहेंगे। बच्चे भी पास के स्कूल में आ जा सकते है। अतः सड़कों का निर्माण एवं बस आदि की सुविधा उपलब्ध कराना आवश्यक है।
2. **क्षेत्रों में विद्यालयों की स्थापना** — प्रायः जन जातिय क्षेत्रों में शालाओं की बहुत कमी है। सर्वप्रथम इस समस्या के निराकरण के लिये इन क्षेत्रों में नवीन शालाओं की स्थापना की गई है। इन सभी संस्थाओं का संचालन आदिम जाति एवं कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। इन सभी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है।
3. **छात्रावासों की स्थापना** — विद्यालयों के साथ—साथ बालक बालिकाओं की आवासीय समस्या को हल करने के लिये अधिकांश विद्यालयों के साथ छात्रावासों का निर्माण किया गया है। इन छात्रावासों में निःशुल्क आवास व्यवस्था, चिकित्सा आदि की सुविधायें प्राप्त है।
4. **पूर्व प्रशिक्षण की व्यवस्था** — व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में शामिल होने के लिये इन्हें पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके लिये शिक्षण और मार्ग दर्शक की व्यवस्था की गई है। लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्र—छात्राओं को निःशुल्क पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

विशेष समूह के बच्चों के लिये शिक्षा का प्रावधान —

बहुत सी जनजातियां खानाबदोश, अर्द्ध खानाबदोश, घुमक्कड़ जरायमपेशा होती है। जो एक स्थान से दूसरे स्थान एक घूमती फिरती रहती है। अस्थाई निवास, घुमक्कड स्वभाव के कारण इनके लिये शिक्षा की व्यवस्था करना संभव नहीं हो पाती है। जनजातियों की अपनी सांस्कृतिक विरासत है यद्यपि उनकी संस्कृति संबंधी बातों में कुछ समानताऐं पाई जाती है फिर भी क्षेत्रीय और समूह की दृष्टि

से काफी भिन्नतायें भी हैं। अपनी स्थानीय संस्कृति व संस्कारों में पले जन जातिय बच्चों के लिये अन्य लोगों की तरह शिक्षा ग्रहण करना संभव नहीं होता। जन जातियां आधुनिकता को स्वीकार करने को तत्पर नहीं है क्योंकि वे उसे अपनी संस्कृति पर आक्रमण मानती है।

कई जातियां दूरस्थ ग्रामीण अंचल, बीहड़ जंगलों के विशाल रेगिस्तान या पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है। जहां आने जाने के साधन न के बराबर है। आबादी बिखरी हुई है। भाग्यवादिता कुरीतियां, नशाबाजी, घोर निरक्षरता, छुआछुत आदि बुराईयों के रहते वे पढ़ नहीं पाते। ऐसे बालक बालिकाओं की शिक्षा के लिये उनके ही स्थानों पर पहुंचकर उनकी शिक्षा की व्यवस्था संभव हो पाती है।

अन्य चुनौतियाँ –

इन सबके अतिरिक्त कुछ अन्य चुनौतियां भी सामने आती है। जैसे अति निर्धनता, पिछड़ापन, शारीरिक दोष से उपर्जा हीन भावना बालक को विद्यालय नहीं जाने देती। बुरी लतों में फंसा बालक स्कूल नहीं पहुंच पाता है। उसके साथी उसे पढ़ाई नहीं करने देते है। खानाबदोशी भी उन्हें नियमित शिक्षा से वंचित करती है। अति गरीबी भी पढ़ाई में बाधक बनती है। अनाथ बालक बालिकाएं भी अक्सर शिक्षा से वंचित रह जाते है।

पाठगत प्रश्न

प्रश्न 1. सुविधा वंचित वर्ग के पिछड़ेपन के कारणों का उल्लेख कीजिए।

प्रश्न 2. सुविधा वंचित वर्ग के बालकों पर रूढ़िवादिता व अंध विश्वास का क्या प्रभाव पड़ता है?

प्रश्न 3. खानाबदोश वर्ग के बालकों का शिक्षण किस प्रकार कर सकते हैं?

आत्म परीक्षण के प्रश्न

नीचे आत्म परीक्षण के प्रश्न दिये जा रहे है, छात्र जिन्हें संपूर्ण पाठ के आधार पर हल करने का प्रयास करेंगे।

प्रश्न 1. बहुकक्षा शिक्षण से क्या समझते हो? इसकी उपयोगिता बताइये।

प्रश्न 2. बालिका शिक्षा की विभिन्न समस्याओं का उल्लेख कीजिए एवं उनके निवारण के उपाय भी बताइये।

प्रश्न 3. संपूर्ण साक्षरता अभियान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

प्रश्न 4. कामकाजी बालक–बालिकाओं की शिक्षा से आप क्या समझते है? स्पष्ट कीजिए।

प्रश्न 5. विकलांग बालकों की शिक्षा व्यवस्था पर प्रकाश डालिये।

प्रश्न 6. अल्प संख्यकों की शिक्षा के लिये राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों का उल्लेख कीजिए।

– – – –

इकाई–7 | सूचकांक– डी.एड/I/1/7

पत्राचार पाठ्यक्रम
माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. भोपाल
(द्वारा सर्वाधिक सुरक्षित)
डिप्लोमा इन एज्यूकेशन
प्रथम वर्ष (प्रश्न पत्र प्रथम)
विषय– भारतीय समाज में शिक्षा

विषयः– मध्यप्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा एवं उसकी नवीन अवधारणायें — **पाठ–7**

विषयांश– औपचारिक, अनौपचारिक एवं औपचारिकेत्तर शिक्षा।
- शिशु शिक्षा केन्द्र एवं आंगनवाडी।
- माण्टेसरी एवं किण्डर गार्टन पद्धति।
- शिक्षा गारंटी योजना व वैकल्पिक विद्यालय।
- गुणात्मक शिक्षा उत्तदायित्व व संसाधन विकास।

प्रिय छात्राध्यापक,

विगत इकाई में आपने शिक्षा की चुनौतियों व शिक्षा की व्यवस्था के अन्तर्गत बहुकक्षा शिक्षण/समूह शिक्षण/बहुस्तरीय शिक्षण, शिक्षा की व्यवस्था एवं विशेष योजनाओं का अध्ययन किया। प्रस्तुत पाठ में आप मध्यप्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा एवं उसकी नवीन अवधारणाओं को समझेंगे। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से पाठ को तीन उप इकाइयों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक उपइकाई के पश्चात पाठगत प्रश्नों का भी समावेश किया जायेगा।

उपइकाई – 1

प्रस्तावनाः

मध्यप्रदेश के अन्तर्गत प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने एवं गुणवत्ता स्तर के विकास हेतु सतत् शिक्षा, बालिका शिक्षा, समावेशित शिक्षा योजना, शाला प्रबंधक, शाल के समुदाय की सहभागीता, शालेय शिष्टाचार, शाला में वित्तीय प्रबंधन, शाला में पाठ सहभागी क्रियाएं, टी.एल.एम. (TLM) निर्माण बहु कक्षा

शिक्षण, स्वास्थ्य क्षेत्र में बच्चों की शिक्षण व्यवस्था, दक्षता संवंधर्न, क्रियाकलाप आधारित शिक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त औपचारिक, अनौपचारिक, शिशु शिक्षा केन्द्रों व आंगनवाडी केन्द्रों, शिक्षा गारंटी शालाओं के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

उद्‌देश्यः

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन से औपचारिक, अनौपचारिक, औपचारिकेत्तर, शिशु शिक्षा व आंगनवाड़ी केन्द्रों की व्यवस्था व संचालन, शिक्षा गारंटी व वैकल्पिक विद्यालय के संबंध में आप ज्ञानार्जन कर सकेंगे।

औपचारिक, अनौपचारिक एवं औपचारिकेत्तर शिक्षाः–

औपचारिक शिक्षा (Formal Education) :–

इस शिक्षा को एक सक्रिय साधन (Active Agencies) के रूप में स्वीकार किया गया है। एक व्यवस्थित, नियमित, संयमित, निश्चित स्थल, पाठयक्रम, वातावरण के अनुसार इसकी व्यवस्था की जाती है। यह शिक्षा साभिप्राय साधन (Intentional Modes of Education) है। प्रायः विद्यालय इसका केन्द्र होता है। विद्यालयेत्तर धार्मिक संस्थाएं, पुस्तकालय, चिड़िया घर, चित्र भवन, म्यूजियम एवं ग्रन्थ इसके सहायक है।

लक्षणः–

सुव्यवस्थित पाठयक्रम, पाठयविधि, पाठय सामग्री, पाठय क्रिया के द्वारा शिक्षण क्रिया पूर्ण होती है। इससे ज्ञान सुव्यवस्थित रूप से स्वीकार किया जाता है।

अनौपचारिक शिक्षा (Informal Educaiton):–

इसमें स्वतंत्र चिन्तन प्रक्रिया स्वीकार किया जाता है। पाठ योजना, पाठय सामग्री, पाठयक्रम, पाठय वस्तु, पाठ्‌य विधि सुनिश्चित नहीं होता है। परिवार, धर्म, राज्य, समाज, क्षेत्र, आकाशवानी दूरदर्शन, समाचार पत्र–पत्रिकाएं, क्रीड़ा क्षेत्र, समितियां, विविध दल, इसके केन्द्र होते हैं।

लक्षणः–

बालक समाज के साथ रहता है, साथ रहने की प्रक्रिया के माध्यम से वह शिक्षा ग्रहण करता है। अपने अनुभवों का विस्तार करता है तथा विचारों व कथनों में पवित्रता लाती है, सजीवता उत्पन्न होती है। अज्ञातावस्था में ही आदतों, व्यवहारों, रूचियों का विकास होता है।

औपचारिकेत्तर शिक्षा (Non-Formal Education):–

औपचारिकेत्तर शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा से हटकर एक नवीन शिक्षा विद्या का आविष्कार किया गया है जिसे औपचारिकेत्तर शिक्षा की संज्ञा दी गई है। यह औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा विद्या का एक मिश्रित रूप है। छात्र औपचारिक शिक्षा के समय विभाग चक्र, निश्चित पाठयक्रम, समय इत्यादि से मुक्त नहीं होते है तथा अनौपचारिक शिक्षा की तरह सदैव अनौपचारिक भी नहीं होते इसका अपना अलग पाठयक्रम होता है।

लक्षण:–

यह एक सतत् चलने वाली शिक्षा प्रक्रिया है। पत्राचार पाठयक्रम, मुक्त विश्व विद्यालय, मुक्त शिक्षा व्यवस्था, इसकी विशेषता है। रेडियो, दूरदर्शन इसके साधन है। यह शिक्षा एक प्रकार से पूरक वर्ग में आती है।

उद्देश्य:–

- समय बन्धन विहीन शिक्षा।
- आयु बन्धन विहीन शिक्षा।
- पूर्व प्रमाण पत्रों की आवश्यकता विहीन शिक्षा।
- अध्ययन में रूचि रखने वालों की आवश्यकताओं की पूर्ति वाली शिक्षा।
- सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति वाली शिक्षा है।

<u>औपचारिक, अनौपचारिक तथा औपचारिकेत्तर शिक्षा में अन्तर:–</u>

क्र.	औपचारिक शिक्षा	अनौपचारिक शिक्षा	औपचारिकेत्तर शिक्षा
1	मन्दिर, चर्च, विद्यालय, अजायब घर साधन होता है।	परिवार, समुदाय, क्रीड़ा क्षेत्र, धार्मिक स्थल और समाज साधन होता है।	पत्राचार पाठ्यक्रम, दूरदर्शन रेडियो, कम्प्यूटर, मुक्त विद्यालय विश्व विद्यालय साधन होता है।
2	इसमें समयवद्ध कार्यक्रम होता है।	जीवन पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया होती है।	सतत् चलने वाली प्रक्रिया होती है।
3	सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम होता है।	पाठयक्रम विहीन होता है।	विभिन्न एवं विविधता पाठयक्रम की व्यवस्था है।
4	अध्यापक नियुक्ति के आधार पर शिक्षा देता है।	माता–पिता, भाई–बंधु, मित्र–सखा, साथी, समाज,	अनुभव प्रदान अध्यापक नियुक्त किये जाते है।

		समुदाय, सभी अध्यापक का कार्य करते है।	
5	शिक्षा अध्यापक मिश्रित होता है।	शिक्षा प्रकृति अधीन होती है।	स्वतः शिक्षा की व्यवस्था होती है।
6	विधियों का चयन विषयानुसार होता है।	अप्रत्यक्ष रूप से विधियों का प्रयोग किय जाता है।	विधियां लिखित रूप से कार्य करती है इन विधियों के उपयोग का रहस्य ज्ञात नहीं होता, विधियों में लचीलापन होता है।
7	अधिगम का निश्चित क्रम होता है।	क्रम विहीन अधिगम होता है।	इकाई क्रमानुसार शिक्षण व्यवस्था की जाती है।
8	अनुशासित, अनुशासन की ओर ध्यान दिया जाता है।	सामाजिक मर्यादाओं का अनुपालन ही अनुशासन है।	स्वानुशासन या आत्मानुशासन को महत्व दिया जाता है।
9	मानसिक विकास पर बल दिया जाता है।	सर्वागीण विकास एवं व्यावहारिक विकास किया जाता है।	सर्वांगीण विकास जीवनोपयोगी ज्ञान पर बल दिया जाता है।
10	विद्यालयीन गुणों का विकास होता है।	सामाजिक गुणों का विकास होता है।	सामाजिकता के गुणों की उपलब्धि होती है।
11	प्रमाण पत्र की व्यवस्था होती है।	सम्मान पत्र दिया जाता है।	प्रमाण पत्र दिया जाता है।
12	इसका क्षेत्र संकीर्ण होता है।	इसका क्षेत्र व्यापक होता है।	इसका क्षेत्र व्यापक होता है।

<u>शिशु शिक्षा एवं आंगनवाड़ी :–</u>

शिशु शिक्षा केन्द्रः–

''बालक के जन्म के कुछ वर्ष पश्चात ही यह निश्चय किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है'' – एडलर।

कोठारी कमीशन की अनुशंसाओं के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत शिशुओं की शिक्षा की पूर्ति हेतु शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की गई थी।

आवश्यकता एवं महत्वः–

शिशु शिक्षा केन्द्रों का अपना अलग महत्व होता है, अध्यापक व अभिभावक दोनों का कर्त्तव्य होता है कि वह शिशु शिक्षा पर विशेष ध्यान दे। कारण इस आयु समूह के बालक को जो कुछ भी सिखाया जाता है वह उसे सरलता से व शीघ्रता से सीख जाते है। इसी अवस्था में बालक सही, गलत आदतों को भी सीखते हैं। बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए स्वच्छ वायु और प्रकाश तथा स्वच्छ वातावरण अत्यावश्यक होता है। इसका प्रबंधन शिशु शिक्षा केन्द्रों पर ही होता है तथा खेलना बालकों के लिए परमावश्यक होता है। सभी बालकों को खेलना अत्यंत प्रिय होता है। खेल द्वारा ही बालक का शरीर स्वस्थ और चुस्त होता है। खेलों के माध्यम से ही उन्हें अनेकों प्रकार की शिक्षा दी जा सकती है, खेलों का आयोजन भी इन समूह के बच्चों के लिए शिशु शिक्षा केन्द्रों पर ही संभव होता है।

जब महिलाएं अपने–अपने कार्यों की पूर्णता हेतु अपने घरों से बाहर जाती है उस अवस्था में वह अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था नहीं कर पाती है। उनके बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की गई थी।

शिशु शिक्षा केन्द्रों से शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत बालक प्राथमिक शिक्षा के लिए तत्पर हो जाते है और शिक्षा केन्द्रों में शिक्षा प्राप्त कर बालक विद्यालय के वातावरण से परिचित हो जाते है। बालक के सर्वांगीण विकास हेतु, बालकों के समस्त गुणों (शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, संवेगात्मक, रचनात्मक, आदि) का विकास होता है। इसके लिए शिक्षा के समस्त पहलू, ज्ञान, दक्षता, दृष्टिकोण, स्वास्थ्य, नैतिकता, आध्यात्मिकता मूल्य, सौन्दर्य एवं कार्यानुभव को सम्मिलित करना आवश्यक है। जिसके द्वारा पढ़ाई, योग्यता, क्षमता, दक्षता, कार्यकुशलता, मिलन सरिता, नेतृत्व क्षमता आत्मविश्वास, सामाजिकता इत्यादि में वृद्धि होती है। यह कार्यक्रम 3–6 वर्ष आयु समूह के शिशुओं के लिए है।

स्थापना के उद्देश्यः–

- शैशव काल का उचित उपयोग।
- प्रारंभ से ही शिशु में पढ़ने लिखने की प्रेरणा जागृत करना।
- स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना।
- परिवार के दूषित वातावरण से बालक को दूर रखना।
- शिशुओं का शारीरिक विकास।
- पढ़ने–लिखने की पूर्ण तैयारी।
- शिशुओं में लाभप्रद आदते विकसित करना।

- शिशु के उन अंगो का संचालन करने वाले खेलों का आयोजन करना।

उपयोगिता :–

- शिशु शिक्षा केन्द्र शिशुओं को प्राथमिक शिक्षा हेतु तैयार कर विद्यालयों में छात्र संख्या की वृद्धि में सहायक हो सकते हैं।
- ग्रामीण क्षेत्रों के बालकों को अल्प व्यय में ही पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो जाती है।
- प्रारंभिक ज्ञान एवं कौशलों के विकास में सहायता प्रदान करते है।
- अपव्यय व अवरोधन रोकने में सहायक हैं।
- बालकों में स्वच्छ आदतों के विकास के साथ–साथ शारीरिक मानसिक एवं उचित संवेगात्मक विकास में सहायक होते है।
- खेलकूद के द्वारा बालकों में आत्म निर्भरता, सृजनात्मकता एवं कलात्मकता का विकास होता है।

आंगनवाड़ी केन्द्रः–

पूर्व प्राथमिक शिक्षा स्कूल शिक्षा का एक महत्वपूर्ण आधार बिन्दु है। इसके माध्यम से प्रदेश एवं राष्ट्र स्तर पर बालक बालिकाओं की शिक्षा एवं इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी शिक्षित समुदाय के निर्माण का कार्य सम्पन्न किया जाता है। कम आयु के बच्चों में सीखने एवं शिक्षा के प्रति रूझान पैदा करने के लिए यह आवश्यक है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा को रोचक एवं परिणाम मूलक बनाया जाये। बच्चों में रूचि एवं जिज्ञासा पैदा की जाये जिससे वे प्रस्तुत ज्ञान एवं सूचनाओं को सहजता एवं सुलभता से ग्रहण कर सकें।

पूर्व प्राथमिक स्तर की शिक्षा दीक्षा एवं कम आयु से ही बच्चों में साक्षरता एवं क्षमता निर्माण की दिशा में आंगन वाड़ियों का विशेष महत्व है। ये संस्थाएं छोटे–छोटे गांवों, मुहल्लों तक में कार्य करती है। जहां औपचारिक शिक्षा भी बहुत देर से हो पाती है। कम आयु के बच्चों में साक्षरता एवं जीवनोंपयोगी सूचनाओं के व्यापक प्रसार के लिए आंगनवाडियां उत्कृष्ट माध्यम है। पूरक पोषण आधार, स्वास्थ्य परीक्षण, प्राथमिक टीकाकरण, पोषण एवं स्वाथ्य श्क्षिा, स्कूल पूर्व औपचारिक शिक्षा व्यवस्था, आंगनवाड़ी केन्द्रों पर शिशुओं को उपलब्ध करायी जाती है। इसके अन्तर्गत अनौपचारिक स्कूल पूर्व शिक्षा समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह शिक्षा 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को दी जाती है। शाला पूर्व शिक्षा का मुख्य उद्‌देश्य है, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना जिसमें – भाषा विकास, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, रचनात्मक एवं सृजनात्मक विकास, बौद्धिक विकास, भावनात्मक विकास आदि हर एक विकास के लिए सही वातावरण होने पर बच्चों का सर्वांगीण विकास अच्छा होता है। बच्चों के जीवन में प्रथम छः वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते है। इन वर्षों में शिशु जिस गति से सीखता है उस गति से आगे कभी नहीं सीखता है। बच्चों को आगे के विकास के

लिए उचित वातावरण होना चाहिए। शाला पूर्व शिक्षा के अन्तर्गत– अच्छी आदत सीखने के अवसर, बोलने एवं सुनने के अवसर, सोचने समझने के अवसर, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के अवसर, बड़ी व छोटी मांसपेशियों के विकास के अवसर, 4–5 वर्ष के लिए पढ़ाई लिखाई और गणित विषय सीखने की पूर्व तैयारी का अवसर प्राप्त होता है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक बच्चे को सभी प्रकार की क्रियाओं को करने हेतु 15 से 20 मिनट का समय दिया जाता है। बच्चों को वस्तुओं और सामग्री का बिना रोक–टोक के प्रयोग करने, छोटे–छोटे समूहों में मिलकर कार्य करने, हमेशा विनम्रता और शिष्टतापूर्वक बातें करने को कहा जाता है और शुद्ध भाषा का पूर्ण वाक्य में प्रयोग किया जाता है। बच्चों को दण्ड व पुरस्कार नहीं दिया जाता तथा अच्छे कार्यों के लिए प्रोत्साहित किया जाता हैं।

दूर संपर्क शिक्षक प्रशिक्षणः–

एक ऐसी प्रणाली है, जिसमें देश के विभिन्न कोनों पर स्थापित केन्द्रों को एक राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित प्रसारण केन्द्र से दृश्य श्रव्य/श्रव्य–दृश्य प्रशिक्षण सुविधा प्राप्त है। एस.ओ.पी.टी. कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रयोग किये जाने वाले दूर शिक्षा प्रणाली से कार्यक्रम में एक तरफ दृश्य तथा दो तरफ श्रव्य विधि का प्रयोग किये जाने वाले दूर शिक्षा कार्यक्रम राज्य के विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्र निर्धारित किये जाये जो डी.आई.ई.टी. है। इन प्रशिक्षण केन्द्रों पर स्थापित टी.वी. के माध्यम से राष्ट्रीय केन्द्रों का टेलीफोन एवं एस.टी.डी. तथा फैक्स के माध्यम से केन्द्रीय प्रसारण कक्षा से सीधा संपर्क स्थापित किया जा सकता है। अतः प्रसारण के तुरंत बाद केन्द्रों पर बैठे प्रतियोगी एस.टी.डी. सुविधा का प्रयोग करते हुये अपने प्रश्न विशेषज्ञों तक पहुंचा सकते हैं। इन प्रश्नों का तुरंत समाधान केन्द्रीय प्रसारण कक्ष में बैठे विद्वान करते है जो प्रत्येक केन्द्र पर लगे टी.वी. पर देखा एवं सुना जा सकता है।

इस प्रकार प्रतिभागी न केवल अपनी शंकाओं का समाधान कर पाते है वरन अन्य केन्द्रों पर बैठे प्रतिभागियों के प्रश्नों की जानकारी भी उन्हें मिलती है, जो उनके ज्ञान की क्षितिज के विकास में सहायक है।

दृश्य एवं श्रव्य माध्यमों का समुचित प्रयोग प्रशिक्षण को अधिक रोमांच बनाता है। अन्तरक्रिया से अधिक अवसर प्रदान करता है तथा एक समान गुणात्मक शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार में सहायक होता है, जो प्रचलित माध्यम द्वारा यदि असंभव नही ंतो दुष्कर अवश्य है।

पाठगत प्रश्न

1. ....किसी निश्चित स्थान और समय पर नहीं दी जाती है।
2. पत्र पत्रिकाएं औपचारिक रूप से .... शिक्षित नहीं करती है।
3. शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना .... की अनुशंसाओं के आधार पर किया गया।
4. शिशु शिक्षा कार्यक्रम .... वर्ष आयु समूह के शिशुओं के लिए है।

उपइकाई 2

माण्टेसरी एवं किण्डर गार्टन पद्धति

<u>माण्टेसरी पद्धतिः–</u>

माण्टेसरी शाला का उद्‌देश्य पढ़ाना, लिखाना, या सिखाना न होकर मनुष्य और मनुष्य मन का अध्ययन है। बाल मन के अनुरूप शालाएं अगर वातावरण रचे तो मनुष्य का सही अध्ययन हो सकता है। माण्टेसरी के अनुसार ''बालक के जीवन के लिए सर्वोत्तम परिस्थिति पैदाकर दो और फिर उसे स्वतंत्र छोड़ दो, बस उसका अध्ययन हो जावेगा''। अपने विकास के लिए मनुष्य को जिन–जिन चीजों की जरूरत है वे वातावरण या पर्यावरण में उपस्थित है उसे पहचानों और चीजो को समझो। वातावरण बालक की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास की आवश्यकता के अनुरुप हो। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए खुली हवा, स्वच्छता, अनुकूल समशीतोष्ण तापमान, स्वच्छ शौचालय मूत्रालय, स्नानागार, धोने लायक शाला का फर्श, चौड़ी खिड़किया पौष्टिक भोजन, बगीचा, ऊंची छतें, लम्बी चौड़ी दीवारें माण्टेसरी शाला के लिए आवश्यक है। आकर्षक फर्नीचर, श्यामपट, दरियां, पानी के बर्तन, वजन सब बच्चों के कद और उम्र के अनुसार हो। स्वयं काम करने के साधन, संगीत के साधन, खेलने कूदने के साधन, सौन्दर्य व सज्जा के साधन, सजा कमरा, बालक का स्वच्छन्द विचरण, घूमना–फिरना, माण्टेसरी शाला का वातावरण रचते है।

माण्टेसरी शाला में अध्यापिका बच्चों को पढ़ाती नहीं वह तो बच्चों की शिक्षा गुरू एवं वैज्ञानिक स्वरूप होती है। बालकों का अवलोकन, उनकी क्रियाएं, उनकी युक्तियों का वातारण निर्माण करना, बच्चों को हर गतिविधि के लिए स्वतंत्र करना, उनमें सेवा और सद्‌भाव जाग्रत कर देना, प्रकृति और मनुष्य के प्रति प्रेम पैदा करने योग्य स्थिति उत्पन्न करना, ये सब शिक्षक नहीं करती, बल्कि बालक ही करते है मगर शिक्षिका तो अनुभव बढ़ाती है, अपनी योजना बढ़ाती है और उपकरणों एवं साधनों के प्रति वैज्ञानिक दृष्टि का विकास करतीहै। शिक्षिकाओं को पढ़ाने के बजाय उसे बालकों का अवलोकन करना जरूरी है। बच्चों को प्रेरित करने के लिए वातावरण में सजगता, निर्मलता, चेतना दृष्टि और वैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षिकाओं को कार्य करना चाहिए। इन्द्रियों के सम्यक और सर्वांगीण विकास द्वारा, कद, वजन, आकार, रंग, स्वाद एवं शोध, वाचन, लेखन श्रवण उपकरणों की व्यवस्था कर वृद्धि के शिक्षण में शिक्षिकाएं सहायक होती है। आयु, बाल मनोविज्ञान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को क्रिया शिक्षण माण्टेसरी में मान्य किया है।

माण्टेसरी शिक्षण के अन्तर्गत निर्देशक या आदेश नहीं होते, शिक्षक का हस्तक्षेप नहीं होता, पाठयक्रम, पाठयपुस्तकों, गृह कार्य का बोझ नहीं होता, परीक्षा नहीं होती, कक्षाएं एवं उसका वातावरण उबारू नहीं होता, स्कूल, शिक्षक, पढाई, का डर नहीं होता है।

माण्टेसरी ने नौ इंद्रियों का सीखने, खेलों और काम करने की क्रियाओं में विशेष महत्व माना है:–

1. दर्शन इन्द्रिय – नेत्र से देखना।
2. रंग इन्द्रिय – देखकर पहचाने का संवेदन (Chromatic Seuse)
3. स्पर्श इन्द्रिय – छूकर महसूस करना, त्वचा वस्तु आनन्द का स्पर्श (Tactile Seuse)
4. शीतोष्ण इन्द्रिय – स्पर्श के द्वारा अनुभव के द्वारा (Tactile Seuse)
5. वजन की इन्द्रिय– हाथों के द्वारा (Barie Seuse)
6. आंख की मदद से बिना रूप को जानने की इन्द्रिय – अनुभव, स्पर्श आदि के द्वारा (Stereognostic Seuse)
7. गन्ध इन्द्रिय – नाक से महसूस करना (Olfactory Seuse)
8. शब्द इन्द्रिय – सुनकर कान से अनुभव करना (Auditory Seuse)
9. स्वाद इन्द्रिय – चखकर अनुभव करना (Taste Seuse)

इन इन्द्रियों का शिक्षण अर्थात् बच्चों के अनुभवों, अहसासों, व स्वयं की क्रियाओं से जानने समझने की विराट दुनिया में छोड़ना। जब इन इन्द्रियों के विकास के साथ–साथ इनकी उपयोगिता को समझ लेते है तो किस इन्द्रिय से क्या और कब, कौन सा काम लेता है इसका निर्णय भी वे स्वयं लेते हैं। बालक को उसकी पसन्द, रूचि व जिज्ञासा का काम करने से रोकना उसकी स्वतंत्रता का अपहरण है। सभी बच्चे मिलकर काम करें, खेले, क्रिया करें, बातचीत करें और शिक्षक या व्यवस्था से थोपे हुए काम न करें, तो बालकों में स्वतंत्रता के साथ–साथ सहयोग, प्रेम और सद्भाव पनपता है।

माण्टेसरी प्रणाली निम्न सिद्धांतों पर आधारित है:–

माण्टेसरी सिद्धांत (Principles of Montessory Method):–

- व्यक्तिगत शिक्षण का सिद्धांत।
- स्वतंत्रता के भाव का सिद्धांत।
- शारीरिक दण्ड निषेध का सिद्धांत।
- ज्ञानेन्द्रियों का प्रशिक्षण।
- तार्किक अनुशासन के विकास का सिद्धांत।

- स्व–शिक्षा का सिद्धांत।
- व्यक्तित्व का सिद्धांत।
- खेल द्वारा शिक्षा का सिद्धांत।
- मांसपेशियों की शारीरिक शिक्षा का सिद्धांत।
- व्यक्तित्व के विकास का सिद्धांत।

माण्टेसरी पद्धति के गुण (Merits of Montessory Method):–

- बालक की वैयक्तिता को महत्व।
- वैज्ञानिक प्रणाली।
- ज्ञानेन्द्रियों के प्रशिक्षा की व्यवस्था।
- भाषा शिक्षण की सर्वोत्तम विधि।
- शिशुओं के लिए अत्यंत उपयोगी।
- आत्म शिक्षा की महत्ता।
- खेल प्रणाली का प्रयोग।
- मार्ददर्शक के रूप में शिक्षक।
- सामाजिक एवं व्यावहारिक शिक्षा।
- अनुशासन की समस्या का समाधान।
- स्वतंत्रता।
- पारस्परिक सहयोग की भावना।
- शिक्षा की प्रमुखता है।

किण्डर गार्टन विधिः–

बालक का विकास अपनी अन्तर्निहीत शक्ति एवं गुणधर्म तथा विशेषताओं के अनुरूप होता है। अतः अध्यापक को बालक के विषय में संपूर्ण ज्ञान रखने की आवश्यकता है। बालक के आन्तरिक विकास के लिए ज्ञान प्राप्ति को साधन माना जाता है, साध्य नहीं। इसके लिए माध्यम स्वप्रयास ही होता है तथा आत्मभिव्यक्ति के लिए खेल के माध्यम से अवसर प्राप्त होता है तथा जन्मजात प्रवृत्तियों का पोषण भी होता है। खेल अधिगमोपयोगी हो, वैयक्तिक तथा जन तान्त्रिक मूल्यों के विकास से संबंधित हो। अनुचित और अनपेक्षित व्यवहारों को इसके माध्यम से कम किया जा सके तथा अपनी भावनाओं को समझने और अभिव्यक्त करने की योग्यता का विकास छात्रों में हो सके एवं यह खेल स्वास्थ्य के

अनुकूल हो। इस विधि में सामाजिक भावना के विकास, स्वक्रिया, निहित गुणों का विकास, आत्मभिव्यक्ति, प्राकृतिक समरूपी विकास आदि के सिद्धांतों को भी महत्व दिया जाता है। प्रकृति के साथ समन्वयन के लिए भी इसे आवश्यक मानते हुए आन्तरिक क्षमता जन्य ही संभव माना जाता है।

सिद्धांत एवं विशेषताएंः–

किण्डर गार्टन पद्धति के सिद्धांत (Principles of Kindergarton Method):–

- आत्म क्रिया का सिद्धांत।
- शिक्षण में स्वतंत्रता का सिद्धांत।
- खेल द्वारा शिक्षा का सिद्धांत।
- सामाजिक भावना के विकास का सिद्धांत।

किण्डर गार्टन पद्धति की विशेषताएं (Characteristics of Kindergarton Method):–

- मातृ खेल और शिशु गीत
- उपहार – कुल सात उपहारों का उपयोग होता है।

किण्डर गार्टन पद्धति के गुण (Merits of Kindergarton Method):–

- बाल केन्द्रित शिक्षा।
- क्रियाशील द्वारा शिक्षा।
- इन्द्रिय प्रशिक्षण का महत्व।
- रूचिपूर्ण एवं सरल।
- शिशुओं के लिए अत्यंत उपयोगी।
- सामाजिक की शिक्षा।
- आत्मभिव्यक्ति द्वारा शिक्षा।
- भौतिकवाद एवं अध्यात्मवाद का समन्वय।
- पथ–प्रदर्शक के रूप में शिक्षक की भूमिका।

शिक्षा गारन्टी योजना व वैकल्पिक विद्यालय

शिक्षा गारंटी योजना (Education Warranty Plan):–

संबंधित द्वारा प्रत्येक बालक को बुनियादी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। इसकी पूर्ति हेतु शिक्षा के मूलभूत संसाधनों को उपलब्ध कराना शासन का मुख्य दायित्व है। 01 जनवरी 1997 से प्राथमिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण हेतु शासन द्वारा समुदाय एवं ग्राम पंचायतों की सहभागीता सुनिश्चित करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एक पहल प्रारंभ हुई जिसे मध्यप्रदेश शिक्षा गारंटी योजना के नाम से जाना गया। शिक्षा गारंटी योजना का क्रियान्वयन निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखकर किया गयाः–

1. यह योजना म.प्र. के ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों, मुहल्लों या गांवों में चलाई जायेगी जहां एक कि.मी. की दूरी पर एक भी विद्यालय नहीं है।
2. मध्यप्रदेश में एक शिक्षा गारंटी योजना स्कूल पर करीब साढ़े आठ हजार रूपये वार्षिक खर्च पड़ता है जिसे शासन वहन करता है।
3. गांवों में इसका संचालन ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा।
4. यह योजना उन क्षेत्रों में चलाई जायेगी जहां पर आदिवासी क्षेत्र के लिए 25 तथा 6 से 11 वर्ष की आयु के कम से कम 40 बच्चे उपलब्ध हों।
5. यदि ग्रामीण क्षेत्रीय समुदाय किसी स्थानीय व्यक्ति के बारे में अध्यापक चयन हेतु ग्राम पंचायत उसकी वाजिब मांगो को ध्यान में रखकर उस प्रस्ताव को जनपद पंचायत को भेजती है तो जिला पंचायत उन मांगों के वाजिब पाये जाने पर 42–90 दिन के भीतर शिक्षा गारंटी योजना स्कूल प्रारंभ कर देती है।

म.प्र. में 16479 शिक्षा गारंटी विद्यालय खोले जा चुके है। जिनसे शिक्षा का लोकव्यापीकरण होता है।

लाभः–

1. छोटे बालक, जो दूर विद्यालय तक नहीं जा पाते, उनके लिए स्थानीय स्तर पर शिक्षा उपलब्ध हो जाती है।
2. इस योजना से निर्धन बालक भी शिक्षा प्राप्त कर लेते है।
3. कम खर्च से छात्र की अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है तथा शिक्षा की गुणवत्ता में बेहतर सुधार होगा।
4. प्राथमिक शिक्षा में ह्रास एवं अवरोधन का निस्तारण हो सकेगा तथा साक्षरता दर में वृद्धि होगी।
5. स्थानीय लोगों की जन सहभागीता सुनिश्चित होती है एवं शिक्षित बेरोजगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार प्राप्त होता है।

वैकल्पिक शाला (Optional/School or Alternative School):–

औपचारिक शाला के समान ही वैकल्पिक शाला है। जिन परिवारों के बच्चे पारिवारिक सामाजिक एवं आर्थिक कारणों से औपचारिक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण नहीं करते हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था के लिए वैकल्पिक शालाओं का अनुसरण किया जाता है जो एक विकल्प के रूप में कार्य करती है।

इस प्रकार के विद्यालय प्रत्येक गांव, मुहल्ले एवं कस्बों में स्थापित किये जाते है जहां कि सामान्य जन संख्या 300 और आदिवासी ग्रामों की संख्या 250 होती है।

आवश्यकता एवं उद्देश्य (Need and Aims of Optional School):—

भारतीय संविधान की धारा 45 के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के छात्रों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है। कोई भी बालक शिक्षा से वंचित न रह जाये इसके लिए प्रत्येक राज्य में जुलाई से अक्टूबर तक विशेष स्कूल नामांकन अभीयान चलाया गया। इस तरह औपचारिक शालाओं के अतिरिक्त वैकल्पिक शालाओं की आवश्यकता की पूर्ति हेतु इनकी स्थापना की गई। इसके अन्तर्गत जिन बालकों को दो या तीन वर्ष के बाद आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक कारणों से विद्यालय का त्याग करना पड़ता है, उन्हें वैकल्पिक शालाओं में प्रवेश दिया जाता है। वैकल्पिक शालाओं का समय, व कार्यक्रम परिवर्तन होता रहता है। परिस्थितियों के अनुसार इसका मुख्य उद्देश्य बालक का गृह कार्य करने के साथ—साथ शिक्षा ग्रहण करना है।

विशेषताएं (Characteristics):—

1. वैकल्पिक शाला के लिए स्थान अथवा भवन की व्यवस्था, समय—सीमा व अवकाश बालकों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर समुदाय द्वारा निश्चित किये जाते हैं।
2. इन शालाओं के स्थान पर समय सीमा एवं अवकाश में लचीलापन होना आवश्यक है, जिससे परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन किया जा सके।
3. इनमें स्थानीय क्षेत्र के दो शिक्षक, जिनमें एक महिला तथा एक पुरूष होना अनिवार्य है।
4. परियोजना क्षेत्र से एक पर्यवेक्षक नियुक्त होना।
5. इनमें दिन में चार घण्टे तथा वर्ष में 250 दिन पढ़ाई होनी चाहिए।
6. पाठ्य पुस्तके तथा पाठय सामग्री निःशुल्क वितरित की जाये।

वैकल्पिक शाला और औपचारिक शाला में अन्तर (Ditterevec Between Optional School and Formal School):–

क्र.	वैकल्पिक शाला (Optional School)	औपचारिक शाला (Formal School)
1	वैकल्पिक शाला में दो अध्यापक ही शिक्षण कार्य करते है।	कई अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य कराया जाता है।
2	इसका स्थान व समय–सीमा समुदाय द्वारा निश्चित होता है।	औपचारिक शाला में शिक्ष्ण कार्य निश्चित स्थान एवं समय सीमा के अनुसार होता है।
3	वैकल्पिक शाला में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु स्थानीय लोगों को ही नियुक्त किया जाता है।	औपचारिक शाला में शिक्षकों की नियुक्ति कहीं भी की जा सकती है।
4	आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक कारणों से वंचित छात्रों को शिक्षा दी जाती है।	सभी प्रकार के बालकों को शिक्षा दी जाती है।
5	इसमें एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जाती है जो दस विद्यालयों का निरीक्षण करता है।	इसमें निरीक्षण हेतु सहायक उपनिरीक्षक होते हैं जो एक संपूर्ण विकास खण्ड पर होता है।

लाभ (Advantages):–

वैकल्पिक शाला के निम्नानुसार लाभ होते है:–

1. औपचारिक विद्यालयों में संपूर्ण समय न दे पाने वाले बालक इन शालाओं में मात्र चार घण्टे, अपने गृह कार्य करते हुए शिक्षा प्राप्त कर लेते है।
2. छात्र संख्या कम होने के कारण शिक्षण कार्य भलीं भांति सम्पन्न होता है तथा इन शालाओं के माध्यम से बालक का चँहुमुखी विकास संभव है।
3. काम काजी छात्र/छात्राओं को भी शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिलता है।
4. इन शालाओं के माध्यम से छात्रों में अनुशासन प्रियता, कर्तव्यनिष्ठा, लगनशीलता एवं शैक्षिक प्रवीणता विकसित होती है।

पाठगत प्रश्न

1. मध्यप्रदेश में .... गारंटी विद्यालय खोले जा चुके है।
2. .... 300 सामान्य जनसंख्या और 250 आदिवासी संख्या वाले क्षेत्रों में खोले जाते हैं।
3. माण्टेसरी ने शिक्षा का सर्वोत्तम स्थल .... को माना है।
4. .... ने नौ इन्द्रियों का सीखने, खेलो और काम करने की क्रियाओं में विशेष महत्व माना है।

गुणात्मक शिक्षा – उत्तरदायित्व व संसाधन विकास

जीवनोपयोगी एवं गुणवत्ता पूरक सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा आज सम्पूर्ण विश्व के सामने एक ज्वलंत प्रश्न है। शिक्षा किसी राष्ट्र के विकास की अनिवार्य शर्त होती है। अशिक्षित नागरिकों के साथ कोई भी राष्ट्र विकसित देशों की कतार में खड़े होने की कल्पना भी नहीं कर सकता है। शिक्षा और विकास के संबंध को ध्यान में रखकर ही विगत दो दशकों से संपूर्ण विश्व का ध्यान शिक्षा, मुख्यतः प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की तरफ केन्द्रित है।

शिक्षा की बढ़ती हुई सुलभता का समाज तथा व्यक्तियों पर तभी लाभकारी प्रभाव पड़ेगा जब शिक्षा अधिक गुणवत्ताप्रद होगी। गुणवत्ता एक बहुमुखी अवधारणा है। शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता अधिगम की व्यवस्था एवं प्रबन्धन, अधिगम का विषय, अधिगम का स्तर, प्रतिफल एवं अधिगम पर्यावरण निर्माण आदि विषयों से मिलकर बनी है। ई.एफ.ए. ''ग्लोबल मानिटरिंग रिपोर्ट (2005) के अनुसार – ''शिक्षा में गुणवत्ता'' को मुख्यतः दो बिन्दुओं के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है– पहला, शिक्षार्थी का संज्ञानात्मक विकास, पूरी शिक्षा व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य हो तथा दूसरा सकारात्मक नागरिक मूल्यों के साथ–साथ सृजनता एवं संवेदनशीलता का भी विकास हो। प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के साथ ही जीवनोपयोगी गुणवत्ता प्रद शिक्षा समय की मांग है।

शिक्षा में गुणवत्ता का अर्थ है – मानक स्तर की शिक्षा। दूसरे शब्दों में बच्चे अपनी आयु एवं कक्षा के अनुसार उस स्तर की शिक्षा प्राप्त करें, जिसकी समाज अपेक्षा करता है और बच्चों को एकनिश्चित आयु एवं कक्षा में आवश्यक रूप से सामान्यतः प्राप्त कर लेनी चाहिए। जब बच्चा विद्यालय में प्रवेश लेता है तब वह कोरा कागज नहीं होता। वह अपने परिवार और परिवेश से बहुत कुछ सीखकर आता है। विद्यालय बच्चे के पूर्व ज्ञान में कुछ और जोड़कर उसे भाषा, गणित, पर्यावरण, सामान्य ज्ञान और व्यक्तित्व गुणों के विकास के रूप में व्यवस्थित, विकसित और परिभाषित कर शिक्षा प्रदान करता है। इस शिक्षा में भौतिक ज्ञान ही नहीं मानवीय मूल्यों का विकास भी समाहित होता है। प्रारंभिक शिक्षा को नींव के रूप में ही नहीं वरण सुसज्जित गृह के रूप में निर्मित करना होगा। जिसमें बच्चे अपने जीवन का सफल निर्वाह कर सके। गुणवत्ता युक्त शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पक्ष बच्चों में ऐसे कौशल उत्पन्न करना भी है जिनकी मदद से वे ज्ञान के विस्फोटक विस्तार की वर्तमान स्थिति में जीवन पर्यन्त ज्ञान की सम्प्राप्ति, वृद्धि एवं अपने व्यक्ति का निरंतर विकास करने में सक्षम हो सकेंगे।

अधिकांश प्राथमिक विद्यालय एक या दो शिक्षकीय है। एक–दो शिक्षकों द्वारा पांच कक्षाओं को पढ़ाना वैसे ही मुश्किल है उस पर उन्हें (शिक्षकों को) बहु कक्षा शिक्षण स्थिति के अनुरूप व्यवहारिक प्रशिक्षण भी नहीं दिया जाता है। वर्तमान सेवा पूर्व या सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण में वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया ही नहीं जाता है। शासकीय शिक्षण संस्थाओं में बहु

कक्षा शिक्षण परिस्थिति के कारण योग्य शिक्षक भी अपने आपको असहाय अनुभव करते हैं। यदि बहु कक्षा शिक्षण परिस्थितियों को अनिवार्य परिस्थिति मानकर उसके उपयुक्त प्रशिक्षण, शिक्षण विधियां, सहायक शिक्षण सामग्री, पाठ्यक्रम, पाठयवस्तु और मूल्यांकन प्रणाली लागू कर संसाधनों का उचित नियोजन किया जाए तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी।

शासकीय प्रयास एवं सामुदायिक सहयोग के द्वारा ही गुणात्मक शिक्षा का विकास किया जाता है। गुणात्मक शिक्षा को संपूर्ण बालक एवं बालिकाओं को प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा संसाधनों के विकास में स्वयं सहयोग प्रदान किया जाता है तथा समुदाय को सहयोग करने के लिए प्रेरित किया जाता है। समुदाय के सहयोग के अभाव में शैक्षिक योजना सफल नहीं हो सकती हैं म.प्र. शासन द्वारा शिक्षा के विकास हेतु संसाधनों एवं उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए निम्नानुसार योजनाएं संचालित की जा रही हैः–

1. शासकीय उत्तरदायित्व एवं संसाधन विकास में भूमिका (Role of Government in Responsibilities and Resuource of Development) :– शासकीय स्तर पर विद्यालयों की स्थापना (Establishment of Schools), अनिवार्य शिक्षा संबंधी नियम (Compulsory education related rules) का निर्माण, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था (Arrangement of free education), विद्यालयीन सुविधाओं का विकास (Development of school facilities) किया जा रहा है।
2. शिक्षकों का उत्तरदायित्व एवं संसाधन विकास (Role of Teacher in Responsibilities and Resource Development):– शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण व प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों की सहभागिता सुनिश्चित करना, शिक्षकों को गतिविधि आधारित शिक्षण प्रक्रिया पर अधिक बल देना, नवीन शिक्षण विधियों का अनिवार्य प्रयोग, विद्यालय प्रांगण में उपलब्ध संसाधनों को शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में प्रयोग की दक्षता, शिक्षकों की विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करना, शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अनेक प्रकार के अशैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाना, शिक्षकों की व्यावसायिक उन्नति का प्रयास, शारीरिक दण्ड पर पूर्णतया रोक, उपचारात्मक शिक्षण की विशेष व्यवस्था सम्मिलित है।
3. माता–पिता का उत्तरदायित्व एवं संसाधन विकास (Role of Parents in Development of Responsibilities and Resources) :– शिक्षक–पालक संघ का निर्माण, सम्मानीय एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों की पहचान, पालक शिक्षक संघ द्वारा प्रवेश, परीक्षा, शाला प्रबंधन का अवलोकन एवं सुझाव तथा व्यवस्था, भौतिक व मानवीय संसाधनों की गुणवत्ता पर विचार विमर्श एवं उचित व्यवस्था, छात्रों के अधिगम स्तर एवं प्रत्येक क्षेत्र में उपलब्धि स्तर की समीक्षा, छात्रों की विद्यालयों में पूर्ण अवधि तक उपस्थिति सुनिश्चित करना है।
4. निर्वाचित जन प्रतिनिधियों का उत्तरदायित्व एवं संसाधन विकास (Role of Electected Representatives in Development of Responsibilities and Resource) :– ग्राम, विकास खण्ड, जिला, राज्य स्तरीय समितियों (शिक्षा समिति, शिक्षा पालक संघ, P.T.A./M.T.A. आदि) के

पदाधिकारियों द्वारा गुणात्मक शिक्षा के प्रसार–प्रचार में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथा उन्हें अपने नैतिक उत्तरदायित्वों को वहन कर कार्य करना चाहिए।

पाठगत प्रश्न

1. ....किसी राष्ट्र के विकास की अनिवार्य शर्त होती है।
2. ....एक बहुमुखी अवधारणा है।

इकाई सारांश

प्रस्तुत इकाई के अन्तर्गत उपयुक्त बिन्दुओं के अध्ययन के उपरांत, औपचारिक, अनौपचारिक, औपचारिकेत्तर शिक्षा, शिशु शिक्षा केन्द्र, आंगनवाडी केन्द्र, माण्टेसरी व किण्डर गार्टन शिक्षण पद्धति, शिक्षा गारंटी योजना, वैकल्पिक विद्यालय तथा गुणात्मक शिक्षा उत्तरदायित्व, संसाधन विकास पर विशेष ज्ञानार्जन प्राप्त कर सकेंगे।

आत्म परीक्षण के प्रश्न

नीचे आत्म परीक्षण के प्रश्न दिये जा रहे है, छात्र जिन्हें संपूर्ण पाठ के आधार पर हल करने का प्रयास करेंगे।

अ) औपचारिक, अनौपचारिक तथा औपचारिकेत्तर शिक्षा को परिभाषित कीजिए।

ब) औपचारिक, अनौपचारिक तथा औचारिकेत्तर शिक्षा में कोई तीन अंतर स्पष्ट कीजिए।

स) शिशु शिक्षा केन्द्र तथा आंगन वाडी केन्द्रों की स्थापना की क्या आवश्यकता है।

द) शिक्षा गारंटी योजना एवं वैकल्पिक शाला के संबंध में लिखे।

प) माण्टेसरी एवं किण्डर गार्टन पद्धति के पांच–पांच गुण लिखे।

फ) गुणात्मक शिक्षा क्या है।

य) गुणात्मक शिक्षा के उत्तरदायित्व एवं संसाधन विकास में शासन एवं शिक्षकों की भूमिका पर प्रकाश डालिए।

नियत कार्य एवं गतिविधियाँः–

- आंगनवाडी/शिशु शिक्षा केन्द्रों का अवलोकन करें एवं की जाने वाली गतिविधियों की सूची बनाइए।
- शिक्षकों द्वारा गुणात्मक शिक्षा के कोई दो संसाधनों के निर्माण की क्रिया तथा उपयोग प्रक्रिया लिखे।

<u>पाठगत पाठों की उत्तर तालिका :–</u>

<u>उप इकाई –1</u>

1. औपचारिक शिक्षा।
2. छात्रों को।
3. कोठारी मिशन।
4. 3 से 6 वर्ष

<u>उप इकाई – 2</u>

1. 16479
2. घर
3. माण्टेसरी

<u>उप इकाई – 3</u>

1. शिक्षा।
2. गुणवत्ता।

———

पाठ–8

सूचकांक– डी.एड./I/1/8

पत्राचार पाठ्यक्रम

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

(द्वारा सर्वाधिकार सुरक्षित)

डिप्लोमा इन एज्युकेशन परीक्षा

प्रथम वर्ष (प्रश्न पत्र प्रथम)

विषय– भारतीय समाज में शिक्षा

विषयः– शिक्षक की परिवर्तित भूमिका। पाठ–8

विषयांश–

1. प्रारंभिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण का अर्थ एवं उद्देश्य (शाला पहुंच, प्रवेश धारणा उपलब्धि) सर्व शिक्षा अभियान की भूमिका।
2. शिक्षा की नवीन व्यवस्थाएं – (i) एडूसेट, टेलीकांफ्रेसिंग, वीडियों कांफ्रेसिंग, (ii) शैक्षिक समन्वय, संकुल विकास खण्ड, डाइट, जिला शिक्षा केन्द्र, राज्य शिक्षा केन्द्र (एस.सी.ई.आर.टी.) की भूमिका।
3. अन्तर्राष्ट्रीय संगठन एवं उनकी भूमिका – यूनीसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन यूनस्को।

प्रिय छात्राध्यापक,

विगत इकाई में आपने म.प्र. में प्रारंभिक शिक्षा एवं उसकी नवीन अवधारणाओं के बारे में अध्ययन किया। प्रस्तुत इकाई में शिक्षक की परिवर्तित भूमिका के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस इकाई की विषयवस्तु को हमने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से तीन उपइकाईयों में विभक्त किया है। प्रत्येक उपइकाई के अंत में इकाई का सारांश तथा कुछ पाठगत प्रश्न भी दिये जायेंगे। हम आशा करते है कि निर्देशानुसार अध्ययन करके आप संपूर्ण पाठ को भलीभांति समझ सकेंगे।

उप – इकाई 1

शिक्षक की परिवर्तित भूमिका

प्रस्तावनाः–

प्रारंभिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण का अर्थ एवं उद्देश्य–

अर्थ एवं उद्देश्य (शाला पहुंच, प्रवेश, धारण, उपलब्धि)

भारतीय संविधान के आर्टीकल 45 में कहा गया है कि इस संविधान के लागू होने के दस वर्षों के भीतर 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बालक–बालिकाओं को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जावेगी।

किन्तु ध्यान देने योग्य बात यह है कि शिक्षा के लोकव्यापीकरण के इस संवैधानिक लक्ष्य को आज भी हम प्राप्त नहीं कर पायें है।

यहां शिक्षा के लोकव्यापीकरण से तात्पर्य यह है कि देश में रहने वाले 6–14 आयु वर्ग के समस्त बालक–बालिका प्रारंभिक शिक्षा अर्जित करें।

लोकव्यापीकरण का अर्थः–

लोक व्यापरीकरण से अभिप्राय है– शिक्षा को जन साधारण हेतु सुलभ बनाना अथवा प्रत्येक बालक के लिए शिक्षा को सुलभ करना। अन्य शब्दों में शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे प्रत्यन करना, कि शिक्षा किसी व्यक्ति विशेष अथवा किसी विशिष्ट वर्ग की न होकर जनसाधारण को भी प्राप्त हो।

प्राथमिक शिक्षा लोकव्यापी शिक्षा का ही दूसरा रूप है। इस तरह प्राथमिक शिक्षा को प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ बनाना शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना है। के.जी. सैयदेन के शब्दों में ''प्राथमिक शिक्षा का संबंध किसी विशेष वर्ग अथवा समूह से नहीं है, अपितु इसका संबंध देश की समस्त जनता से है, यह प्रत्येक बिन्दु पर जीवन का स्पर्श करती है।'' इसी तरह हण्टर आयोग ने एक स्थल पर उल्लेख किया है– ''प्राथमिक शिक्षा को जनसाधारण की शिक्षा मानना चाहिए।

शिक्षा को लोकव्यापी बनाने के उद्देश्य को निम्न बिन्दुओं द्वारा स्पष्ट कर सकते हैः–

1. **सांप्रदायिकता की समाप्ति–** सांप्रदायिकता एक ऐसा घुन है जो सामाजिक जीवन में अराजकता पैदा करने के साथ–साथ नागरिकों के ह्रदय में वैमनस्य की भावनाओं को भी जन्म देता है। निरक्षर व्यक्ति ही सांप्रदायिकता के शिकार होते है। अतः राष्ट्रीय जीवन में से सांप्रदायिकता के विष को समाप्त करने हेतु लोकव्यापी शिक्षा का प्रसार करना जरूरी है। डॉ. सीताराम जायसवाल के शब्दों में ''शिक्षा द्वारा सांप्रदायिकता का निराकरण होता है तथा परस्पर राग–द्वेष परे जातीयता के बंधन से मुक्त धर्म–निरपेक्ष राष्ट्र का निर्माण करने में समर्थ हो सकते हैं।
2. **राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास–** लोकव्यापी शिक्षा द्वारा सुयोग्य देश भक्त नागरिकों का निर्माण होता है। अतः जो देश राष्ट्रीय विकास को महत्व देते है, वे लोकव्यापी शिक्षा के प्रसार को भी प्राथमिकता देते हैं। इसके अलावा यह शिक्षा राष्ट्रीय एकता को भी जन्म देती है। ब्रिटिश शासन काल के प्रारंभ में हमारे देश में निरक्षरता का बोलबाला था, लेकिन ज्यों–ज्यों शिक्षा का प्रसार होता गया, भारतवासियों में राष्ट्रीय एकता का भी विकास होता गया। वास्तव में लोकव्यापी शिक्षा नागरिक में उन उचित संवेगों का विकास करती है, जिनसे भावात्मक एकता को बल मिलता है। शिक्षा द्वारा नागरिकों का दृष्टिकोण इतना व्यापक हो जाता है कि वे स्थानीय स्वार्थों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता की तरफ अग्रसर हो जाते हैं।
3. **राजनीतिक जागरूकता के लिए–** लोकव्यापी शिक्षा से नागरिकों में कर्तव्य तथा अधिकारों के प्रति उत्तरदायित्व की भावना जागृत होती है। लेकिन इसके साथ–साथ प्रजातंत्र को सफलता हेतु राजनीतिक जागरूकता भी जरूरी है। प्रायः निरक्षर व्यक्ति चालाक एवं स्वार्थी राजनीतिज्ञों के चक्कर में आकर अपने मतदान का उचित प्रयोग नहीं कर पाते। इस तरह प्रजातंत्र का उद्देश्य ही विफल हो जाता है।

4. **जनतंत्र को सफल बनाने हेतु जरूरी–** जनतंत्र की सफलता हेतु लोकव्यापी शिक्षा का क्या महत्व है, इस विषय में डॉ. प्रकाश चन्द्र लिखते है– ''किसी भी जनतांत्रिक देश के विकास हेतु शिक्षा का अधिक से अधिक प्रसार जरूरी है। जनतंत्र में सामाजिक तथा आर्थिक विकास की सफलता वहां की जनता की बुद्धिमता और विवेकपूर्ण सहयोग पर निर्भर करती है। जनता का यह सहयोग व्यापक शिक्षा प्रसार पर ही आधारित है। किसी राष्ट्र की शिक्षा प्रणाली की आधारशिला वहां की प्राथमिक शिक्षा होती है। प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से देश के प्रत्येक बालक को बगैर किसी भेदभाव के प्राप्त होनी चाहिए। वस्तुतः प्राथमिक शिक्षा का मूल लक्ष्य है– ''देश के भावी नागरिकों को साक्षर बनाते हुए अपने कर्तव्य, अधिकार एवं उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक बनाना तथा उनमें जीवन की सामान्य समस्याओं के समाधान की क्षमता का विकास करना।''
5. **सामाजिक समानता तथा सामाजिक न्याय की स्थापना में मददगार–** वर्तमान समाज में जो व्यापक भेद–भाव है अर्थात् कुछ व्यक्तियों को ही विकास के समान अवसर मिल जाते हैं एवं ज्यादातर व्यक्ति निरक्षरता के कारण प्रतिभा होतु हुए भी अपना समुचित विकास नहीं कर पाते, इसका मूल कारण शिक्षा का सार्वभौमिक अथवा जनव्यापी न होना है। इस व्यवस्था के परिणामस्वरूप योग्य तथा प्रतिभाशाली व्यक्ति राष्ट्र एवं समाज की उचित सेवा (निरक्षरता के कारण) करने से वंचित रह जाते है। इस दोष का निराकरण सिर्फ जनसाधारण हेतु शिक्षा को सुलभ बनाकर ही हो सकता है।

शिक्षा के लोकव्यापीकरण के मार्ग में आने वाली मुख्य कठिनाइयाँ निम्न हैः–

1. **बालिकाओं की शिक्षा की समस्या–** प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में बालकों की बजाय बालिकाओं की शिक्षा एक कठिन समस्या है। बालकों की बजाय बालिकायें शिक्षा प्राप्त करने कम जाती हैं और जो जाती है वे कई कारणों से बीच में ही विद्यालय छोड़ देती हैं। इस समस्या के मुख्य कारण हैं– गांव वालों का बालिका शिक्षा के प्रति उदासीन होना, ज्यादातर अभिभावकों का निर्धन होना, बालिकाओं का घरेलू कार्यों में व्यस्त रहना, अल्प आयु में विवाह करना, बालिका विद्यालयों का अभाव, अध्यापिकाओं का अभाव आदि।
2. **6–14 आयु वर्ग के समस्त बालकों के नामांकन की समस्या–** प्राथमिक स्तर पर नामांकन की समस्या भी एक जटिल समस्या है। डॉ. रघुनाथ सफाया के शब्दों में– ''कुल मिलाकर नवीं योजना की समाप्ति तक सभी राज्यों में लड़कों तथा लड़कियों दोनों का नामांकन शत प्रतिशत तक पहुंचना संभव नहीं है। मिडिल स्कूलों के नामांकन का प्रतिशत अभी तक और भी कम है एवं हम शत प्रतिशत नामांकन की आशा दसवीं योजना की समाप्ति तक भी नहीं कर सकतें।''
3. **कक्षा 8 तक अर्थात् विद्यालय को संपूर्ण अवधि तक छात्रों को रोके रखना–** प्रायः छात्र विद्यालय में शिक्षा संपूर्ण अवधि तक प्राप्त नहीं करते। अन्य शब्दों में कक्षा 2 या 3 तक छात्र पढ़ते हैं और फिर वे कई कारण से बीच में ही पढ़ना छोड़ देते हैं। यदि ध्यानपूर्वक देखा जाये तो इस समस्या के निम्न कारण मिलेंगे–विद्यालयों का नीरस वातावरण, अनुचित पाठ्यक्रम एवं अनुपयुक्त तथा नीरस शिक्षा प्रणाली।

4. **विद्यालय एवं समुदाय के सह–संबंधों में कमी–** यह समस्या नगरीय एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में है। प्रायः समुदाय के सदस्य स्थानीय प्राथमिक विद्यालयों के प्रति उदासीनता दिखाते हैं। दूसरे, इन विद्यालयों के अध्यापक भी स्थानीय समुदाय से कोई संपर्क नहीं रखते। इस तरह विद्यालय तथा समुदाय परस्पर एक–दूसरे को सहयोग नहीं दे पाते।
5. **जन–जातियों एवं पिछड़े वर्ग की समस्यायें–** हमारे देश में कई जनजातियां और पिछड़ी जातियां है, जो युगों से शिक्षा के लाभ से वंचित रही हैं एवं आज भी हैं। जब तक इन जातियों में शिक्षा प्रसार के संगठित प्रयास नहीं किये जायेंगे एवं जब तक इनकी समस्याओं का हल नहीं किया जायेगा तब तक शिक्षा के लोकव्यापीकरण का स्वप्न अधूरा ही रह जायेगा। इन जातियों में शिक्षा प्रसार न होने के प्रमुखतया निम्न कारण हैं– जन–जातियों का दुर्गम स्थलों में रहना, व्यापक निर्धनता, जन–जातियों के निवास स्थान के निकट विद्यालयों का न होना, मुख्य जन–जातियों की भाषाओं का विकसित न होना आदि।
6. **अनियमित उपस्थिति–** प्राथमिक विद्यालयों में बालकों की उपस्थिति की समस्या भी एक जटिल समस्या है। प्रायः विद्यालयों में छात्रों का नामांकन तो पर्याप्त हो जाता है लेकिन कक्षाओं में छात्र प्रायः अनुपस्थित रहते हैं। इस अनियमित उपस्थिति का मुख्य कारण है अभिभावकों की उदासीनता, छात्र–छात्राओं का घर के कार्यों में लगे रहना, अध्यापकों की शिक्षण के प्रति उदासीनता एवं छात्रों के प्रति कठोर व्यवहार।
7. **अर्थाभाव–** प्राथमिक शिक्षा के सामने सबसे बड़ा प्रश्न व्यय का है। आर्थिक कठिनाइयों के कारण शिक्षा प्रसार ठीत तरह से नहीं हो पा रहा है। आर्थिक समस्या के दो रूप है– प्रथम हमारे देश की ज्यादातर जनता बहुत निर्धन है, प्रायः अभिभावक अल्प आयु में ही बालकों को अपने साथ काम पर लगा लेते हैं। ऐसी दशा में बच्चे विद्यालय जाने में असमर्थ होते हैं। द्वितीय, सरकार के सामने धनाभाव है। केन्द्रीय तथा प्रांतीय सरकारें प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने हेतु स्थानीय संस्थाओं को पर्याप्त आर्थिक सहायता नहीं प्रदान कर सकीं। स्वतंत्रता से पहले प्राथमिक शिक्षा पर होने वाले व्यय का 20 प्रतिशत भाग सरकार द्वारा व्यय किया जाता था। स्वतंत्र भारत में यह धन–राशि बढ़कर 34 प्रतिशत कर दी गई है। लेकिन इस अल्प सहायता से क्या प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क तथा अनिवार्य बनाया जा सकता है।
8. **दूषित राजनीति–** स्थानीय संस्थायें दूषित राजनीति से बुरी तरह ग्रस्त हैं। इन संस्थाओं में जनता द्वारा चुने गये प्रतिनिधि प्रशासकीय कार्यभार संभालते हैं। ये हमेशा अपने मतदाताओं को ही प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। वे चुनाव में हारने के भय से न तो अभिभावकों पर दबाव डालना चाहते है एवं न ही 'शिक्षा–कर' लगाना चाहते हैं। जब तक स्थानीय संस्थायें दूषित राजनीति से मुक्त होकर कठोर कदम नहीं उठायेंगी तब तक अनिवार्य शिक्षा सफलतापूर्वक नहीं दी जा सकती।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जो रणनीति अपनाई जाने का सुझाव दिया गया है उसमें मुख्यतः शाला पहुंच प्रवेश, धारण एवं उपलब्धि हैं

शाला पहुंच – राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में वर्तमान प्रत्येक 3 कि.मी. की परिधि में प्राथमिक शाला के स्थान पर प्रत्येक 1 कि.मी. की परिधि में एक प्राथमिक विद्यालय हो, की सिफारिश की गई है। इस तरह से 6 से 11 आयु वर्ग के समस्त बालक–बालिकाओं को अपने निवास स्थान से शाला जाने हेतु 1 कि.मी. से अधिक की दूरी तय न करना पड़े।

प्रवेश – 6 से 11 आयु वर्ग के प्रत्येक बालक/बालिका के लिये अपने निवास स्थान से 1 कि. मी. की परिधि में शाला की पहुंच हो जाने पर इन समस्त बालक/बालिकाओं का शाला में प्रवेश सुनिश्चित किया जावे। वर्तमान में 86 प्रतिशत है। इसे बढ़ाकर शत–प्रतिशत किये जाने के पश्चात ही प्रवेश पूर्ण होगा।

धारण – शाला में प्रवेश लेने वाले समस्त बालक/बालिकायें (6 से 14 आयु वर्ग) के अपना कक्षा पांच तक अध्ययन पूर्ण करें। शाला न त्यागे, वर्तमान स्थिति शाला त्यागी बालक/बालिकाओं का प्रतिशत 36 प्रतिशत है। जिसे कम किया जाकर 0 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

उपलब्धि – शिक्षा के लोकव्यापीकरण का चौथा एवं अंतिम उद्देश्य है प्रत्येक बालक/बालिका जो शाला में प्रवेश लेवेंगे पांच वर्षों की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करें। साथ ही निर्धारित न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त करें। यह उपलब्धि शाला में प्रवेश लेने वाले 80 प्रतिशत बालक/बालिका 80 प्रतिशत प्राप्त करें। तब ही शिक्षा के लोकव्यापीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा।

लोकव्यापीकरण के लिये रणनीतिः–

चुने हुये प्रत्येक जिले में प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण का लक्ष्य 5 से 7 वर्ष की अवधि में प्राप्त करने के लिये जिले की परिस्थितियों के अनुरूप तैयार की जायेगी। तथापि इसके कुछ घटक इस प्रकार होंगेः–

1. प्राथमिक शिक्षा तंत्र को स्थानीय समुदाय के प्रति जवाबदेह बनाकर उसकी कारगरता बढ़ाना।
2. सर्वसाधारण में प्राथमिक शिक्षा के प्रति रूचि, उत्साह और उत्तरदायित्व भरे वातावरण का निर्माण।
3. शिक्षकों, महिलाओं तथा समुदाय को लोकव्यापीकरण में अपनी अहम भूमिका निभाने के लिये अनुप्राणित करना।
4. प्राथमिक शिक्षा की सुलभता बढ़ाना।
5. रोचक शिक्षण पद्धति, प्रोत्साहनों, ग्राम शिक्षा समितियों तथा अन्य उपायों के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में बच्चों की सहभागिता बढ़ाना।
6. प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा प्राथमिक स्तर के निर्धारित ज्ञान और कौशल के स्तरों का अर्जन सुनिश्चित करना।
7. संपूर्ण कार्यक्रम में बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य वंचित समूहों के बच्चों की जरूरतों पर विशेष ध्यान देना।
8. सघन प्रशिक्षणों द्वारा शिक्षकों तथा अन्य कर्मियों की क्षमताओं का विकास।
9. प्रशासन औ प्रबंध के व्यापक सुधार।
10. अध्ययनों, नवाचारों तथा प्रयोगों को प्रोत्साहन देना।

रणनीति क्रियान्वयन के कुछ प्रमुख पहलू –

लोकव्यापीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने में मिशन सर्वप्रथम ध्यान ऐसे उपायों की ओर देगा जिन पर बिना कोई खास अतिरिक्त व्यय किये अमल किया जा सकता है यथा –

1. वर्तमान तंत्र की दक्षता और कारगरता बढ़ाना।
2. विद्यमान संस्थाओं तथा उनमें कार्यरत शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण।
3. स्कूली कैलेण्डर का स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निर्धारण।
4. प्राथमिक शालाओं और आंगनवाड़ियों के स्थान व समय में समन्वय।
5. जिला विकासखण्ड तथा निचले स्तरों पर अधिकारों का विकेन्द्रीकरण।
6. प्राथमिक शिक्षकों के लंबित प्रकरणों पर त्वरित निपटारा।
7. ऑपरेशन ब्लेक बोर्ड, औपचारिकेत्तर शिक्षा आदि विद्यमान योजनाओं का दक्षतापूर्वक क्रियान्वयन।
8. इसके अलावा शेष रहने वाली कमियों की पूर्ति के लिये मिशन, व्यय भार वाली योजनाओं के लिये भी धनराशि उपलब्ध करायेंगा। जैसे–
    1. सुविधाविहीन ग्रामों में प्राथमिक शालाओं और औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्रों तथा सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में आश्रम शालाओं की स्थापना।
    2. शाला भवनों का निर्माण, विस्तार, मरम्मत।
    3. शालाओं में आवश्यक सामग्री प्रदान।
    4. जन संचार माध्यमों द्वारा लोकव्यापीकरण के लिये उचित वातावरण निर्माण।
    5. ग्राम शिक्षा समितियों तथा पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों का प्रबोधन एवं उन्मुखीकरण।
    6. बालिकाओं और वंचित वर्गों के बच्चों की शिक्षा के लिये विशेष कार्यक्रम।
    7. स्थानीय महिला शिक्षाकर्मी तैयार करने के लिये विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना।
    8. शिक्षकों के सतत् प्रशिक्षण के लिये विकासखण्ड तथा ग्राम समूह स्तर पर स्त्रोत केन्द्रों की स्थापना।
    9. अच्छे स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण।
    10. प्रशासन का सुदृढ़ीकरण तथा आधुनिकीकरण।
    11. शोध और नवाचार।

शिक्षक प्रशिक्षण (सेवाकालीन प्रशिक्षण)

प्राथमिक स्तर पर जिस शिक्षण प्रक्रिया की संकल्पना की जा रही है वह बच्चों के लिये आनन्ददायक क्रियाकलापों पर आधारित तथा कक्षा विशेष के लिये निर्धारित स्तर प्राप्त करने में सहायक होनी चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु आवश्यक था कि पाठ्य पुस्तकों को नया रूप दिया जाये। शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाये तथा मूल्यांकन प्रणाली को अधिक सुदृढ़, सुगम तथा सार्थक बनाया जाये।

शाला प्रवेश का पहला चरण बच्चों के लिये घर के सहेजे समेटे वातावरण से पढ़ाई की दुनिया में प्रवेश का पहला कदम है। जो इन्हें शाला से जोड़ता है। इस जुडाव को रोचक एवं आनन्दमयी बनाने के लिये गीत, कहानियां और खेलों को संकलित करने का प्रयास किया गया है। इनके सहारे

प्राथमिक शालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की झिझक दूर करके कल्पनाशीलता ओर रचनात्मकता को प्रोत्साहित किया जा सकता है तथा बच्चों के सहज आत्मीय संबंध स्थापित किया जा सकता है।

शाला में बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने एवं प्राथमिक शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिये मूलरूप से अपनाई जाने वाली रणनीति है, पाठ्यक्रम में सुधार जिसके अन्तर्गत –

1. दक्षता आधारित नये पाठ्यक्रम का विकास करना।
2. नवीनी पठन पाठन सामग्री का विकास करना।
3. समुचित प्रशिक्षण द्वारा शिक्षकों का सशक्तीकरण करना।

पाठ्यक्रम को पुनरीक्षित किया जा चुका है और इसे प्रदेश के लिये अनुकूल राष्ट्रीय न्यूनतम अधिगम स्तर के आधारों पर बनाया गया है। नवीन पठन पाठन सामग्री विकसित कर ली गई है तथा इसे सीखना–सिखाना पैकेज का नाम दिया गया है। इस पैकेज के आधार पर विगत वर्षों में कक्षा 1 से 5 तक अध्यापन करा रहे समस्त शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है। ये समस्त प्रशिक्षण सेवाकालीन प्रशिक्षण क अन्तर्गत संपादित करवाये गये है।

शिक्षक प्रशिक्षण (सेवा पूर्ण प्रशिक्षण)

शिक्षकों को सेवा में लेने के पूर्व जो प्रशिक्षण दिये जाते है वे सेवा पूर्व प्रशिक्षण कहलाते है। मध्यप्रदेश में प्राथमिक शाला के शिक्षकों हेतु डिप्लोमा इन एज्युकेशन (डी.एड़) के नाम से यह प्रशिक्षण दिया जाता है। इस हेतु प्रत्येक जिले के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में द्विवर्षीय पाठ्यक्रम चलाया जाता है।

प्रत्येक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) में प्रथम द्वितीय वर्ष हेतु 200–200 शीट्स उपलब्ध होती है। इनमें प्रवेश विषय एवं वर्गवार आरक्षण के अनुसार होता है।

इसके अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से डिप्लोमा इन एज्युकेशन (डी.एड़) पाठ्यक्रम शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त प्रायवेट प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों हेतु चलाया जाता है।

इकाई का सारांश

भारतीय संविधान के आर्टीकल 45 के अनुसार शिक्षा के लोकव्यापीकरण का लक्ष्य सन 1960 में प्राप्त कर लिया जाना चाहिए था किन्तु ध्यान देने योग्य बातें यह है कि इस संवैधानिक लक्ष्य को आज भी हम प्राप्त नहीं कर सकें है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु रणनीति अपनाई जाने हेतु जो सुझाव दिये गये है उसमें मुख्यतः निम्न है–

(1) शाला पहुंच (2) शाला में प्रवेश (3) शाला में ठहराव (4) उपलब्धि।

लोकव्यापीकरण के लिये रणनीतिः–

चुने गये प्रत्येक जिले में प्राथमिक शिक्षा को लोकव्यापीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु जिले की परिस्थिति के अनुरूप तैयार की गई, जिसके घटक इस प्रकार है।

1. प्राथमिक शिक्षा तंत्र को स्थानीय समुदाय के प्रति जवाबदेह बनाकर उसकी कारगर बढ़ाना।
2. सर्व साधारण में प्राथमिक शिक्षा के प्रति रूचि, उत्साह और उत्तरदायित्वपूर्ण वातावरण का निर्माण करना।
3. रोचक शिक्षण पद्धति अपनाना।
4. प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा प्राथमिक स्तर पर किये गये ज्ञान, कौशल अर्जित करना।
5. प्रशासन और प्रबंधन में व्यापक सुधार।
6. सघन प्रशिक्षणों द्वारा शिक्षकों की क्षमताओं का विकास करना।

शिक्षक प्रशिक्षणः—

प्राथमिक स्तर पर जिस शिक्षक प्रशिक्षण की संकल्पना की जा रही है वह बच्चों के लिये आनंददायक क्रियाकलापों पर आधारित तथा कक्षा विशेष के लिये निर्धारित स्तर प्राप्त करने में सहायक होनी चाहिए।

दक्षता आधारित पाठ्यक्रम का निर्माण किया जा चुका है। पाठ्य पुस्तकों को उसके अनुरूप बनाया गया है इस प्रकार से प्रदेश में नवीन पठन पाठन विधि निर्मित कर ली गई है तथा इसे सीखना—सिखाना पैकेज का नाम दिया गया है। इसी पैकेज के आधार पर विगत वर्षों में कक्षा 1 से 5 तक अध्यापन करा रहे समस्त शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है। ये समस्त प्रशिक्षण सेवाकालीन प्रशिक्षण के रूप में दिये गये है।

सेवा पूर्ण प्रशिक्षणः—

शिक्षकों को सेवा में लेने से पूर्व जो प्रशिक्षण दिये जाते है सेवा पूर्ण प्रशिक्षण कहलाते है। मध्यप्रदेश में प्राथमिक शाला के शिक्षकों हेतु (डी.एड.) प्रशिक्षण दो वर्षीय पाठ्यक्रमानुसार दिया जाता है।

सर्व शिक्षा अभियान की भूमिकाः—

संविधान की धारा 45 के अनुसार देश में निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध 6—14 वर्ष के बीच सभी बच्चों के लिये किया जाना था, परंतु इसमें प्रगति ढीली थी। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये सर्वशिक्षा अभियान चलाया गया। इस अभियान का प्रारंभ 2001 में किया गया। यह अभियान प्राथमिक स्तर पर सभी को शिक्षा देने के लिये चलाया गया है। सर्वशिक्षा अभियान का उद्देश्य सन 2010 तक 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को उपयोगी और सार्थक प्राथमिक शिक्षा मुहैया कराना है। जिससे लिंग भेद एवं क्षेत्रियता का भेद समाप्त हो जाए। इसके लिये स्कूलों के प्रबन्धकों समुदाय की भागीदारी को क्रियाशील बनाने पर जोर दिया जा रहा है।

सर्वशिक्षा अभियान के प्रमुख लक्ष्यः—

सभी बच्चे 2003 तक 6—14 वर्ष की आयु में स्कूल में हो। 2007 तक पांच वर्षों में 6—14 वर्ष की आयु वाले बच्चे प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर लें। 2010 तक 6—14 आयु के बच्चे आठ वर्षों की प्रारंभिक शिक्षा की ओर ध्यान केन्द्रित करने का लक्ष्य प्राप्त कर ले।

लड़के–लड़कियों के बीच की सामाजिक श्रेणीगत विषयमताएं 2010 तक प्राथमिक स्तर पर समाप्त करना। सभी बच्चे अपनी शिक्षा 2010 तक जारी रखें, यह सुनिश्चित करना।

सर्वशिक्षा अभियान के कार्यक्रमः–

स्कूल ऐसी जगह स्थापित करना जहां पूर्व में स्कूल संचालित न होता हो। जहां स्कूल पूर्व से ही संचालित हो रहा हो, वहां अतिरिक्त कक्षाएं खोलना, शौचालयों का निर्माण करवाना। शालाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना, शालाओं में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था एवं अनुरक्षण अनुदान देना। शालाओं में शिक्षकों की कमी को दूर करते हुए अध्यापन अधिगम सामग्री जुटाना। निःशुल्क शिक्षा एवं कमजोर वर्गों की लड़कियों पर विशेष ध्यान देना एवं प्रोत्साहन योजनाएं चलाना।

विभिन्न राज्यों तथा निकायों की भागीदारीः–

राज्य और केन्द्र सरकार के बीच कार्य के अन्तर्गत सहायता नौवी योजना के तहत 85–15 के आधार पर थी, दसवी योजना के तहत यह 75–25 के आधार पर है और इसके बाद 50–50 के आधार पर होगी।

निरक्षरता उन्मूलन के उपायः–

सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के लिये अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आवश्यक माना तथा संविधान में 2002 में संशोधन किया। सरकारी स्कूलों, नगरपालिका द्वारा चलाये जाने वाले स्कूलों, सहायता प्राप्त स्कूलों में प्राथमिक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया है। छात्रों को विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों एवं पुस्तके, स्टेशनरी आदि मुफ्त दे रही है। संविधान में संशोधन कर अभिभावकों को बच्चों को स्कूल भेजे जाने की जिम्मेदारी डाली गई है। ग्रामीण, पहाड़ी, दूर दराज या शहर में स्कूल एवं प्रौढ़ों के लिये रात्रि पाठशालाएं खोली है।

सर्वशिक्षा अभियान सभी जगह चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय मुक्त संस्थान तथा मुक्त विश्वविद्यालय आदि भी साक्षरता बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। प्राथमिक स्तर पर निःशुल्क दोपहर भोजन का प्रबंध भी किया गया है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत प्रौढ़ों की शिक्षा संबंधी अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

पाठगत प्रश्न

प्रश्न 1. ....माध्यमों द्वारा लोकव्यापीकरण के लिये उचित वातावरण निर्माण।

प्रश्न 2. भारतीय संविधान के ....में बालक बालिकाओं को अनिवार्य एवं समान निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है।

उप इकाई – 2
शिक्षा की नवीन व्यवस्थाएं
एडूसेट, टेलीकांफ्रेसिंग वीडियों कांफ्रेसिंग, शैक्षिक समन्वयन

एडूसेट (एजूसेट = एजुकेशनल सेटेलाइट = शैक्षणिक उपग्रह) भारतीय अंतरिक्ष संस्थान द्वारा सितम्बर 2004 में स्थापित एक कृत्रिम उपग्रह है। यह पूर्णतः शिक्षण सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से छोड़ा गया है। इससे भारत में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को प्रभावी ढंग से चलाने में मदद होगी तथा दूरदराज एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिये शिक्षा का एक वैकल्पिक माध्यम मिलेगा। इसे जीसेट–3 के नाम से भी जाना जाता है।

मध्यप्रदेश में एडूसेट कान्फ्रेंस के द्वारा वन विभाग के मैदानी अधिकारियों को संकल्प–2013 के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये।

वनों का संरक्षण वन विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वनों के बेहतर प्रबंधन से स्थानीय लोगों की आजीविका को सुदृढ़ करके गरीबी उन्मूलन की दिशा में प्रभावी प्रयास किये जायेंगे। स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार होने से वन संरक्षण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। स्थानीय लोगों की आजीविकाओं को केन्द्र में रखकर टसर उत्पादन, बांस रोपण, लाख उत्पादन, चारागाह विकास एवं ऊर्जा वनों की स्थापना आदि योजनाएं तैयार की गई हैं। अतः वन समितियां, हितग्राहियों एवं अन्तर्विभागीय समन्वय से इन लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जायेगी।

वन विभाग एवं रेशम संचालनालय के परस्पर सहयोग से वन क्षेत्रों में हितग्राहीमूलक टसर उत्पादन कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में दस हजार हेक्टैयर क्षेत्रफल में टसर का उत्पादन किया जा रहा है। वर्ष 2010–11 में दो हजार हेक्टैयर नया क्षेत्रफल जोड़ने का लक्ष्य है। अगले तीन वर्षों में दस हजार हेक्टैयर प्रति वर्ष नये क्षेत्र में टसर उत्पादन का विस्तार किया जायेगा। इस प्रकार ''संकल्प 2013'' के अन्तर्गत 32 हजार हेक्टैयर नया क्षेत्रफल जोड़ा जायेगा एवं उससे 64 हजार दो सौ हितग्राही लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।

इसके लिये प्राकृतिक रूप से साजा एवं अर्जुन की बहुतायत वाले क्षेत्रों का चयन करके कृमि पालन किया जायेगा एवं क्षेत्र के विस्तार के लिये वन्या उप योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव जिला पंचायतों को स्वीकृति के लिये भेजा जायेगा, ताकि वृक्षारोपण कार्य संपादित किया जा सके। कृमि पालन के लिये उपयुक्त क्षेत्रों का चयन रेशम विभाग के समन्वय से किया जायेगा।

प्रदेश में लाख उत्पादन के लिये वन क्षेत्रों एवं हितग्राहियों का चयन लघु वनोपज संघ की योजनाओं के अंतर्गत किया जाएगा। मैदानी अधिकारियों को गरीबी उन्मूलन हेतु जिला पंचायतों द्वारा संचालित कार्यक्रमों के साथ भी समन्वय करने के निर्देश दिए गए। एडूसेट कान्फ्रेंस के दौरान अधिकारियों को चारागाह विकास के संबंध में बताया गया कि जिन क्षेत्रों में अधिक चारा उत्पादन होता है, उन ग्रामों में निर्धन परिवारों को डेयरी की गतिविधि से जोड़ने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जाये।

टेलीकान्फ्रेसिंग (दूर शिक्षक प्रशिक्षण):–

शिक्षा में गुणात्मक सुधार की प्रक्रिया को तेज करने के लिये आवश्यक है कि न केवल प्रचलित बल्कि अन्य नवीन तकनीकों का भी प्रयोग किया जाये, जिससे निर्धारित लक्ष्य को तेजी से प्राप्त किया जा सके। प्रसारण क्षति की संभावना कम हो तथा जिसमें सभी शिक्षकों को समान रूप से गुणात्मक शिक्षा ग्रहण करने के अवसर प्राप्त हो सके। इस संदर्भ में दूर शिक्षा का प्रयोग अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है। दूर संपर्क व शिक्षक प्रशिक्षण प्रणाली दूर शिक्षा की एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से एक ही समय में देश के विभिन्न कोनों पर बैठे शिक्षकों को समान रूप से प्रशिक्षित किया जा सकता है।

इस विधि के द्वारा न केवल विभिन्न राज्यों के प्रतिभागी विद्वान विषय विशेषज्ञों से समान रूप से संपर्क स्थापित कर सकते है और अपनी शंकाओं का तुरंत समाधान कर सकते है, वरन सभी प्रतिभागियों को एक समान शिक्षा का लाभ भी मिलता है दृश्य श्रव्य के समुचित सम्मिश्रणों से ज्ञानार्जन की प्रक्रिया को अधिक सरल एवं रोचक भी बनाया जा सकता है।

दूर संपर्क शिक्षण प्रशिक्षण – एक ऐसी प्रणाली है जिसमें देश के विभिन्न कोनों पर स्थापित केन्द्रों को एक राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित प्रसारण केन्द्र से दृश्य श्रव्य/श्रव्य–दृश्य प्रशिक्षण सुविधा प्राप्त है। एस.ओ.पी.टी. कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रयोग किया जाने वाले दूर शिक्षा प्रणाली से कार्यक्रम में एक तरफ दृश्य तथा दो तरफ श्रव्य विधि का प्रयोग किये जाने वाले दूर शिक्षा कार्यक्रम राज्य के विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्र निर्धारित किये जाये जो डी.आई.ई.टी. है। इन प्रशिक्षण केन्द्रों पर स्थापित टी.वी. के माध्यम से राष्ट्रीय केन्द्रों का टेलीफोन एवं एस.टी.डी. तथा फैक्स के माध्यम से केन्द्रीय प्रसारण कक्षा से सीधा संपर्क स्थापित किया जा सकता है। अतः प्रसारण के तुरंत बाद केन्द्रों पर बैठे प्रतियोगी एस.टी. डी. सुविधा का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न विशेषज्ञों तक पहुंचा सकते हैं। इन प्रश्नों का तुरंत समाधान केन्द्रीय प्रसारण कक्ष में बैठे विद्वान करते हैं जो प्रत्येक केन्द्र पर लगे टी.वी. पर देखा एवं सुना जा सकता है।

इस प्रकार प्रतिभागी न केवल अपनी शंकाओं का समाधान कर पाते है वरन अन्य केन्द्रों पर बैठे प्रतिभागियों के प्रश्नों की जानकारी भी उन्हें मिलती है, जो उनके ज्ञान की क्षितिज के विकास में सहायक है।

दृश्य एवं श्रव्य माध्यमों का समुचित प्रयोग प्रशिक्षण को अधिक रोचक बनाता है। अन्त क्रिया से अधिक अवसर प्रदान करता है तथा एक समान गुणात्मक शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार में सहायक होता है, जो प्रचलित माध्यम द्वारा यदि असंभव नही ंतो दुष्कर अवश्य है।

वीडियों कान्फ्रेसिंगः–

वर्तमान में वीडियों कान्फ्रेसिंग का बहुत प्रचलन होता जा रहा है। इसके माध्यम से हम दूर बैठे अपने परिचित अथवा ट्यूटर से बातचीत करते हुए उसे देख भी सकते है। वीडियों कान्फ्रेंसिंग में हमें कम्प्यूटर से जुड़े हुए एक कैमरा कीमदद से अपना चित्र एक या अधिक लोगों को भेजने की सुविधा मिलती है। साथ ही हम अपने मित्र की भी शक्ल देख सकते है। इसमें हम चित्रों के साथ–साथ अपनी आवाज भी भेज सकते है। इसके लिए हमें कम्प्यूटर में एक माइक्रोफोन, स्पीकर, साण्ड कार्ड, वेब कैमरा तथा Conferencing Sofware होना भी आवश्यक है।

इस प्रकार अब संदेश टाइप करने के स्थान पर (जैसा कि हम Chatroom में करते है) हम अन्य लोगों से बात कर सकते हैं, उनके चेहरे देख सकते हैं तथा उन्हें अपना वीडियों भी भेज सकते हैं ताकि वे हमारा चेहरा भी देख सकें। इस माध्यम से एक साथ कई व्यक्ति अलग–अलग स्थानों पर होते हुए भी, ऐसे मीटिंग कर सकते है जैसे कि वे एक कमरे में बैठे हों। इसमें शामिल व्यक्ति को माइक्रोफोन तथा स्पीकर तो आवश्यक होते हैं परंतु प्रत्येक व्यक्ति को वेब कैमरा आवश्यक नहीं होता है। यदि किसी व्यक्ति के पास वेब कैमरा नहीं है तो भी वह दूसरों की तस्वीरों को तो देख सकता है, परंतु अन्य लोग उसे नहीं देख पायेंगे।

वीडियों प्रणाली के लाभः–

1. यह प्रत्यक्ष शिक्षण जैसा ही लाभकारी साधन है।
2. दूर–दूर तक फैले छात्रों के लिए यह साधन बहुत उपयुक्त है।
3. यह एक लचीली प्रणाली है जिसमें आवश्यकतानुसार संशोधन या परिमार्जन अथवा परिवर्तन किया जा सकता है।
4. इस साधन द्वारा परिसर के बाहर के अध्ययन केन्द्रों से संपर्क सरलता से बनाया जा सकता है तथा उन्हें केन्द्र द्वारा नियंत्रित भी किया जा सकता है।
5. इस प्रणाली में तुरंत पृष्ठपोषण संभव होता है।
6. इस प्रणाली के द्वारा अनुदेशन सामग्री के स्तर में सुधार लाया जा सकता है और उसे उच्चकोटि का बनाया जा सकता है।
7. यह विधि अन्य विधियों से कम खर्चीली है।
8. इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय तथा अन्य मुक्त शिक्षा की संस्थाएं, मुक्त शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रणाली का प्रयोग कर रहे है, यद्यपि प्रयोग की मात्रा सीमित है।

शैक्षिक समन्वय की सूझबूझः–

शैक्षिक समन्वय की प्रक्रिया शिक्षा में गुणवत्ता लाने का एक प्रयास है। शैक्षिक समन्वय का उद्देश्य है, शिक्षकों को निरंतर प्रोत्साहन व प्रशिक्षण मिल सके। इसे एक सतत् प्रशिक्षण के रूप में भी देखा जा सकता है। सरल रूप में शैक्षिक समन्वय का अर्थ है क्षेत्र में निरंतर फीडबैक प्राप्त करके सुधार करते जाना। यह सुधार हर स्तर पर होगा। जिससे कि शिक्षकगण अपनी शैक्षिक प्रणाली सुधारेंगे। संकुल ब्लाक, डाईट तथा परिषद स्तर पर बेहतर शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे। शिक्षण प्रक्रिया, पुस्तकों, सामग्री पर भी विचार–विमर्श के बाद निरंतर सुधार करना है।

शैक्षिक समन्वय की प्रक्रिया जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत निर्मित संकुलों पर आधारित है एक संकुल में आठ किलोमीटर की परिधि में आने वाले 10 से 15 ग्राम/नगर होते हैं। इन ग्रामों/नगरों में स्थित सभी प्राथमिक शालायें, कनिष्ठ प्राथमिक शालायें, शिक्षा गारंटी योजना के केन्द्र तथा शिशु शिक्षा केन्द्र इस संकुल की शालायें होगी।

शैक्षिक समन्वय प्रणाली का ढांचाः—

1. **संकुलों का गठन—** क्षेत्रीय स्तर पर संकुलों का गठन किया गया है। प्रत्येक संकुल न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 ऐसे विद्यालयों का समूह हैं जो निकटवर्ती क्षेत्र में एक भौगोलिक भूखंड के अंतर्गत स्थित है।
2. **संकुल शैक्षिक समन्वयक एवं संकुल प्रमुख—** प्रत्येक संकुल में उस संकुल के शिक्षकों में से ही एक शिक्षक, जिसने पैकेज के संबंध में समुचित दक्षता प्राप्त की हो, को शैक्षिक समन्वयक नियुक्त किया जाता है। यह उस संकुल के शिक्षकों के मध्य सुविधादाता एवं शैक्षिक साथी के रूप में कार्य करता है। इससे अपेक्षित है कि वह माह में कम से कम एक बार अपने संकुल के प्रत्येक विद्यालय में जाय और यह देखे कि शिक्षक प्रशिक्षण के अनुरूप अध्यापन कार्य कर रहा है या नहीं। साथ ही यह पता लगाये कि शिक्षक को कहां—कहां कठिनाई आ रही है। वह उसे दूर करने शिक्षकों की जिज्ञासाओं का समाधान करने और उसे कठिनाईयों का निराकरण करने का भी प्रयास करेगा।
3. संकुल शैक्षिक समन्वयक के अतिरिक्त प्रत्येक संकुल में, उस संकुल के शिक्षकों में से एक शिक्षक संकुल प्रभारी भी होगा जो संकुल के विद्यालयों एवं शिक्षकों की प्रशासनिक समस्याओं का निराकरण करेगा।
4. इसी तरह विकासखंड स्तर पर विकासखंड शैक्षिक समन्वयक, जिला स्तर पर जिला शैक्षिक समन्वयक व राज्य स्तर पर राज्य शैक्षिक समन्वयक रहेगा जो प्रतिमाह एक बैठक आयोजित करेगा, जिससे जिले की शैक्षिक एवं प्रशासनिक समस्याओं का निराकरण किया जावेगा। वर्तमान में बैठकों का आयोजन माह के प्रथम गुरूवार को संकुल स्तर पर, द्वितीय गुरूवार ब्लॉक स्तर पर एवं तृतीय गुरूवार को जिला स्तर पर किया जाता है।

शैक्षिक समन्वय प्रणाली के अन्तर्गत प्रशासनिक स्वरूप का प्रवाह चित्र निम्नानुसार हैः—

डी.पी.ई.पी. प्रभारी — एस.सी.ई.आर.टी.

डाइट

सीखना—सिखाना प्रभारी

विकासखंड

विकासखंड शैक्षिक समन्वयक

संकुल केन्द्र

प्रभारी / शैक्षिक समन्वयक

प्राथमिक शाला

मानीटरिंग तथा फीडबैक :—

शैक्षिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिये तथा शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिये मॉनीटरिंग तथा फीडबैक प्रणाली भी विकसित की गई है। मॉनीटरिंग से आशय है कि शैक्षणिक समन्वयक का शिक्षा के साथ एक समयचक्रक से संपर्क साधे रहना, बातचीत करना, समस्या हल करना, बढ़ावा देना और हर तरह से सहयोग करना। जबकि फीडबैक से आशय किसी भी कार्यविधि के पश्चात नियुक्त विशेषज्ञ के द्वारा कार्यविधि के संबंध में सुझाव एवं निर्देश देना अथवा कार्यविधि में सहभागी द्वारा आपस में विचार विमर्श या सुझाव देना।

मॉनीटरिंग एवं फीडबैक की प्रक्रिया को सुविधाजन बनाने के लिये राज्य में एक संगठन स्थापित किया गया। इसमें जानकारी का प्रवाह नीचे दिये अनुसार होता हैः—

शैक्षिक समन्वयक की भूमिका—

शैक्षिक समन्वयक से अपेक्षायें—

संकुल स्तर— संकुल शैक्षिक समन्वय का प्राथमिक शाला के संबंध निम्नानुसार रखा जावेगा।

1. प्राथमिक शालाओं के साथ शैक्षिक समन्वयक के अंतः संबंध बने इसके लिये उसे मुख्यतः सतत् मॉनीटरिंग पर ही ध्यान केन्द्रित करना होगा।
2. शैक्षिक समन्वयक स्वयं को शिक्षक का साथ समझकर मित्रवत व्यवहार करें।
3. अवलोकन के दौरान समन्वयक का नजरिया शिक्षक की जांच करने सहयोगात्मक हो।
4. शिक्षकों द्वारा किये गये नवाचारों को भरपूर प्रोत्साहन दें और उनके द्वारा अपनी समझ बढ़ाये एवं दूसरों को भी उनसे परिचित करायें।
5. शिक्षकों को आपस में एक दूसरे से सीखने के लिये प्रेरित करें।
6. स्वयं रोचक गतिविधियों कराकर बच्चों के साथ आत्मीय मधुर संबंध स्थापित करें।
7. बच्चों के सीखने में उनकी मदद करें।
8. क्षेत्र में प्रचलित कविता, खेल एवं अन्य शैक्षिक सामग्री से शिक्षकों को अवगत करायें। जिसका कक्षा में उपयोग हो सके।
9. संकुल प्रभारी शालाओं को दी जाने वाली शिक्षण सामग्री, शिक्षकों को दी जाने वाली राशि तथा ग्राम शिक्षा समिति शाला को दी जाने वाली सामग्री का समय पर पहुंचना सुनिश्चित करें।

संकुल स्तर पर मासिक बैठकों का आयोजन—

संकुल केन्द्र पर शिक्षकों की नियमित आयोजित की जाने वाली बैठक है, यह बैठक माह में एक बार होती है तथा वर्ष भर तक यह बैठक माह की निश्चित तारीख को आयोजित होती है। बैठकों का संचालन संकुल केन्द्र प्रभारी तथा संकुल समन्वयक संयुक्त रूप से करते है। बैठक में प्राथमिक शाला के शिक्षक, सुविधानुसार डाइट के द्वारा नियुक्त सदस्य भी उपस्थित रहते है। मासिक बैठक कम से कम 6 घंटे तक चलती है, जिसमें प्रथम 4 घंटे तक सिर्फ शैक्षिक मुद्दों पर चर्चा होती है। आखिरी घंटा में प्रशासनिक तथा वित्तीय मुद्दों पर चर्चा होती है।

मासिक बैठकों में संकुल केन्द्र प्रभारी क्या करेंगे?

मासिक बैठकों में संकुल केन्द्र प्रभारी का उत्तरदायित्व निश्चित है जो कि संकुल समन्वयक से भिन्न है। संकुल केन्द्र प्रभारी का दायित्व है कि बैठक के लिये सभी व्यवस्था करें। शैक्षिक सामग्री निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री उपलब्ध करावे। शिक्षकों की वित्तीय तथा प्रबंधकीय समस्याओं का निराकरण करें। प्रपत्रों की पूर्ति करवा के वरिष्ठ कार्यालय को भेजे, शैक्षिक समस्याओं का निराकरण करें, चर्चा में लिये गये निर्णयों को लिपिबद्ध करें एवं प्रतिवेदन बनवाकर विकासखंड समन्वयक को भेजें।

मासिक बैठकों में शैक्षिक समन्वयकों के उत्तरदायित्व –

1. शाला भ्रमण के दौरान शैक्षणिक बिन्दुओं पर प्राप्त जानकारी के आधार पर मासिक बैठकों के लिये एजेण्डा तैयार करना।
2. स्त्रोत केन्द्र प्रभारी के साथ मिलकर बैठक का संचालन करना, शैक्षिक बिन्दुओं पर चर्चा करना।
3. पिछले माह की प्रगति का उल्लेख करना, कमियों एवं उनको दूर करने के उपाय बताना।
4. शिक्षकों से उनकी शाला में पिछले माह कराई गई प्रमुख शैक्षिक गतिविधियों की उपलब्धियां तथा आई कठिनाईयों की जानकारी लेना।
5. शिक्षक द्वारा किये गये नवाचार तथा उपलब्धियों, निर्मित शैक्षिक सामग्री का प्रदर्शन बैठक में करना।
6. पाठों को विभिन्न तरीके से बढ़ाने की विधियों पर समूह में चर्चा करना एवं प्रदर्शन करना।
7. आने वाले माह में कक्षा में कराई जाने वाली शैक्षिक गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा करना।
8. सभी शिक्षकों के सहयोग में शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण करना।
9. वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त आदेशों/प्रपत्रों पर बातचीत करना।
10. अगले माह में की जाने वाली गतिविधियों की रूपरेखा बनाना।

मध्यप्रदेश में शिक्षक कल्याण की प्रमुख योजनाऐंः–

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जून, 1962 में राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण संस्थान की स्थापना की गई। प्रत्येक राज्य में इस संस्थान की शाखायें कार्यरत है। राष्ट्रीय शिक्षण कल्याण संस्थान, मध्यप्रदेश शाखा के अध्यक्ष राज्य के शिक्षा मंत्री हैं। इसकी कार्यकारिणी परिषद में 6 सदस्य हैं। संचालक, लोक शिक्षण इस परिषद के सचिव कोषाध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण संस्थान द्वारा शिक्षकों के कल्याणार्थ निम्न कार्यक्रम शुरू किये गये हैं–

1. शिक्षक कल्याण कोष की स्थापना,
2. संकटग्रस्त या आपदाकालीन शिक्षकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना,
3. शिक्षकों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करना,
4. शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों को अनुग्रह, अनुदान तथा पुरस्कार प्रदान करना,
5. शिक्षक विश्रामगृहों का निर्माण करना,
6. शिक्षकों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करना।

मध्यप्रदेश में शिक्षक कल्याण योजनायें:–

मध्यप्रदेश में राज्य स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण मंडल के तत्वाधान में निम्न शिक्षक कल्याण योजनाओं को शुरू किया गया हैं–

1. विशेष योजना वाले शिक्षकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान कर सम्मान प्रदान करना।
2. उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु शिक्षकों को प्रतिभावान बच्चों के साथ छात्रवृत्ति प्रदान करना।
3. शिक्षकों एवं उनके आश्रितों को गंभीर बीमारी के उपचार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना।
4. शिक्षक कल्याण सहकारी समितियों की जिला स्तर पर स्थापना करना।
5. शिक्षकों के कल्याण हेतु प्रत्येक जिले में शिक्षक सदन का निर्माण करना।
6. शिक्षकों की लड़कियों के विवाह के लिए एक मुश्त 1,000 रूपये की आर्थिक मदद प्रदान करना।
7. शिक्षकों की विधवाओं को पांच वर्ष तक 200 रूपये प्रतिमास भरण–पोषण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना।

माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा शिक्षक कल्याण की योजनाएं:–

शिक्षक कल्याण की योजनाये माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा सन 1969 से शुरू की गई। माध्यमिक शिक्षा मण्डल उच्चतर माध्यमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों के आर्थिक तथा सामान्य कल्याण के लिए जागरूक है। माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा स्थापित शिक्षक कल्याण कोष से संकटग्रस्त या आपदाग्रस्त शिक्षकों तथा उनके आश्रितों को आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा शिक्षकों के कल्याण तथा व्यावसायिक क्षमता की वृद्धि के लिए सहायक क्रियाकलापों का संचालन किया जाता है। माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न राशियों में से 2 प्रतिशत राशि शिक्षक कल्याण कोष में जमा की जाती है। विश्वविद्यालय स्तर पर भी कुछ विश्वविद्यालय ने शिक्षक–कल्याण कोष स्थापित किये हैं।

मध्यप्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम:–

प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण हेतु सरकार द्वारा शैक्षिक संसाधनों तथा अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों के समर्थन के उद्देश्य से राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन की स्थापना की गई। इस आशय की पूर्ति के लिए केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 'जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम' शुरू किए।

मध्यप्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सरकार 85 प्रतिशत आर्थिक मदद उपलब्ध करा रही हैं। शेष 15 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करती है। प्रारंभ में यह प्रदेश के 19 जिलों में लागू की गई थी। इसमें 5 जिले और जोड़ दिये गये थे। इस कार्यक्रम के संचालन में राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण एवं जिला स्तर पर जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान का पूर्ण सहयोग है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी पूर्तिपक्ष की तरफ जोर दिया जा रहा है जैसे भवन, शिक्षक सामग्री आदि की पूर्ति, प्रशिक्षण, निरीक्षण की कमी हो दूर करना आदि, प्राथमिक शाआलों एवं पढ़ना बढ़ना केन्द्रों में निश्चित अवधि तक शिक्षण होने की तरफ भी ध्यान दिया जाएगा। इस तरह ऐसा वातावरण तैयार किया

जायेगा कि जनता स्वयं प्राथमिक शिक्षा की मांग करने लगे। वर्तमान में मध्यप्रदेश में 73 हजार प्राथमिक विद्यालय है।

लक्ष्य– इस योजना के अन्तर्गत 6 से 11 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को स्कूल लाना है, साथ ही 11 से 14 वर्ष की आयु वाले उन बच्चों को भी लाना है जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा बीच में ही छोड़ दी है। इसमें बालिकाओं तथा कमजोर वर्ग के बच्चों की तरफ विशेष ध्यान दिया जाता है। ऐसे बच्चों को पढ़ना–बढ़ना कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों में शिक्षा दी जायेगी। विद्यालयों की शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जाएगा। यह देखा जाएगा कि 80 प्रतिशत बच्चे प्राथमिक शिक्षा के लिए निर्धारित पाठयक्रम का 80 प्रतिशत ग्रहण कर सकें।

क्रियान्वयन– इस योजना का क्रियान्वयन राज्य स्तरीय समिति करेगी जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। जिला स्तर पर जिलाधीश एवं विकास खण्ड पर विकास खण्ड शिक्षाधिकारी इसका संचालन करेंगे।

चरण– इस योजना को सात वर्षों में दो चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले तीन वर्षीय चरण में संबंधित लोगों का प्रशिक्षण, वातावरण निर्माण, सर्वेक्षण, अध्ययन, भवन सामग्री आदि की व्यवस्था, आंगनवाड़ी तथा औपचारिक केन्द्रों की वृद्धि पर काम किया जाएगा। दूसरे चार वर्षीय चरण में बालिकाओं के लिए माध्यमिक शालाओं की व्यवस्था, कार्यक्रम का मूल्यांकन, आवश्यक परिवर्तन तथा संशोधन किया जाएगा।

इस योजना की सफलता हेतु शिक्षा को रूचिकर बनाना एवं कर्मठ कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है।

दूर शिक्षक प्रशिक्षण प्रणाली

शिक्षा व्यक्ति को अपनी भावनाओं, अभिलाषाओं तथा व्यवहारों पर अधिकार रखने का प्रशिक्षण प्रदान करती है। प्रशिक्षण शरीर तथा मस्तिष्क को इस तरह अनुशासित करता है कि व्यक्ति काम को उचित समय पर और उचित तरह से करता है। शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को नवीन स्वरूप तथा दिशा प्रदान हेतु एक महत्वपूर्ण पहल 1987 मे शुरू हुई। इसके अन्तर्गत सबको प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के प्रयास के अनुरूप जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण परिषदों को मजबूती प्रदान की गई। जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थानों को औपचारिक शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूलों के अध्यापकों के सेवा पूर्ण एवं सेवाकालीन दोनों तरह के प्रशिक्षण के साथ–साथ गैर औपचारिक एवं प्रौढ़ शिक्षा प्रणाली के अनुदेशकों के प्रशिक्षण की पूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है।

जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षिक तकनीकी, पाठयक्रम एवं अनुदेश सामग्री विकास तथा आयोजन और प्रबंध जैसी महत्वपूर्ण शाखाएं खोली गई हैं। जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थानों का उद्देश्य वर्तमान की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के संदर्भ में अत्यंत आवश्यक सांस्कृतिक विरासत एवं मूल्यों से संपन्न शिक्षक तैयार कर जिले का पूर्ण विकास करना है।

मध्यप्रदेश में प्रथम बार प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों हेतु शिक्षकों की सक्रिय तथा फील्ड ट्रायल पर आधारित सीखना–सिखाना सामग्री को दक्षता आधारित पठन–पाठन के अनुकूल बनाया गया है। मिशन के पूर्व औसतन प्रतिवर्ष 12,500 शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था। मिशन के

रचनात्मक शैक्षिक हस्तक्षेप के कारण प्रतिवर्ष औसतन एक लाख शिक्षकों को 12 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

इस तरह शिक्षकों को दूर शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान कर शैक्षिक गतिविधियों में तीव्रता लाना जिला प्राथमिक शाला कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु शैक्षिक संस्थान तथा इनसे संलग्न शिक्षक प्रयासरत है।

इकाई का सारांश—

प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण में सीखना—सिखाना पैकेज के अंतर्गत संकुल केन्द्र की अहम भूमिका है। शाला संगम योजना शिक्षा के स्तर में सुधार, शालाओं के बीच पारम्परिक सहयोग, स्थायी समस्याओं की पहचान कर और निदान, खेलकूद साहित्यिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सामूहिक प्रयोग नवाचार के प्रचार—प्रसार की सुविधा, सीमित साधनों का अधिकतम उपयोग, अधिकारों का विकेन्द्रीकरण आदि अनेक समस्याओं का हल प्रस्तुत करती है। यह शिक्षा विभाग के अनेक मर्जों की एक निराकरण नहीं होने वाली समस्याओं को विकासखंड स्तर पर भेजकर सुलझाया जाता है। इस प्रकार संकुल केन्द्र प्रभारी द्वारा एक छोटी इकाई के रूप में प्रबंधकीय एवं वित्तीय समस्याओं का निराकरण किया जाता हैं संकुल शैक्षिक समन्वयक द्वारा शैक्षिक गतिविधियां कराके छात्रों की गुणवत्ता के साथ ही शिक्षकों के सहयोग तथा विचार विमर्श द्वारा अपनी समझ तथा उपलब्धियों में वृद्धि करता है।

टेलीकान्फ्रेन्सिंग—

शिक्षा में गुणात्मक सुधार की प्रक्रिया को तेज करने हेतु संपर्क शिक्षक प्रशिक्षण प्रणाली का विकास किया गया है। इसमें देश के विभिन्न राज्यों में स्थापित केन्द्रों को एक राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित प्रसारण केन्द्र से जोड़ा गया है।

शैक्षिक समन्वयक प्रणाली—

शैक्षिक समन्वय प्रणाली के अन्तर्गत प्रशासनिक स्वरूप का प्रवाह चित्र निम्नानुसार हैः—

डी.पी.ई.पी. प्रभारी

एस.सी.ई.आर.टी.

डाइट

सीखना—सिखाना प्रभारी

विकासखंड

विकासखंड शैक्षिक समन्वयक

संकुल केन्द्र

प्रभारी / शैक्षिक समन्वयक

प्राथमिक शाला

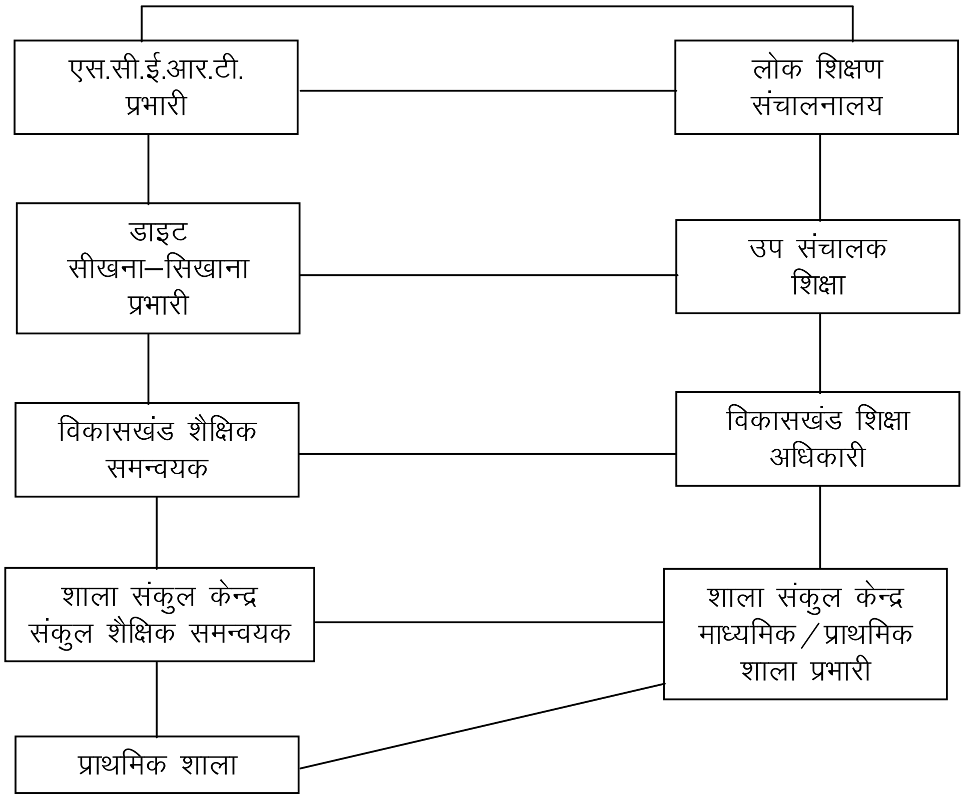

मॉनीटरिंग करने तथा फीडबैक भेजने का समयचक्र

प्रवाह चित्र–3

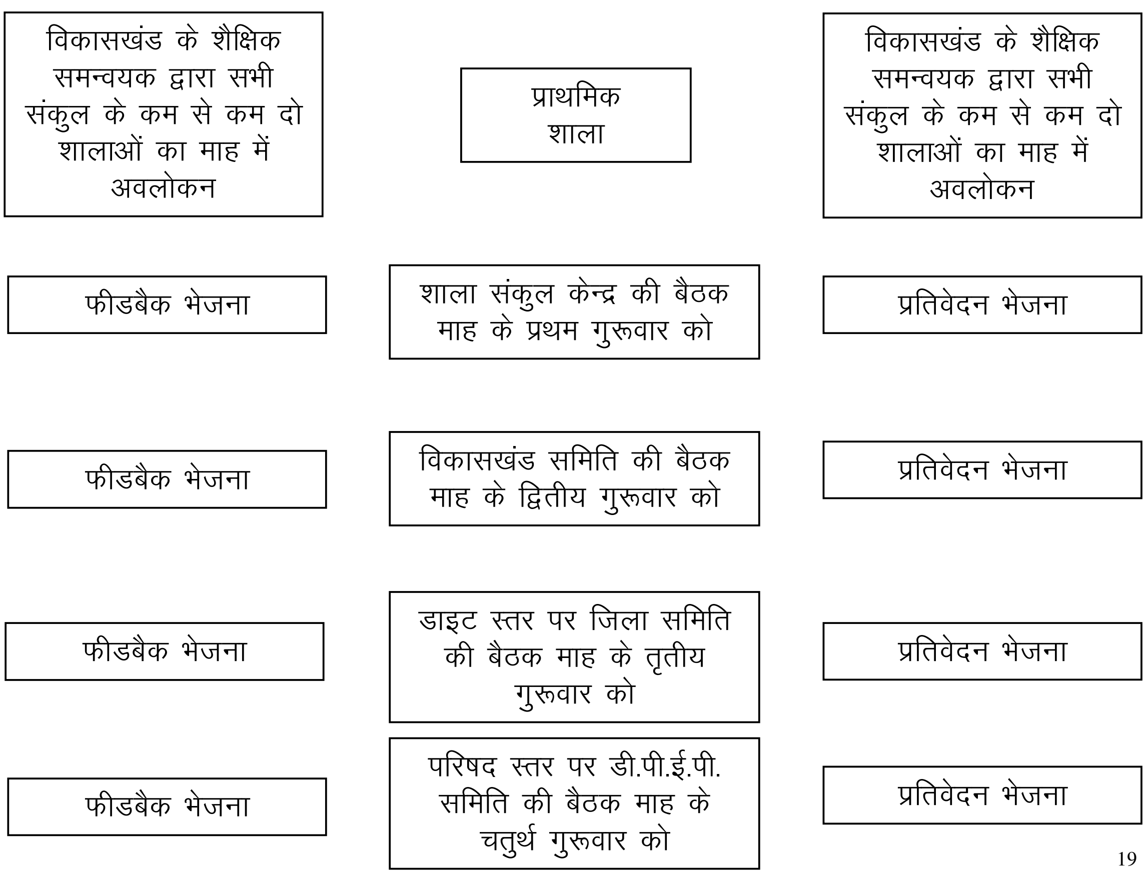

पाठगत प्रश्न–

नोट– निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अपने उत्तरों का उत्तर तालिका में दिये गये उत्तरों से मिलान कीजिए।

प्रश्न 1. एजूसेट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान द्वारा सतम्बर 2004 में स्थापित एक .... है।

प्रश्न 2. टेलीकान्फ्रेसिंग को .... भी कहते हैं

प्रश्न 3. क्षेत्रीय स्तर पर .... का गठन किया गया है।

प्रश्न 4. एजूसेट को .... नाम से भी जाना जाता है।

उप इकाई – 3

अन्तर्राष्ट्रीय संगठन एवं उनकी भूमिका – यूनीसेफ विश्व संगठन यूनेस्को

यूनिसेफः–

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (अंग्रेजी– यूनाइटेड नेशन्स चिल्ड्रेंस फंड, : यूनीसेफ) की स्थापना का आरंभिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महा सभा ने 11 दिसम्बर 1946 को की थी। 1953 में यूनीसेफ, संयुक्त राष्ट्र का स्थाई सदस्य बन गया। उस समय इसका नाम यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस फंड की जगह यूनाइटेड नेशन्स चिल्ड्रेंस फंड कर दिया गया। इसका मुख्यालय न्यूयार्क में है। वर्तमान में इसके मुखिया ऐन वेनेमन है। यूनीसेफ को 1965 में उसके बेहतर कार्य के लिए शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1989 में संगठन को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। इसके 120 से अधिक शहरों में कार्यालय हैं और 190 से अधिक स्थानों पर इसके कर्मचारी कार्यरत है। वर्तमान में यूनीसेफ फंड एकत्रित करने के लिये विश्व स्तरीय एथलीट और टीमों की सहायता लेता है।

यूनीसेफ का सप्लाई प्रभाग कार्यालय कोपनहेगन, डेनमार्क है। यह कुछ महत्वपूर्ण सामान जैसे जीवन रक्षक टीके, एचआईवी पीड़ित बच्चों व उनकी माताओं के लिय दवा, कुपोशण के उपचार के लिए दवाइयां, आकस्मिक आश्रय आदि के वितरण की प्राथमिक जगह होती है। 26 सदस्यों का कार्यकारी दल यूनीसेफ के कामों की देखरेख करता है। यह नीतियां बनाता है और साथ ही यह वित्तीय और प्रशासनिक योजनाओं से जुड़े कार्यक्रमों को स्वीकृति प्रदान करता है। वर्तमान में यूनीसेफ मुख्यतः पांच प्राथमिकताओं पर केन्द्रित है। बच्चों का विकास, बुनियादी शिक्षा, लिंग के आधार पर समानता (इसमें लड़कियों की शिक्षा शामिल है), बच्चों का हिंसा से बचाव, शोषण, बाल–श्रम के विरोध में, एचआईवी एड्स और बच्चों के अधिकारों के वैधानिक संघर्ष के लिए काम करता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठनः–

संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरणों में विश्व स्वास्थ्य संगठन का विशेष महत्व है। इस संगठन की स्थापना 07 अप्रैल सन 1948 को विधिवत की गई। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष 07 अप्रैल को समस्त विश्व में स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना विश्व के लोगों की स्वास्थ्य की उच्चतम संभव दशा को प्राप्त करना है। इस संगठन के संविधान में स्वास्थ्य के संबंध में कहा गया है कि – यह बीमारी या दुर्बलता का अभाव नहीं है किन्तु शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से पूर्णरूप से उत्तम रहने की दशा है। पिछड़े देश के लोगों के स्वास्थ्य की प्रगति इस संस्था का मौलिक उद्‌देश्य है।

इस संगठन की सदस्यता सारे राष्ट्रों के लिय खुली है। जो राष्ट्र U.N.O. के सदस्य हैं वे विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य हो सकते हैं।

संगठन– विश्व स्वास्थ्य संगठन के निम्नांकित तीन प्रमुख अंग हैः–

1. **साधारण सभा (General Assembly) –** यह समस्त सदस्य राष्ट्रों की प्रतिनिधि सभा है। सारे सदस्य राज्यों के एक–एक प्रतिनिधि इसमें रहते हैं। इस सभा का प्रमुख कार्य नीतियों का निर्धारण करना, विभिन्न योजनाओं का प्रारूप तैयार करना, बजट को स्वीकृत करना और प्रतिवेदनों पर चर्चा करना है।
2. **कार्यकारिणी समिति (Executive Board) –** कार्यकारिणी समिति में 24 सदस्य होते है जिनका चुनाव साधारण सभा सदस्यों की विशिष्टिता के आधार पर करती है। वर्ष में इसकी कम से कम दो बैठक होती है।
3. **सचिवालय (Secretariat) –** सचिवालय विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्रधान कार्यालय है। सचिवालय में एक महानिदेशक एवं विभिन्न अधिकारी, कर्मचारी रहते हैं। दूसरा मुख्यालय जेनेवा में है। महानिदेशक विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रयासशील एवं तकनीकी आदि विषयों की निगरानी करता है।

कार्य– विश्व स्वास्थ्य संबंधी कार्यों में विश्व स्वास्थ्य संगठन दो प्रकार के कार्य करता है–

(1) परामर्शदात्री, (2) तकनीकी सेवाऐं।

संक्षेप में विश्व स्वास्थ्य संगठन निम्नांकित कार्य करती है –

1. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य कार्यों का संचालन एवं समन्वय करना।
2. विश्व से संक्रामक रोगों एवं महामारियों को समाप्त करना।
3. स्वास्थ्य के संबंध में अनुसंधान करना।
4. आकस्मिक घटनाओं को रोकने की सिफारिश करना।
5. स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के स्तर को ऊंचा करना।
6. विभिन्न बीमारियों के अन्तर्राष्ट्रीय नामों का निर्धारण करना।
7. विश्व के लोगों के वातावरणीय स्वास्थ्य की परिस्थितियों की दशाओं में सुधारने का प्रयास करना।
8. विभिन्न देशों में मातृमंगल तथा बाल स्वास्थ्य तथा विभिन्न कल्याण योजनाओं का संचालन एवं वृद्धि करना।
9. दवाइयों, खाद्य पदार्थ तथा अन्य वस्तुओं का अन्तर्राष्ट्रीय मापदंड निर्धारित करना।
10. स्वास्थ्य के प्रशासनिक एवं सामाजिक प्रविधियों का अध्ययन करना।

यूनेस्को–

यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट अभिकरण है। इसकी स्थापना 4 नवम्बर, सन 1946 में की गई थी। इस संगठन की स्थापना का उद्देश्य सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है।

यूनेस्को की प्रस्तावना में लिखा गया है, ''युद्ध मानव मस्तिष्क में पैदा होता है। अतः शान्ति को सुरक्षित रखने की आधारशिलायें भी मानव दिमाग में बनाई जानी चाहिए।'' यूनेस्को की स्थापना का उद्देश्य विश्व में शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति का विकास कर न्याय, कानून तथा मानवीय स्वतंत्रता तथा मौलिक अधिकारों के प्रति आदर का भाव पैदा करना हैं

संगठन– यूनेस्को के तीन अंग होते है–

1. **महासम्मेलन (General Conference) –** इसमें संयुक्त राष्ट्र के समस्त सदस्य होते हैं। प्रत्येक राष्ट्र का एक–एक प्रतिनिधि होता है। दूसरा अधिवेशन वर्ष में दो बार होता है। यह नीति निर्धारण, कार्यक्रम निर्धारण, बजट की स्वीकृति, प्रधान परषिद का निर्वाचन का कार्य करता है।
2. **कार्यवाहक बोर्ड (Execuline Board) –** कार्यवाहक बोर्ड का निर्वाचन महासम्मेलन करता है। सदस्यों को तीन वर्षों के लिये चुना जाता है। कार्यवाहक बोर्ड सम्मेलन द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों को क्रियान्वित करता है। श्रीमती इंदिरा गांधी, डॉ. राधाकृष्णन तथा डॉ. प्रेमकृपाल आदि कार्यवाहक बोर्ड के सदस्य रह चुके हैं।
3. **सचिवालय (Seerctariat) –** दूसरा प्रमुख अधिकारी डायरेक्टर जनरल होता है। सचिवालय, शिक्षा प्राकृतिक ज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सांस्कृतिक कार्य सामूहिक शिक्षा तथा प्रसार के साधनों से संबंधित कार्यों का संपादन करती है।

यूनेस्को के कार्य – यूनेस्को निम्नांकित कार्यों का निष्पादन करती है –

1. **शिक्षा–** शिक्षा का प्रसार दूसरा प्रमुख लक्ष्य है। यह शिक्षा के विस्तार तथा उन्नति का प्रयास करती है। इसके लिये यूनेस्को शिक्षा केन्द्रों की स्थापना, वाचनायलों की स्थापना, विभिन्न सम्मेलनों का आयोजन, शिक्षा संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये विशेषज्ञों को भेजना आदि प्रमुख कार्य संपादित करती है।
2. **विज्ञान–** यह प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों के विकास पर अधिक ध्यान देता है। इसने वैज्ञानिकों के सभा आयोजन, वैज्ञानिक संगठनों की सहायता, अनुसंधान तथा प्रकाशन का भी कार्य किया है। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में इसने सामाजिक विज्ञान संस्थान की स्थापना के लिये विशेषज्ञों को भेजे हैं तथा गैर सरकारी संस्थाओं को सहायता प्रदान की है।
3. **संस्कृति–** यूनेस्को सांस्कृतिक सम्पत्ति को मानवजाति का विरासत मानता है। अतः इसे सुरक्षित रखना चाहता है। इसने भारत, कोलम्बिया तथा नाइजीरिया में सार्वजनिक पुस्तकालय खोला है। यूनेस्को ने मानवजाति के सांस्कृतिक इतिहास लेखन को प्रोत्साहित किया है। यह सांस्कृतिक क्षेत्र में सभा सम्मेलन, विचार गोष्ठियां तथा अनुसंधान करते रहती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय जगत के विभिन्न देशों में विद्वानों को भेजा जाता है। इससे विश्व के विद्वान एवं वैज्ञानिक एक–दूसरे के संपर्क में आते हैं तथा उनके बीच विचारों का आदान–प्रदान तथा इससे सांस्कृतिक सद्भावना पैदा होती है। यूनेस्कों छात्रों को छात्रवृत्तियों तथा भ्रमण अनुदान भी प्रदान करती है।

यूनेस्को ने जातीय समस्याओं को कम किया है, पूर्व–पश्चिम के तनाव को घटाया है, मानवजाति की एकता को बढ़ाया है, सामूहिक शिक्षा की वृद्धि की है, शरणार्थियों के पुनर्वास में सहायता पहुंचाई है।

इकाई का सारांश–

यूनेस्को का अर्थ– संयुक्त राष्ट्र बल कोष है। जिसकी स्थापना द्वितीय युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करने के उद्देश्य से हुई। इसका मुख्यालय न्यूयार्क में है।

वर्तमान में यूनेस्को मुख्यतः पांच प्राथमिकताओं पर केन्द्रित है। बच्चों का विकास, बुनियादी शिक्षा, लिंग के आधार पर समानता, बच्चों का हितो से बचाव, बाल श्रम के विरोध में कार्य कर रहा है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन– की स्थापना 07 अप्रैल 1948 में की गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन के तीन साधारण सभा, कार्यकारिणी समिति, सचिवालय प्रमुख अंग है। विश्व स्वास्थ्य संबंधी कार्यों में संगठन दो प्रकार से कार्य करता है एक परामर्शदात्री दूसरे तकनीकी सेवाएं।

यूनेस्को की स्थापना 04 नवम्बर 1946 में की गई। इस संगठन की स्थापना का उद्देश्य सामाजिक, सांसकृतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति का समग्र विकास करना है। विश्व में शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति का विकास कर न्यायकरण तथा मानवीय स्वतंत्रता तथा मौलिक अधिकारों के प्रति आदर का भाव पैदा करना है।

पाठगत प्रश्न–

नोट– निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिये। अपने उत्तरों का उत्तर तालिका में दिये गये उत्तरों से मिलान कीजिए।

प्रश्न 1. संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने यूनिसेफ की स्थापना ....को की थी।

प्रश्न 2. यूनिसेफ का सप्लाई प्रभाग कार्यालय .... में स्थित है।

प्रश्न 3. विश्व स्वास्थ्य संगठन की कार्यकारिणी समिति में .... सदस्य होते है।

प्रश्न 4. यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई–

(अ) 1950 (ब) 1955 (स) 1948 (द) 1946

आत्म परीक्षण के प्रश्न

नीचे आत्म परीक्षण के प्रश्न दिये जा रहे है, छात्र जिन्हें संपूर्ण पाठ के आधार पर हल करने का प्रयास करेंगे।

प्रश्न 1. सर्वशिक्षा अभियान के प्रमुख लक्ष्य के बारे में संक्षेप में लिखिये?

प्रश्न 2. शिक्षा के लोकव्यापीकरण के संवैधानिक प्रावधान का विवरण दीजिए?

प्रश्न 3. सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण पर अपने विचार व्यक्त कीजिए?

प्रश्न 4. शैक्षिक समन्वयक सूझबूझ पर संक्षिप्त में लिखिए?

पाठगत प्रश्नों की उत्तर तालिका–

उप इकाई – 1

उत्तर 1. जन संचार

उत्तर 2. 45 आर्डिकल

उप इकाई – 2

उत्तर 1. क्रत्रिम उपग्रह

उत्तर 2. दूर शिक्षक प्रशिक्षण

उत्तर 3. संकुलों

उत्तर 4. जीसेट–3

उप इकाई – 3

उत्तर 1. 11 दिसम्बर 1946

उत्तर 2. कोपनहेगन, डेनमार्क

उत्तर 3. 24

उत्तर 4. 1946

– – – –

पाठ–8

सूचकांक– डी.एड./I/1/8

पत्राचार पाठ्यक्रम

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

(द्वारा सर्वाधिकार सुरक्षित)

डिप्लोमा इन एज्युकेशन परीक्षा

प्रथम वर्ष (प्रश्न पत्र प्रथम)

विषय– भारतीय समाज में शिक्षा

विषयः– शिक्षक की परिवर्तित भूमिका। पाठ–8

विषयांश–

1. प्रारंभिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण का अर्थ एवं उद्देश्य (शाला पहुंच, प्रवेश धारणा उपलब्धि) सर्व शिक्षा अभियान की भूमिका।
2. शिक्षा की नवीन व्यवस्थाएं – (i) एडूसेट, टेलीकांफ्रेसिंग, वीडियों कांफ्रेसिंग, (ii) शैक्षिक समन्वय, संकुल विकास खण्ड, डाइट, जिला शिक्षा केन्द्र, राज्य शिक्षा केन्द्र (एस.सी.ई.आर.टी.) की भूमिका।
3. अन्तर्राष्ट्रीय संगठन एवं उनकी भूमिका – यूनीसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन यूनस्को।

प्रिय छात्राध्यापक,

विगत इकाई में आपने म.प्र. में प्रारंभिक शिक्षा एवं उसकी नवीन अवधारणाओं के बारे में अध्ययन किया। प्रस्तुत इकाई में शिक्षक की परिवर्तित भूमिका के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस इकाई की विषयवस्तु को हमने अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से तीन उपइकाईयों में विभक्त किया है। प्रत्येक उपइकाई के अंत में इकाई का सारांश तथा कुछ पाठगत प्रश्न भी दिये जायेंगे। हम आशा करते है कि निर्देशानुसार अध्ययन करके आप संपूर्ण पाठ को भलीभांति समझ सकेंगे।

उप – इकाई 1
शिक्षक की परिवर्तित भूमिका

प्रस्तावनाः–

प्रारंभिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण का अर्थ एवं उद्देश्य–

अर्थ एवं उद्देश्य (शाला पहुंच, प्रवेश, धारण, उपलब्धि)

भारतीय संविधान के आर्टीकल 45 में कहा गया है कि इस संविधान के लागू होने के दस वर्षों के भीतर 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बालक–बालिकाओं को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जावेगी।

किन्तु ध्यान देने योग्य बात यह है कि शिक्षा के लोकव्यापीकरण के इस संवैधानिक लक्ष्य को आज भी हम प्राप्त नहीं कर पायें है।

यहां शिक्षा के लोकव्यापीकरण से तात्पर्य यह है कि देश में रहने वाले 6–14 आयु वर्ग के समस्त बालक–बालिका प्रारंभिक शिक्षा अर्जित करें।

लोकव्यापीकरण का अर्थः–

लोक व्यापरीकरण से अभिप्राय है– शिक्षा को जन साधारण हेतु सुलभ बनाना अथवा प्रत्येक बालक के लिए शिक्षा को सुलभ करना। अन्य शब्दों में शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे प्रत्यन करना, कि शिक्षा किसी व्यक्ति विशेष अथवा किसी विशिष्ट वर्ग की न होकर जनसाधारण को भी प्राप्त हो।

प्राथमिक शिक्षा लोकव्यापी शिक्षा का ही दूसरा रूप है। इस तरह प्राथमिक शिक्षा को प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ बनाना शिक्षा को सार्वभौमिक बनाना है। के.जी. सैयदेन के शब्दों में ''प्राथमिक शिक्षा का संबंध किसी विशेष वर्ग अथवा समूह से नहीं है, अपितु इसका संबंध देश की समस्त जनता से है, यह प्रत्येक बिन्दु पर जीवन का स्पर्श करती है।'' इसी तरह हण्टर आयोग ने एक स्थल पर उल्लेख किया है– ''प्राथमिक शिक्षा को जनसाधारण की शिक्षा मानना चाहिए।

शिक्षा को लोकव्यापी बनाने के उद्देश्य को निम्न बिन्दुओं द्वारा स्पष्ट कर सकते हैः–

1. **सांप्रदायिकता की समाप्ति–** सांप्रदायिकता एक ऐसा घुन है जो सामाजिक जीवन में अराजकता पैदा करने के साथ–साथ नागरिकों के ह्रदय में वैमनस्य की भावनाओं को भी जन्म देता है। निरक्षर व्यक्ति ही सांप्रदायिकता के शिकार होते है। अतः राष्ट्रीय जीवन में से सांप्रदायिकता के विष को समाप्त करने हेतु लोकव्यापी शिक्षा का प्रसार करना जरूरी है। डॉ. सीताराम जायसवाल के शब्दों में ''शिक्षा द्वारा सांप्रदायिकता का निराकरण होता है तथा परस्पर राग–द्वेष परे जातीयता के बंधन से मुक्त धर्म–निरपेक्ष राष्ट्र का निर्माण करने में समर्थ हो सकते हैं।
2. **राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास–** लोकव्यापी शिक्षा द्वारा सुयोग्य देश भक्त नागरिकों का निर्माण होता है। अतः जो देश राष्ट्रीय विकास को महत्व देते है, वे लोकव्यापी शिक्षा के प्रसार को भी प्राथमिकता देते हैं। इसके अलावा यह शिक्षा राष्ट्रीय एकता को भी जन्म देती है। ब्रिटिश शासन काल के प्रारंभ में हमारे देश में निरक्षरता का बोलबाला था, लेकिन ज्यों–ज्यों शिक्षा का प्रसार होता गया, भारतवासियों में राष्ट्रीय एकता का भी विकास होता गया। वास्तव में लोकव्यापी शिक्षा नागरिक में उन उचित संवेगों का विकास करती है, जिनसे भावात्मक एकता को बल मिलता है। शिक्षा द्वारा नागरिकों का दृष्टिकोण इतना व्यापक हो जाता है कि वे स्थानीय स्वार्थो से ऊपर उठकर राष्ट्रीय एकता की तरफ अग्रसर हो जाते हैं।
3. **राजनीतिक जागरूकता के लिए–** लोकव्यापी शिक्षा से नागरिकों में कर्तव्य तथा अधिकारों के प्रति उत्तरदायित्व की भावना जागृत होती है। लेकिन इसके साथ–साथ प्रजातंत्र को सफलता हेतु राजनीतिक जागरूकता भी जरूरी है। प्रायः निरक्षर व्यक्ति चालाक एवं स्वार्थी राजनीतिज्ञों के चक्कर में आकर अपने मतदान का उचित प्रयोग नहीं कर पाते। इस तरह प्रजातंत्र का उद्देश्य ही विफल हो जाता है।

4. **जनतंत्र को सफल बनाने हेतु जरूरी–** जनतंत्र की सफलता हेतु लोकव्यापी शिक्षा का क्या महत्व है, इस विषय में डॉ. प्रकाश चन्द्र लिखते है– ''किसी भी जनतांत्रिक देश के विकास हेतु शिक्षा का अधिक से अधिक प्रसार जरूरी है। जनतंत्र में सामाजिक तथा आर्थिक विकास की सफलता वहां की जनता की बुद्धिमता और विवेकपूर्ण सहयोग पर निर्भर करती है। जनता का यह सहयोग व्यापक शिक्षा प्रसार पर ही आधारित है। किसी राष्ट्र की शिक्षा प्रणाली की आधारशिला वहां की प्राथमिक शिक्षा होती है। प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से देश के प्रत्येक बालक को बगैर किसी भेदभाव के प्राप्त होनी चाहिए। वस्तुतः प्राथमिक शिक्षा का मूल लक्ष्य है– ''देश के भावी नागरिकों को साक्षर बनाते हुए अपने कर्तव्य, अधिकार एवं उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक बनाना तथा उनमें जीवन की सामान्य समस्याओं के समाधान की क्षमता का विकास करना।''
5. **सामाजिक समानता तथा सामाजिक न्याय की स्थापना में मददगार–** वर्तमान समाज में जो व्यापक भेद–भाव है अर्थात् कुछ व्यक्तियों को ही विकास के समान अवसर मिल जाते हैं एवं ज्यादातर व्यक्ति निरक्षरता के कारण प्रतिभा होतु हुए भी अपना समुचित विकास नहीं कर पाते, इसका मूल कारण शिक्षा का सार्वभौमिक अथवा जनव्यापी न होना है। इस व्यवस्था के परिणामस्वरूप योग्य तथा प्रतिभाशाली व्यक्ति राष्ट्र एवं समाज की उचित सेवा (निरक्षरता के कारण) करने से वंचित रह जाते है। इस दोष का निराकरण सिर्फ जनसाधारण हेतु शिक्षा को सुलभ बनाकर ही हो सकता है।

शिक्षा के लोकव्यापीकरण के मार्ग में आने वाली मुख्य कठिनाइयाँ निम्न हैः–

1. **बालिकाओं की शिक्षा की समस्या–** प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में बालकों की बजाय बालिकाओं की शिक्षा एक कठिन समस्या है। बालकों की बजाय बालिकायें शिक्षा प्राप्त करने कम जाती हैं और जो जाती है वे कई कारणों से बीच में ही विद्यालय छोड़ देती हैं। इस समस्या के मुख्य कारण हैं– गांव वालों का बालिका शिक्षा के प्रति उदासीन होना, ज्यादातर अभिभावकों का निर्धन होना, बालिकाओं का घरेलू कार्यों में व्यस्त रहना, अल्प आयु में विवाह करना, बालिका विद्यालयों का अभाव, अध्यापिकाओं का अभाव आदि।
2. **6–14 आयु वर्ग के समस्त बालकों के नामांकन की समस्या–** प्राथमिक स्तर पर नामांकन की समस्या भी एक जटिल समस्या है। डॉ. रघुनाथ सफाया के शब्दों में– ''कुल मिलाकर नवीं योजना की समाप्ति तक सभी राज्यों में लड़कों तथा लड़कियों दोनों का नामांकन शत प्रतिशत तक पहुंचना संभव नहीं है। मिडिल स्कूलों के नामांकन का प्रतिशत अभी तक और भी कम है एवं हम शत प्रतिशत नामांकन की आशा दसवीं योजना की समाप्ति तक भी नहीं कर सकतें।''
3. **कक्षा 8 तक अर्थात् विद्यालय को संपूर्ण अवधि तक छात्रों को रोके रखना–** प्रायः छात्र विद्यालय में शिक्षा संपूर्ण अवधि तक प्राप्त नहीं करते। अन्य शब्दों में कक्षा 2 या 3 तक छात्र पढ़ते हैं और फिर वे कई कारण से बीच में ही पढ़ना छोड़ देते हैं। यदि ध्यानपूर्वक देखा जाये तो इस समस्या के निम्न कारण मिलेंगे–विद्यालयों का नीरस वातावरण, अनुचित पाठ्यक्रम एवं अनुपयुक्त तथा नीरस शिक्षा प्रणाली।

4. **विद्यालय एवं समुदाय के सह–संबंधों में कमी–** यह समस्या नगरीय एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में है। प्रायः समुदाय के सदस्य स्थानीय प्राथमिक विद्यालयों के प्रति उदासीनता दिखाते हैं। दूसरे, इन विद्यालयों के अध्यापक भी स्थानीय समुदाय से कोई संपर्क नहीं रखते। इस तरह विद्यालय तथा समुदाय परस्पर एक–दूसरे को सहयोग नहीं दे पाते।
5. **जन–जातियों एवं पिछड़े वर्ग की समस्यायें–** हमारे देश में कई जनजातियां और पिछड़ी जातियां है, जो युगों से शिक्षा के लाभ से वंचित रही हैं एवं आज भी हैं। जब तक इन जातियों में शिक्षा प्रसार के संगठित प्रयास नहीं किये जायेंगे एवं जब तक इनकी समस्याओं का हल नहीं किया जायेगा तब तक शिक्षा के लोकव्यापीकरण का स्वप्न अधूरा ही रह जायेगा। इन जातियों में शिक्षा प्रसार न होने के प्रमुखतया निम्न कारण हैं– जन–जातियों का दुर्गम स्थलों में रहना, व्यापक निर्धनता, जन–जातियों के निवास स्थान के निकट विद्यालयों का न होना, मुख्य जन–जातियों की भाषाओं का विकसित न होना आदि।
6. **अनियमित उपस्थिति–** प्राथमिक विद्यालयों में बालकों की उपस्थिति की समस्या भी एक जटिल समस्या है। प्रायः विद्यालयों में छात्रों का नामांकन तो पर्याप्त हो जाता है लेकिन कक्षाओं में छात्र प्रायः अनुपस्थित रहते हैं। इस अनियमित उपस्थिति का मुख्य कारण है अभिभावकों की उदासीनता, छात्र–छात्राओं का घर के कार्यों में लगे रहना, अध्यापकों की शिक्षण के प्रति उदासीनता एवं छात्रों के प्रति कठोर व्यवहार।
7. **अर्थाभाव–** प्राथमिक शिक्षा के सामने सबसे बड़ा प्रश्न व्यय का है। आर्थिक कठिनाइयों के कारण शिक्षा प्रसार ठीत तरह से नहीं हो पा रहा है। आर्थिक समस्या के दो रूप है– प्रथम हमारे देश की ज्यादातर जनता बहुत निर्धन है, प्रायः अभिभावक अल्प आयु में ही बालकों को अपने साथ काम पर लगा लेते हैं। ऐसी दशा में बच्चे विद्यालय जाने में असमर्थ होते हैं। द्वितीय, सरकार के सामने धनाभाव है। केन्द्रीय तथा प्रांतीय सरकारें प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने हेतु स्थानीय संस्थाओं को पर्याप्त आर्थिक सहायता नहीं प्रदान कर सकीं। स्वतंत्रता से पहले प्राथमिक शिक्षा पर होने वाले व्यय का 20 प्रतिशत भाग सरकार द्वारा व्यय किया जाता था। स्वतंत्र भारत में यह धन–राशि बढ़कर 34 प्रतिशत कर दी गई है। लेकिन इस अल्प सहायता से क्या प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क तथा अनिवार्य बनाया जा सकता है।
8. **दूषित राजनीति–** स्थानीय संस्थायें दूषित राजनीति से बुरी तरह ग्रस्त हैं। इन संस्थाओं में जनता द्वारा चुने गये प्रतिनिधि प्रशासकीय कार्यभार संभालते हैं। ये हमेशा अपने मतदाताओं को ही प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। वे चुनाव में हारने के भय से न तो अभिभावकों पर दबाव डालना चाहते है एवं न ही 'शिक्षा–कर' लगाना चाहते हैं। जब तक स्थानीय संस्थायें दूषित राजनीति से मुक्त होकर कठोर कदम नहीं उठायेंगी तब तक अनिवार्य शिक्षा सफलतापूर्वक नहीं दी जा सकती।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जो रणनीति अपनाई जाने का सुझाव दिया गया है उसमें मुख्यतः शाला पहुंच प्रवेश, धारण एवं उपलब्धि हैं

शाला पहुंच – राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में वर्तमान प्रत्येक 3 कि.मी. की परिधि में प्राथमिक शाला के स्थान पर प्रत्येक 1 कि.मी. की परिधि में एक प्राथमिक विद्यालय हो, की सिफारिश की गई है। इस तरह से 6 से 11 आयु वर्ग के समस्त बालक–बालिकाओं को अपने निवास स्थान से शाला जाने हेतु 1 कि.मी. से अधिक की दूरी तय न करना पड़े।

प्रवेश – 6 से 11 आयु वर्ग के प्रत्येक बालक/बालिका के लिये अपने निवास स्थान से 1 कि. मी. की परिधि में शाला की पहुंच हो जाने पर इन समस्त बालक/बालिकाओं का शाला में प्रवेश सुनिश्चित किया जावे। वर्तमान में 86 प्रतिशत है। इसे बढ़ाकर शत–प्रतिशत किये जाने के पश्चात ही प्रवेश पूर्ण होगा।

धारण – शाला में प्रवेश लेने वाले समस्त बालक/बालिकायें (6 से 14 आयु वर्ग) के अपना कक्षा पांच तक अध्ययन पूर्ण करें। शाला न त्यागे, वर्तमान स्थिति शाला त्यागी बालक/बालिकाओं का प्रतिशत 36 प्रतिशत है। जिसे कम किया जाकर 0 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

उपलब्धि – शिक्षा के लोकव्यापीकरण का चौथा एवं अंतिम उद्देश्य है प्रत्येक बालक/बालिका जो शाला में प्रवेश लेवेंगे पांच वर्षों की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करें। साथ ही निर्धारित न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त करें। यह उपलब्धि शाला में प्रवेश लेने वाले 80 प्रतिशत बालक/बालिका 80 प्रतिशत प्राप्त करें। तब ही शिक्षा के लोकव्यापीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा।

लोकव्यापीकरण के लिये रणनीतिः–

चुने हुये प्रत्येक जिले में प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण का लक्ष्य 5 से 7 वर्ष की अवधि में प्राप्त करने के लिये जिले की परिस्थितियों के अनुरूप तैयार की जायेगी। तथापि इसके कुछ घटक इस प्रकार होंगेः–

1. प्राथमिक शिक्षा तंत्र को स्थानीय समुदाय के प्रति जवाबदेह बनाकर उसकी कारगरता बढ़ाना।
2. सर्वसाधारण में प्राथमिक शिक्षा के प्रति रूचि, उत्साह और उत्तरदायित्व भरे वातावरण का निर्माण।
3. शिक्षकों, महिलाओं तथा समुदाय को लोकव्यापीकरण में अपनी अहम भूमिका निभाने के लिये अनुप्राणित करना।
4. प्राथमिक शिक्षा की सुलभता बढ़ाना।
5. रोचक शिक्षण पद्धति, प्रोत्साहनों, ग्राम शिक्षा समितियों तथा अन्य उपायों के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में बच्चों की सहभागिता बढ़ाना।
6. प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा प्राथमिक स्तर के निर्धारित ज्ञान और कौशल के स्तरों का अर्जन सुनिश्चित करना।
7. संपूर्ण कार्यक्रम में बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य वंचित समूहों के बच्चों की जरूरतों पर विशेष ध्यान देना।
8. सघन प्रशिक्षणों द्वारा शिक्षकों तथा अन्य कर्मियों की क्षमताओं का विकास।
9. प्रशासन और प्रबंध के व्यापक सुधार।
10. अध्ययनों, नवाचारों तथा प्रयोगों को प्रोत्साहन देना।

रणनीति क्रियान्वयन के कुछ प्रमुख पहलू –

लोकव्यापीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने में मिशन सर्वप्रथम ध्यान ऐसे उपायों की ओर देगा जिन पर बिना कोई खास अतिरिक्त व्यय किये अमल किया जा सकता है यथा –

1. वर्तमान तंत्र की दक्षता और कारगरता बढ़ाना।
2. विद्यमान संस्थाओं तथा उनमें कार्यरत शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण।
3. स्कूली कैलेण्डर का स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निर्धारण।
4. प्राथमिक शालाओं और आंगनवाड़ियों के स्थान व समय में समन्वय।
5. जिला विकासखण्ड तथा निचले स्तरों पर अधिकारों का विकेन्द्रीकरण।
6. प्राथमिक शिक्षकों के लंबित प्रकरणों पर त्वरित निपटारा।
7. ऑपरेशन ब्लेक बोर्ड, औपचारिकेत्तर शिक्षा आदि विद्यमान योजनाओं का दक्षतापूर्वक क्रियान्वयन।
8. इसके अलावा शेष रहने वाली कमियों की पूर्ति के लिये मिशन, व्यय भार वाली योजनाओं के लिये भी धनराशि उपलब्ध करायेंगा। जैसे–
    1. सुविधाविहीन ग्रामों में प्राथमिक शालाओं और औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्रों तथा सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में आश्रम शालाओं की स्थापना।
    2. शाला भवनों का निर्माण, विस्तार, मरम्मत।
    3. शालाओं में आवश्यक सामग्री प्रदान।
    4. जन संचार माध्यमों द्वारा लोकव्यापीकरण के लिये उचित वातावरण निर्माण।
    5. ग्राम शिक्षा समितियों तथा पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों का प्रबोधन एवं उन्मुखीकरण।
    6. बालिकाओं और वंचित वर्गों के बच्चों की शिक्षा के लिये विशेष कार्यक्रम।
    7. स्थानीय महिला शिक्षाकर्मी तैयार करने के लिये विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना।
    8. शिक्षकों के सतत् प्रशिक्षण के लिये विकासखण्ड तथा ग्राम समूह स्तर पर स्त्रोत केन्द्रों की स्थापना।
    9. अच्छे स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण।
    10. प्रशासन का सुदृढ़ीकरण तथा आधुनिकीकरण।
    11. शोध और नवाचार।

शिक्षक प्रशिक्षण (सेवाकालीन प्रशिक्षण)

प्राथमिक स्तर पर जिस शिक्षण प्रक्रिया की संकल्पना की जा रही है वह बच्चों के लिये आनन्ददायक क्रियाकलापों पर आधारित तथा कक्षा विशेष के लिये निर्धारित स्तर प्राप्त करने में सहायक होनी चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु आवश्यक था कि पाठ्य पुस्तकों को नया रूप दिया जाये। शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाये तथा मूल्यांकन प्रणाली को अधिक सुदृढ़, सुगम तथा सार्थक बनाया जाये।

शाला प्रवेश का पहला चरण बच्चों के लिये घर के सहेजे समेटे वातावरण से पढ़ाई की दुनिया में प्रवेश का पहला कदम है। जो इन्हें शाला से जोड़ता है। इस जुडाव को रोचक एवं आनन्दमयी बनाने के लिये गीत, कहानियां और खेलों को संकलित करने का प्रयास किया गया है। इनके सहारे

प्राथमिक शालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की झिझक दूर करके कल्पनाशीलता ओर रचनात्मकता को प्रोत्साहित किया जा सकता है तथा बच्चों के सहज आत्मीय संबंध स्थापित किया जा सकता है।

शाला में बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने एवं प्राथमिक शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिये मूलरूप से अपनाई जाने वाली रणनीति है, पाठ्यक्रम में सुधार जिसके अन्तर्गत –

1. दक्षता आधारित नये पाठ्यक्रम का विकास करना।
2. नवीनी पठन पाठन सामग्री का विकास करना।
3. समुचित प्रशिक्षण द्वारा शिक्षकों का सशक्तीकरण करना।

पाठ्यक्रम को पुनरीक्षित किया जा चुका है और इसे प्रदेश के लिये अनुकूल राष्ट्रीय न्यूनतम अधिगम स्तर के आधारों पर बनाया गया है। नवीन पठन पाठन सामग्री विकसित कर ली गई है तथा इसे सीखना–सिखाना पैकेज का नाम दिया गया है। इस पैकेज के आधार पर विगत वर्षों में कक्षा 1 से 5 तक अध्यापन करा रहे समस्त शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है। ये समस्त प्रशिक्षण सेवाकालीन प्रशिक्षण क अन्तर्गत संपादित करवाये गये है।

शिक्षक प्रशिक्षण (सेवा पूर्ण प्रशिक्षण)

शिक्षकों को सेवा में लेने के पूर्व जो प्रशिक्षण दिये जाते है वे सेवा पूर्व प्रशिक्षण कहलाते है। मध्यप्रदेश में प्राथमिक शाला के शिक्षकों हेतु डिप्लोमा इन एज्युकेशन (डी.एड़) के नाम से यह प्रशिक्षण दिया जाता है। इस हेतु प्रत्येक जिले के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में द्विवर्षीय पाठ्यक्रम चलाया जाता है।

प्रत्येक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) में प्रथम द्वितीय वर्ष हेतु 200–200 शीट्स उपलब्ध होती है। इनमें प्रवेश विषय एवं वर्गवार आरक्षण के अनुसार होता है।

इसके अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से डिप्लोमा इन एज्युकेशन (डी.एड़) पाठ्यक्रम शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त प्रायवेट प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों हेतु चलाया जाता है।

इकाई का सारांश

भारतीय संविधान के आर्टीकल 45 के अनुसार शिक्षा के लोकव्यापीकरण का लक्ष्य सन 1960 में प्राप्त कर लिया जाना चाहिए था किन्तु ध्यान देने योग्य बातें यह है कि इस संवैधानिक लक्ष्य को आज भी हम प्राप्त नहीं कर सकें है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु रणनीति अपनाई जाने हेतु जो सुझाव दिये गये है उसमें मुख्यतः निम्न है–

(1) शाला पहुंच (2) शाला में प्रवेश (3) शाला में ठहराव (4) उपलब्धि।

सर्व शिक्षा अभियान की भूमिकाः–

संविधान की धारा 45 के अनुसार देश में निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध 6–14 वर्ष के बीच सभी बच्चों के लिये किया जाना था, परंतु इसमें प्रगति ढीली थी। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये

सर्वशिक्षा अभियान चलाया गया। इस अभियान का प्रारंभ 2001 में किया गया। यह अभियान प्राथमिक स्तर पर सभी को शिक्षा देने के लिये चलाया गया है। सर्वशिक्षा अभियान का उद्देश्य सन 2010 तक 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को उपयोगी और सार्थक प्राथमिक शिक्षा मुहैया कराना है। जिससे लिंग भेद एवं क्षेत्रियता का भेद समाप्त हो जाए। इसके लिये स्कूलों के प्रबन्धकों समुदाय की भागीदारी को क्रियाशील बनाने पर जोर दिया जा रहा है।

सर्वशिक्षा अभियान के प्रमुख लक्ष्यः—

सभी बच्चे 2003 तक 6—14 वर्ष की आयु में स्कूल में हो। 2007 तक पांच वर्षों में 6—14 वर्ष की आयु वाले बच्चे प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर लें। 2010 तक 6—14 आयु के बच्चे आठ वर्षों की प्रारंभिक शिक्षा की ओर ध्यान केन्द्रित करने का लक्ष्य प्राप्त कर ले।

लड़के—लड़कियों के बीच की सामाजिक श्रेणीगत विषयमताएं 2010 तक प्राथमिक स्तर पर समाप्त करना। सभी बच्चे अपनी शिक्षा 2010 तक जारी रखें, यह सुनिश्चित करना।

सर्वशिक्षा अभियान के कार्यक्रमः—

स्कूल ऐसी जगह स्थापित करना जहां पूर्व में स्कूल संचालित न होता हो। जहां स्कूल पूर्व से ही संचालित हो रहा हो, वहां अतिरिक्त कक्षाएं खोलना, शौचालयों का निर्माण करवाना। शालाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना, शालाओं में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था एवं अनुरक्षण अनुदान देना। शालाओं में शिक्षकों की कमी को दूर करते हुए अध्यापन अधिगम सामग्री जुटाना। निःशुल्क शिक्षा एवं कमजोर वर्गों की लड़कियों पर विशेष ध्यान देना एवं प्रोत्साहन योजनाएं चलाना।

विभिन्न राज्यों तथा निकायों की भागीदारीः—

राज्य और केन्द्र सरकार के बीच कार्य के अन्तर्गत सहायता नौवी योजना के तहत 85—15 के आधार पर थी, दसवी योजना के तहत यह 75—25 के आधार पर है और इसके बाद 50—50 के आधार पर होगी।

निरक्षरता उन्मूलन के उपायः—

सरकार ने प्राथमिक शिक्षा के लिये अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आवश्यक माना तथा संविधान में 2002 में संशोधन किया। सरकारी स्कूलों, नगरपालिका द्वारा चलाये जाने वाले स्कूलों, सहायता प्राप्त स्कूलों में प्राथमिक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया है। छात्रों को विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों एवं पुस्तके, स्टेशनरी आदि मुफ्त दे रही है। संविधान में संशोधन कर अभिभावकों को बच्चों को स्कूल भेजे जाने की जिम्मेदारी डाली गई है। ग्रामीण, पहाड़ी, दूर दराज या शहर में स्कूल एवं प्रौढ़ों के लिये रात्रि पाठशालाएं खोली है।

सर्वशिक्षा अभियान सभी जगह चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय मुक्त संस्थान तथा मुक्त विश्वविद्यालय आदि भी साक्षरता बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। प्राथमिक स्तर पर निःशुल्क दोपहर भोजन का प्रबंध भी किया गया है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अन्तर्गत प्रौढ़ों की शिक्षा संबंधी अनेक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

पाठगत प्रश्न

प्रश्न 1. ....माध्यमों द्वारा लोकव्यापीकरण के लिये उचित वातावरण निर्माण।

प्रश्न 2. भारतीय संविधान के ....में बालक बालिकाओं को अनिवार्य एवं समान निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है।

उप इकाई – 2
शिक्षा की नवीन व्यवस्थाएं
एडूसेट, टेलीकांफ्रेसिंग वीडियों कांफ्रेसिंग, शैक्षिक समन्वयन

एडूसेट (एजूसेट = एजुकेशनल सेटेलाइट = शैक्षणिक उपग्रह) भारतीय अंतरिक्ष संस्थान द्वारा सितम्बर 2004 में स्थापित एक कृत्रिम उपग्रह है। यह पूर्णतः शिक्षण सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से छोड़ा गया है। इससे भारत में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को प्रभावी ढंग से चलाने में मदद होगी तथा दूरदराज एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिये शिक्षा का एक वैकल्पिक माध्यम मिलेगा। इसे जीसेट–3 के नाम से भी जाना जाता है।

मध्यप्रदेश में एडूसेट कान्फ्रेंस के द्वारा वन विभाग के मैदानी अधिकारियों को संकल्प–2013 के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये।

वनों का संरक्षण वन विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वनों के बेहतर प्रबंधन से स्थानीय लोगों की आजीविका को सुदृढ़ करके गरीबी उन्मूलन की दिशा में प्रभावी प्रयास किये जायेंगे। स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार होने से वन संरक्षण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। स्थानीय लोगों की आजीविकाओं को केन्द्र में रखकर टसर उत्पादन, बांस रोपण, लाख उत्पादन, चारागाह विकास एवं ऊर्जा वनों की स्थापना आदि योजनाएं तैयार की गई हैं। अतः वन समितियां, हितग्राहियों एवं अन्तर्विभागीय समन्वय से इन लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जायेगी।

वन विभाग एवं रेशम संचालनालय के परस्पर सहयोग से वन क्षेत्रों में हितग्राहीमूलक टसर उत्पादन कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में दस हजार हेक्टैयर क्षेत्रफल में टसर का उत्पादन किया जा रहा है। वर्ष 2010–11 में दो हजार हेक्टैयर नया क्षेत्रफल जोड़ने का लक्ष्य है। अगले तीन वर्षों में दस हजार हेक्टैयर प्रति वर्ष नये क्षेत्र में टसर उत्पादन का विस्तार किया जायेगा। इस प्रकार ''संकल्प 2013'' के अन्तर्गत 32 हजार हेक्टैयर नया क्षेत्रफल जोड़ा जायेगा एवं उससे 64 हजार दो सौ हितग्राही लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।

इसके लिये प्राकृतिक रूप से साजा एवं अर्जुन की बहुतायत वाले क्षेत्रों का चयन करके कृमि पालन किया जायेगा एवं क्षेत्र के विस्तार के लिये वन्या उप योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव जिला पंचायतों

को स्वीकृति के लिये भेजा जायेगा, ताकि वृक्षारोपण कार्य संपादित किया जा सके। कृमि पालन के लिये उपयुक्त क्षेत्रों का चयन रेशम विभाग के समन्वय से किया जायेगा।

प्रदेश में लाख उत्पादन के लिये वन क्षेत्रों एवं हितग्राहियों का चयन लघु वनोपज संघ की योजनाओं के अंतर्गत किया जाएगा। मैदानी अधिकारियों को गरीबी उन्मूलन हेतु जिला पंचायतों द्वारा संचालित कार्यक्रमों के साथ भी समन्वय करने के निर्देश दिए गए। एडूसेट कान्फ्रेंस के दौरान अधिकारियों को चारागाह विकास के संबंध में बताया गया कि जिन क्षेत्रों में अधिक चारा उत्पादन होता है, उन ग्रामों में निर्धन परिवारों को डेयरी की गतिविधि से जोड़ने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जाये।

टेलीकान्फ्रेसिंग (दूर शिक्षक प्रशिक्षण):—

शिक्षा में गुणात्मक सुधार की प्रक्रिया को तेज करने के लिये आवश्यक है कि न केवल प्रचलित बल्कि अन्य नवीन तकनीकों का भी प्रयोग किया जाये, जिससे निर्धारित लक्ष्य को तेजी से प्राप्त किया जा सके। प्रसारण क्षति की संभावना कम हो तथा जिसमें सभी शिक्षकों को समान रूप से गुणात्मक शिक्षा ग्रहण करने के अवसर प्राप्त हो सके। इस संदर्भ में दूर शिक्षा का प्रयोग अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है। दूर संपर्क व शिक्षक प्रशिक्षण प्रणाली दूर शिक्षा की एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से एक ही समय में देश के विभिन्न कोनों पर बैठे शिक्षकों को समान रूप से प्रशिक्षित किया जा सकता है।

इस विधि के द्वारा न केवल विभिन्न राज्यों के प्रतिभागी विद्वान विषय विशेषज्ञों से समान रूप से संपर्क स्थापित कर सकते है और अपनी शंकाओं का तुरंत समाधान कर सकते है, वरन सभी प्रतिभागियों को एक समान शिक्षा का लाभ भी मिलता है दृश्य श्रव्य के समुचित सम्मिश्रणों से ज्ञानार्जन की प्रक्रिया को अधिक सरल एवं रोचक भी बनाया जा सकता है।

दूर संपर्क शिक्षण प्रशिक्षण — एक ऐसी प्रणाली है जिसमें देश के विभिन्न कोनों पर स्थापित केन्द्रों को एक राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित प्रसारण केन्द्र से दृश्य श्रव्य/श्रव्य—दृश्य प्रशिक्षण सुविधा प्राप्त है। एस.ओ.पी.टी. कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रयोग किया जाने वाले दूर शिक्षा प्रणाली से कार्यक्रम में एक तरफ दृश्य तथा दो तरफ श्रव्य विधि का प्रयोग किये जाने वाले दूर शिक्षा कार्यक्रम राज्य के विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्र निर्धारित किये जाये जो डी.आई.ई.टी. है। इन प्रशिक्षण केन्द्रों पर स्थापित टी.वी. के माध्यम से राष्ट्रीय केन्द्रों का टेलीफोन एवं एस.टी.डी. तथा फैक्स के माध्यम से केन्द्रीय प्रसारण कक्षा से सीधा संपर्क स्थापित किया जा सकता है। अतः प्रसारण के तुरंत बाद केन्द्रों पर बैठे प्रतियोगी एस.टी. डी. सुविधा का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न विशेषज्ञों तक पहुंचा सकते हैं। इन प्रश्नों का तुरंत समाधान केन्द्रीय प्रसारण कक्ष में बैठे विद्वान करते हैं जो प्रत्येक केन्द्र पर लगे टी.वी. पर देखा एवं सुना जा सकता है।

इस प्रकार प्रतिभागी न केवल अपनी शंकाओं का समाधान कर पाते है वरन अन्य केन्द्रों पर बैठे प्रतिभागियों के प्रश्नों की जानकारी भी उन्हें मिलती है, जो उनके ज्ञान की क्षितिज के विकास में सहायक है।

दृश्य एवं श्रव्य माध्यमों का समुचित प्रयोग प्रशिक्षण को अधिक रोचक बनाता है। अन्त क्रिया से अधिक अवसर प्रदान करता है तथा एक समान गुणात्मक शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार में सहायक होता है, जो प्रचलित माध्यम द्वारा यदि असंभव नही ंतो दुष्कर अवश्य है।

वीडियो कान्फ्रेसिंगः—

वर्तमान में वीडियों कान्फ्रेसिंग का बहुत प्रचलन होता जा रहा है। इसके माध्यम से हम दूर बैठे अपने परिचित अथवा ट्यूटर से बातचीत करते हुए उसे देख भी सकते है। वीडियों कान्फ्रेंसिंग में हमें कम्प्यूटर से जुड़े हुए एक कैमरा कीमदद से अपना चित्र एक या अधिक लोगों को भेजने की सुविधा मिलती है। साथ ही हम अपने मित्र की भी शक्ल देख सकते है। इसमें हम चित्रों के साथ—साथ अपनी आवाज भी भेज सकते है। इसके लिए हमें कम्प्यूटर में एक माइक्रोफोन, स्पीकर, साण्ड कार्ड, वेब कैमरा तथा Conferencing Sofware होना भी आवश्यक है।

इस प्रकार अब संदेश टाइप करने के स्थान पर (जैसा कि हम Chatroom में करते है) हम अन्य लोगों से बात कर सकते हैं, उनके चेहरे देख सकते हैं तथा उन्हें अपना वीडियों भी भेज सकते हैं ताकि वे हमारा चेहरा भी देख सकें। इस माध्यम से एक साथ कई व्यक्ति अलग—अलग स्थानों पर होते हुए भी, ऐसे मीटिंग कर सकते है जैसे कि वे एक कमरे में बैठे हों। इसमें शामिल व्यक्ति को माइक्रोफोन तथा स्पीकर तो आवश्यक होते हैं परंतु प्रत्येक व्यक्ति को वेब कैमरा आवश्यक नहीं होता है। यदि किसी व्यक्ति के पास वेब कैमरा नहीं है तो भी वह दूसरों की तस्वीरों को तो देख सकता है, परंतु अन्य लोग उसे नहीं देख पायेंगे।

वीडियो प्रणाली के लाभः—

1. यह प्रत्यक्ष शिक्षण जैसा ही लाभकारी साधन है।
2. दूर—दूर तक फैले छात्रों के लिए यह साधन बहुत उपयुक्त है।
3. यह एक लचीली प्रणाली है जिसमें आवश्यकतानुसार संशोधन या परिमार्जन अथवा परिवर्तन किया जा सकता है।
4. इस साधन द्वारा परिसर के बाहर के अध्ययन केन्द्रों से संपर्क सरलता से बनाया जा सकता है तथा उन्हें केन्द्र द्वारा नियंत्रित भी किया जा सकता है।
5. इस प्रणाली में तुरंत पृष्ठपोषण संभव होता है।
6. इस प्रणाली के द्वारा अनुदेशन सामग्री के स्तर में सुधार लाया जा सकता है और उसे उच्चकोटि का बनाया जा सकता है।
7. यह विधि अन्य विधियों से कम खर्चीली है।
8. इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय तथा अन्य मुक्त शिक्षा की संस्थाएं, मुक्त शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रणाली का प्रयोग कर रहे है, यद्यपि प्रयोग की मात्रा सीमित है।

शैक्षिक समन्वय की सूझबूझः—

शैक्षिक समन्वय की प्रक्रिया शिक्षा में गुणवत्ता लाने का एक प्रयास है। शैक्षिक समन्वय का उद्देश्य है, शिक्षकों को निरंतर प्रोत्साहन व प्रशिक्षण मिल सके। इसे एक सतत् प्रशिक्षण के रूप में भी

देखा जा सकता है। सरल रूप में शैक्षिक समन्वय का अर्थ है क्षेत्र में निरंतर फीडबैक प्राप्त करके सुधार करते जाना। यह सुधार हर स्तर पर होगा। जिससे कि शिक्षकगण अपनी शैक्षिक प्रणाली सुधारेंगे। संकुल ब्लाक, डाईट तथा परिषद स्तर पर बेहतर शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे। शिक्षण प्रक्रिया, पुस्तकों, सामग्री पर भी विचार–विमर्श के बाद निरंतर सुधार करना है।

शैक्षिक समन्वय की प्रक्रिया जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत निर्मित संकुलों पर आधारित है एक संकुल में आठ किलोमीटर की परिधि में आने वाले 10 से 15 ग्राम/नगर होते हैं। इन ग्रामों/नगरों में स्थित सभी प्राथमिक शालायें, कनिष्ठ प्राथमिक शालायें, शिक्षा गारंटी योजना के केन्द्र तथा शिशु शिक्षा केन्द्र इस संकुल की शालायें होगी।

शैक्षिक समन्वय प्रणाली का ढांचाः–

1. **संकुलों का गठन–** क्षेत्रीय स्तर पर संकुलों का गठन किया गया है। प्रत्येक संकुल न्यूनतम 10 और अधिकतम 20 ऐसे विद्यालयों का समूह हैं जो निकटवर्ती क्षेत्र में एक भौगोलिक भूखंड के अंतर्गत स्थित है।
2. **संकुल शैक्षिक समन्वयक एवं संकुल प्रमुख–** प्रत्येक संकुल में उस संकुल के शिक्षकों में से ही एक शिक्षक, जिसने पैकेज के संबंध में समुचित दक्षता प्राप्त की हो, को शैक्षिक समन्वयक नियुक्त किया जाता है। यह उस संकुल के शिक्षकों के मध्य सुविधादाता एवं शैक्षिक साथी के रूप में कार्य करता है। इससे अपेक्षित है कि वह माह में कम से कम एक बार अपने संकुल के प्रत्येक विद्यालय में जाय और यह देखे कि शिक्षक प्रशिक्षण के अनुरूप अध्यापन कार्य कर रहा है या नहीं। साथ ही यह पता लगाये कि शिक्षक को कहां–कहां कठिनाई आ रही है। वह उसे दूर करने शिक्षकों की जिज्ञासाओं का समाधान करने और उसे कठिनाईयों का निराकरण करने का भी प्रयास करेगा।
3. संकुल शैक्षिक समन्वयक के अतिरिक्त प्रत्येक संकुल में, उस संकुल के शिक्षकों में से एक शिक्षक संकुल प्रभारी भी होगा जो संकुल के विद्यालयों एवं शिक्षकों की प्रशासनिक समस्याओं का निराकरण करेगा।
4. इसी तरह विकासखंड स्तर पर विकासखंड शैक्षिक समन्वयक, जिला स्तर पर जिला शैक्षिक समन्वयक व राज्य स्तर पर राज्य शैक्षिक समन्वयक रहेगा जो प्रतिमाह एक बैठक आयोजित करेगा, जिससे जिले की शैक्षिक एवं प्रशासनिक समस्याओं का निराकरण किया जावेगा। वर्तमान में बैठकों का आयोजन माह के प्रथम गुरूवार को संकुल स्तर पर, द्वितीय गुरूवार ब्लॉक स्तर पर एवं तृतीय गुरूवार को जिला स्तर पर किया जाता है।

शैक्षिक समन्वय प्रणाली के अन्तर्गत प्रशासनिक स्वरूप का प्रवाह चित्र निम्नानुसार हैः—

डी.पी.ई.पी. प्रभारी — एस.सी.ई.आर.टी.

डाइट

सीखना—सिखाना प्रभारी

विकासखंड

विकासखंड शैक्षिक समन्वयक

संकुल केन्द्र

प्रभारी / शैक्षिक समन्वयक

प्राथमिक शाला

मानीटरिंग तथा फीडबैक :—

शैक्षिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिये तथा शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिये मॉनीटरिंग तथा फीडबैक प्रणाली भी विकसित की गई है। मॉनीटरिंग से आशय है कि शैक्षणिक समन्वयक का शिक्षा के साथ एक समयचक्रक से संपर्क साधे रहना, बातचीत करना, समस्या हल करना, बढ़ावा देना और हर तरह से सहयोग करना। जबकि फीडबैक से आशय किसी भी कार्यविधि के पश्चात नियुक्त विशेषज्ञ के द्वारा कार्यविधि के संबंध में सुझाव एवं निर्देश देना अथवा कार्यविधि में सहभागी द्वारा आपस में विचार विमर्श या सुझाव देना।

मॉनीटरिंग एवं फीडबैक की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिये राज्य में एक संगठन स्थापित किया गया। इसमें जानकारी का प्रवाह नीचे दिये अनुसार होता हैः—

शैक्षिक समन्वयक की भूमिका—

शैक्षिक समन्वयक से अपेक्षायें—

संकुल स्तर— संकुल शैक्षिक समन्वय का प्राथमिक शाला के संबंध निम्नानुसार रखा जावेगा।

1. प्राथमिक शालाओं के साथ शैक्षिक समन्वयक के अंतः संबंध बने इसके लिये उसे मुख्यतः सतत् मॉनीटरिंग पर ही ध्यान केन्द्रित करना होगा।
2. शैक्षिक समन्वयक स्वयं को शिक्षक का साथ समझकर मित्रवत व्यवहार करें।
3. अवलोकन के दौरान समन्वयक का नजरिया शिक्षक की जांच करने सहयोगात्मक हो।
4. शिक्षकों द्वारा किये गये नवाचारों को भरपूर प्रोत्साहन दें और उनके द्वारा अपनी समझ बढ़ाये एवं दूसरों को भी उनसे परिचित करायें।
5. शिक्षकों को आपस में एक दूसरे से सीखने के लिये प्रेरित करें।
6. स्वयं रोचक गतिविधियों कराकर बच्चों के साथ आत्मीय मधुर संबंध स्थापित करें।
7. बच्चों के सीखने में उनकी मदद करें।

8. क्षेत्र में प्रचलित कविता, खेल एवं अन्य शैक्षिक सामग्री से शिक्षकों को अवगत करायें। जिसका कक्षा में उपयोग हो सके।
9. संकुल प्रभारी शालाओं को दी जाने वाली शिक्षण सामग्री, शिक्षकों को दी जाने वाली राशि तथा ग्राम शिक्षा समिति शाला को दी जाने वाली सामग्री का समय पर पहुंचना सुनिश्चित करें।

संकुल स्तर पर मासिक बैठकों का आयोजन–

संकुल केन्द्र पर शिक्षकों की नियमित आयोजित की जाने वाली बैठक है, यह बैठक माह में एक बार होती है तथा वर्ष भर तक यह बैठक माह की निश्चित तारीख को आयोजित होती है। बैठकों का संचालन संकुल केन्द्र प्रभारी तथा संकुल समन्वयक संयुक्त रूप से करते है। बैठक में प्राथमिक शाला के शिक्षक, सुविधानुसार डाइट के द्वारा नियुक्त सदस्य भी उपस्थित रहते है। मासिक बैठक कम से कम 6 घंटे तक चलती है, जिसमें प्रथम 4 घंटे तक सिर्फ शैक्षिक मुद्दों पर चर्चा होती है। आखिरी घंटा में प्रशासनिक तथा वित्तीय मुद्दों पर चर्चा होती है।

मासिक बैठकों में संकुल केन्द्र प्रभारी क्या करेंगे?

मासिक बैठकों में संकुल केन्द्र प्रभारी का उत्तरदायित्व निश्चित है जो कि संकुल समन्वयक से भिन्न है। संकुल केन्द्र प्रभारी का दायित्व है कि बैठक के लिये सभी व्यवस्था करें। शैक्षिक सामग्री निर्माण हेतु आवश्यक सामग्री उपलब्ध करावे। शिक्षकों की वित्तीय तथा प्रबंधकीय समस्याओं का निराकरण करें। प्रपत्रों की पूर्ति करवा के वरिष्ठ कार्यालय को भेजे, शैक्षिक समस्याओं का निराकरण करें, चर्चा में लिये गये निर्णयों को लिपिबद्ध करें एवं प्रतिवेदन बनवाकर विकासखंड समन्वयक को भेजें।

मासिक बैठकों में शैक्षिक समन्वयकों के उत्तरदायित्व –

1. शाला भ्रमण के दौरान शैक्षणिक बिन्दुओं पर प्राप्त जानकारी के आधार पर मासिक बैठकों के लिये एजेण्डा तैयार करना।
2. स्त्रोत केन्द्र प्रभारी के साथ मिलकर बैठक का संचालन करना, शैक्षिक बिन्दुओं पर चर्चा करना।
3. पिछले माह की प्रगति का उल्लेख करना, कमियों एवं उनको दूर करने के उपाय बताना।
4. शिक्षकों से उनकी शाला में पिछले माह कराई गई प्रमुख शैक्षिक गतिविधियों की उपलब्धियां तथा आई कठिनाईयों की जानकारी लेना।
5. शिक्षक द्वारा किये गये नवाचार तथा उपलब्धियों, निर्मित शैक्षिक सामग्री का प्रदर्शन बैठक में करना।
6. पाठों को विभिन्न तरीके से बढ़ाने की विधियों पर समूह में चर्चा करना एवं प्रदर्शन करना।
7. आने वाले माह में कक्षा में कराई जाने वाली शैक्षिक गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा करना।
8. सभी शिक्षकों के सहयोग में शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण करना।
9. वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त आदेशों/प्रपत्रों पर बातचीत करना।
10. अगले माह में की जाने वाली गतिविधियों की रूपरेखा बनाना।

मध्यप्रदेश में शिक्षक कल्याण की प्रमुख योजनाऐं:–

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जून, 1962 में राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण संस्थान की स्थापना की गई। प्रत्येक राज्य में इस संस्थान की शाखायें कार्यरत है। राष्ट्रीय शिक्षण कल्याण संस्थान, मध्यप्रदेश शाखा के अध्यक्ष राज्य के शिक्षा मंत्री हैं। इसकी कार्यकारिणी परिषद में 6 सदस्य हैं। संचालक, लोक शिक्षण इस परिषद के सचिव कोषाध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण संस्थान द्वारा शिक्षकों के कल्याणार्थ निम्न कार्यक्रम शुरू किये गये हैं–

1. शिक्षक कल्याण कोष की स्थापना,
2. संकटग्रस्त या आपदाकालीन शिक्षकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना,
3. शिक्षकों के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करना,
4. शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों को अनुग्रह, अनुदान तथा पुरस्कार प्रदान करना,
5. शिक्षक विश्रामगृहों का निर्माण करना,
6. शिक्षकों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करना।

मध्यप्रदेश में शिक्षक कल्याण योजनायें:–

मध्यप्रदेश में राज्य स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण मंडल के तत्वाधान में निम्न शिक्षक कल्याण योजनाओं को शुरू किया गया हैं–

1. विशेष योजना वाले शिक्षकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान कर सम्मान प्रदान करना।
2. उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु शिक्षकों को प्रतिभावान बच्चों के साथ छात्रवृत्ति प्रदान करना।
3. शिक्षकों एवं उनके आश्रितों को गंभीर बीमारी के उपचार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना।
4. शिक्षक कल्याण सहकारी समितियों की जिला स्तर पर स्थापना करना।
5. शिक्षकों के कल्याण हेतु प्रत्येक जिले में शिक्षक सदन का निर्माण करना।
6. शिक्षकों की लड़कियों के विवाह के लिए एक मुश्त 1,000 रूपये की आर्थिक मदद प्रदान करना।
7. शिक्षकों की विधवाओं को पांच वर्ष तक 200 रूपये प्रतिमास भरण–पोषण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना।

माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा शिक्षक कल्याण की योजनाएं:–

शिक्षक कल्याण की योजनाये माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा सन 1969 से शुरू की गई। माध्यमिक शिक्षा मण्डल उच्चतर माध्यमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों के आर्थिक तथा सामान्य कल्याण के लिए जागरूक है। माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा स्थापित शिक्षक कल्याण कोष से संकटग्रस्त या आपदाग्रस्त शिक्षकों तथा उनके आश्रितों को आर्थिक मदद प्रदान की जाती है। माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा शिक्षकों के कल्याण तथा व्यावसायिक क्षमता की वृद्धि के लिए सहायक क्रियाकलापों का संचालन किया जाता है। माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न राशियों में से 2 प्रतिशत

राशि शिक्षक कल्याण कोष में जमा की जाती है। विश्वविद्यालय स्तर पर भी कुछ विश्वविद्यालय ने शिक्षक–कल्याण कोष स्थापित किये हैं।

मध्यप्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमः–

प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण हेतु सरकार द्वारा शैक्षिक संसाधनों तथा अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों के समर्थन के उद्देश्य से राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन की स्थापना की गई। इस आशय की पूर्ति के लिए केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 'जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम' शुरू किए।

मध्यप्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सरकार 85 प्रतिशत आर्थिक मदद उपलब्ध करा रही हैं। शेष 15 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करती है। प्रारंभ में यह प्रदेश के 19 जिलों में लागू की गई थी। इसमें 5 जिले और जोड़ दिये गये थे। इस कार्यक्रम के संचालन में राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण एवं जिला स्तर पर जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान का पूर्ण सहयोग है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी पूर्तिपक्ष की तरफ जोर दिया जा रहा है जैसे भवन, शिक्षक सामग्री आदि की पूर्ति, प्रशिक्षण, निरीक्षण की कमी हो दूर करना आदि, प्राथमिक शाआलों एवं पढ़ना बढ़ना केन्द्रों में निश्चित अवधि तक शिक्षण होने की तरफ भी ध्यान दिया जाएगा। इस तरह ऐसा वातावरण तैयार किया जायेगा कि जनता स्वयं प्राथमिक शिक्षा की मांग करने लगे। वर्तमान में मध्यप्रदेश में 73 हजार प्राथमिक विद्यालय है।

लक्ष्य– इस योजना के अन्तर्गत 6 से 11 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को स्कूल लाना है, साथ ही 11 से 14 वर्ष की आयु वाले उन बच्चों को भी लाना है जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा बीच में ही छोड़ दी है। इसमें बालिकाओं तथा कमजोर वर्ग के बच्चों की तरफ विशेष ध्यान दिया जाता है। ऐसे बच्चों को पढ़ना–बढ़ना कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों में शिक्षा दी जायेगी। विद्यालयों की शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जाएगा। यह देखा जाएगा कि 80 प्रतिशत बच्चे प्राथमिक शिक्षा के लिए निर्धारित पाठयक्रम का 80 प्रतिशत ग्रहण कर सकें।

क्रियान्वयन– इस योजना का क्रियान्वयन राज्य स्तरीय समिति करेगी जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। जिला स्तर पर जिलाधीश एवं विकास खण्ड पर विकास खण्ड शिक्षाधिकारी इसका संचालन करेंगे।

चरण– इस योजना को सात वर्षों में दो चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले तीन वर्षीय चरण में संबंधित लोगों का प्रशिक्षण, वातावरण निर्माण, सर्वेक्षण, अध्ययन, भवन सामग्री आदि की व्यवस्था, आंगनवाड़ी तथा औपचारिक केन्द्रों की वृद्धि पर काम किया जाएगा। दूसरे चार वर्षीय चरण में बालिकाओं के लिए माध्यमिक शालाओं की व्यवस्था, कार्यक्रम का मूल्यांकन, आवश्यक परिवर्तन तथा संशोधन किया जाएगा।

इस योजना की सफलता हेतु शिक्षा को रूचिकर बनाना एवं कर्मठ कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है।

दूर शिक्षक प्रशिक्षण प्रणाली

शिक्षा व्यक्ति को अपनी भावनाओं, अभिलाषाओं तथा व्यवहारों पर अधिकार रखने का प्रशिक्षण प्रदान करती है। प्रशिक्षण शरीर तथा मस्तिष्क को इस तरह अनुशासित करता है कि व्यक्ति काम को उचित समय पर और उचित तरह से करता है। शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को नवीन स्वरूप तथा दिशा प्रदान हेतु एक महत्वपूर्ण पहल 1987 मे शुरू हुई। इसके अन्तर्गत सबको प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के प्रयास के अनुरूप जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण परिषदों को मजबूती प्रदान की गई। जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थानों को औपचारिक शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूलों के अध्यापकों के सेवा पूर्ण एवं सेवाकालीन दोनों तरह के प्रशिक्षण के साथ–साथ गैर औपचारिक एवं प्रौढ़ शिक्षा प्रणाली के अनुदेशकों के प्रशिक्षण की पूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है।

जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षिक तकनीकी, पाठयक्रम एवं अनुदेश सामग्री विकास तथा आयोजन और प्रबंध जैसी महत्वपूर्ण शाखाएं खोली गई हैं। जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थानों का उद्देश्य वर्तमान की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के संदर्भ में अत्यंत आवश्यक सांस्कृतिक विरासत एवं मूल्यों से संपन्न शिक्षक तैयार कर जिले का पूर्ण विकास करना है।

मध्यप्रदेश में प्रथम बार प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों हेतु शिक्षकों की सक्रिय तथा फील्ड ट्रायल पर आधारित सीखना–सिखाना सामग्री को दक्षता आधारित पठन–पाठन के अनुकूल बनाया गया है। मिशन के पूर्व औसतन प्रतिवर्ष 12,500 शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था। मिशन के रचनात्मक शैक्षिक हस्तक्षेप के कारण प्रतिवर्ष औसतन एक लाख शिक्षकों को 12 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

इस तरह शिक्षकों को दूर शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान कर शैक्षिक गतिविधियों में तीव्रता लाना जिला प्राथमिक शाला कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु शैक्षिक संस्थान तथा इनसे संलग्न शिक्षक प्रयासरत है।

इकाई का सारांश–

प्राथमिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण में सीखना–सिखाना पैकेज के अंतर्गत संकुल केन्द्र की अहम भूमिका है। शाला संगम योजना शिक्षा के स्तर में सुधार, शालाओं के बीच पारम्परिक सहयोग, स्थायी समस्याओं की पहचान कर और निदान, खेलकूद साहित्यिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सामूहिक प्रयोग नवाचार के प्रचार–प्रसार की सुविधा, सीमित साधनों का अधिकतम उपयोग, अधिकारों का विकेन्द्रीकरण आदि अनेक समस्याओं का हल प्रस्तुत करती है। यह शिक्षा विभाग के अनेक मर्जों की एक निराकरण नहीं होने वाली समस्याओं को विकासखंड स्तर पर भेजकर सुलझाया जाता है। इस प्रकार संकुल केन्द्र प्रभारी द्वारा एक छोटी इकाई के रूप में प्रबंधकीय एवं वित्तीय समस्याओं का निराकरण किया जाता हैं संकुल शैक्षिक समन्वयक द्वारा शैक्षिक गतिविधियां कराके छात्रों की गुणवत्ता के साथ ही शिक्षकों के सहयोग तथा विचार विमर्श द्वारा अपनी समझ तथा उपलब्धियों में वृद्धि करता है।

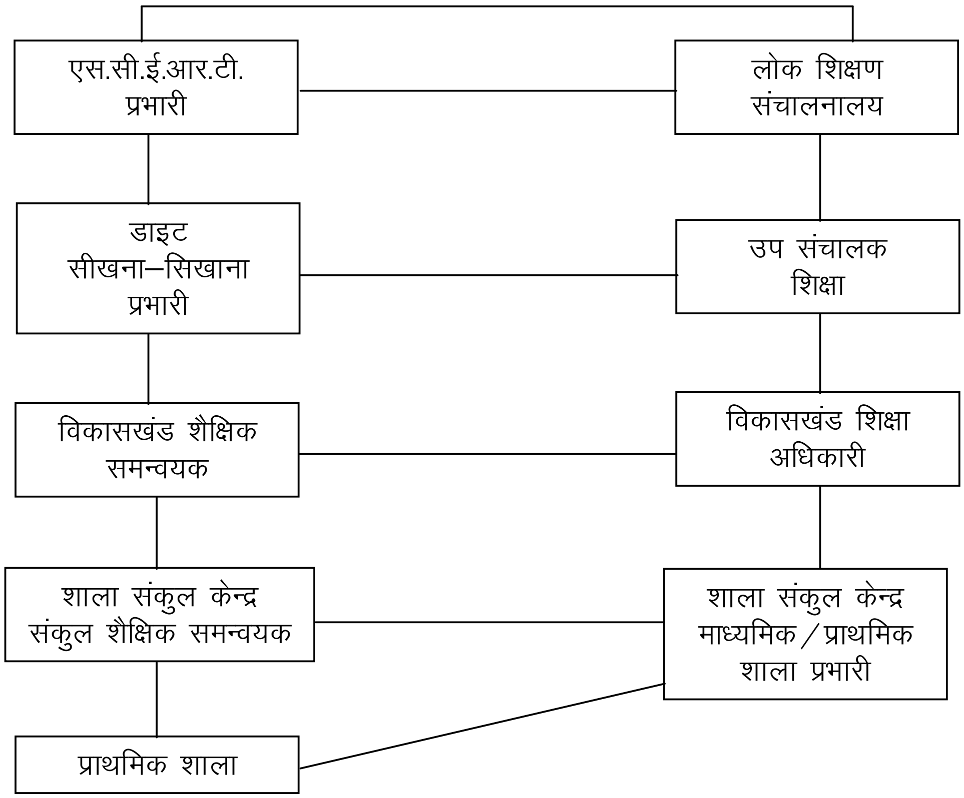

मॉनीटरिंग करने तथा फीडबैक भेजने का समयचक्र

प्रवाह चित्र–3

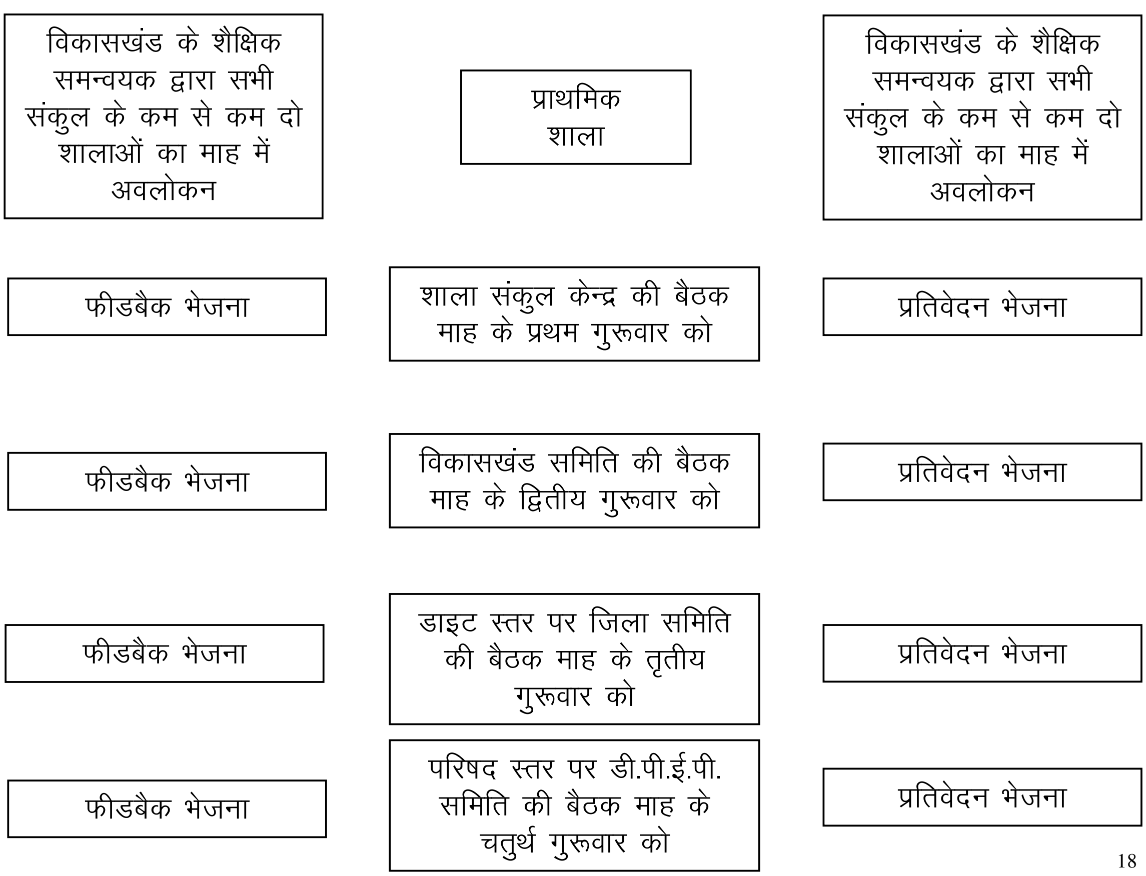

पाठगत प्रश्न–

नोट– निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अपने उत्तरों का उत्तर तालिका में दिये गये उत्तरों से मिलान कीजिए।

प्रश्न 1. एजूसेट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान द्वारा सितम्बर 2004 में स्थापित एक .... है।

प्रश्न 2. टेलीकान्फ्रेसिंग को .... भी कहते हैं

प्रश्न 3. क्षेत्रीय स्तर पर .... का गठन किया गया है।

प्रश्न 4. एजूसेट को .... नाम से भी जाना जाता है।

उप इकाई – 3

अन्तर्राष्ट्रीय संगठन एवं उनकी भूमिका – यूनीसेफ विश्व संगठन यूनेस्को

यूनिसेफः–

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (अंग्रेजी– यूनाइटेड नेशन्स चिल्ड्रेंस फंड, : यूनीसेफ) की स्थापना का आरंभिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महा सभा ने 11 दिसम्बर 1946 को की थी। 1953 में यूनीसेफ, संयुक्त राष्ट्र का स्थाई सदस्य बन गया। उस समय इसका नाम यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस फंड की जगह यूनाइटेड नेशन्स चिल्ड्रेंस फंड कर दिया गया। इसका मुख्यालय न्यूयार्क में है। वर्तमान में इसके मुखिया ऐन वेनेमन है। यूनीसेफ को 1965 में उसके बेहतर कार्य के लिए शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1989 में संगठन को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। इसके 120 से अधिक शहरों में कार्यालय हैं और 190 से अधिक स्थानों पर इसके कर्मचारी कार्यरत है। वर्तमान में यूनीसेफ फंड एकत्रित करने के लिये विश्व स्तरीय एथलीट और टीमों की सहायता लेता है।

यूनीसेफ का सप्लाई प्रभाग कार्यालय कोपनहेगन, डेनमार्क है। यह कुछ महत्वपूर्ण सामान जैसे जीवन रक्षक टीके, एचआईवी पीड़ित बच्चों व उनकी माताओं के लिय दवा, कुपोशण के उपचार के लिए दवाइयां, आकस्मिक आश्रय आदि के वितरण की प्राथमिक जगह होती है। 26 सदस्यों का कार्यकारी दल यूनीसेफ के कामों की देखरेख करता है। यह नीतियां बनाता है और साथ ही यह वित्तीय और प्रशासनिक योजनाओं से जुड़े कार्यक्रमों को स्वीकृति प्रदान करता है। वर्तमान में यूनीसेफ मुख्यतः पांच प्राथमिकताओं पर केन्द्रित है। बच्चों का विकास, बुनियादी शिक्षा, लिंग के आधार पर समानता (इसमें लड़कियों की शिक्षा शामिल है), बच्चों का हिंसा से बचाव, शोषण, बाल–श्रम के विरोध में, एचआईवी एड्स और बच्चों के अधिकारों के वैधानिक संघर्ष के लिए काम करता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठनः–

संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरणों में विश्व स्वास्थ्य संगठन का विशेष महत्व है। इस संगठन की स्थापना 07 अप्रैल सन 1948 को विधिवत की गई। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष 07 अप्रैल को समस्त विश्व में स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना विश्व के लोगों की स्वास्थ्य की उच्चतम संभव दशा को प्राप्त करना है। इस संगठन के संविधान में स्वास्थ्य के संबंध में कहा गया है कि – यह बीमारी या दुर्बलता का अभाव नहीं है किन्तु शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दृष्टि से पूर्णरूप से उत्तम रहने की दशा है। पिछड़े देश के लोगों के स्वास्थ्य की प्रगति इस संस्था का मौलिक उद्देश्य है।

इस संगठन की सदस्यता सारे राष्ट्रों के लिय खुली है। जो राष्ट्र U.N.O. के सदस्य हैं वे विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य हो सकते हैं।

संगठन– विश्व स्वास्थ्य संगठन के निम्नांकित तीन प्रमुख अंग हैः–

1. **साधारण सभा (General Assembly) –** यह समस्त सदस्य राष्ट्रों की प्रतिनिधि सभा है। सारे सदस्य राज्यों के एक–एक प्रतिनिधि इसमें रहते हैं। इस सभा का प्रमुख कार्य नीतियों का निर्धारण करना, विभिन्न योजनाओं का प्रारूप तैयार करना, बजट को स्वीकृत करना और प्रतिवेदनों पर चर्चा करना है।
2. **कार्यकारिणी समिति (Executive Board) –** कार्यकारिणी समिति में 24 सदस्य होते है जिनका चुनाव साधारण सभा सदस्यों की विशिष्टिता के आधार पर करती है। वर्ष में इसकी कम से कम दो बैठक होती है।
3. **सचिवालय (Secretariat) –** सचिवालय विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्रधान कार्यालय है। सचिवालय में एक महानिदेशक एवं विभिन्न अधिकारी, कर्मचारी रहते हैं। दूसरा मुख्यालय जेनेवा में है। महानिदेशक विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रयासशील एवं तकनीकी आदि विषयों की निगरानी करता है।

कार्य– विश्व स्वास्थ्य संबंधी कार्यों में विश्व स्वास्थ्य संगठन दो प्रकार के कार्य करता है–

(1) परामर्शदात्री, (2) तकनीकी सेवाएें।

संक्षेप में विश्व स्वास्थ्य संगठन निम्नांकित कार्य करती है –

1. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य कार्यों का संचालन एवं समन्वय करना।
2. विश्व से संक्रामक रोगों एवं महामारियों को समाप्त करना।
3. स्वास्थ्य के संबंध में अनुसंधान करना।
4. आकस्मिक घटनाओं को रोकने की सिफारिश करना।
5. स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के स्तर को ऊंचा करना।
6. विभिन्न बीमारियों के अन्तर्राष्ट्रीय नामों का निर्धारण करना।
7. विश्व के लोगों के वातावरणीय स्वास्थ्य की परिस्थितियों की दशाओं में सुधारने का प्रयास करना।
8. विभिन्न देशों में मातृमंगल तथा बाल स्वास्थ्य तथा विभिन्न कल्याण योजनाओं का संचालन एवं वृद्धि करना।
9. दवाइयों, खाद्य पदार्थ तथा अन्य वस्तुओं का अन्तर्राष्ट्रीय मापदंड निर्धारित करना।
10. स्वास्थ्य के प्रशासनिक एवं सामाजिक प्रविधियों का अध्ययन करना।

यूनेस्को–

यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट अभिकरण है। इसकी स्थापना 4 नवम्बर, सन 1946 में की गई थी। इस संगठन की स्थापना का उद्देश्य सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है।

यूनेस्को की प्रस्तावना में लिखा गया है, ''युद्ध मानव मस्तिष्क में पैदा होता है। अतः शान्ति को सुरक्षित रखने की आधारशिलायें भी मानव दिमाग में बनाई जानी चाहिए।'' यूनेस्को की स्थापना का उद्देश्य विश्व में शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति का विकास कर न्याय, कानून तथा मानवीय स्वतंत्रता तथा मौलिक अधिकारों के प्रति आदर का भाव पैदा करना हैं

संगठन– यूनेस्को के तीन अंग होते है–

1. **महासम्मेलन (General Conference) –** इसमें संयुक्त राष्ट्र के समस्त सदस्य होते हैं। प्रत्येक राष्ट्र का एक–एक प्रतिनिधि होता है। दूसरा अधिवेशन वर्ष में दो बार होता है। यह नीति निर्धारण, कार्यक्रम निर्धारण, बजट की स्वीकृति, प्रधान परषिद का निर्वाचन का कार्य करता है।
2. **कार्यवाहक बोर्ड (Execuline Board) –** कार्यवाहक बोर्ड का निर्वाचन महासम्मेलन करता है। सदस्यों को तीन वर्षों के लिये चुना जाता है। कार्यवाहक बोर्ड सम्मेलन द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों को क्रियान्वित करता है। श्रीमती इंदिरा गांधी, डॉ. राधाकृष्णन तथा डॉ. प्रेमकृपाल आदि कार्यवाहक बोर्ड के सदस्य रह चुके हैं।
3. **सचिवालय (Seerctariat) –** दूसरा प्रमुख अधिकारी डायरेक्टर जनरल होता है। सचिवालय, शिक्षा प्राकृतिक ज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सांस्कृतिक कार्य सामूहिक शिक्षा तथा प्रसार के साधनों से संबंधित कार्यों का संपादन करती है।

यूनेस्को के कार्य – यूनेस्को निम्नांकित कार्यों का निष्पादन करती है –

1. **शिक्षा–** शिक्षा का प्रसार दूसरा प्रमुख लक्ष्य है। यह शिक्षा के विस्तार तथा उन्नति का प्रयास करती है। इसके लिये यूनेस्को शिक्षा केन्द्रों की स्थापना, वाचनायलों की स्थापना, विभिन्न सम्मेलनों का आयोजन, शिक्षा संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये विशेषज्ञों को भेजना आदि प्रमुख कार्य संपादित करती है।
2. **विज्ञान–** यह प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों के विकास पर अधिक ध्यान देता है। इसने वैज्ञानिकों के सभा आयोजन, वैज्ञानिक संगठनों की सहायता, अनुसंधान तथा प्रकाशन का भी कार्य किया है। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में इसने सामाजिक विज्ञान संस्थान की स्थापना के लिये विशेषज्ञों को भेजे हैं तथा गैर सरकारी संस्थाओं को सहायता प्रदान की है।
3. **संस्कृति–** यूनेस्को सांस्कृतिक सम्पत्ति को मानवजाति का विरासत मानता है। अतः इसे सुरक्षित रखना चाहता है। इसने भारत, कोलम्बिया तथा नाइजीरिया में सार्वजनिक पुस्तकालय खोला है। यूनेस्को ने मानवजाति के सांस्कृतिक इतिहास लेखन को प्रोत्साहित किया है। यह सांस्कृतिक क्षेत्र में सभा सम्मेलन, विचार गोष्ठियां तथा अनुसंधान करते रहती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय जगत के विभिन्न देशों में विद्वानों को भेजा जाता है। इससे विश्व के विद्वान एवं वैज्ञानिक एक–दूसरे के संपर्क में आते हैं तथा उनके बीच विचारों का आदान–प्रदान तथा इससे सांस्कृतिक सद्भावना पैदा होती है। यूनेस्कों छात्रों को छात्रवृत्तियों तथा भ्रमण अनुदान भी प्रदान करती है।

यूनेस्को ने जातीय समस्याओं को कम किया है, पूर्व–पश्चिम के तनाव को घटाया है, मानवजाति की एकता को बढ़ाया है, सामूहिक शिक्षा की वृद्धि की है, शरणार्थियों के पुनर्वास में सहायता पहुंचाई है।

इकाई का सारांश–

यूनेस्को का अर्थ– संयुक्त राष्ट्र बल कोष है। जिसकी स्थापना द्वितीय युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करने के उद्देश्य से हुई। इसका मुख्यालय न्यूयार्क में है।

वर्तमान में यूनेस्को मुख्यतः पांच प्राथमिकताओं पर केन्द्रित है। बच्चों का विकास, बुनियादी शिक्षा, लिंग के आधार पर समानता, बच्चों का हितो से बचाव, बाल श्रम के विरोध में कार्य कर रहा है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन– की स्थापना 07 अप्रैल 1948 में की गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन के तीन साधारण सभा, कार्यकारिणी समिति, सचिवालय प्रमुख अंग है। विश्व स्वास्थ्य संबंधी कार्यों में संगठन दो प्रकार से कार्य करता है एक परामर्शदात्री दूसरे तकनीकी सेवाएं।

यूनेस्को की स्थापना 04 नवम्बर 1946 में की गई। इस संगठन की स्थापना का उद्देश्य सामाजिक, सांसकृतिक एवं आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति का समग्र विकास करना है। विश्व में शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति का विकास कर न्यायकरण तथा मानवीय स्वतंत्रता तथा मौलिक अधिकारों के प्रति आदर का भाव पैदा करना है।

पाठगत प्रश्न–

नोट– निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिये। अपने उत्तरों का उत्तर तालिका में दिये गये उत्तरों से मिलान कीजिए।

प्रश्न 1. संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने यूनिसेफ की स्थापना ....को की थी।

प्रश्न 2. यूनिसेफ का सप्लाई प्रभाग कार्यालय .... में स्थित है।

प्रश्न 3. विश्व स्वास्थ्य संगठन की कार्यकारिणी समिति में .... सदस्य होते है।

प्रश्न 4. यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई–

(अ) 1950 (ब) 1955 (स) 1948 (द) 1946

आत्म परीक्षण के प्रश्न

नीचे आत्म परीक्षण के प्रश्न दिये जा रहे है, छात्र जिन्हें संपूर्ण पाठ के आधार पर हल करने का प्रयास करेंगे।

प्रश्न 1. सर्वशिक्षा अभियान के प्रमुख लक्ष्य के बारे में संक्षेप में लिखिये?

प्रश्न 2. शिक्षा के लोकव्यापीकरण के संवैधानिक प्रावधान का विवरण दीजिए?

प्रश्न 3. सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण पर अपने विचार व्यक्त कीजिए?

प्रश्न 4. शैक्षिक समन्वयक सूझबूझ पर संक्षिप्त में लिखिए?

पाठगत प्रश्नों की उत्तर तालिका–

उप इकाई – 1

उत्तर 1. जन संचार

उत्तर 2. 45 आर्डिकल

उप इकाई – 2

उत्तर 1. क्रत्रिम उपग्रह

उत्तर 2. दूर शिक्षक प्रशिक्षण

उत्तर 3. संकुलों

उत्तर 4. जीसेट–3

उप इकाई – 3

उत्तर 1. 11 दिसम्बर 1946

उत्तर 2. कोपनहेगन, डेनमार्क

उत्तर 3. 24

उत्तर 4. 1946

– – – –

इकाई – 9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　सूचकांक– डी.एड./I/1/9

पत्राचार पाठ्यक्रम

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल
(द्वारा सर्वाधिकार सुरक्षित)
डिप्लोमा इन एज्युकेशन परीक्षा
प्रथम वर्ष (प्रश्न पत्र प्रथम)
विषय– भारतीय समाज में शिक्षा

विषयः– शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति। 　　　　　　　　पाठ–9

विषयांश– शिक्षा के संवैधानिक प्रावधानः निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ।
मध्यप्रदेश जन शिक्षा अधिनियम 2002
राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता एवं स्वरूप।
प्रारंभिक शिक्षा एवं शिक्षण से संबंधित अंश।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986
प्रोग्राम आफ एक्शन 1987
प्रोग्राम आफ एक्शन 1992
राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2000 एवं 2005
शिक्षा के क्षेत्र में नई संचेतनाएं
(अ) जन जातीय शिक्षा
(ब) शैक्षिक अवसरों की समानता
(स) महिला शक्तिकरण
(द) बाल अधिकार

प्रिय छात्राध्यापकों!

विगत इकाई में आपने शिक्षक की परिवर्तित भूमिका के अन्तर्गत प्रारंभिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण के अर्थ तथा उद्देश्य, सर्वशिक्षा, शिक्षा की नवीन व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन एवं उनकी भूमिका का अध्ययन किया। प्रस्तुत इकाई में शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से पाठ को दो उप इकाईयों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक उपइकाई के पश्चात पाठगत प्रश्नों का भी समावेश किया जायेगा।

उप इकाई – 1

प्रस्तावनाः–

26 जनवरी 1950 को भारत की जनता ने अपना संविधान निष्ठापूर्वक निर्मित किया। इस संविधान में वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता, समानता तथा सामाजिक न्याय पर विशेष बल दिया गया। इसी के लिए संविधान में शैक्षिक विकास के लिए कुछ प्रावधान किये गये है। जिसके आधार पर पूरे राष्ट्र की शैक्षिक गतिविधियों का संचालन होता है। मनुष्य बहुमूल्य राष्ट्रीय संसाधन है व इनके सावधानी पूर्वक किए गए विकास पर राष्ट्र की प्रगति अवलम्बित है। प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति के विकास से अनेक समस्याएं व अपेक्षाएं जुड़ी है। विकास की जटिल प्रक्रिया में शिक्षा की भूमिका एक उत्प्रेरक की तरह व गत्यात्मक होती है, जिसे सुनियोजित करना व सश्रम संवेदनशील बनाना जरूरी है। शहरों व गांवों के बीच की खाई निरंतर चौड़ी होती जा रही है। गावों को शिक्षित जनशक्ति का लाभ नहीं मिल पाता है। देश की जनसंख्या को नियंत्रित करना व साक्षर बनाना अत्यावश्यक है। नई पीढ़ी को निरंतर सृजनशील होकर नए विचारों को आत्मसात करना होगा तथा सामाजिक न्याय व मानव मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। इन सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए शिक्षा में संवैधानिक प्रावधान एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति को निर्मित किया गया है।

उद्देश्यः–

इस इकाई के अध्ययन उपरांत निम्न बिन्दुओं के सम्बध में ज्ञानार्जन हो सकेगा।

1. शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009
2. म.प्र. जन शिक्षा अधिनियम 2002
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता एवं स्वरूप
4. प्रारंभिक शिक्षा एवं शिक्षण से संबंधित अंश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, प्रोग्राम आफ एक्शन 1987, 1992, राष्ट्रीय पाठयचर्या की रूपरेखा 2000 एवं 2005
5. शिक्षा के क्षेत्र में नई संचेतना–
   जन जातीय शिक्षा, शैक्षिक अवसरों की समानता, महिला सशक्तिकरण, बाल अधिकार।

शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 :–

86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार के तहत मूल–भूत अधिकर में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया है। संविधान के अनुच्छेद 21 'क' शिक्षा का अधिकार, राज्य छह वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में, जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करें उपलब्ध करेगा।

संविधान में निहित शिक्षा के अधिकार को लागू करने हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया गया है। यह अधिकार अधिनियम "The Right of Children to free and compulsory educatin Act" 2009 को राज पत्र में 27 अगस्त 2009 को प्रकाशित किया गया है। इस अधिनियम में निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। (किसी भी बच्चे द्वारा ऐसी कोई फीस/शुल्क/व्यय देय नहीं होगा जो कि उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने में बाधक हो) अनिवार्यता (विधेयक के प्रावधानानुसार 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों का शत–प्रतिशत नामांकन, शत–प्रतिशत उपस्थिति, तथा शत–प्रतिशत बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कराना) संवैधानिक राज्य सरकार की है। पालकों के लिए मूलभूत दायित्व में इसे शामिल किया गया है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मुख्य प्रावधानः–

- शाला त्यागी, एवं शाला अप्रवेशी बच्चों को उनकी उम्र के अनुरूप कक्षा में नामांकन करना।
- शिक्षकों तथा बच्चों को इस हेतु अन्य बच्चों के समक्ष लाने हेतु विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

- 14 वर्ष पूर्णता के उपरांत प्रवेशित बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने का अधिकार प्रदान करना।
- जन्म प्रमाण पत्र एवं स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता की बाहयता प्रवेश हेतु नहीं होगी।
- शारीरिक दण्ड व मानसिक रूप से बच्चों को प्रताड़ित करने पर पूर्ण प्रतिबंध।
- सभी बच्चों के लिए उनके निर्धारित पड़ोस में राज्य सरकार को 3 वर्ष में शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने की सहायता बाहयता होगी।

शासन/स्थानीय निकास के दायित्वः–

- 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य प्रवेश एवं प्रारंभिक शिक्षा की अनिवार्य पूर्णता सुनिश्चित करना।
- 3 वर्ष में प्रत्येक बच्चे के पड़ोस में स्कूल की व्यवस्था करना।
- कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों पर विशेष ध्यान देना।
- शाला में अधोसंरचना, शाला भवन, शिक्षा व्यवस्था, पठन–पाठन सामग्री उपकरण की मापदण्ड के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- शाला त्यागी, शाला अप्रवेशी बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण व्यवस्था करना।
- बच्चों के प्रवेश, उपस्थिति, एवं उपलब्धि स्तर की प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता तक नियमित मानिटरिंग की व्यवस्था करना।
- अच्छी गुणवत्ता की प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना।
- समय पर पाठयक्रम विकसित कराना एवं शिक्षक–प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

शिक्षकों के सम्बन्ध में प्रावधानः–

- केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत अकादमिक प्राधिकरण द्वारा नियुक्ति हेतु शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण करना तथा निर्धारित योग्यता अनुरूप शिक्षकों की 5 वर्ष में व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा।
- अप्रशिक्षित शिक्षकों का प्रशिक्षण सुनिश्चित कराना।
- शिक्षकों के अकादमिक उत्तरदायित्व का निर्धारण करना।
- शिक्षकों के द्वारा प्राइवेट ट्यूशन नहीं की जा सकेगी। प्राइवेट ट्यूशन प्रतिबन्धित रहेगी।
- शिक्षकों का गैर शिक्षकीय कार्य में लगाना प्रतिबंधित रहेगा, सिर्फ दशकीय जनगणना, चुनाव एवं आपदा राहत को छोड़कर किसी भी गैर–शासकीय कार्य में नहीं लगाया जा सकेगा।
- शिक्षकों के वेतन एवं सेवाशर्तों का निर्धारण स्पष्ट रूप से राज्य द्वारा किया जावेगा।

शाला के संबंध में प्रावधानः–

- सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों अभिभावकों एवं शिक्षकों की शाला प्रबंध समिति के माध्यम से किया जाना। इसमें
    - 3/4 सदस्य अभिभावक
    - 50 प्रतिशत महिलाएं
    - कमजोर एवं वंचित वर्ग को आनुपातिक प्रतिनिधित्व
    - शाला विकास योजना निर्माण, प्रबंधन, मानिटरिंग का कार्य स्थानीय विकास के सहयोग से शाला प्रबंध समिति द्वारा किया जाना।

- कैपिटेशन शुल्क प्रतिबंधित रहेगी। कैपिटेशन शुल्क देने पर कैपिटेशन शुल्क का दस गुना जुर्माना लगाया जावेगा।
- स्क्रीनिंग के माध्यम से प्रवेश प्रतिबंधित रहेगी। चयन रेंडम आधार पर किया जावेगा। एक बार स्क्रीनिंग करने पर रू. 25000/– तथा अगली बार से प्रत्येक बार के लिए रू. 50000/– का जुर्माना देना होगा।
- गैर अनुदान प्राप्त शालाओं के लिए अपने पड़ोस के 25 प्रतिशत बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य होगा।
- राज्य द्वारा किया जा रहा प्रतिछात्र व्यय अथवा गैर अनुदान प्राप्त शाला की वास्तविक फीस जो भी कम हो के आधार पर राज्य द्वारा फीस की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- बिना मान्यता के किसी भी स्कूल का संचालन नहीं किया जा सकेगा।
- प्रत्येक शाला को नार्म्स एवं मापदंड की पूर्ति करना आवश्यक होगा, बिना मापदंडों की पूर्ति के किसी भी शाला को संचालन की मान्यता नहीं दी जायेगी।
- बिना मान्यता के अथवा मान्यता निरस्त होने के बाद शाला का संचालन करने पर रू. 1 लाख का जुर्माना तथा तदुपरांत रू. 10000/– प्रतिदिवस का जुर्माना लगाया जावेगा।
- अधिनियम लागू होने पर मापदंड पूर्ण करने हेतु 3 वर्ष की समय सीमा निर्धारित होगी।
- शिक्षक छात्र अनुपात की पूर्ति 6 माह निर्धारित होंगे। किसी भी शाला में 10 प्रतिशत से अधिक रिक्तियां नहीं रहेगी।

शिक्षक छात्र अनुपात हेतु निम्नानुसार मापदंड रहेगाः–

- दो शिक्षक प्राथमिक स्तर पर 60 बच्चों के लिए, तीन शिक्षक 61 से 90 बच्चों के लिए, चार शिक्षक 91 से 120 बच्चों के लिए, पांच शिक्षक 121 से 200 बच्चों के लिए, 200 से अधिक छात्र होने पर 1:40 का अनुपात (प्रधानाध्यापक छोड़कर) होगा।
- माध्यमिक स्तर पर कम से कम एक शिक्षक प्रति कक्षा एवं एक शिक्षक विज्ञान एवं गणित, एक सामाजिक विज्ञान एक भाषा शिक्षक तथा 35 बच्चों पर कम से कम शिक्षक, 100 बच्चों से अधिक होने पर पूर्ण कालिक प्रधानाध्यापक, अंशकालीन शिक्षक, कला शिक्षक, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, कार्य शिक्षा हेतु रखे जावेंगे।
- समस्त शालाओं शासकीय/निजी में न्यूनतम अधोसंरचना की उपलब्धता 3 वर्ष की समय सीमा में करना अनिवार्य होगा– सभी मौसमों के लिए उपयुक्त शाला भवन, प्रत्येक शिक्षक के लिए एक कक्षा कक्ष एवं आफिस सह स्टोर, सह प्रधानाध्यापक कक्ष, बाधा मुक्त शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए रैंप की व्यवस्था, ऐसे बच्चे अन्य बच्चों के साथ मिलकर शिक्षा प्राप्त कर सकें। बालक एवं बालिका के लिए पृथक शौचालय, स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल, समस्त बच्चों के लिए किचन शेड, खेल का मैदान, बाउन्ड्रीवाल एवं फेन्सिंग, पुस्तकालय तथा आवश्यक पठन–पाठन सामग्री व उपकरण।
- प्रत्येक शाला हेतु न्यूनतम कार्य दिवस एवं शिक्षण के घंटे निम्नानुसार होंगे – 200 दिवस प्राथमिक स्तर, 220 दिवस माध्यमिक स्तर, 800 शैक्षणिक घण्टे प्राथमिक स्तर, 1000 शैक्षणिक घण्टे माध्यमिक स्तर शिक्षक के लिए सप्ताह में न्यूनतम कार्य घण्टे 45 घण्टे पठन+पाठन+तैयारी के घण्टे।

पाठयक्रम एवं पठन–पाठन सामग्रीः–

- कक्षा के अनुरूप पठन–पाठन सामग्री एवं उपकरणों की व्यवस्था करना।
- एक पुस्तकालय, समाचार पत्र पत्रिकाएं, कहानियों की किताब युक्त होगा।

- खेलकूद सामग्री, खेलकूद हेतु उपकरण होंगे।
- पाठयक्रम का निर्धारण अकादमिक प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा जिसमें संवैधानिक मूल्य, बच्चों को निर्भय बनाने, बाल केन्द्रित, गतिविधि आधारित प्रक्रिया को अपनाया जावेगा, यथासंभव मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करना सतत् एवं सघन मूल्यांकन की सुविधा सम्मिलित किया जावेगा।
- प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता तक कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी।

मध्यप्रदेश जन शिक्षा अधिनियम 2002ः—

अवधारणाः—

प्रारंभिक शिक्षा में निरंतर विकास हेतु प्रयास करना शिक्षक का मूल कर्तव्य है। इस प्रयास में पालकों, जनसमुदाय तथा जन प्रतिनिधियों से सहयोग प्राप्त कर शिक्षा में गुणात्मक विकास की ओर अग्रसर होना है। म.प्र. जनशिक्षा अधिनियम का लक्ष्य 5 से 14 वर्ष आयु समूह के बच्चों की शिक्षा के समग्र विकास हेतु प्रयास करना है, जो शिक्षक, पालक, समाज तथा समुदाय के सहयोग द्वारा सुनिश्चित किये जावेंगे। प्रदेश में गुणवत्तायुक्त प्रारंभिक शिक्षा व्यवसाय में जन समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए जन शिक्षा अधिनियम 2000 लागू किया गया है।

उद्देश्यः—

- म.प्र जन शिक्षा अधिनियम 2002 के अन्तर्गत प्रदेश के 5 से 14 वर्ष आयु समूह के प्रत्येक बच्चों को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है।
- राज्य की जिम्मेदारी सुनिश्चित करना कि यथा संभव बच्चों को उसकी बसाहट स्थल से 1 कि. मी. की परिधि के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा की सुविधा तथा 3 कि.मी. की परिधि के अन्तर्गत माध्यमिक स्तर तक शिक्षा सुविधा प्रदान कराना है।
- प्रत्येक 5—14 वर्ष के बच्चों का शाला में नामांकन सुनिश्चित करना तथा 8 वर्ष तक की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कराना।
- शिक्षा की गुणवत्ता स्तर में सुधार एवंज न समुदाय की सहभागीता सुनिश्चित करना।
- बच्चों के शैक्षणिक स्तर (ग्रेड) से माता—पिता/पालकों को अवगत कराना तथा उनके सहयोग से बच्चों के शैक्षणिक स्तर में उत्तरोत्तर वृद्धि हेतु सामूहिक प्रयास करना।

म.प्र. जन शिक्षा अधिनियम 2002 के प्रमुख बिन्दुः—

- **शाला में प्रवेश पाने का अधिकारः—**
  किसी भी बच्चे को शासकीय/स्थानीय निकाय के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता है।
- **बिना भेदभाव के प्रवेश का अधिकारः—**
  किसी भी बच्चे को किसी भी स्कूल में धर्म, वंश, जाति, लिंग, भाषा, मूल जन्म स्थान के कारण प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता है।
- **5 वर्ष की न्यूनतम आयु में प्रवेश का अधिकारः—**
  कोई भी व्यक्ति या संस्था 5 से 14 वर्ष की आयु समूह के किसी भी बालक को शाला में उपस्थित होने से नहीं रोकेगा। बच्चों को शाला में आने से रोकने पर एक हजार रूपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसी प्रकार यदि कोई पालक अपने बच्चे को शाला में नामांकन नहीं कराता अथवा शाला में नियमित उपस्थिति होने से रोकते है तो उन्हें एक शैक्षणिक सत्र में रू. 10 तक का जुर्माना किया जा सकता है। यह जुर्माना संबंधित व्यक्ति को सुनवाई के अवसर के बाद स्थानीय निकाय द्वारा आरोपित किया जा सकेगा।

- **शिक्षक से अच्छा व्यवहार पाने का अधिकारः–**
  शिक्षक बालक को विभिन्न गतिविधियों, रीतियों से शिक्षण देंगे एवं बच्चों की नियमित उपस्थिति हेतु शिक्षक अपने प्रयास सुनिश्चित करेंगे तथा बच्चों के साथ शिक्षकों का व्यवहार सामंजस्यपूर्ण होगा।
- **निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकारः–**
  राज्य सरकार के स्कूल या स्थानीय स्कूल के किसी भी स्कूल में पढ़ने वाले किसी बच्चे से शिक्षण शुल्क नहीं लिया जावेगा।

गुणवत्तायुक्त शिक्षा पाने का अधिकारः–

शिक्षकों की प्रतिबद्धता, शासन की ओर से प्राप्त अकादमिक व प्रबंधकीय समर्थन और पालक समुदाय की सहभागीतासे ही ''गुणवत्तायुक्त शिक्षा बच्चों का अधिकार'' प्रभावी बनाया जा सकता है। इसके लिए शाला का शैक्षिक वातावरण इस प्रकार निर्मित किया जायेगा जिससे बच्चों की सीखने की क्षमता को प्रोत्साहन मिले।

बच्चों के त्रैमासिक अकादमिक अभिलेख के आधार पर उनकी प्रगति के संबंध में पालक शिक्षक संघ की बैठक में चर्चा के द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता पर निगरानी का प्रावधान अधिनियम में किया गया है। बच्चों के उपलब्धि स्तर पर वार्षिक जन शिक्षा प्रतिवेदन ग्राम स्तर पर पालक शिक्षक संघ में जिला योजना समिति और राज्य स्तर पर विधान सभा में प्रतिवर्ष प्रस्तुत की जावेगी। बच्चों के गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए यह प्राप्त किया गया है।

शिक्षकों के अधिकार और कर्तव्यः–

- प्रत्येक शाला में पालक शिक्षक संघ के माध्यम से शिक्षकों को हर क्षेत्र में पालकों और समुदाय का समर्थन प्राप्त होगा।
- अधिनियम की धारा–10 के तहत राज्य शासन की अनुमति के बिना शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है।
- शिक्षकों को अपनी व्यावसायिक दक्षताओं में वृद्धि करने का अधिकार है। अधिनियम की धारा 25 (4)
- योग्य शिक्षकों को जिला स्तर पर प्रोत्साहित किया जावेगा।
- शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षक अपनी शाला में पालक शिक्षक संघ के माध्यम से समुदाय का समर्थन प्राप्त कर सकेगा।
- सभी बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।
- शिक्षा को परिणाम मूलक बनाने एवं बच्चों के शिक्षा के उन्नयन के लिए संसाधन जुटाने हेतु जनशिक्षा योजना तैयार करेंगे।
- गुणवत्तायुक्त एवं उपचारात्मक शिक्षा के द्वारा बच्चों के उपलब्धि स्तर को संतोषजनक स्तर तक प्रयास करना होगा।
- निष्पादित कार्यों की पारदर्शिता के लिए प्रति वर्ष जन शिक्षा प्रतिवेदन तैयार कर पालक शिक्षक संघ को प्रस्तुत करेगे।
- बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि स्तर, शाला की समस्याओं आदि पर विचार विमर्श करने के लिए प्रतिमाह, पालक शिक्षक संघ की बैठक बुलाऐंगे।

पालकों के अधिकार व कर्तव्यः–

- सभी बच्चों का शाला में नामांकन सुनिश्चित कराना पालकों का उत्तरदायित्व है।

- गांव का प्रत्येक विद्यालय अब पालकों का अपना विद्यालय है, केवल शासन का नहीं तथा पालकों को पालक शिक्षक संघ का गठन कर अध्यक्ष चुनने का अधिकार है।
- जन शिक्षा अधिनियम की धारा 25 (3) के आधार पर बच्चों के प्रत्येक तिमाही उपलब्धि स्तर की जानकारी पालक शिक्षक संघ के माध्यम से पालक समुदाय के सम्मुख प्रस्तुत किया जावेगा।
- बच्चों के सीखने के स्तर में सुधार के लिए विद्यालय की निगरानी का अधिकारी अब पालकों का है।
- बच्चों के परिणाम के आधार पर प्रतिवर्ष जिला और राज्य स्तर पर शाला का मूल्यांकन करने का प्रावधान है।
- शिक्षक तथा बच्चों की नियमित उपस्थिति, पालक द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
- गांव में स्वेच्छा से पढ़ाने के इच्छुक योग्य और अनुभवी व्यक्तियों (सेवानिवृत्त शिक्षक आदि) को चिन्हित करने का अधिकार पालकों का है। पालक शिक्षक संघ ऐसे स्वयं सेवकों को सूचीबद्ध कर सकते हैं।
- सामुदायिक स्तर पर शाला के लिए संसाधन जुटाने के उद्देश्य से शाला शिक्षा कोष का प्रावधान किया गया है।
- पालकों को अपने बच्चे की उत्तरपुस्तिका देखने का अधिकार है।
- अकादमिक सत्र के बीच भी पालकों को अपने बच्चे को किसी भी शाला में प्रवेश दिलाने का अधिकार है।

पालक शिक्षक संघः—

- प्रदेश के समस्त ऐसे शासकीय तथा स्थानीय निकाय के स्कूल जो प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करा रहा हो, पालक शिक्षक संघ का गठन किया जाता है। पालक शिक्षक संघ, स्कूल के प्रबंधन के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है।
- प्राथमिक शाला (कक्षा 1 से 5 तक) की कार्यकारिणी समिति में अधिकतम 14 सदस्य होंगे।
- माध्यमिक शाला (कक्षा 6 से 8 तक) की कार्यकारिणी समिति में अधिकतम 12 सदस्य होंगे।

पालक शिक्षक संघ के उत्तर दायित्व निम्नलिखित हैः—

- ग्राम रजिस्टर में प्रविष्ट 5 से 14 वर्ष आयु समूह के समस्त बच्चों को शाला में प्रवेश दिलाना।
- शिक्षकों तथा विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित करवाना।
- बच्चों के सीखने के स्तर की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए समस्त प्रयास करना।
- सीखने—सीखाने की उपलब्ध स्तर की मानिटरिंग करना।
- विद्यालय के विकास तथा विद्यालय के संसाधनों की वृद्धि में सहयोग करना।
- विद्यालय के सर्वांगीण विकास, शैक्षणिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय गतिविधियों का पर्यवेक्षण तथा पुनरावलोकन करना।
- शाला शिक्षा कोष को सुदृढ़ करना।
- शिक्षा को सतत् जारी रखने में समर्थ बनाने के लिए निरक्षर लोगों को साक्षरता कक्षा में आने हेतु प्रेरित करना।
- कुछ समय के लिए गांव छोड़कर जीविका उपार्जन हेतु बाहर जा रहे बच्चों के नामांकन में सहयोग करना।
- निःशुल्क पाठय पुस्तके, मध्यान्ह भोजन, गणवेश, छात्रवृत्ति आदि का नियमानुसार वितरण कराना तथा सतत् मानिटरिंग करना।
- शिक्षा सत्र प्रारंभ होने पर ग्राम शिक्षा रजिस्टर पूर्ण करना।

- शिक्षकों की कमी पर उसकी पूर्ति की मांग करना।
- शाला विकास शुल्क का निर्धारण करना।
- शाला के निर्माण कार्यों की समय–समय पर मानिटरिंग करना एवं उसकी गुणवत्ता स्तर पर नजर रखना।
- अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाह शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की अनुशंसा करना।

जन शिक्षा योजनाः–

अधिनियम की धारा 23 (1) के उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार समुदाय को यह अधिकार है कि वे अपने बसाहट की शिक्षा के परिदृश्य को अच्छा बनाने के लिए स्वयं जन शिक्षा योजना का निर्माण व उसका क्रियान्वयन करेंगें।

- प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के 15 दिन पूर्व पालक शिक्षक संघ जन शिक्षा योजना बनाने के लिए मुख्यतः जिम्मेदार होगें।
- जन शिक्षा योजना का अनुमोदन ग्राम सभा द्वारा किया जावेगा।
- जन शिक्षा योजना के क्रियान्वयन तथा उपलब्धि पर पालक शिक्षक संघ की मासिक बैठक में चर्चा अनिवार्य रूप से किया जावेगा।

पाठगत प्रश्न

प्रश्न 1. भारत की जनता में अपना संविधान ....को निर्मित किया।

प्रश्न 2. शिक्षा के अधिकार को लागू करने हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम राज पत्र में दिनांक .... को प्रकाशित किया गया है।

प्रश्न 3. शाला त्यागी, शाला प्रवेशी बच्चों को उनकी उम्र के अनुरूप ....में नामांकन करना।

प्रश्न 4. प्रवेश हेतु.......................की आवश्यकता की बाध्यता नहीं होगी।

प्रश्न 5. शाला प्रबंध समिति में .... प्रतिशत महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है।

प्रश्न 6. 91 से 120 बच्चों के लिए .... शिक्षक तथा 200 से अधिक बच्चों के नामांकन पर .... अनुपात में शिक्षक होंगे।

प्रश्न 7. कार्यकारिणी समिति में प्राथमिक शाला हेतु .... सदस्य तथा माध्यमिक शाला हेतु .... सदस्य होगें।

उप इकाई – 2

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता एवं स्वरूपः–

आवश्यकताः–

मनुष्य बहुमूल्य राष्ट्रीय संसाधन है व इनके सावधानी पूर्वक किये गये विकास पर ही राष्ट्र की प्रगति अवलंबित है। प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति के विकास से अनेक समस्याएं व अपेक्षाएं जुड़ी है। विकास की जटिल प्रक्रिया में शिक्षा की भूमिका एक उत्प्रेरक की तरह व गत्यात्मक होती है जिसे सुनियोजित करना व सश्रम संवेदनशील ही क्रियाशील बनाना जरूरी है। प्रत्येक राष्ट्र अपनी विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक पहचान को स्पष्ट करने व कायम रखने, समकालीन चुनौतियों का सामना करने व राष्ट्रीय जीवन के संवर्धन के लिए अपनी विशिष्ट शिक्षा प्रणाली विकसित करना है।

व्यक्ति को नए वातावरण में लाभान्वित होने में सफल बनाने के लिए नए प्रकार से मानव संसाधन विकसित करने की रूपरेखा जरूरी है। नई पीढ़ी को निरंतर सृजनशील होकर नए विचारों को

आत्मसात करना होगा तथा सामाजिक न्याय व मानव मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। इन सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण जरूरी होता है।

स्वरूप :–

शिक्षा आयोग (1966) द्वारा संस्तुत स्थूल रूपरेखा के आधार पर देश का आर्थिक व सांस्कृति विकास हो सकता है तथा राष्ट्रीय एकता व समाजवादी समाज के निर्माण का लक्ष्य भी पूरा हो सकता है। इस नीति में शिक्षा तन्त्र के आमूल परिवर्तन व सभी स्तरों पर इसकी गुणवत्ता सुधारने की आवश्यकता पर बल दिया गया था तथा नैतिक मूल्यों के विकास, विज्ञान व प्रौद्योगिकी के अध्ययन, अध्यापन व लोगों के जीवन और शिक्षा के मध्य निकटस्थ संबंधों पर अधिक ध्यान दिया गया था।

14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा, सामान्य स्कूल प्रणाली, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, माध्यमिक शिक्षा के प्रसार व व्यावसायिकरण, उच्च शिक्षा में पत्राचार पाठयक्रम, चयनात्मक प्रवेश व स्तर सुधार उद्योगों के साथ प्राविधिक शिक्षा संस्थानों का सहयोग, त्रिभाषा सूत्र, परीक्षाओं की विश्वसनीयता में वृद्धि, पुस्तक सुधार, शैक्षिक सुविधाओं में असंतुलन दूर करना, अध्यापकों के लिए उच्च वेतनमान व सम्मानजनक सेवा दशाएं, शिक्षा निवेश में वृद्धि, अल्प संख्यकों की शिक्षा, कार्य अनुभव आदि पर बल दिया गया था।

शिक्षा संरचना प्राविधिक शिक्षा केन्द्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं के विशेष अध्ययन, औपचारिक व अनौपचारिक तरीकों संकृषि शिक्षा के प्रसार व कृषि शिक्षा प्राप्त छात्रों को स्वनियोजन हेतु तैयार करने, प्राकृतिक यूनानी होम्योपैथी चिकित्सा को पारस्परिक सहयोगी बनाने, पारस्परिक व समकालीन संस्कृति के तत्वों के संश्लेषण, शारीरिक शिक्षा की अनिवार्यता, वस्तुपरक परीक्षा, क्षेत्रीय भाषा में पुस्तक निर्माण, सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के अवसरों में वृद्धि, समाज में सम्मानिता में वृद्धि, नीति के क्रियान्वयन में स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग आदि पर भी बल दिया गया था।

आज 90 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में एक किलोमीटर के अर्द्ध व्यास के क्षेत्र में एक स्कूल है। लगभग पूरे देश में राज्यों द्वारा 10+2+3 की शिक्षा संरचना स्वीकार कर ली गई है, लड़कों व लड़कियों के लिए समान पाठयक्रम है। विज्ञान व गणित को अनिवार्य विषय बनाया जा चुका है, कार्य अनुभव को स्कूली पाठयचर्या में अपना प्रमुख स्थान मिल गया है। स्नातक स्तरीय पाठयक्रमों का पुनर्गठन किया गया है, स्नातकोत्तर शिक्षा व शोध के उच्च अध्ययन केन्द्रों की स्थापना हुई है।

प्रारंभिक शिक्षा एवं शिक्षण से संबंधित अंश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 :–

विभिन्न क्षेत्रों से मिले विचारों व सुझावों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के उपरांत मई 1986 में सरकार ने नई शिक्षा नीति का प्रारूप प्रस्तुत किया। यह प्रारूप 12 मुख्य खण्डों में विभक्त है जिनमें से प्रथम खण्ड व उसके 15 बिन्दु प्रस्तावनात्मक हैं। शेष 11 खण्डों के शीर्षक हैः–

1. शिक्षा का सार तथा भूमिका,
2. शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली,
3. समानता के लिए शिक्षा,
4. विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक पुनर्गठन,
5. तकनीकी व प्रबंध शिक्षा,
6. प्रणाली क्रियान्वयन,
7. शिक्षा की विषयवस्तु व प्रक्रिया का अभिनवीकरण,
8. शिक्षक,
9. शिक्षा का प्रबंधन,
10. संसाधन व समीक्षा,

11. भविष्य।

विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक पुनर्गठन के अन्तर्गत शिक्षा, वाल्यकाल देखभाल व शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी व प्रबन्ध शिक्षा आदि सम्मिलित है। नई शिक्षा नीति में वर्तमान समय में पायी जाने वाली शैक्षिक असमानताओं को दूर करने तथा समान अवसरों से वंचित व्यक्तियों की विशिष्ट आवश्यकताओं की ओर ध्यान देकर समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया गया है। समान शैक्षिक अवसर के अन्तर्गत महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अल्प संख्यक, व विकलांगों की शिक्षा पर विशेष बल देने, जाति, धर्म व लिंग आदि के अन्तरों से निरपेक्ष सभी छात्रों को एक स्तर तक सामान्य शिक्षा सुलभ कराना है।

सर्व सुलभ प्रारंभिक शिक्षा, रोजगार परक शिक्षा, खुले विश्व विद्यालय की स्थापना, नौरियों को उपाधियों से अलग करना, विज्ञान व तकनीकी शिक्षा पर बल, गति निर्धारक अर्थात् नवोदय विद्यालयों की स्थापना, स्वायता व जवाबदेही पर बल, ग्रामीण विश्वविद्यालयों व जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना पर बल, भारतीय शिक्षा सेवा को प्रारंभ करना, राष्ट्रीय को पाठयचर्चा का निर्माण आदि नई शिक्षा के मुख्य पहलू है।

10+2+3 शिक्षा संरचना को राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति के रूप में लागू करने, एक भाषा की पुस्तकों का दूसरी भाषा में अनुवाद, बहु भाषायी शब्दकोशो का प्रकाशन, समान अवसर के साथ–साथ समान दशाएं उपलब्ध कराने, प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम चलाते रहने, सभी को सतत् शिक्षा की सुविधा, दूर शिक्षा कार्यक्रमों पर बल देने, शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्र व राज्य की परस्पर सहभागिता, बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों के लिए निरौपचारिक शिक्षा, निजी प्रयासों को बढ़ावा देना राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विशेष पहलू है।

प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1987 :–

सभी को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लख्य को कम समय में पूरा करने की अनिवार्यता पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा दल दिया गया। इस नीति के अन्तर्गत देश में 14 वर्ष तक की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का संकल्प व्यक्त किया गया। वर्ष 1987 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत बनाई गई योजना में सभी को प्राथमिक शिक्षा सुलभ कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रारंभ किये गये और नई पहल प्रारंभ हुई।

इसके अन्तर्गत विद्यालय में पढ़ाई लिखाई में सुधार एवं अध्यापकों की कार्यकुशलता को बढ़ाने के साथ ही 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों के लिए (जो छात्र स्कूली शिक्षा से वंचित थे) वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली की भी व्यवस्था की गई थी। इस कार्य योजना के तीन प्रमुख कार्य थे:–

1. आपरेशन ब्लैक बोर्ड।
2. शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में सुधार।
3. औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम।

प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 :–

केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड द्वारा संसद के समक्ष 7 मई 1992 को श्री एन. जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता युक्त शिक्षा नीति पर विचार विमर्श कर सुझावात्मक परिवर्तन के साथ प्रस्तुत किया गया। नीति को लागू करने की संशोधित कार्य योजना तैयार की गई। 19 अगस्त 1992 को संशोधित कार्य योजना में सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पांच प्रमुख क्षेत्रों की पहचान भी की गई जिससे समुदाय की आवश्यकतानुरूप शिक्षा को बनाया जा सके तथा आर्थिक ध्रुवीकरण और उदारीकरण की नई चुनौतियों का सामना किया जा सकें।

1992 के कार्य योजना को निम्नलिखित खण्डों में विभक्त किया गया है :–

1. नारी समानता के लिए शिक्षा।
2. अनुसूचित जाति / जन जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों की शिक्षा।
3. अल्प संख्यकों की शिक्षा।

4. विकलांगों की शिक्षा
5. प्रौढ़ एवं सतत् शिक्षा।
6. पूर्व बाल्यकाल परिचर्या एवं शिक्षा।
7. प्रारंभिक शिक्षा।
8. माध्यमिक शिक्षा।
9. नवोदय विद्यालय।
10. व्यावसायिक शिक्षा।
11. उच्च शिक्षा।
12. मुक्त शिक्षा।
13. उपाधि की रोजगार से विकगता एवं मानव शक्ति नियोजन।
14. ग्रामीण विश्व विद्यालय एवं संस्थान।
15. तकनीकी एवं प्रबंधन शिक्षा।
16. अनुसंधान एवं विकास।
17. सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य।
18. भाषाओं का विकास।

राष्ट्रीय पाठयचर्या की रूपरेखा 2000 एवं 2005

राष्ट्रीय पाठयर्चा की रूपरेखा 2000 :–

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद दिल्ली द्वारा शिक्षा के नवीनतम विकास हेतु नवीन पाठयक्रय संरचना सन् 1999 में प्रस्तुत किया गया तथा विद्यालयीन शिक्षा 2000 हेतु राष्ट्रीय पाठयक्रम संरचना को प्रारंभ किया गया।

राष्ट्रीय पाठयचर्या की रूपरेखा 2000 के अध्याय 2 में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर पाठयक्रम संघटन की निष्ठा अंकित की गई है। यह संघटन सामान्य शिक्षा के लिए अगले 10 वर्षों में पूरा कर लिया जायेगा। इस व्यापक संदर्भ में शिक्षा के लिए सामाजिकता की मांग के साथ–साथ कुछ क्षेत्रों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के व्यापक ढांचागत नीति के अंतर्गत परिचायक है। यह नीति प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठयक्रम निर्माण की पक्षकार दृष्टिगत होती है। इसके अन्तर्गत त्रिभाषा सूत्र को अपनाया गया साथ ही मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया जो देश की आवश्यकता है। इस पाठयचर्या के अन्तर्गत अध्ययनों की योजना की अनुशंसा निम्नानुसार बिन्दुओं के द्वारा प्रस्तुत है:–

- जिन बच्चों की आयु 4 से 6 वर्ष है, जिन्हें अब तक किसी भी प्रकार की औपचारिक शिक्षा प्रदान नहीं की गई है, उनके लिए द्विवर्षीय शिशु संरक्षण एवं शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया।
- एक भाषाई अध्ययन (मातृ भाषा/क्षेत्रीय भाषा) गणित और कला का अध्ययन, कक्षा एक एवं द्वितीय में स्वास्थ्य रक्षण एवं उत्पादकता के जीवन यापन के लिए शिक्षा दी जावेगी और पर्यावरणीय अध्ययन की शिक्षा कक्षा तृतीय से कक्षा अष्टम तक दिया जावेगा।
- उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा स्तरों पर त्रिभाषा शिक्षा का अध्ययन (मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा/ आधुनिक भारतीय भाषा और अंग्रेजी), गणित, विज्ञान एवं तकनीकी, सामाजिक विज्ञान, कार्यानुभव शिक्षा, कला शिक्षा (ललित कला) दृश्य और प्रदर्शन स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा (खेलकूद, योग शिक्षा, एन.सी.सी., स्काउटिंग परामर्श और रेडक्रास) सम्मिलित है। उपलब्धतानुसार कम्प्यूटर शिक्षा की भी व्यवस्था की जा सकती है।

- स्वास्थ्यप्रद उत्पादक जीवन की शिक्षा के साथ–साथ आनन्ददायक और तनावमुक्त शिशु संरक्षण एवं शिक्षा समस्त विद्यार्थियों को प्रदान की जावेगी।
- माध्यमिक स्तर तक गणित को जीवन की सहायता तक पहुंचाया जावेगा। प्रायोगिक गणित हेतु विज्ञान प्रयोगशाला के अस्तित्व में गणित कार्नन की स्थापना की जावेगी।
- औचित्यपूर्ण और प्रभावी वैकल्पिक शिक्षा और विद्यालय युक्त शिक्षा प्रणाली के विकास के लिए प्रावधान किया जावेगा।
- सावधानीपूर्वक सांस्कृतिक पोषण और आध्यात्मिक मूल्यों को औचित्यपूर्ण पोषण दिया जाना चाहिए।
- चतुर्थ अध्याय के अन्तर्गत सुव्यवस्थित विधि के अन्तर्गत छात्रों के मूल्यांकन के लिये विभिन्न विकसित मानक अपनाये जावेंगे। यह मूल्यांकन वास्तविक, विश्वसनीय, वैध, पारदर्शी, मानवोचित तथा नम्य होगा।
- ब्लाक एवं समूह स्तरों पर जिला स्तरीय संसाधन वितरण व्यवस्था को DIET के द्वारा तर्क संगत स्थान प्रदान किया जा सकता है। अध्यापक शिक्षा के मानिटरिंग एवं मूल्यांकन हेतु संरक्षण, सेवाकालीन प्रशिक्षण, जीवन पर्यन्त अनवरत शिक्षा तथा व्यावसायिक वृद्धि के कार्यक्रमों के संगठन की आवश्यकता महसूस की गई है।
- राष्ट्रीय पाठयक्रम संरचना की क्रियान्विति के कौशल एवं व्यूह रचना को अध्याय पंचम में सम्मिलित किया गया है। पाठय पुस्तकों के प्रमापीय, संवेष्टन, वर्कशॉप, अध्यापकीय पुस्तिका, मल्टीमीडिया आधारित सामग्री के अतिरिक्त समुदाय और व्यवस्थापक व्यक्तियों का भी विकास किया जाना चाहिए। उन्हें भारत की समस्त राष्ट्रीय भाषाओं में स्वीकार्य किया जाना चाहिए।
- राष्ट्रीय स्तर की अभिकरण संस्थाएं जैसे NCERT, विद्यालय शिक्षा के बोर्ड एवं परिषदें तथा प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन आदि को अपनी सेवाएं अर्पित कर देनी चाहिए, जिससे शिक्षा का वांछनीय स्तर, विकाशील विचारधारा युक्त सामग्रीयां और परीक्षण, मूल्यांकन, अनुसंधान, संचालन व्यवस्था तथा सर्वेक्षण की उपलब्धि एवं परिणामों का उचित संचालन किया जा सकें।
- उपरोक्त बिन्दुओं से ऊपर प्रशिक्षित, सापेक्ष योग्यताधारी सक्षम और शिक्षा के प्रति समर्पित भावनावाले अध्यापक, पाठयक्रम क्रियान्वयन को सफलता के मंच तक ले जाने में पूर्णतया सहायक होंगे।

राष्ट्रीय पाठयचर्या की रूप रेखा 2005 :–

प्रत्येक राष्ट्र की भांति भारतवर्ष में भी एक ऐसे पाठयक्रम की परिकल्पना की जा रही है जो कि शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक एवं क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकें। भारत में विभिन्न भाषाएं, सभ्यताएं, संस्कृतियां, धर्म, जाति एवं सम्प्रदाय प्राचीनकाल से ही रही है। एन.सी.ई.आर.टी. के अध्यक्ष ने राष्ट्रीय पाठयक्रम संरचना सन 2005 में प्रस्तुत किया, जिसमें राष्ट्रीय पाठयक्रम सन 1988 एवं राष्ट्रीय पाठयक्रम संरचना सन 2000 के विषयों को परिमार्जित, क्रमबद्ध एवं सुसंगठित रूप में प्रस्तुत किया। इसके साथ–साथ इसमें नवीन विषयों का समावेश भी किया गया। राष्ट्रीय पाठयक्रम सन 2005 में समाहित बिन्दु निम्नलिखित है:–

- बोझ के बिना सीखने की प्रक्रिया का समावेश।
- भाषाई शिक्षा का समावेश।
- अनुदेशन का माध्यम।
- सामान्य विद्यालयों की व्यवस्था।
- धर्म निरपेक्षता का समावेश।

- सामाजिक भावनाओं का समावेश।
- राष्ट्रीय एकता का समावेश।
- रूचिपूर्ण शिक्षा व्यवस्था।
- छात्रों का स्वतंत्र विकास।
- शिक्षक सशक्तिकरण का समावेश।
- अभिभावकों की सहभागिता।
- पूर्व कार्यक्रम का समावेश।
- कक्षा कक्ष व्यवस्था पर विचार।
- वित्तीय एवं मानवीय श्रोतो पर विचार।
- मानवीय मूल्यों का समावेश।
- पूर्व कार्यक्रमों की असफलता पर विचार।

NCERT द्वारा राष्ट्रीय पाठयक्रम सन् 2005 की संरचना में पूर्ण सावधानी का प्रयोग किया है। इस पाठयक्रम में उन सभी तथ्यों को दूर किया गया है जिनके कारण पाठयक्रम क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न होती है तथा उन तथ्यों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया जो पाठयक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन से संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था को आधार प्राप्त हुआ है। प्रत्येक स्तर पर पाठयक्रम में उन सभी बिन्दुओं को समाहित किया गया है जो छात्र–छात्राओं के सर्वांगीण विकास को योगदान देते हैं।

राष्ट्रीय पाठयक्रम संरचना सन 2005 के उद्देश्य :–

प्रत्येक योजना, कार्यक्रम एवं पाठयक्रम से पूर्व उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, इसी क्रम में राष्ट्रीय पाठयक्रम सन 2005 की संरचना के पूर्व निम्नलिखित उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है:–

- राष्ट्रीय विकास।
- राष्ट्रीय एकता का विकास।
- छात्र में अध्ययन के प्रति रूचि का विकास।
- सामाजिक एकता का विकास।
- अभिभावक की आकांक्षाओं की पूर्ति।
- मानवीय मूल्यों का विकास।
- भाषाई समस्या का समाधान।
- स्तरानुकूल शिक्षण विधियां।
- प्रभावी शिक्षण का उद्देश्य।
- शिक्षकों में आत्म विश्वास का विकास।
- शिक्षण साधनों में समन्वय स्थापित करना।
- छात्रों का सर्वांगीण विकास।
- संस्कृति का संरक्षण।
- मानसिक एवं शारीरिक विकास का समन्वयन।

राष्ट्रीय पाठयक्रम संरचना 2005 की आवश्यकता एवं महत्व :–

राष्ट्रीय पाठयक्रम संरचना सन 2005 की आवश्यकता एवं महत्व को स्पष्ट करने वाले प्रमुख तथ्यों के बिन्दु निम्नानुसार है :–

- नवीन तथ्य समावेश के लिए।

- पाठयक्रम विकास के लिए।
- परिवर्तन के अनुरूप पाठयक्रम।
- मानवीय मूल्यों के विकास के लिए।
- भाषाई समस्या के समाधान के लिए।
- कक्षा कक्ष शिक्षण के लिए।
- छात्र की संतुष्टि के लिए।
- शिक्षकों की संतुष्टि के लिए।
- अभिभावक की संतुष्टि के लिए।
- शोध परिणामों के प्रयोग के लिए।
- शिक्षण विधियों के विकास के लिए।
- शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए।

शिक्षा के क्षेत्र में नई संचेतनाएं :–

जन जातीय शिक्षा :–

अनुसूचित जातियों की शिक्षा :–

अनुसूचित जाति के लोग जो बहुत समय से दलित है, पिछड़े हुए है, उन्हें समाज के साथ लाने के लिए अनुसूचित जाति के समान शिक्षा के सभी स्तरों पर भी क्षेत्रों में चार आयामों– ग्रामीण पुरूष, ग्रामीण स्त्री, नगरीय पुरूष और नगरीय स्त्रियों के विकास पर ध्यान देना होगा। निर्धन परिवारों को उनके बच्चों के लिए 154 वर्ष की आयु तक निरंतर विद्यालय में भेजने हेतु प्रोत्साहन दिया जाय। माध्यमिक से पहले कक्षा 1 से ही उन बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाय, जिनके माता–पिता खाल उतारने, रंगने और साफ करने का कार्य करते हैं –

- अनुसूचित जातियों में से शिक्षकों का चयन किया जाय।
- अनुसूचित जातियों की शैक्षिक सुविधाएं हेतु एच.आर.ई.पी. और आर.एल.ई.जी.पी. श्रोतो का उपयोग किया जाये।
- अनुसूचित जातियों में शिक्षा के विकास के लिए, बालवाड़ी, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र और विद्यालय भवनों का निर्माण के स्तर में गिरावट अपव्यय व अवरोधन न हो। इस पर विशेष ध्यान दिया जावें।

अनुसूचित जन जातियों की शिक्षाः–

अनुसूचित जन जातियों को अन्य लोगों के बराबर लाने के लिए नई शिक्षा नीति में जो उपाय सुझाये गए है उनमें प्रमुख हैः–

- जन जातियों क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय खोले जायें। उनके भवन निर्माण हेतु HREP तथा RLEGP के साथ–साथ शिक्षा के सामान्य कोष से भवन निर्माण हेतु सहायता की जाये।
- वृहद स्तर पर आश्रम व आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जाये।
- अनुसूचित जन जातीय शिक्षित व प्रतिभाशाली युवकों को अनुसूचित क्षेत्रों में शिक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जाये।
- अनुसूचित जन जातीय क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर आंगनवाड़ी, अनौपचारिक तथा प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जाये।

- जन जातियों के सामाजिक–सांकृतिक वातावरण की अपनी विशेषताएं है। उनमें से उनकी अपनी बोली। प्राथमिक स्तर पर अपनी बोली में ही पाठयक्रम तथा निर्देशात्मक सामग्री का निर्माण किया जाये, जिससे अपनी सांस्कृतिक पहचान, सृजनात्मक प्रतिभा के प्रति चेतना उत्पन्न हो सके।
- उच्च्व शिक्षा के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्तियों में तकनीकी तथा व्यावसायिक पढ़ाई को अधिक महत्व दिया जावें।
- सामाजिक तथा मानसिक अवरोधों को दूर करने के लिए विशेष उपचारात्मक पाठयचर्या तथा अन्य कार्यक्रम चलाये जायेंगे ताकि आदिवासी विद्यार्थी सफलता से अपनी पढ़ाई पूरा कर सकें।

शैक्षिक अवसरों की समानता :–

समानता का अर्थ यह नहीं है कि सभी, सभी प्रकार से समान है, यहां समानता का अर्थ अवसर की समानता से है। राज्य सरकार की ओर से सभी को समान समझा जाये । रंग, जाति, धर्म व प्रजाति के आधार पर भेद न किया जाये। किसी वर्ग विशेष या समुदाय विशेष को विशेष अधिकार न दिये जाये।

समानता से तात्पर्य ऐसी परिस्थितियों से है जिनके कारण सभी को अपने व्यक्तित्व का विकास अपनी क्षमता के अनुसार करने के समान अवसर प्राप्त हो सके तथा सभी को उन्नति के समान अवसर प्राप्त हो सकें।

अनुच्छेद 46 के अनुसार ''राज्य द्वारा समाज के कमजोर वर्गों विशेषतः अनुसूचित जाति/जन जाति के शैक्षिक अधिकारों की देखभाल''।

रूसो के अनुसार '' शैक्षिक समानता देशवासियों के धन समर्पण के कारण नहीं बल्कि बालकों के सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों के कारण होती है''।

समानता अब सभी के लिये शिक्षा का व्यक्तित्व मात्र नहीं है। शैक्षिक अवसरों की समानता का तात्पर्य है उद्देश्यों के ढांचे में एवं हमारे विशिष्ट समाज के द्वारा स्थापित नियमों की संरचना में रहकर प्रतियोगिता का सभी को समान अवसर देना।

ब्रोफ्रेनेर ने कहा है कि ''समानता एक वैधानिक पद है जिसके अनुसार शिक्षा का वितरण क्षमता एवं योग्यता के आधार पर होना चाहिए''।

अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने 1972 में शैक्षिक अवसरों की समानता की व्याख्या की और उसे अपनी रिपोर्ट "Learing Tobe" शीर्षक के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। इसके अनुसार समानता को तीन भागों में बांटा गया :–

1. प्रवेश के अवसरों की समानता।
2. सफलता के अवसरों की समानता।
3. व्यक्तित्व शिक्षा के अवसरों की समानता।

भारतीय संविधान मुख्यतः सामाजिक, प्रजातन्त्रात्मक एवं धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर आधारित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी इस बात पर जोर दिया गया है कि भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा अवसर की समानता प्राप्त करने की चेष्टा की जावेगी और उसी के तहत संविधान में वयस्कों को मताधिकार, सार्वजनिक नौकरियों में समानता, छुआछूत निवारण एवं धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जावेगा।

उपरोक्त तथ्यों को सफलतापूर्वक संचालन के लिए संविधान की धारा 42, 43, 44, 45, 46, 47 में प्राविधान किया गया है। इसमें शिक्षा तथा कार्यों के अधिकार को मान्यता प्रदान की है।

महिला सशक्तिकरणः—

- शिक्षा का प्रयोग स्त्रियों के स्तर में परिवर्तन लाने के लिए एक साधन के रूप में किया जावेगा। प्राचीन विषमताओं को समाप्त कर शिक्षा को स्त्रियों के लिए सुलभ बनाया जायेगा। नई शिक्षा प्रणाली में इसकी भूमिका सकारात्मक होगी। पुनरीक्षित पाठयक्रम, पाठयपुस्तकों, शिक्षाओं से प्रशिक्षण तथा अभिनव निर्णय लेने की क्षमता तथा शिक्षा संस्थानों के सक्रिय सहयोग द्वारा उनमें नवीन मूल्यों का विकास होगा। स्त्री अध्ययन का विकास अनेक शिक्षण संस्थाओं को प्रोत्साहित करके किया जावेगा।
- महिला में साक्षरता प्रसार को सर्वपरि प्राथमिकता दी जायेगी।
- समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किया जाये तथा उनका सुचारू रूप से क्रियान्वयन किया जाये।
- विभिन्न स्तरों पर व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जायें। जिससे लिंग भेद को समाप्त किया जा सकें।
- महिलाओं की शिक्षा के लिए प्राथमिकता के आधार पर धन आवंटित किया जाना चाहिए।
- अंशकालीन, पूर्णकालिन रोजगारों की व्यवस्था महिलाओं के लिए किया जाना चाहिए।
- म.प्र. के अन्तर्गत बालिका शिक्षा के लिए निम्नानुसार योजनाएं संचालित है —
    - बालिकाओं की प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम।
    - कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों एवं छात्रावास की स्थापना।
    - सर्वशिक्षा अभियान।
    - साइकिल वितरण कक्षा 6वीं में प्रवेश पर।
    - सामान्य निर्धन छात्रवृत्ति योजना (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति को समस्त कक्षा 1 से 5 तक दर्ज के लिए 150/—, कक्षा 6 से 8 तक दर्ज के लिए 300/—, कक्षा 9 से 10 तक दर्ज के लिए 400/— वार्षिक छात्रवृत्ति का प्रावधान है)।
    - गणवेश वितरण (कक्षा 1 से 8 तक प्रविष्ट सभी बालिकाएं)।
    - खोज यात्रा का प्रबंधन (कक्षा 5 से 8 तक प्रविष्ट सभी बालिकाएं)।
    - माँ बेटी मेला का आयोजन।
    - ब्रिज कोर्स की व्यवस्था।

महिला सशक्तिकरण के लिए शासन द्वारा किये जा रहे प्रयास निम्नानुसार हैः—

- संविधान में केन्द्र सरकार के विचार।
- राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन।
- संविधान में संशोधन।
- न्यायिक सशक्तिकरण।
- घरेलू हिंसा पर रोक।
- महिला विरोधी कानूनों पर रोक।
- महिलाओं को संपत्ति संबंधी अधिकार।
- आर्थिक सशक्तिकरण।
- विश्व स्तर पर महिला सशक्तिकरण।
- औद्योगिक क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण।
- कामकाजी महिलाओं के लिये विशेष सुविधा।
- महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं।

- शैक्षिक महिला सशक्तिकरण।
- स्वास्थ्य सशक्तिकरण।
- अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका।

लाड़ली लक्ष्मी योजनाः– माह अप्रैल 2007 से क्रियान्वित।

- बालिकाओं के नाम से प्रतिवर्ष 6000/–, पांच वर्षों तक कुल 30000/– के राष्ट्रीय बचत पत्र क्रय किये जावेंगे।
- बेटी के कक्षा 6 में प्रवेश पर रू. 2000/–
- बेटी के कक्षा 9 में प्रवेश पर रू. 4000/–
- बेटी के कक्षा 11 में प्रवेश पर रू. 7500/–
- बेटी के कक्षा 11 एवं 12 में पढ़ाई के समय 2 वर्ष तक रू. 200/– प्रतिमाह।
- 21 वर्ष की होने पर शेष राशि। इस तरह कुल राशि रू. 1 लाख से अधिक।

बाल अधिकारः–

दिनांक 02 सितम्बर 1990 को विश्व के 151 देशों (भारत सहित) के प्रतिभागियों ने बच्चों के विशेष अधिकारों की स्वीकृति दी है, ये अधिकार जन्म सिद्ध अधिकार है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। जनम होते ही विश्व के प्रत्येक बच्चे को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है। बाल अधिकार प्रत्येक बच्चे को उसके जन्म से ही बिना किसी भेदभाव के प्राप्त हो जाते है। 18 वर्ष की आयु तक विश्व के सभी बच्चे इन अधिकारों की श्रेणी में आते है।

- जीवन जीने का अधिकार।
- भागीदारी का अधिकार।
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, खेलने एवं सांस्कृतिक कार्यों में भागीदारी का अधिकार।
- कानूनी संरक्षण का अधिकार।
- शारीरिक व मानसिक रूप से अपरिपक्व बच्चों की सुरक्षा का अधिकार।
- स्वास्थ्य सेवायें पाने का अधिकार।
- प्रत्येक बच्चे के लिए, बच्चे अथवा उसके माता पिता अथवा कानूनी अभिभावक की जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति तथा अन्य विचार राष्ट्रीय जातीय अथवा सामाजिक उद्गम, संपत्ति, विकलांगता, जन्म और हैसियत के किसी भी भेदभाव के प्रदत्त अधिकारों का सम्मान करना।
- बच्चे के माता–पिता, कानूनी अभिभावकों अथवा परिजनों की हैसियत– गतिविधियों, व्यक्त विचारों अथवा विश्वासों के कारण बच्चे को किसी भी प्रकार के भेदभाव या दण्ड से सुरक्षा का अधिकार है।
- प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया है एवं सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और जिन बच्चों को आवश्यकता है उन्हें निःशुल्क शिक्षा और वित्तीय सहायता प्राप्त करने का अधिकार है।

बालकों के विधिक अधिकारः–

- बाल कामगारों की विधियां।
- बालक (श्रम गिरवीकरण) अधिनियम।
- कारखाना अधिनियम।
- खान अधिनियम।

- मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम।
- बाल श्रम (प्रतिषेध तथा विनिमय)
- बच्चों की शालाओं में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा पढ़ाई के बीच में ही बच्चों के स्कूल छूट जाने की दर कम करना।
- स्कूल में अनुशासन के तरीके, बच्चे की मानवीय गरिमा के प्रावधानों के अनुरूप रखे जाने का प्रावधान है।
- आर्थिक शोषण और जोखिम भरे अथवा बच्चे की शिक्षा में बाधा डालने वाले अथवा बच्चे के स्वास्थ्य अथवा शारीकि, मानसिक आध्यात्मिक, नैतिक या सामाजिक विकास के लिए हानिप्रद कार्यों में संरक्षण का बच्चे का अधिकार है।
- बच्चों के व्यक्तित्व प्रतिभावों तथा मानसिक एवं शारीरिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो, इसलिए आराम करने, खेलने अपनी उम्र के अनुरूप मनोरंजन करने और सांस्कृतिक जीवन तथा कलाओं से मुक्त रूप से भाग लेने के, बच्चे के अधिकार को मान्यता प्राप्त है।
- नशीले पदार्थों के अवैध इस्तेमाल से बच्चे और ऐसे पदार्थों के अवैध उत्पादन तथा तस्करी में बच्चों को लगाया जाना रोकने के लिए विधायी, प्रशासनिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक उपाय किये गये है।
- यौन शोषण तथा यौन दुर्व्यवहार के सभी रूपों से बच्चों को बचाने के लिए सभी उपयुक्त राष्ट्रीय द्विपक्षीय और बहुपक्षीय उपाय किये गये है। इस प्रकार किसी बच्चे का किसी अवैध यौन कार्य के लिए फुसलाना या जोर जबरदस्ती करना अवैध है।
- अठ्ारह वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को अपराधों के लिए न तो मृत्युदण्ड दिया जावेगा न ही ऐसा आजीवन कारावास दिया जावेगा जिससे मुक्त होने की आशा न हो।

पाठगत प्रश्न

प्रश्न 8. अनुसूचित जातियों की शैक्षणिक सुविधाओं हेतु.........................श्रोतो का उपयोग किया जाये।

प्रश्न 9. ब्रोफ्रेनर ने कहा है कि ''..................................'' होना चाहिए।

प्रश्न 10. अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग से 1972 में शैक्षिक अवसरों की समानता की व्याख्या अपनी रिपोर्ट शीर्षक के अन्तर्गत प्रस्तुत कीजिए।

प्रश्न 11. महिला सशक्तिकरण के अन्तर्गत साइकिल वितरण .... में प्रवेश के उपरांत दिया जाता है।

इकाई सारांशः–

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन से शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, म.प्र. जन शिक्षा अधिनियम 2002, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1987, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, राष्ट्रीय पाठयचर्या की रूपरेखा 2000 एवं 2005, शिक्षा के क्षेत्र में नई संचेतनाएं (जन जातिय शिक्षा, शैक्षिक अवसरों की समानता, महिला सशक्तिकरण, बाल अधिकार) के संबंध में वर्णित किया गया है।

आत्म परीक्षण के प्रश्नः–

- निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किन–किन विद्यालयों में बालकों को प्रदान नहीं किया जा रहा है। सूची बद्ध कीजिए।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, 1987, 1992 के संबंध में उन शिक्षकों/विद्यालयों की सूची बनाइए जिन्हें इस संबंध में जानकारी अप्राप्त है।

- जन जातिय समुदाय को दी जाने वाली सुविधाओं की सूची बनाइए।
- महिला सशक्तिकरण पर एक निंबंध लिखे।
- बाल अधिकार में प्रदत्त अधिकारों की सूची बनाइए।

नियत कार्य / गतिविधियाः–

- शिक्षा के संवैधानिक प्रावधानों की विशेषताओं के संबंध में परिचर्चा का आयोजन करें।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित बिन्दुओं पर समूहगत क्रियाकलापों का आयोजन करें।

चर्चा के बिन्दुः–

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप कुछ बिन्दुओं पर चर्चा करना चाहे व कुछ अन्य विषय में स्पष्टीकरण चाहे, ऐसी स्थिति में उन्हें नीचे लिखे –

(अ) चर्चा के बिन्दु ....
....

(ब) स्पष्टीकरण के बिन्दु ....
....

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

उत्तर 1. 26 जनवरी 1950

उत्तर 2. 27 अगस्त 2009

उत्तर 3. कक्षा

उत्तर 4. जन्म प्रमाण पत्र व स्थानांतरण प्रमाण पत्र

उत्तर 5. 50 प्रतिशत

उत्तर 6. चार, 1:40

उत्तर 7. 14, 12

उत्तर 8. NREP, RLEGP

उत्तर 9. ''समानता एक वैधानिक पद है, जिसके अनुसार शिक्षा का वितरण क्षमता एवं योग्यता के आधार पर''

उत्तर 10. Learning to be.

उत्तर 11. कक्षा 6वीं

– – – –

इकाई – 9 सूचकांक– डी.एड./I/1/9

पत्राचार पाठ्यक्रम

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

(द्वारा सर्वाधिकार सुरक्षित)

डिप्लोमा इन एज्युकेशन परीक्षा

प्रथम वर्ष (प्रश्न पत्र प्रथम)

विषय– भारतीय समाज में शिक्षा

विषयः– शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति। पाठ–9

विषयांश– शिक्षा के संवैधानिक प्रावधानः निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ।

मध्यप्रदेश जन शिक्षा अधिनियम 2002

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता एवं स्वरूप।

प्रारंभिक शिक्षा एवं शिक्षण से संबंधित अंश।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986

प्रोग्राम आफ एक्शन 1987

प्रोग्राम आफ एक्शन 1992

राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2000 एवं 2005

शिक्षा के क्षेत्र में नई संचेतनाएं

(अ) जन जातीय शिक्षा

(ब) शैक्षिक अवसरों की समानता

(स) महिला शक्तिकरण

(द) बाल अधिकार

प्रिय छात्राध्यापकों!

विगत इकाई में आपने शिक्षक की परिवर्तित भूमिका के अन्तर्गत प्रारंभिक शिक्षा के लोक व्यापीकरण के अर्थ तथा उद्देश्य, सर्वशिक्षा, शिक्षा की नवीन व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन एवं उनकी भूमिका का अध्ययन किया। प्रस्तुत इकाई में शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से पाठ को दो उप इकाईयों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक उपइकाई के पश्चात पाठगत प्रश्नों का भी समावेश किया जायेगा।

उप इकाई – 1

प्रस्तावनाः–

26 जनवरी 1950 को भारत की जनता ने अपना संविधान निष्ठापूर्वक निर्मित किया। इस संविधान में वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता, समानता तथा सामाजिक न्याय पर विशेष बल दिया गया। इसी के लिए संविधान में शैक्षिक विकास के लिए कुछ प्रावधान किये गये है। जिसके आधार पर पूरे राष्ट्र की शैक्षिक गतिविधियों का संचालन होता है। मनुष्य बहुमूल्य राष्ट्रीय संसाधन है व इनके सावधानी पूर्वक किए गए विकास पर राष्ट्र की प्रगति अवलम्बित है। प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति के विकास से अनेक समस्याएं व अपेक्षाएं जुड़ी है। विकास की जटिल प्रक्रिया में शिक्षा की भूमिका एक उत्प्रेरक की तरह व गत्यात्मक होती है, जिसे सुनियोजित करना व सश्रम संवेदनशील बनाना जरूरी है। शहरों व गांवों के बीच की खाई निरंतर चौड़ी होती जा रही है। गावों को शिक्षित जनशक्ति का लाभ नहीं मिल पाता है। देश की जनसंख्या को नियंत्रित करना व साक्षर बनाना अत्यावश्यक है। नई पीढ़ी को निरंतर सृजनशील होकर नए विचारों को आत्मसात करना होगा तथा सामाजिक न्याय व मानव मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। इन सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए शिक्षा में संवैधानिक प्रावधान एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति को निर्मित किया गया है।

उद्‌देश्यः–

इस इकाई के अध्ययन उपरांत निम्न बिन्दुओं के सम्बध में ज्ञानार्जन हो सकेगा।

1. शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009
2. म.प्र. जन शिक्षा अधिनियम 2002
3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता एवं स्वरूप
4. प्रारंभिक शिक्षा एवं शिक्षण से संबंधित अंश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, प्रोग्राम आफ एक्शन 1987, 1992, राष्ट्रीय पाठयचर्या की रूपरेखा 2000 एवं 2005
5. शिक्षा के क्षेत्र में नई संचेतना–
   जन जातीय शिक्षा, शैक्षिक अवसरों की समानता, महिला सशक्तिकरण, बाल अधिकार।

शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 :–

86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार के तहत मूल–भूत अधिकर में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया है। संविधान के अनुच्छेद 21 'क' शिक्षा का अधिकार, राज्य छह वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में, जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करें उपलब्ध करेगा।

संविधान में निहित शिक्षा के अधिकार को लागू करने हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया गया है। यह अधिकार अधिनियम "The Right of Children to free and compulsory educatin Act" 2009 को राज पत्र में 27 अगस्त 2009 को प्रकाशित किया गया है। इस अधिनियम में निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। (किसी भी बच्चे द्वारा ऐसी कोई फीस/शुल्क/व्यय देय नहीं होगा जो कि उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने में बाधक हो) अनिवार्यता (विधेयक के प्रावधानानुसार 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों का शत–प्रतिशत नामांकन, शत–प्रतिशत उपस्थिति, तथा शत–प्रतिशत बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कराना) संवैधानिक राज्य सरकार की है। पालकों के लिए मूलभूत दायित्व में इसे शामिल किया गया है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के मुख्य प्रावधानः–

- शाला त्यागी, एवं शाला अप्रवेशी बच्चों को उनकी उम्र के अनुरूप कक्षा में नामांकन करना।
- शिक्षकों तथा बच्चों को इस हेतु अन्य बच्चों के समक्ष लाने हेतु विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

- 14 वर्ष पूर्णता के उपरांत प्रवेशित बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने का अधिकार प्रदान करना।
- जन्म प्रमाण पत्र एवं स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता की बाहयता प्रवेश हेतु नहीं होगी।
- शारीरिक दण्ड व मानसिक रूप से बच्चों को प्रताड़ित करने पर पूर्ण प्रतिबंध।
- सभी बच्चों के लिए उनके निर्धारित पड़ोस में राज्य सरकार को 3 वर्ष में शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने की सहायता बाहयता होगी।

शासन/स्थानीय निकास के दायित्वः–

- 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, अनिवार्य प्रवेश एवं प्रारंभिक शिक्षा की अनिवार्य पूर्णता सुनिश्चित करना।
- 3 वर्ष में प्रत्येक बच्चे के पड़ोस में स्कूल की व्यवस्था करना।
- कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों पर विशेष ध्यान देना।
- शाला में अधोसंरचना, शाला भवन, शिक्षा व्यवस्था, पठन–पाठन सामग्री उपकरण की मापदण्ड के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- शाला त्यागी, शाला अप्रवेशी बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण व्यवस्था करना।
- बच्चों के प्रवेश, उपस्थिति, एवं उपलब्धि स्तर की प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता तक नियमित मानिटरिंग की व्यवस्था करना।
- अच्छी गुणवत्ता की प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना।
- समय पर पाठयक्रम विकसित कराना एवं शिक्षक–प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

शिक्षकों के सम्बन्ध में प्रावधानः–

- केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत अकादमिक प्राधिकरण द्वारा नियुक्ति हेतु शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण करना तथा निर्धारित योग्यता अनुरूप शिक्षकों की 5 वर्ष में व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा।
- अप्रशिक्षित शिक्षकों का प्रशिक्षण सुनिश्चित कराना।
- शिक्षकों के अकादमिक उत्तरदायित्व का निर्धारण करना।
- शिक्षकों के द्वारा प्राइवेट ट्यूशन नहीं की जा सकेगी। प्राइवेट ट्यूशन प्रतिबन्धित रहेगी।
- शिक्षकों का गैर शिक्षकीय कार्य में लगाना प्रतिबंधित रहेगा, सिर्फ दशकीय जनगणना, चुनाव एवं आपदा राहत को छोड़कर किसी भी गैर–शासकीय कार्य में नहीं लगाया जा सकेगा।
- शिक्षकों के वेतन एवं सेवाशर्तों का निर्धारण स्पष्ट रूप से राज्य द्वारा किया जावेगा।

शाला के संबंध में प्रावधानः–

- सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों अभिभावकों एवं शिक्षकों की शाला प्रबंध समिति के माध्यम से किया जाना। इसमें
    - 3/4 सदस्य अभिभावक
    - 50 प्रतिशत महिलाएं
    - कमजोर एवं वंचित वर्ग को आनुपातिक प्रतिनिधित्व
    - शाला विकास योजना निर्माण, प्रबंधन, मानिटरिंग का कार्य स्थानीय विकास के सहयोग से शाला प्रबंध समिति द्वारा किया जाना।

- कैपिटेशन शुल्क प्रतिबंधित रहेगी। कैपिटेशन शुल्क देने पर कैपिटेशन शुल्क का दस गुना जुर्माना लगाया जावेगा।
- स्क्रीनिंग के माध्यम से प्रवेश प्रतिबंधित रहेगी। चयन रेंडम आधार पर किया जावेगा। एक बार स्क्रीनिंग करने पर रू. 25000/– तथा अगली बार से प्रत्येक बार के लिए रू. 50000/– का जुर्माना देना होगा।
- गैर अनुदान प्राप्त शालाओं के लिए अपने पड़ोस के 25 प्रतिशत बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य होगा।
- राज्य द्वारा किया जा रहा प्रतिछात्र व्यय अथवा गैर अनुदान प्राप्त शाला की वास्तविक फीस जो भी कम हो के आधार पर राज्य द्वारा फीस की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- बिना मान्यता के किसी भी स्कूल का संचालन नहीं किया जा सकेगा।
- प्रत्येक शाला को नार्म्स एवं मापदंड की पूर्ति करना आवश्यक होगा, बिना मापदंडों की पूर्ति के किसी भी शाला को संचालन की मान्यता नहीं दी जायेगी।
- बिना मान्यता के अथवा मान्यता निरस्त होने के बाद शाला का संचालन करने पर रू. 1 लाख का जुर्माना तथा तदुपरांत रू. 10000/– प्रतिदिवस का जुर्माना लगाया जावेगा।
- अधिनियम लागू होने पर मापदंड पूर्ण करने हेतु 3 वर्ष की समय सीमा निर्धारित होगी।
- शिक्षक छात्र अनुपात की पूर्ति 6 माह निर्धारित होंगे। किसी भी शाला में 10 प्रतिशत से अधिक रिक्तियां नहीं रहेगी।

शिक्षक छात्र अनुपात हेतु निम्नानुसार मापदंड रहेगाः–

- दो शिक्षक प्राथमिक स्तर पर 60 बच्चों के लिए, तीन शिक्षक 61 से 90 बच्चों के लिए, चार शिक्षक 91 से 120 बच्चों के लिए, पांच शिक्षक 121 से 200 बच्चों के लिए, 200 से अधिक छात्र होने पर 1:40 का अनुपात (प्रधानाध्यापक छोड़कर) होगा।
- माध्यमिक स्तर पर कम से कम एक शिक्षक प्रति कक्षा एवं एक शिक्षक विज्ञान एवं गणित, एक सामाजिक विज्ञान एक भाषा शिक्षक तथा 35 बच्चों पर कम से कम शिक्षक, 100 बच्चों से अधिक होने पर पूर्ण कालिक प्रधानाध्यापक, अंशकालीन शिक्षक, कला शिक्षक, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, कार्य शिक्षा हेतु रखे जावेंगे।
- समस्त शालाओं शासकीय/निजी में न्यूनतम अधोसंरचना की उपलब्धता 3 वर्ष की समय सीमा में करना अनिवार्य होगा– सभी मौसमों के लिए उपयुक्त शाला भवन, प्रत्येक शिक्षक के लिए एक कक्षा कक्ष एवं आफिस सह स्टोर, सह प्रधानाध्यापक कक्ष, बाधा मुक्त शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए रैंप की व्यवस्था, ऐसे बच्चे अन्य बच्चों के साथ मिलकर शिक्षा प्राप्त कर सकें। बालक एवं बालिका के लिए पृथक शौचालय, स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल, समस्त बच्चों के लिए किचन शेड, खेल का मैदान, बाउन्ड्रीवाल एवं फेन्सिंग, पुस्तकालय तथा आवश्यक पठन–पाठन सामग्री व उपकरण।
- प्रत्येक शाला हेतु न्यूनतम कार्य दिवस एवं शिक्षण के घंटे निम्नानुसार होंगे – 200 दिवस प्राथमिक स्तर, 220 दिवस माध्यमिक स्तर, 800 शैक्षणिक घण्टे प्राथमिक स्तर, 1000 शैक्षणिक घण्टे माध्यमिक स्तर शिक्षक के लिए सप्ताह में न्यूनतम कार्य घण्टे 45 घण्टे पठन+पाठन+तैयारी के घण्टे।

पाठयक्रम एवं पठन–पाठन सामग्रीः–

- कक्षा के अनुरूप पठन–पाठन सामग्री एवं उपकरणों की व्यवस्था करना।
- एक पुस्तकालय, समाचार पत्र पत्रिकाएं, कहानियों की किताब युक्त होगा।

- खेलकूद सामग्री, खेलकूद हेतु उपकरण होंगे।
- पाठयक्रम का निर्धारण अकादमिक प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा जिसमें संवैधानिक मूल्य, बच्चों को निर्भय बनाने, बाल केन्द्रित, गतिविधि आधारित प्रक्रिया को अपनाया जावेगा, यथासंभव मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करना सतत् एवं सघन मूल्यांकन की सुविधा सम्मिलित किया जावेगा।
- प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता तक कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी।

मध्यप्रदेश जन शिक्षा अधिनियम 2002:—

अवधारणाः—

प्रारंभिक शिक्षा में निरंतर विकास हेतु प्रयास करना शिक्षक का मूल कर्तव्य है। इस प्रयास में पालकों, जनसमुदाय तथा जन प्रतिनिधियों से सहयोग प्राप्त कर शिक्षा में गुणात्मक विकास की ओर अग्रसर होना है। म.प्र. जनशिक्षा अधिनियम का लक्ष्य 5 से 14 वर्ष आयु समूह के बच्चों की शिक्षा के समग्र विकास हेतु प्रयास करना है, जो शिक्षक, पालक, समाज तथा समुदाय के सहयोग द्वारा सुनिश्चित किये जावेंगे। प्रदेश में गुणवत्तायुक्त प्रारंभिक शिक्षा व्यवसाय में जन समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए जन शिक्षा अधिनियम 2000 लागू किया गया है।

उद्देश्यः—

- म.प्र जन शिक्षा अधिनियम 2002 के अन्तर्गत प्रदेश के 5 से 14 वर्ष आयु समूह के प्रत्येक बच्चों को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है।
- राज्य की जिम्मेदारी सुनिश्चित करना कि यथा संभव बच्चों को उसकी बसाहट स्थल से 1 कि. मी. की परिधि के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा की सुविधा तथा 3 कि.मी. की परिधि के अन्तर्गत माध्यमिक स्तर तक शिक्षा सुविधा प्रदान कराना है।
- प्रत्येक 5—14 वर्ष के बच्चों का शाला में नामांकन सुनिश्चित करना तथा 8 वर्ष तक की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कराना।
- शिक्षा की गुणवत्ता स्तर में सुधार एवंज न समुदाय की सहभागीता सुनिश्चित करना।
- बच्चों के शैक्षणिक स्तर (ग्रेड) से माता—पिता/पालकों को अवगत कराना तथा उनके सहयोग से बच्चों के शैक्षणिक स्तर में उत्तरोत्तर वृद्धि हेतु सामूहिक प्रयास करना।

म.प्र. जन शिक्षा अधिनियम 2002 के प्रमुख बिन्दुः—

- **शाला में प्रवेश पाने का अधिकारः—**
  किसी भी बच्चे को शासकीय/स्थानीय निकाय के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता है।
- **बिना भेदभाव के प्रवेश का अधिकारः—**
  किसी भी बच्चे को किसी भी स्कूल में धर्म, वंश, जाति, लिंग, भाषा, मूल जन्म स्थान के कारण प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता है।
- **5 वर्ष की न्यूनतम आयु में प्रवेश का अधिकारः—**
  कोई भी व्यक्ति या संस्था 5 से 14 वर्ष की आयु समूह के किसी भी बालक को शाला में उपस्थित होने से नहीं रोकेगा। बच्चों को शाला में आने से रोकने पर एक हजार रूपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसी प्रकार यदि कोई पालक अपने बच्चे को शाला में नामांकन नहीं कराता अथवा शाला में नियमित उपस्थिति होने से रोकते है तो उन्हें एक शैक्षणिक सत्र में रू. 10 तक का जुर्माना किया जा सकता है। यह जुर्माना संबंधित व्यक्ति को सुनवाई के अवसर के बाद स्थानीय निकाय द्वारा आरोपित किया जा सकेगा।

- **शिक्षक से अच्छा व्यवहार पाने का अधिकारः—**
  शिक्षक बालक को विभिन्न गतिविधियों, रीतियों से शिक्षण देंगे एवं बच्चों की नियमित उपस्थिति हेतु शिक्षक अपने प्रयास सुनिश्चित करेंगे तथा बच्चों के साथ शिक्षकों का व्यवहार सामंजस्यपूर्ण होगा।
- **निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकारः—**
  राज्य सरकार के स्कूल या स्थानीय स्कूल के किसी भी स्कूल में पढ़ने वाले किसी बच्चे से शिक्षण शुल्क नहीं लिया जावेगा।

गुणवत्तायुक्त शिक्षा पाने का अधिकारः—

शिक्षकों की प्रतिबद्धता, शासन की ओर से प्राप्त अकादमिक व प्रबंधकीय समर्थन और पालक समुदाय की सहभागीतासे ही ''गुणवत्तायुक्त शिक्षा बच्चों का अधिकार'' प्रभावी बनाया जा सकता है। इसके लिए शाला का शैक्षिक वातावरण इस प्रकार निर्मित किया जायेगा जिससे बच्चों की सीखने की क्षमता को प्रोत्साहन मिले।

बच्चों के त्रैमासिक अकादमिक अभिलेख के आधार पर उनकी प्रगति के संबंध में पालक शिक्षक संघ की बैठक में चर्चा के द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता पर निगरानी का प्रावधान अधिनियम में किया गया है। बच्चों के उपलब्धि स्तर पर वार्षिक जन शिक्षा प्रतिवेदन ग्राम स्तर पर पालक शिक्षक संघ में जिला योजना समिति और राज्य स्तर पर विधान सभा में प्रतिवर्ष प्रस्तुत की जावेगी। बच्चों के गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए यह प्राप्त किया गया है।

शिक्षकों के अधिकार और कर्तव्यः—

- प्रत्येक शाला में पालक शिक्षक संघ के माध्यम से शिक्षकों को हर क्षेत्र में पालकों और समुदाय का समर्थन प्राप्त होगा।
- अधिनियम की धारा—10 के तहत राज्य शासन की अनुमति के बिना शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है।
- शिक्षकों को अपनी व्यावसायिक दक्षताओं में वृद्धि करने का अधिकार है। अधिनियम की धारा 25 (4)
- योग्य शिक्षकों को जिला स्तर पर प्रोत्साहित किया जावेगा।
- शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षक अपनी शाला में पालक शिक्षक संघ के माध्यम से समुदाय का समर्थन प्राप्त कर सकेगा।
- सभी बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।
- शिक्षा को परिणाम मूलक बनाने एवं बच्चों के शिक्षा के उन्नयन के लिए संसाधन जुटाने हेतु जनशिक्षा योजना तैयार करेंगे।
- गुणवत्तायुक्त एवं उपचारात्मक शिक्षा के द्वारा बच्चों के उपलब्धि स्तर को संतोषजनक स्तर तक प्रयास करना होगा।
- निष्पादित कार्यों की पारदर्शिता के लिए प्रति वर्ष जन शिक्षा प्रतिवेदन तैयार कर पालक शिक्षक संघ को प्रस्तुत करेगे।
- बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि स्तर, शाला की समस्याओं आदि पर विचार विमर्श करने के लिए प्रतिमाह, पालक शिक्षक संघ की बैठक बुलाऐंगे।

पालकों के अधिकार व कर्तव्यः—

- सभी बच्चों का शाला में नामांकन सुनिश्चित कराना पालकों का उत्तरदायित्व है।

- गांव का प्रत्येक विद्यालय अब पालकों का अपना विद्यालय है, केवल शासन का नहीं तथा पालकों को पालक शिक्षक संघ का गठन कर अध्यक्ष चुनने का अधिकार है।
- जन शिक्षा अधिनियम की धारा 25 (3) के आधार पर बच्चों के प्रत्येक तिमाही उपलब्धि स्तर की जानकारी पालक शिक्षक संघ के माध्यम से पालक समुदाय के सम्मुख प्रस्तुत किया जावेगा।
- बच्चों के सीखने के स्तर में सुधार के लिए विद्यालय की निगरानी का अधिकारी अब पालकों का है।
- बच्चों के परिणाम के आधार पर प्रतिवर्ष जिला और राज्य स्तर पर शाला का मूल्यांकन करने का प्रावधान है।
- शिक्षक तथा बच्चों की नियमित उपस्थिति, पालक द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
- गांव में स्वेच्छा से पढ़ाने के इच्छुक योग्य और अनुभवी व्यक्तियों (सेवानिवृत्त शिक्षक आदि) को चिन्हित करने का अधिकार पालकों का है। पालक शिक्षक संघ ऐसे स्वयं सेवकों को सूचीबद्ध कर सकते हैं।
- सामुदायिक स्तर पर शाला के लिए संसाधन जुटाने के उद्देश्य से शाला शिक्षा कोष का प्रावधान किया गया है।
- पालकों को अपने बच्चे की उत्तरपुस्तिका देखने का अधिकार है।
- अकादमिक सत्र के बीच भी पालकों को अपने बच्चे को किसी भी शाला में प्रवेश दिलाने का अधिकार है।

पालक शिक्षक संघः–

- प्रदेश के समस्त ऐसे शासकीय तथा स्थानीय निकाय के स्कूल जो प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध करा रहा हो, पालक शिक्षक संघ का गठन किया जाता है। पालक शिक्षक संघ, स्कूल के प्रबंधन के लिए पूरी तरह उत्तरदायी है।
- प्राथमिक शाला (कक्षा 1 से 5 तक) की कार्यकारिणी समिति में अधिकतम 14 सदस्य होंगे।
- माध्यमिक शाला (कक्षा 6 से 8 तक) की कार्यकारिणी समिति में अधिकतम 12 सदस्य होंगे।

पालक शिक्षक संघ के उत्तर दायित्व निम्नलिखित हैः–

- ग्राम रजिस्टर में प्रविष्ट 5 से 14 वर्ष आयु समूह के समस्त बच्चों को शाला में प्रवेश दिलाना।
- शिक्षकों तथा विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित करवाना।
- बच्चों के सीखने के स्तर की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए समस्त प्रयास करना।
- सीखने–सीखाने की उपलब्ध स्तर की मानिटरिंग करना।
- विद्यालय के विकास तथा विद्यालय के संसाधनों की वृद्धि में सहयोग करना।
- विद्यालय के सर्वांगीण विकास, शैक्षणिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय गतिविधियों का पर्यवेक्षण तथा पुनरावलोकन करना।
- शाला शिक्षा कोष को सुदृढ़ करना।
- शिक्षा को सतत् जारी रखने में समर्थ बनाने के लिए निरक्षर लोगों को साक्षरता कक्षा में आने हेतु प्रेरित करना।
- कुछ समय के लिए गांव छोड़कर जीविका उपार्जन हेतु बाहर जा रहे बच्चों के नामांकन में सहयोग करना।
- निःशुल्क पाठय पुस्तके, मध्यान्ह भोजन, गणवेश, छात्रवृत्ति आदि का नियमानुसार वितरण कराना तथा सतत् मानिटरिंग करना।
- शिक्षा सत्र प्रारंभ होने पर ग्राम शिक्षा रजिस्टर पूर्ण करना।

- शिक्षकों की कमी पर उसकी पूर्ति की मांग करना।
- शाला विकास शुल्क का निर्धारण करना।
- शाला के निर्माण कार्यों की समय–समय पर मानिटरिंग करना एवं उसकी गुणवत्ता स्तर पर नजर रखना।
- अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाह शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की अनुशंसा करना।

जन शिक्षा योजनाः–

अधिनियम की धारा 23 (1) के उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार समुदाय को यह अधिकार है कि वे अपने बसाहट की शिक्षा के परिदृश्य को अच्छा बनाने के लिए स्वयं जन शिक्षा योजना का निर्माण व उसका क्रियान्वयन करेंगें।

- प्रत्येक शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के 15 दिन पूर्व पालक शिक्षक संघ जन शिक्षा योजना बनाने के लिए मुख्यतः जिम्मेदार होगें।
- जन शिक्षा योजना का अनुमोदन ग्राम सभा द्वारा किया जावेगा।
- जन शिक्षा योजना के क्रियान्वयन तथा उपलब्धि पर पालक शिक्षक संघ की मासिक बैठक में चर्चा अनिवार्य रूप से किया जावेगा।

पाठगत प्रश्न

प्रश्न 1. भारत की जनता में अपना संविधान ....को निर्मित किया।

प्रश्न 2. शिक्षा के अधिकार को लागू करने हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम राज पत्र में दिनांक .... को प्रकाशित किया गया है।

प्रश्न 3. शाला त्यागी, शाला प्रवेशी बच्चों को उनकी उम्र के अनुरूप ....में नामांकन करना।

प्रश्न 4. प्रवेश हेतु........................की आवश्यकता की बाध्यता नहीं होगी।

प्रश्न 5. शाला प्रबंध समिति में .... प्रतिशत महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है।

प्रश्न 6. 91 से 120 बच्चों के लिए .... शिक्षक तथा 200 से अधिक बच्चों के नामांकन पर .... अनुपात में शिक्षक होंगे।

प्रश्न 7. कार्यकारिणी समिति में प्राथमिक शाला हेतु .... सदस्य तथा माध्यमिक शाला हेतु .... सदस्य होगें।

उप इकाई – 2

राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता एवं स्वरूपः–

आवश्यकताः–

मनुष्य बहुमूल्य राष्ट्रीय संसाधन है व इनके सावधानी पूर्वक किये गये विकास पर ही राष्ट्र की प्रगति अवलंबित है। प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति के विकास से अनेक समस्याएं व अपेक्षाएं जुड़ी है। विकास की जटिल प्रक्रिया में शिक्षा की भूमिका एक उत्प्रेरक की तरह व गत्यात्मक होती है जिसे सुनियोजित करना व सश्रम संवेदनशील ही क्रियाशील बनाना जरूरी है। प्रत्येक राष्ट्र अपनी विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक पहचान को स्पष्ट करने व कायम रखने, समकालीन चुनौतियों का सामना करने व राष्ट्रीय जीवन के संवर्धन के लिए अपनी विशिष्ट शिक्षा प्रणाली विकसित करना है।

व्यक्ति को नए वातावरण में लाभान्वित होने में सफल बनाने के लिए नए प्रकार से मानव संसाधन विकसित करने की रूपरेखा जरूरी है। नई पीढ़ी को निरंतर सृजनशील होकर नए विचारों को

आत्मसात करना होगा तथा सामाजिक न्याय व मानव मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। इन सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण जरूरी होता है।

स्वरूप :—

शिक्षा आयोग (1966) द्वारा संस्तुत स्थूल रूपरेखा के आधार पर देश का आर्थिक व सांस्कृति विकास हो सकता है तथा राष्ट्रीय एकता व समाजवादी समाज के निर्माण का लक्ष्य भी पूरा हो सकता है। इस नीति में शिक्षा तन्त्र के आमूल परिवर्तन व सभी स्तरों पर इसकी गुणवत्ता सुधारने की आवश्यकता पर बल दिया गया था तथा नैतिक मूल्यों के विकास, विज्ञान व प्रौद्योगिकी के अध्ययन, अध्यापन व लोगों के जीवन और शिक्षा के मध्य निकटस्थ संबंधों पर अधिक ध्यान दिया गया था।

14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा, सामान्य स्कूल प्रणाली, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, माध्यमिक शिक्षा के प्रसार व व्यावसायिकरण, उच्च शिक्षा में पत्राचार पाठयक्रम, चयनात्मक प्रवेश व स्तर सुधार उद्योगों के साथ प्राविधिक शिक्षा संस्थानों का सहयोग, त्रिभाषा सूत्र, परीक्षाओं की विश्वसनीयता में वृद्धि, पुस्तक सुधार, शैक्षिक सुविधाओं में असंतुलन दूर करना, अध्यापकों के लिए उच्च वेतनमान व सम्मानजनक सेवा दशाएं, शिक्षा निवेश में वृद्धि, अल्प संख्यकों की शिक्षा, कार्य अनुभव आदि पर बल दिया गया था।

शिक्षा संरचना प्राविधिक शिक्षा केन्द्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं के विशेष अध्ययन, औपचारिक व अनौपचारिक तरीकों संकृषि शिक्षा के प्रसार व कृषि शिक्षा प्राप्त छात्रों को स्वनियोजन हेतु तैयार करने, प्राकृतिक यूनानी होम्योपैथी चिकित्सा को पारस्परिक सहयोगी बनाने, पारस्परिक व समकालीन संस्कृति के तत्वों के संश्लेषण, शारीरिक शिक्षा की अनिवार्यता, वस्तुपरक परीक्षा, क्षेत्रीय भाषा में पुस्तक निर्माण, सेवाकालीन अध्यापक शिक्षा के अवसरों में वृद्धि, समाज में सम्मानिता में वृद्धि, नीति के क्रियान्वयन में स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग आदि पर भी बल दिया गया था।

आज 90 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में एक किलोमीटर के अर्द्ध व्यास के क्षेत्र में एक स्कूल है। लगभग पूरे देश में राज्यों द्वारा 10+2+3 की शिक्षा संरचना स्वीकार कर ली गई है, लड़कों व लड़कियों के लिए समान पाठयक्रम है। विज्ञान व गणित को अनिवार्य विषय बनाया जा चुका है, कार्य अनुभव को स्कूली पाठयचर्या में अपना प्रमुख स्थान मिल गया है। स्नातक स्तरीय पाठयक्रमों का पुनर्गठन किया गया है, स्नातकोत्तर शिक्षा व शोध के उच्च अध्ययन केन्द्रों की स्थापना हुई है।

प्रारंभिक शिक्षा एवं शिक्षण से संबंधित अंश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 :—

विभिन्न क्षेत्रों से मिले विचारों व सुझावों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के उपरांत मई 1986 में सरकार ने नई शिक्षा नीति का प्रारूप प्रस्तुत किया। यह प्रारूप 12 मुख्य खण्डों में विभक्त है जिनमें से प्रथम खण्ड व उसके 15 बिन्दु प्रस्तावनात्मक हैं। शेष 11 खण्डों के शीर्षक हैः—

1. शिक्षा का सार तथा भूमिका,
2. शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली,
3. समानता के लिए शिक्षा,
4. विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक पुनर्गठन,
5. तकनीकी व प्रबंध शिक्षा,
6. प्रणाली क्रियान्वयन,
7. शिक्षा की विषयवस्तु व प्रक्रिया का अभिनवीकरण,
8. शिक्षक,
9. शिक्षा का प्रबंधन,
10. संसाधन व समीक्षा,

11. भविष्य।

विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक पुनर्गठन के अन्तर्गत शिक्षा, वाल्यकाल देखभाल व शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी व प्रबन्ध शिक्षा आदि सम्मिलित है। नई शिक्षा नीति में वर्तमान समय में पायी जाने वाली शैक्षिक असमानताओं को दूर करने तथा समान अवसरों से वंचित व्यक्तियों की विशिष्ट आवश्यकताओं की ओर ध्यान देकर समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया गया है। समान शैक्षिक अवसर के अन्तर्गत महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अल्प संख्यक, व विकलांगों की शिक्षा पर विशेष बल देने, जाति, धर्म व लिंग आदि के अन्तरों से निरपेक्ष सभी छात्रों को एक स्तर तक सामान्य शिक्षा सुलभ कराना है।

सर्व सुलभ प्रारंभिक शिक्षा, रोजगार परक शिक्षा, खुले विश्व विद्यालय की स्थापना, नौरियों को उपाधियों से अलग करना, विज्ञान व तकनीकी शिक्षा पर बल, गति निर्धारक अर्थात् नवोदय विद्यालयों की स्थापना, स्वायता व जवाबदेही पर बल, ग्रामीण विश्वविद्यालयों व जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना पर बल, भारतीय शिक्षा सेवा को प्रारंभ करना, राष्ट्रीय को पाठयचर्चा का निर्माण आदि नई शिक्षा के मुख्य पहलू है।

10+2+3 शिक्षा संरचना को राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति के रूप में लागू करने, एक भाषा की पुस्तकों का दूसरी भाषा में अनुवाद, बहु भाषायी शब्दकोशो का प्रकाशन, समान अवसर के साथ–साथ समान दशाएं उपलब्ध कराने, प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम चलाते रहने, सभी को सतत् शिक्षा की सुविधा, दूर शिक्षा कार्यक्रमों पर बल देने, शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्र व राज्य की परस्पर सहभागिता, बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों के लिए निरौपचारिक शिक्षा, निजी प्रयासों को बढ़ावा देना राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विशेष पहलू है।

प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1987 :–

सभी को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लख्य को कम समय में पूरा करने की अनिवार्यता पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 द्वारा दल दिया गया। इस नीति के अन्तर्गत देश में 14 वर्ष तक की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का संकल्प व्यक्त किया गया। वर्ष 1987 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत बनाई गई योजना में सभी को प्राथमिक शिक्षा सुलभ कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रारंभ किये गये और नई पहल प्रारंभ हुई।

इसके अन्तर्गत विद्यालय में पढ़ाई लिखाई में सुधार एवं अध्यापकों की कार्यकुशलता को बढ़ाने के साथ ही 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों के लिए (जो छात्र स्कूली शिक्षा से वंचित थे) वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली की भी व्यवस्था की गई थी। इस कार्य योजना के तीन प्रमुख कार्य थेः–

1. आपरेशन ब्लैक बोर्ड।
2. शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में सुधार।
3. औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम।

प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 :–

केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड द्वारा संसद के समक्ष 7 मई 1992 को श्री एन. जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता युक्त शिक्षा नीति पर विचार विमर्श कर सुझावात्मक परिवर्तन के साथ प्रस्तुत किया गया। नीति को लागू करने की संशोधित कार्य योजना तैयार की गई। 19 अगस्त 1992 को संशोधित कार्य योजना में सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पांच प्रमुख क्षेत्रों की पहचान भी की गई जिससे समुदाय की आवश्यकतानुरूप शिक्षा को बनाया जा सके तथा आर्थिक ध्रुवीकरण और उदारीकरण की नई चुनौतियों का सामना किया जा सकें।

1992 के कार्य योजना को निम्नलिखित खण्डों में विभक्त किया गया है :–

1. नारी समानता के लिए शिक्षा।
2. अनुसूचित जाति / जन जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों की शिक्षा।
3. अल्प संख्यकों की शिक्षा।

4. विकलांगों की शिक्षा
5. प्रौढ़ एवं सतत् शिक्षा।
6. पूर्व बाल्यकाल परिचर्या एवं शिक्षा।
7. प्रारंभिक शिक्षा।
8. माध्यमिक शिक्षा।
9. नवोदय विद्यालय।
10. व्यावसायिक शिक्षा।
11. उच्च शिक्षा।
12. मुक्त शिक्षा।
13. उपाधि की रोजगार से विकगता एवं मानव शक्ति नियोजन।
14. ग्रामीण विश्व विद्यालय एवं संस्थान।
15. तकनीकी एवं प्रबंधन शिक्षा।
16. अनुसंधान एवं विकास।
17. सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य।
18. भाषाओं का विकास।

राष्ट्रीय पाठयचर्या की रूपरेखा 2000 एवं 2005

राष्ट्रीय पाठयर्चा की रूपरेखा 2000 :–

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद दिल्ली द्वारा शिक्षा के नवीनतम विकास हेतु नवीन पाठयक्रय संरचना सन् 1999 में प्रस्तुत किया गया तथा विद्यालयीन शिक्षा 2000 हेतु राष्ट्रीय पाठयक्रम संरचना को प्रारंभ किया गया।

राष्ट्रीय पाठयचर्या की रूपरेखा 2000 के अध्याय 2 में प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर पाठयक्रम संघटन की निष्ठा अंकित की गई है। यह संघटन सामान्य शिक्षा के लिए अगले 10 वर्षों में पूरा कर लिया जायेगा। इस व्यापक संदर्भ में शिक्षा के लिए सामाजिकता की मांग के साथ–साथ कुछ क्षेत्रों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के व्यापक ढांचागत नीति के अंतर्गत परिचायक है। यह नीति प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पाठयक्रम निर्माण की पक्षकार दृष्टिगत होती है। इसके अन्तर्गत त्रिभाषा सूत्र को अपनाया गया साथ ही मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया जो देश की आवश्यकता है। इस पाठयचर्या के अन्तर्गत अध्ययनों की योजना की अनुशंसा निम्नानुसार बिन्दुओं के द्वारा प्रस्तुत है:–

- जिन बच्चों की आयु 4 से 6 वर्ष है, जिन्हें अब तक किसी भी प्रकार की औपचारिक शिक्षा प्रदान नहीं की गई है, उनके लिए द्विवर्षीय शिशु संरक्षण एवं शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया।
- एक भाषाई अध्ययन (मातृ भाषा/क्षेत्रीय भाषा) गणित और कला का अध्ययन, कक्षा एक एवं द्वितीय में स्वास्थ्य रक्षण एवं उत्पादकता के जीवन यापन के लिए शिक्षा दी जावेगी और पर्यावरणीय अध्ययन की शिक्षा कक्षा तृतीय से कक्षा अष्टम तक दिया जावेगा।
- उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा स्तरों पर त्रिभाषा शिक्षा का अध्ययन (मातृभाषा/क्षेत्रीय भाषा/ आधुनिक भारतीय भाषा और अंग्रेजी), गणित, विज्ञान एवं तकनीकी, सामाजिक विज्ञान, कार्यानुभव शिक्षा, कला शिक्षा (ललित कला) दृश्य और प्रदर्शन स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा (खेलकूद, योग शिक्षा, एन.सी.सी., स्काउटिंग परामर्श और रेडक्रास) सम्मिलित है। उपलब्धतानुसार कम्प्यूटर शिक्षा की भी व्यवस्था की जा सकती है।

- स्वास्थ्यप्रद उत्पादक जीवन की शिक्षा के साथ–साथ आनन्ददायक और तनावमुक्त शिशु संरक्षण एवं शिक्षा समस्त विद्यार्थियों को प्रदान की जावेगी।
- माध्यमिक स्तर तक गणित को जीवन की सहायता तक पहुंचाया जावेगा। प्रायोगिक गणित हेतु विज्ञान प्रयोगशाला के अस्तित्व में गणित कार्नन की स्थापना की जावेगी।
- औचित्यपूर्ण और प्रभावी वैकल्पिक शिक्षा और विद्यालय युक्त शिक्षा प्रणाली के विकास के लिए प्रावधान किया जावेगा।
- सावधानीपूर्वक सांस्कृतिक पोषण और आध्यात्मिक मूल्यों को औचित्यपूर्ण पोषण दिया जाना चाहिए।
- चतुर्थ अध्याय के अन्तर्गत सुव्यवस्थित विधि के अन्तर्गत छात्रों के मूल्यांकन के लिये विभिन्न विकसित मानक अपनाये जावेंगे। यह मूल्यांकन वास्तविक, विश्वसनीय, वैध, पारदर्शी, मानवोचित तथा नम्य होगा।
- ब्लाक एवं समूह स्तरों पर जिला स्तरीय संसाधन वितरण व्यवस्था को DIET के द्वारा तर्क संगत स्थान प्रदान किया जा सकता है। अध्यापक शिक्षा के मानिटरिंग एवं मूल्यांकन हेतु संरक्षण, सेवाकालीन प्रशिक्षण, जीवन पर्यन्त अनवरत शिक्षा तथा व्यावसायिक वृद्धि के कार्यक्रमों के संगठन की आवश्यकता महसूस की गई है।
- राष्ट्रीय पाठयक्रम संरचना की क्रियान्विति के कौशल एवं व्यूह रचना को अध्याय पंचम में सम्मिलित किया गया है। पाठय पुस्तकों के प्रमापीय, संवेष्टन, वर्कशॉप, अध्यापकीय पुस्तिका, मल्टीमीडिया आधारित सामग्री के अतिरिक्त समुदाय और व्यवस्थापक व्यक्तियों का भी विकास किया जाना चाहिए। उन्हें भारत की समस्त राष्ट्रीय भाषाओं में स्वीकार्य किया जाना चाहिए।
- राष्ट्रीय स्तर की अभिकरण संस्थाएं जैसे NCERT, विद्यालय शिक्षा के बोर्ड एवं परिषदें तथा प्रस्तावित राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन आदि को अपनी सेवाएं अर्पित कर देनी चाहिए, जिससे शिक्षा का वांछनीय स्तर, विकाशील विचारधारा युक्त सामग्रीयां और परीक्षण, मूल्यांकन, अनुसंधान, संचालन व्यवस्था तथा सर्वेक्षण की उपलब्धि एवं परिणामों का उचित संचालन किया जा सकें।
- उपरोक्त बिन्दुओं से ऊपर प्रशिक्षित, सापेक्ष योग्यताधारी सक्षम और शिक्षा के प्रति समर्पित भावनावाले अध्यापक, पाठयक्रम क्रियान्वयन को सफलता के मंच तक ले जाने में पूर्णतया सहायक होंगे।

राष्ट्रीय पाठयचर्या की रूप रेखा 2005 :–

प्रत्येक राष्ट्र की भांति भारतवर्ष में भी एक ऐसे पाठयक्रम की परिकल्पना की जा रही है जो कि शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक एवं क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकें। भारत में विभिन्न भाषाएं, सभ्यताएं, संस्कृतियां, धर्म, जाति एवं सम्प्रदाय प्राचीनकाल से ही रही है। एन.सी.ई.आर.टी. के अध्यक्ष ने राष्ट्रीय पाठयक्रम संरचना सन 2005 में प्रस्तुत किया, जिसमें राष्ट्रीय पाठयक्रम सन 1988 एवं राष्ट्रीय पाठयक्रम संरचना सन 2000 के विषयों को परिमार्जित, क्रमबद्ध एवं सुसंगठित रूप में प्रस्तुत किया। इसके साथ–साथ इसमें नवीन विषयों का समावेश भी किया गया। राष्ट्रीय पाठयक्रम सन 2005 में समाहित बिन्दु निम्नलिखित हैः–

- बोझ के बिना सीखने की प्रक्रिया का समावेश।
- भाषाई शिक्षा का समावेश।
- अनुदेशन का माध्यम।
- सामान्य विद्यालयों की व्यवस्था।
- धर्म निरपेक्षता का समावेश।

- सामाजिक भावनाओं का समावेश।
- राष्ट्रीय एकता का समावेश।
- रूचिपूर्ण शिक्षा व्यवस्था।
- छात्रों का स्वतंत्र विकास।
- शिक्षक सशक्तिकरण का समावेश।
- अभिभावकों की सहभागिता।
- पूर्व कार्यक्रम का समावेश।
- कक्षा कक्ष व्यवस्था पर विचार।
- वित्तीय एवं मानवीय श्रोतो पर विचार।
- मानवीय मूल्यों का समावेश।
- पूर्व कार्यक्रमों की असफलता पर विचार।

NCERT द्वारा राष्ट्रीय पाठयक्रम सन् 2005 की संरचना में पूर्ण सावधानी का प्रयोग किया है। इस पाठयक्रम में उन सभी तथ्यों को दूर किया गया है जिनके कारण पाठयक्रम क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न होती है तथा उन तथ्यों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया जो पाठयक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन से संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था को आधार प्राप्त हुआ है। प्रत्येक स्तर पर पाठयक्रम में उन सभी बिन्दुओं को समाहित किया गया है जो छात्र–छात्राओं के सर्वांगीण विकास को योगदान देते हैं।

राष्ट्रीय पाठयक्रम संरचना सन 2005 के उद्देश्य :–

प्रत्येक योजना, कार्यक्रम एवं पाठयक्रम से पूर्व उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, इसी क्रम में राष्ट्रीय पाठयक्रम सन 2005 की संरचना के पूर्व निम्नलिखित उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है:–

- राष्ट्रीय विकास।
- राष्ट्रीय एकता का विकास।
- छात्र में अध्ययन के प्रति रूचि का विकास।
- सामाजिक एकता का विकास।
- अभिभावक की आकांक्षाओं की पूर्ति।
- मानवीय मूल्यों का विकास।
- भाषाई समस्या का समाधान।
- स्तरानुकूल शिक्षण विधियां।
- प्रभावी शिक्षण का उद्देश्य।
- शिक्षकों में आत्म विश्वास का विकास।
- शिक्षण साधनों में समन्वय स्थापित करना।
- छात्रों का सर्वांगीण विकास।
- संस्कृति का संरक्षण।
- मानसिक एवं शारीरिक विकास का समन्वयन।

राष्ट्रीय पाठयक्रम संरचना 2005 की आवश्यकता एवं महत्व :–

राष्ट्रीय पाठयक्रम संरचना सन 2005 की आवश्यकता एवं महत्व को स्पष्ट करने वाले प्रमुख तथ्यों के बिन्दु निम्नानुसार है :–

- नवीन तथ्य समावेश के लिए।

- पाठ्यक्रम विकास के लिए।
- परिवर्तन के अनुरूप पाठ्यक्रम।
- मानवीय मूल्यों के विकास के लिए।
- भाषाई समस्या के समाधान के लिए।
- कक्षा कक्ष शिक्षण के लिए।
- छात्र की संतुष्टि के लिए।
- शिक्षकों की संतुष्टि के लिए।
- अभिभावक की संतुष्टि के लिए।
- शोध परिणामों के प्रयोग के लिए।
- शिक्षण विधियों के विकास के लिए।
- शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए।

शिक्षा के क्षेत्र में नई संचेतनाएं :—

जन जातीय शिक्षा :—

अनुसूचित जातियों की शिक्षा :—

अनुसूचित जाति के लोग जो बहुत समय से दलित है, पिछड़े हुए है, उन्हें समाज के साथ लाने के लिए अनुसूचित जाति के समान शिक्षा के सभी स्तरों पर भी क्षेत्रों में चार आयामों— ग्रामीण पुरूष, ग्रामीण स्त्री, नगरीय पुरूष और नगरीय स्त्रियों के विकास पर ध्यान देना होगा। निर्धन परिवारों को उनके बच्चों के लिए 154 वर्ष की आयु तक निरंतर विद्यालय में भेजने हेतु प्रोत्साहन दिया जाय। माध्यमिक से पहले कक्षा 1 से ही उन बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाय, जिनके माता—पिता खाल उतारने, रंगने और साफ करने का कार्य करते हैं —

- अनुसूचित जातियों में से शिक्षकों का चयन किया जाय।
- अनुसूचित जातियों की शैक्षिक सुविधाएं हेतु एच.आर.ई.पी. और आर.एल.ई.जी.पी. श्रोतो का उपयोग किया जाये।
- अनुसूचित जातियों में शिक्षा के विकास के लिए, बालवाड़ी, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र और विद्यालय भवनों का निर्माण के स्तर में गिरावट अपव्यय व अवरोधन न हो। इस पर विशेष ध्यान दिया जावें।

अनुसूचित जन जातियों की शिक्षाः—

अनुसूचित जन जातियों को अन्य लोगों के बराबर लाने के लिए नई शिक्षा नीति में जो उपाय सुझाये गए है उनमें प्रमुख हैः—

- जन जातियों क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय खोले जायें। उनके भवन निर्माण हेतु HREP तथा RLEGP के साथ—साथ शिक्षा के सामान्य कोष से भवन निर्माण हेतु सहायता की जाये।
- वृहद स्तर पर आश्रम व आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जाये।
- अनुसूचित जन जातीय शिक्षित व प्रतिभाशाली युवकों को अनुसूचित क्षेत्रों में शिक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जाये।
- अनुसूचित जन जातीय क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर आंगनवाड़ी, अनौपचारिक तथा प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जाये।

- जन जातियों के सामाजिक–सांकृतिक वातावरण की अपनी विशेषताएं है। उनमें से उनकी अपनी बोली। प्राथमिक स्तर पर अपनी बोली में ही पाठयक्रम तथा निर्देशात्मक सामग्री का निर्माण किया जाये, जिससे अपनी सांस्कृतिक पहचान, सृजनात्मक प्रतिभा के प्रति चेतना उत्पन्न हो सके।
- उच्च्व शिक्षा के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्तियों में तकनीकी तथा व्यावसायिक पढ़ाई को अधिक महत्व दिया जावें।
- सामाजिक तथा मानसिक अवरोधों को दूर करने के लिए विशेष उपचारात्मक पाठयचर्या तथा अन्य कार्यक्रम चलाये जायेंगे ताकि आदिवासी विद्यार्थी सफलता से अपनी पढ़ाई पूरा कर सकें।

शैक्षिक अवसरों की समानता :–

समानता का अर्थ यह नहीं है कि सभी, सभी प्रकार से समान है, यहां समानता का अर्थ अवसर की समानता से है। राज्य सरकार की ओर से सभी को समान समझा जाये । रंग, जाति, धर्म व प्रजाति के आधार पर भेद न किया जाये। किसी वर्ग विशेष या समुदाय विशेष को विशेष अधिकार न दिये जाये।

समानता से तात्पर्य ऐसी परिस्थितियों से है जिनके कारण सभी को अपने व्यक्तित्व का विकास अपनी क्षमता के अनुसार करने के समान अवसर प्राप्त हो सके तथा सभी को उन्नति के समान अवसर प्राप्त हो सकें।

अनुच्छेद 46 के अनुसार ''राज्य द्वारा समाज के कमजोर वर्गों विशेषतः अनुसूचित जाति/जन जाति के शैक्षिक अधिकारों की देखभाल''।

रूसो के अनुसार '' शैक्षिक समानता देशवासियों के धन समर्पण के कारण नहीं बल्कि बालकों के सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों के कारण होती है''।

समानता अब सभी के लिये शिक्षा का व्यक्तित्व मात्र नहीं है। शैक्षिक अवसरों की समानता का तात्पर्य है उद्देश्यों के ढांचे में एवं हमारे विशिष्ट समाज के द्वारा स्थापित नियमों की संरचना में रहकर प्रतियोगिता का सभी को समान अवसर देना।

ब्रोफ्रेनेर ने कहा है कि ''समानता एक वैधानिक पद है जिसके अनुसार शिक्षा का वितरण क्षमता एवं योग्यता के आधार पर होना चाहिए''।

अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने 1972 में शैक्षिक अवसरों की समानता की व्याख्या की और उसे अपनी रिपोर्ट "Learing Tobe" शीर्षक के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। इसके अनुसार समानता को तीन भागों में बांटा गया :–

1. प्रवेश के अवसरों की समानता।
2. सफलता के अवसरों की समानता।
3. व्यक्तित्व शिक्षा के अवसरों की समानता।

भारतीय संविधान मुख्यतः सामाजिक, प्रजातन्त्रात्मक एवं धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर आधारित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी इस बात पर जोर दिया गया है कि भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा अवसर की समानता प्राप्त करने की चेष्टा की जावेगी और उसी के तहत संविधान में वयस्कों को मताधिकार, सार्वजनिक नौकरियों में समानता, छुआछूत निवारण एवं धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जावेगा।

उपरोक्त तथ्यों को सफलतापूर्वक संचालन के लिए संविधान की धारा 42, 43, 44, 45, 46, 47 में प्राविधान किया गया है। इसमें शिक्षा तथा कार्यों के अधिकार को मान्यता प्रदान की है।

महिला सशक्तिकरणः–

- शिक्षा का प्रयोग स्त्रियों के स्तर में परिवर्तन लाने के लिए एक साधन के रूप में किया जावेगा। प्राचीन विषमताओं को समाप्त कर शिक्षा को स्त्रियों के लिए सुलभ बनाया जायेगा। नई शिक्षा प्रणाली में इसकी भूमिका सकारात्मक होगी। पुनरीक्षित पाठयक्रम, पाठयपुस्तकों, शिक्षाओं से प्रशिक्षण तथा अभिनव निर्णय लेने की क्षमता तथा शिक्षा संस्थानों के सक्रिय सहयोग द्वारा उनमें नवीन मूल्यों का विकास होगा। स्त्री अध्ययन का विकास अनेक शिक्षण संस्थाओं को प्रोत्साहित करके किया जावेगा।
- महिला में साक्षरता प्रसार को सर्वपरि प्राथमिकता दी जायेगी।
- समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किया जाये तथा उनका सुचारू रूप से क्रियान्वयन किया जाये।
- विभिन्न स्तरों पर व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जायें। जिससे लिंग भेद को समाप्त किया जा सकें।
- महिलाओं की शिक्षा के लिए प्राथमिकता के आधार पर धन आवंटित किया जाना चाहिए।
- अंशकालीन, पूर्णकालिन रोजगारों की व्यवस्था महिलाओं के लिए किया जाना चाहिए।
- म.प्र. के अन्तर्गत बालिका शिक्षा के लिए निम्नानुसार योजनाएं संचालित है –
  - बालिकाओं की प्रारंभिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम।
  - कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों एवं छात्रावास की स्थापना।
  - सर्वशिक्षा अभियान।
  - साइकिल वितरण कक्षा 6वीं में प्रवेश पर।
  - सामान्य निर्धन छात्रवृत्ति योजना (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति को समस्त कक्षा 1 से 5 तक दर्ज के लिए 150/–, कक्षा 6 से 8 तक दर्ज के लिए 300/–, कक्षा 9 से 10 तक दर्ज के लिए 400/– वार्षिक छात्रवृत्ति का प्रावधान है)।
  - गणवेश वितरण (कक्षा 1 से 8 तक प्रविष्ट सभी बालिकाएं)।
  - खोज यात्रा का प्रबंधन (कक्षा 5 से 8 तक प्रविष्ट सभी बालिकाएं)।
  - माँ बेटी मेला का आयोजन।
  - ब्रिज कोर्स की व्यवस्था।

महिला सशक्तिकरण के लिए शासन द्वारा किये जा रहे प्रयास निम्नानुसार हैः–

- संविधान में केन्द्र सरकार के विचार।
- राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन।
- संविधान में संशोधन।
- न्यायिक सशक्तिकरण।
- घरेलू हिंसा पर रोक।
- महिला विरोधी कानूनों पर रोक।
- महिलाओं को संपत्ति संबंधी अधिकार।
- आर्थिक सशक्तिकरण।
- विश्व स्तर पर महिला सशक्तिकरण।
- औद्योगिक क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण।
- कामकाजी महिलाओं के लिये विशेष सुविधा।
- महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं।

- शैक्षिक महिला सशक्तिकरण।
- स्वास्थ्य सशक्तिकरण।
- अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका।

लाड़ली लक्ष्मी योजनाः— माह अप्रैल 2007 से क्रियान्वित।

- बालिकाओं के नाम से प्रतिवर्ष 6000/—, पांच वर्षों तक कुल 30000/— के राष्ट्रीय बचत पत्र क्रय किये जावेंगे।
- बेटी के कक्षा 6 में प्रवेश पर रू. 2000/—
- बेटी के कक्षा 9 में प्रवेश पर रू. 4000/—
- बेटी के कक्षा 11 में प्रवेश पर रू. 7500/—
- बेटी के कक्षा 11 एवं 12 में पढ़ाई के समय 2 वर्ष तक रू. 200/— प्रतिमाह।
- 21 वर्ष की होने पर शेष राशि। इस तरह कुल राशि रू. 1 लाख से अधिक।

बाल अधिकारः—

दिनांक 02 सितम्बर 1990 को विश्व के 151 देशों (भारत सहित) के प्रतिभागियों ने बच्चों के विशेष अधिकारों की स्वीकृति दी है, ये अधिकार जन्म सिद्ध अधिकार है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। जनम होते ही विश्व के प्रत्येक बच्चे को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है। बाल अधिकार प्रत्येक बच्चे को उसके जन्म से ही बिना किसी भेदभाव के प्राप्त हो जाते है। 18 वर्ष की आयु तक विश्व के सभी बच्चे इन अधिकारों की श्रेणी में आते है।

- जीवन जीने का अधिकार।
- भागीदारी का अधिकार।
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, खेलने एवं सांस्कृतिक कार्यों में भागीदारी का अधिकार।
- कानूनी संरक्षण का अधिकार।
- शारीरिक व मानसिक रूप से अपरिपक्व बच्चों की सुरक्षा का अधिकार।
- स्वास्थ्य सेवायें पाने का अधिकार।
- प्रत्येक बच्चे के लिए, बच्चे अथवा उसके माता पिता अथवा कानूनी अभिभावक की जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति तथा अन्य विचार राष्ट्रीय जातीय अथवा सामाजिक उद्गम, संपत्ति, विकलांगता, जन्म और हैसियत के किसी भी भेदभाव के प्रदत्त अधिकारों का सम्मान करना।
- बच्चे के माता—पिता, कानूनी अभिभावकों अथवा परिजनों की हैसियत— गतिविधियों, व्यक्त विचारों अथवा विश्वासों के कारण बच्चे को किसी भी प्रकार के भेदभाव या दण्ड से सुरक्षा का अधिकार है।
- प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाया गया है एवं सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और जिन बच्चों को आवश्यकता है उन्हें निःशुल्क शिक्षा और वित्तीय सहायता प्राप्त करने का अधिकार है।

बालकों के विधिक अधिकारः—

- बाल कामगारों की विधियां।
- बालक (श्रम गिरवीकरण) अधिनियम।
- कारखाना अधिनियम।
- खान अधिनियम।

- मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम।
- बाल श्रम (प्रतिषेध तथा विनिमय)
- बच्चों की शालाओं में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा पढ़ाई के बीच में ही बच्चों के स्कूल छूट जाने की दर कम करना।
- स्कूल में अनुशासन के तरीके, बच्चे की मानवीय गरिमा के प्रावधानों के अनुरूप रखे जाने का प्रावधान है।
- आर्थिक शोषण और जोखिम भरे अथवा बच्चे की शिक्षा में बाधा डालने वाले अथवा बच्चे के स्वास्थ्य अथवा शारीकि, मानसिक आध्यात्मिक, नैतिक या सामाजिक विकास के लिए हानिप्रद कार्यों में संरक्षण का बच्चे का अधिकार है।
- बच्चों के व्यक्तित्व प्रतिभावों तथा मानसिक एवं शारीरिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो, इसलिए आराम करने, खेलने अपनी उम्र के अनुरूप मनोरंजन करने और सांस्कृतिक जीवन तथा कलाओं से मुक्त रूप से भाग लेने के, बच्चे के अधिकार को मान्यता प्राप्त है।
- नशीले पदार्थों के अवैध इस्तेमाल से बच्चे और ऐसे पदार्थों के अवैध उत्पादन तथा तस्करी में बच्चों को लगाया जाना रोकने के लिए विधायी, प्रशासनिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक उपाय किये गये है।
- यौन शोषण तथा यौन दुर्व्यवहार के सभी रूपों से बच्चों को बचाने के लिए सभी उपयुक्त राष्ट्रीय द्विपक्षीय और बहुपक्षीय उपाय किये गये है। इस प्रकार किसी बच्चे का किसी अवैध यौन कार्य के लिए फुसलाना या जोर जबरदस्ती करना अवैध है।
- अठ्ारह वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को अपराधों के लिए न तो मृत्युदण्ड दिया जावेगा न ही ऐसा आजीवन कारावास दिया जावेगा जिससे मुक्त होने की आशा न हो।

पाठगत प्रश्न

प्रश्न 8. अनुसूचित जातियों की शैक्षणिक सुवधिाओं हेतु.........................श्रोतो का उपयोग किया जाये।

प्रश्न 9. ब्रोफ्रेनर ने कहा है कि ''..................................'' होना चाहिए।

प्रश्न 10. अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग से 1972 में शैक्षिक अवसरों की समानता की व्याख्या अपनी रिपोर्ट शीर्षक के अन्तर्गत प्रस्तुत कीजिए।

प्रश्न 11. महिला सशक्तिकरण के अन्तर्गत साइकिल वितरण .... में प्रवेश के उपरांत दिया जाता है।

इकाई सारांशः–

प्रस्तुत इकाई के अध्ययन से शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, म.प्र. जन शिक्षा अधिनियम 2002, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1987, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, राष्ट्रीय पाठयचर्या की रूपरेखा 2000 एवं 2005, शिक्षा के क्षेत्र में नई संचेतनाएं (जन जातिय शिक्षा, शैक्षिक अवसरों की समानता, महिला सशक्तिकरण, बाल अधिकार) के संबंध में वर्णित किया गया है।

आत्म परीक्षण के प्रश्नः–

- निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किन–किन विद्यालयों में बालकों को प्रदान नहीं किया जा रहा है। सूची बद्ध कीजिए।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, 1987, 1992 के संबंध में उन शिक्षकों/विद्यालयों की सूची बनाइए जिन्हें इस संबंध में जानकारी अप्राप्त है।

- जन जातिय समुदाय को दी जाने वाली सुविधाओं की सूची बनाइए।
- महिला सशक्तिकरण पर एक निंबंध लिखे।
- बाल अधिकार में प्रदत्त अधिकारों की सूची बनाइए।

नियत कार्य / गतिविधियाः–

- शिक्षा के संवैधानिक प्रावधानों की विशेषताओं के संबंध में परिचर्चा का आयोजन करें।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित बिन्दुओं पर समूहगत क्रियाकलापों का आयोजन करें।

चर्चा के बिन्दुः–

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप कुछ बिन्दुओं पर चर्चा करना चाहे व कुछ अन्य विषय में स्पष्टीकरण चाहे, ऐसी स्थिति में उन्हें नीचे लिखे –

(अ) चर्चा के बिन्दु ....

(ब) स्पष्टीकरण के बिन्दु ....

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

उत्तर 1. 26 जनवरी 1950

उत्तर 2. 27 अगस्त 2009

उत्तर 3. कक्षा

उत्तर 4. जन्म प्रमाण पत्र व स्थानांतरण प्रमाण पत्र

उत्तर 5. 50 प्रतिशत

उत्तर 6. चार, 1:40

उत्तर 7. 14, 12

उत्तर 8. NREP, RLEGP

उत्तर 9. ''समानता एक वैधानिक पद है, जिसके अनुसार शिक्षा का वितरण क्षमता एवं योग्यता के आधार पर''

उत्तर 10. Learning to be.

उत्तर 11. कक्षा 6वीं

– – – –

पत्राचार पाठ्यक्रम

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

(द्वारा सर्वाधिकार सुरक्षित)

डिप्लोमा इन एज्युकेशन परीक्षा

प्रथम वर्ष

प्रथम प्रश्न पत्र

विषय– भारतीय समाज में शिक्षा

विषयः– बाल केन्द्रित शिक्षा एवं शिक्षण की कक्षागत प्रक्रिया। **पाठ – 10**

विषयांश– अर्थ एवं महत्व।

बाल केन्द्रित शिक्षा एवं शिक्षक केन्द्रित शिक्षा में अन्तर।

बाल केन्द्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका।

अन्य क्रियात्मक गतिविधियां।

शैक्षिक वातावरण निर्माण।

मित्रवत कक्षा प्रबन्धन।

सृजनात्मक गतिविधियां।

स्वअधिगम के लिए समूह कार्य, सांस्कृतिक गतिविधियां, क्षेत्र भ्रमण आदि।

सम–सामयिक शिक्षण विधियां यथा दक्षता संवर्धन, सक्रिय अधिगम प्रविधि गतिविधि आधारित अधिगम।

प्रिय छात्राध्यापक!

विगत इकाई में आपने शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान, शुल्क एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार एवं अधिनियम 2009, शिक्षा के क्षेत्र में नई संचेतनाएं का अध्ययन किया। प्रस्तुत पाठ में बाल केन्द्रित शिक्षा एवं शिक्षक केन्द्रित शिक्षा में अन्तर विषय को समझायेगे। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से पाठ को तीन उप इकाईयों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक उप इकाई के पश्चात पाठगत प्रश्नों का भी समावेश किया जायेगा।

प्रस्तावना–

बाल केन्द्रित शिक्षा में बालक को महत्व दिया जाता है। इस प्रणाली में बालक की रूचियों, क्षमताओं, विषयगत आवश्यकताओं को विशेष ध्यान में रखकर शिक्षण की योजना बनाई जाती है। शिक्षक केवल मार्गदर्शक होता है। इसमें अध्यापन प्रक्रिया से हटकर अध्ययन प्रक्रिया पर विशेष बल दिया जाता है। इसके द्वारा बच्चों में ऐसी क्षमताएं विकसित की जानी है जिससे बच्चे स्वयं करके सीखे और आज की वर्तमान परिस्थिति में अपने स्तर से जानकारियां प्राप्त कर अपने ज्ञान को समयानुरूप बना सकें।

शिक्षक बालक को स्वयं खोजने, देखने, प्रयोग करके निष्कर्ष प्राप्त करने हेतु प्रेरित करता है। इससे बच्चों का बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक, सृजनात्मक गुणों का विकास होता है। बाल केन्द्रित शिक्षा के अन्तर्गत शैक्षिक वातावरण निर्माण, मित्रवत कक्षा प्रबंधन, सृजनात्मक गतिविधियों के लिए समूह कार्य, सांस्कृतिक गतिविधियां, क्षेत्र परिभ्रमण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। समसामयिक शिक्षण विधियों के अंतर्गत दक्षता संवर्धन, सक्रिय अधिगम प्रविधि एवं गतिविधि आधारित अधिगम पर विशेष ध्यान देकर बालक को शिक्षित किया जाता है।

मूल्यांकन भी बालक के विकास के संपूर्ण क्षेत्रों का होता है। मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता के साथ–साथ व्यावहारिक ज्ञान की प्रगति व अध्ययन से प्राप्त ज्ञान का परीक्षण भी होता है।

बाल केन्द्रित शिक्षा का अर्थः–

शिक्षा में अध्यापन प्रक्रिया से हटकर अध्ययन प्रक्रिया पर बल देते हुए अपनी रूचियों, क्षमताओं, और विषयगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ''स्वयं करके सीखते'' हुए बालक अपना सर्वांगीण विकास करते हैं। इस प्रक्रिया को बाल केन्द्रित शिक्षा कहा जाता है।

बाल केन्द्रित शिक्षा के अन्तर्गत बालकों का बौद्धिक, सामाजिक, सृजनात्मक, भावनात्मक विकास (सर्वांगीण विकास) शिक्षक के मार्गदर्शन एवं पथ प्रदर्शन के द्वारा होता है।

बाल केन्द्रित शिक्षा का महत्वः–

- बाल केन्द्रित शिक्षा एक सच्ची शिक्षा है, इसमें बालक को केन्द्र बिन्दु मानकर बालक को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है।
- बाल केन्द्रित शिक्षा में बालक की रूचियों, अभिरूचियों, क्षमताओं, आवश्यकताओं को ही महत्वपूर्ण माना जाता है।
- बाल केन्द्रित शिक्षा में समस्त शैक्षणिक कार्यक्रम, आवश्यक दक्षता, जानकारी एवं दृष्टिकोण प्राप्त कर सकने योग्य बालक को बनाता है तथा जीवन मूल्यों के निर्वाह की तैयारी करता है।
- बाल केन्द्रित शिक्षा बच्चों के अनुभवों पर आधारित होती है।
- बालक अपनी रूचियों एवं क्षमताओं के आधार पर परिस्थितियों का चयन करता है।
- स्वयं खोजने, अवलोकन करने, व्याख्या करने निष्कर्षों की प्राप्ति हेतु शिक्षक केवल मार्गदर्शन करता है तथा आवश्यकतानुसार सहयोग करता है।

- शिक्षक बालक के सर्वांगीण विकास के लिए शैक्षणिक परिस्थितियां निर्मित करता है, जिससे बालक स्वयं विभिन्न गतिविधियों द्वारा स्वयं की प्रगति कर सकें।
- बाल केन्द्रित शिक्षा में सारांश लिखवाने, नोटस देने, भाषण देने, अच्छे उत्तर लिखवाने के लिए शिक्षकों को हतोत्साहित किया जाता है।
- बाल केन्द्रित शिक्षा के द्वारा बच्चों में आत्मानुसार, स्वावलम्बन एवं अध्ययवसाय जैसे गुण विकसित होते है।
- बाल केन्द्रित शिक्षान्तर्गत बालक सीखने की परिस्थितियों से लेकर निष्कर्ष निकलवाने तक समस्त प्रक्रियाओं में सक्रिय योगदान देने, उन्हें क्रियान्वित करने व परिणाम निकालने में योगदान देता है।
- बाल केन्द्रित शिक्षा में मूल्यांकन सही एवं सार्थक होता है एवं साथ–साथ होता है।
- बाल केन्द्रित शिक्षा में बालक असफलताओं, समस्याओं का कारण खोजकर अपने विवके से सुलझाने का प्रयास करता है, जो उसे सजग एवं सचेत बनाता है।

बाल केन्द्रित शिक्षा एवं शिक्षक केन्द्रित शिक्षा में अन्तरः–

क्र.	बाल केन्द्रित शिक्षा	शिक्षक केन्द्रित शिक्षा
1	बालक को केन्द्र बिन्दु मानकर, उनकी रूचियों, अभिरूचियों, क्षमताओं एवं आवश्यकताओं को सर्वोपरि रखा जाता है। इससे बालकों में सक्रियता एवं रूचि जागृत होती है।	इसमें अध्यापन महत्वपूर्ण होता है, अध्यापक मनमानी ढंग से बालकों को पढ़ाते है उनकी रूचियों, आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता है, इससे बालकों में उदासीनता तथा अरूचि उत्पन्न होती है।
2	व्यक्तिगत विकास होता है।	व्यक्तिगत विकास नहीं होता है, कभी–कभी समस्या मूलक बन जाते है।
3	समस्त शैक्षणिक कार्यक्रमों का आधार विद्यार्थी होता है, जीवन मूल्यों के निर्वाह के लिए तैयारी करता है, सीखने की परिस्थितियों से लेकर, निष्कर्ष प्राप्त करने तक समस्त प्रक्रियाओं में सक्रिय योगदान बालक के द्वारा ही होता है।	थोपी गई शिक्षा होती है, समस्त शैक्षणिक कार्यक्रम पूर्व नियोजित होता है, वैयक्तिक, विभिन्न रूचियों, आवश्यकताओं, क्षमताओं को ध्यान में रखे बिना आयोजित किया जाता है। इस शिक्षण में बच्चों को ऊबाउ एवं दण्ड प्रतीत होता है, जिससे बालकों का सक्रिय योगदान नहीं होता है।
4	बाल केन्द्रित शिक्षा बालकों के अनुभवों पर आधारित होती है, सृजनात्मकता का विकास होता है बालकों के अन्तःकरण में छुपी जिज्ञासाओं का उत्तर, समस्याओं का समाधान वह स्वयं अपने अनुभव व क्रियाकलापों द्वारा करता है, इससे बालक के व्यक्तित्व का चतुर्मुखी विकास होता है।	इस शिक्षा में बालक की सृजनात्मक शक्तियों का विकास नहीं होता है, शिक्षक द्वारा दिये गये सुझावों के आधार पर बालक विभिन्न तथ्य एकत्रित करते है कुछ समय पश्चात भूल जाते है, बालक अपनी रूचि की दिशा नहीं खोज पाते है। अभिरूचियों, क्षमताओं,

		मौलिक अभिवृत्तियां विकसित नहीं होती है, व्यक्तित्व कुंठित हो जाता है इससे अनेक बच्चे जीवन में पिछड जाते हैं।
5	बाल केन्द्रित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य बालक का सर्वांगीण विकास, पाठयक्रम लचीला एवं व्यापक होता है।	मुख्य लक्ष्य ज्ञानार्जन एवं जटिल पाठयक्रम होता है।
6	बच्चों में बाल केन्द्रित शिक्षा के द्वारा आत्मानुशासन, स्वावलम्बन एवं अध्ययवसाय गुणों का विकास होता है। सूझबूझ एवं तार्किक बुद्धि के साथ–साथ कठोर परिश्रम की आदत विकसित होती है।	शिक्षक केन्द्रित शिक्षा के द्वारा अरूचिकर वातावरण, अमनोवैज्ञानिक शैक्षणिक कार्यक्रम तथा उद्देश्यहीन शिक्षा से बालकों में स्वअनुशासन, स्वावलम्बन, श्रम, स्वाध्याय आदि गुणों का विकास नहीं होता है।
7	मूल्यांकन सार्थक, सही तथा सर्वांगीण विकास का किया जाता है तथा मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ एवं सतत् प्रक्रिया द्वारा पूर्ण होता है।	मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठ एवं सृजनात्मकता का अभाव होता है। बालकों का सार्थक, सही तथा सर्वांगीण विकास का मूल्यांकन नहीं होता है। मूल्यांकन वार्षिक परीक्षा द्वारा होता है।
8	शिक्षक तथा शिक्षा के प्रति आदर–सम्मान जागृत होता है।	शिक्षक तथा शिक्षा के प्रति आदर–सम्मान जागृति नहीं हो पाता है।

पाठगत प्रश्न

प्रश्न 1. बाल केन्द्रित शिक्षा में .... को केन्द्र बिन्दु माना जाता है।

प्रश्न 2. बाल केन्द्रित शिक्षा में ....प्रक्रिया पर बल दिया जाता है।

प्रश्न 3. बाल केन्द्रित शिक्षा बच्चों में .... एवं ....जैसे गुणों का विकास होता है।

प्रश्न 4. बाल केन्द्रित शिक्षा में ....साथ–साथ होता है।

उप इकाई – 2

बाल केन्द्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका–

बाल केन्द्रित शिक्षा में शिक्षक के द्वारा, बालक की रूचियों, क्षमताओं, विषयगत आवश्यकताओं को विशेष ध्यान में रखकर, बालकों के बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक, श्रृजनात्मक विकास हेतु शिक्षकों के द्वारा शैक्षिक वातावरण निर्माण, मित्रवत कक्षा प्रबंधन, सृजनात्मक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। समसामयिक शिक्षण विधियों के अन्तर्गत दक्षता संवंर्धन, सक्रिय अधिगम प्रविधि एवं गतिविधि आधारित अधिगम पर विशेष ध्यान देकर बालकों को शिक्षित किया जाता है।

बाल केन्द्रित शिक्षा में शिक्षक एक पथप्रदर्शक सुविधादाता एवं मार्गदर्शक होने के कारण बालकों को परिस्थितियों के चयन, खोजी प्रवृत्तियों के विकास, जिज्ञासाओं को उभारने, बात–चीत के अवसर

प्रदान करने, सकारात्मक दृष्टिकोणों के विकास करने एवं समस्या के प्रस्तुतीकरण से लेकर समाधान प्राप्त करने, निहित अधिनियमों की प्राप्ति तक शिक्षक बालकों को सहयोग प्रदान करता है।

बाल केन्द्रित शिक्षण की विधिया–

बाल केन्द्रित शिक्षण की कुछ प्रमुख विधियां निम्नानुसार हैः–

1. अवलोकन विधि
2. आगमन विधि
3. निगमन विधि
4. परिचर्चा विधि
5. प्रायोजन विधि
6. भ्रमण विधि
7. अभिनय विधि
8. कहानी विधि
9. अन्वेषण विधि
10. समस्या समाधान विधि
11. किंडर गार्टन विधि
12. मॉन्टेशसरी विधि

अवलोकन विधि–

इस प्रक्रिया में बालक खोजकर्ता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस विधि में अवलोकन और सिद्धांत क्षमता को प्राथमिकता दी जाती है, बालक स्वयं विचार करते है, स्वयं समस्या के समाधान के लिए वैज्ञानिक विधि अपनाते हैं। विभिन्न श्रोतो से समस्या निराकरण के लिए जानकारी एकत्रित करते है। बालक अपने ज्ञान को अधिक सही, समय, सूक्ष्म निष्ठा, चिन्तन एवं शिक्षा को अपने भविष्य का आधार बनाने वाला खोज करने की जिज्ञासा करने वाला बनता है। इस विधि के ज्ञान से बालकों में अवलोकन, चिन्तन क्षमता, और प्रयोग करने की क्षमता का विकास होता है जो समस्या के समाधान के लिए प्रदत्त एकत्रित करना, प्रदत्तों का विश्लेषण करना, अनुमानित हल तैयार करना, फिर सत्यापन द्वारा सही हल प्राप्त करना सीखते है।

आगमन विधि–

इस शिक्षण में विशिष्ट सिद्धान्तों के माध्यम से सामान्यीकरण की ओर शिक्षण को संचालित किया जाता है। यह सामान्यीकरण किसी नियम, सिद्धांत या संकल्पना की प्राप्ति को सूचित करता है। इस विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर तथा स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण व्यवस्थापना के नियम या सूत्रों का अनुकरण किया जाता है।

जोसेफ लैन्डन के शब्दों में – ''जब भी हम बालकों के समक्ष तथ्य उदाहरण या वस्तुएं प्रस्तुत करते हैं और फिर उनसे अपने स्वयं के निष्कर्ष निकलवाने का प्रयास करते है तब हम आगमन विधि

का प्रयोग करते हैं।'' यह विधि विशिष्ट उदाहरण, निरीक्षण, सामान्यीकरण, परीक्षण आदि पदों पर आधारित होता है।

विशेषताः—

- किसी भी नियम का निर्माण विद्यार्थी आसानी से कर लेता है।
- इस विधि द्वारा विद्यार्थियों में निरीक्षण शक्ति एवं तर्क शक्ति का विकास करती है।
- इस विधि में विद्यार्थी स्वयं हल करने का प्रयास करता है।
- इस विधि द्वारा विद्यार्थियों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है।

निगमन विधि—

इस शिक्षण विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर या दृष्टांत से नियम की ओर चलने के लिए प्रयास किया जाता है। इस विधि के अन्तर्गत संबंधित नियम, सिद्धांत, संकल्पना, आदि के विषय में शिक्षकों के द्वारा पहले जानकारी दे दी जाती है। बाद में अनेकानेक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उसकी पुष्टि की जाती है। इसमें नियम या सिद्धांत की खोज के बालक को श्रम और शक्ति का अपव्यय नहीं करना पड़ता है।

जोसेफ लैन्डन के अनुसार निगमन विधि द्वारा शिक्षण में पहले से परिभाषा या नियम सीखाया जाता है, फिर उसके अर्थों की सावधानी पूर्वक व्याख्या की जाती है और अन्त में तथ्यों का प्रयोग करके उसे पूर्ण रूप से स्पष्ट किया जाता है।

विशेषताएंः—

- इस विधि में अध्यापकीय तैयारी की अधिक आवश्यकता नहीं होती है।
- ज्ञान को शीघ्रता पूर्वक प्रदान किया जा सकता है।
- उच्च कक्षाओं के लिए यह विधि अधिक व्यावहारिक है।
- छात्रों को नियम आदि की खोज में बार—बार भटकना नहीं पड़ता है।
- इस विधि में छात्रों की रूचि अध्ययन के प्रति बनी रहती है।

परिचर्चा विधि—

शैक्षिक समूह क्रिया है। इसमें छात्र सहयोगपूर्वक एक दूसरे से किसी समस्या पर विचार करते है। इस विधि में कोई एक विषय ले लिया जाता है और शिक्षक उस विषय पर छात्रों को वार्तालाप/वाद—विवाद/परिचर्चा के लिए प्रेरित करता है। इस विधि द्वारा शिक्षण एवं छात्र में अन्तः प्रक्रिया के अवसर बढ़ते है। इस विधि की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि छात्रों को अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता होती है। सभी छात्रों को बोलने के लिए प्रेरित किया जाता है। आवश्यकतानुसार शिक्षक भी बीच—बीच में अपने विचार व्यक्त कर आधुनिकतम जानकारी देता है।

विशेषताएंः—

- स्वयं अध्ययन करने, संदर्भ पुस्तक खोजने एवं उनको अध्ययन करने को प्रोत्साहित करती है।
- छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ता है।

- छात्रों को समालोचनात्मक दृष्टि से सोचने, प्रश्न पूछने का अवसर प्राप्त होता है।
- छात्रों के चिन्तन शक्ति का विकास होता है।

प्रायोजन विधि–

किलपैट्रिक के अनुसार ''प्रायोजन वह प्रक्रिया है जिसमें पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। प्रायोजन के अन्तर्गत शिक्षक द्वारा ऐसी परिस्थिति निर्मित की जाती है जिसमें प्रयोजन का चयन, रूपरेखा तैयार करना, कार्यक्रम का क्रियान्वयन, मूल्यांकन स्वयं बालक करता है।

भ्रमण विधि–

सच्चे शिक्षण का एक अति सम्पन्न साधन शैक्षिक पर्यटन है। इससे केवल छात्रों को शैक्षणिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती वरन उन्हें वास्तविक ज्ञान का प्रयोग करने का भी अवसर प्राप्त होता है। उनकी निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। छात्रों को प्रकृति की गोद में वास्तविक रूप से प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है।

विशेषताएं–

- छात्रों को वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करता है।
- इसके द्वारा उन सभी वस्तुओं के विषय में छात्रों को ज्ञान दिया जा सकता है जो कक्षा में सरलता से प्रदर्शित नहीं की जा सकती।
- बालकों में विभिन्न विषयों के प्रति रूचि विकसित करता है।
- छात्रों में उत्तरदायित्व समझने व उसे निभाने की भावनाओं का विकास करता है।
- छात्रों की निरीक्षण शक्ति का विकास करता है।
- छात्र अपने अवकाश के समय का सदुपयोग करना सीख जाता है।
- सैद्धांतिक ज्ञान का संबंध प्रयोगात्मक अथवा व्यावहारिक ज्ञान से प्रदर्शित होता है।

अभिनय विधि–

यह अभिनयात्मक विधि है, जिसका संबंध ज्ञानात्मक तथा सामाजिक कौशल विकसित करने से है। इसमें छात्रों की रूचि, अभिरूचि तथा अभिवृत्ति में परिवर्तन लाया जा सकता है। इसमें अनुकरणीय शिक्षण को महत्व दिया जाता है। इसमें नाटकीय विधि से कक्षा को छोटे–छोटे समूहों में विभक्त कर दिया जाता है और उनसे दूसरों के अनुभवों का अनुकरण करना पड़ता है। अपनी भावनाओं तथा अनुभवों को स्वाभाविक रूप से व्यक्त करना पड़ता है। बिना पूर्व अभ्यास के छात्रों को कोई भूमिका दी जाती है जिसका निर्वहन छात्रों को करना पड़ताहै।

विशेषताएंः–

- छात्रों को अपने मन की भावनाओं और संबंधों को व्यक्त करने का अवसर प्राप्त होता है।
- इसके प्रयोग के समय छात्रों का मनोरंजन होता है।

- छात्रों की अभिव्यक्तियों में परिवर्तन एवं विकास होता है।
- यह मानवीय संबंधों से संबंधित विधि है।
- इसके द्वारा निम्न तथा मध्यम स्तर का ज्ञान, बोध तथा प्रयोग करने की क्षमता प्रभावित होती है।
- इसमें संवंगों की रचना, शारीरिक अभिव्यक्ति, तथा श्लाघात्मक विकास में सहायता मिलती है।

कहानी कथन विधि–

कहानी कथन से तात्पर्य है– कहानी कहना या कहानी सुनाना। कहानी कहते समय विषयवस्तु के सूक्ष्म तथा जटिल अंशों को इतना सरल बनाया जाता है कि कक्षा के सभी बालकों को स्पष्ट हो जाते है। यह प्रविधि छोटे बालकों के शिक्षण में अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुई है। बालक अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति के होने के कारण कहानी सुनने में पूर्ण रूचि लेते है और कहानी द्वारा प्रस्तुत ज्ञान सरलता से समझ लेते है और मन से ग्रहण करते है।

कहानी कथन विधि बालकों की जिज्ञासा बढ़ाने में उनकी काल्पनिक एवं तार्किक शक्तियों के विकास में विषयवस्तु के सूक्ष्म एवं जटिल अंशों के स्पष्टीकरण में अत्यंत प्रभावशील होती है। यह विधि मनोवैज्ञानिक, आकर्षक, एवं रूचिकर से कल्पना की उड़ान में बालकों की बहुत सी नैसर्गिक प्रवृत्तियों का अनायास विकास करता है।

विशेषताएं:–

- कहानी का प्रत्यक्ष संबंध विषय शिक्षण से होता है।
- कहानी की भाषा शैली विषय वस्तु सरल, शुद्ध, मनोरंजक, रोचक, व प्रवाहमय होती है।
- कहानी सुनाते समय छात्रों की मानसिक स्थिति, उनकी रूचियों तथा सांवेगिक विशेषताओं को ध्यान में रखकर विकसित की जाती है।
- कहानी की समाप्ति पर विषय सामग्री पर छात्रों से प्रश्न पूछा जाता है विषय की बोध गम्यता से अवगत होकर चर्चा–परिचर्चा का आयोजन किया जाता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि छात्र विषय सामग्री से अवगत हो चुके है।

अन्वेषण विधि–

श्री गर्ग (1973) ने इस विधि को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि इसमें छात्र इस बात को स्वीकार करते है ''अनुमान तब तक सत्य है कि जब तक कि वह समस्त प्रेक्षित घटनाओं को समझा सके। ये वैज्ञानिक सिद्धांतों तथा घटनाओं के विकास की प्रक्रिया देख सकते है अर्थात् अपरिपक्व अनुमान से लेकर परिपक्व अन्वेषण (खोज) तक।'' जे.एस. ब्रूनर के अनुसार ''खोज विधि में छात्रों को अपने मानसिक स्तर, आयु, कक्षा तथा अन्य संबंधित तथ्यों के अनुरूप भौतिक रूप से नवीन ज्ञान की खोज करनी पड़ती है। इसमें तथ्यों की व्याख्या इस प्रकार की जाती है जिससे नवीन तथ्यों का बोध होने लगता है।'' यह विधि छात्रों को सक्रिय बनाती है और छात्रों के चिन्तन, सूझबूझ तथा निरीक्षण क्षमताओं का विकास करती है।

विशेषताएं:–

- यह विधि छात्रों को खोज विधियों में पारंगत करने की ओर प्रयत्नशील रहती है।
- यह विधि निरीक्षण, चिन्तन तथा सूझबूझ का विकास करती है।
- छात्रों को समझने का अवसर प्रदान करती है।
- सृजनात्मक चिन्तन के विकास में सहायक है।
- ज्ञानात्मक तथा भावनात्मक पक्षों के उच्च उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोगी है।
- इस विधि से प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है।

समस्या समाधान विधि–

इस विधि में छात्र अपने पाठ से संबंधित समस्याएं छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करता है और छात्र अपनी रूचि एवं क्षमता के अनुसार उनके समाधान में लग जाता है। इस विधि में समस्या छात्रों के समक्ष स्पष्ट शब्दों में रखी जाती है तथा उनके अधिगम अनुभवों पर आधारित होती है। शिक्षक के सहयोग से छात्र समस्याओं का संश्लेषण अथवा विश्लेषण करते है और समाधान तक पहुंचने का प्रयत्न करते है। इस विधि में– समस्या का चयन, समस्या का प्रस्तुतीकरण, तथ्यों का एकत्रीकरण, परिकल्पना का निर्माण, समाधानात्मक निष्कर्ष पर पहुंचना, मूल्यांकन, कार्य का आलेखन प्रमुख सोपान है।

विशेषताएंः–

- छात्र समस्याओं का स्वतः हल करना सीखते है।
- छात्रों में निरीक्षण एवं तर्क शक्ति का विकास होता है।
- छात्र सामान्यीकरण करने में समर्थ होते है।
- छात्र आंकड़ों का एकीकरण मूल्यांकन एवं निष्कर्ष निकालने की प्रक्रियाओं से परिचित होते है।
- यह एक प्रेरणात्मक विधि है।

पूर्व में आप इकाई क्र. 7 में माण्टेसरी एवं किण्डर गार्टर पद्धतियों का विस्तृत अध्ययन कर चुके है।

पाठगत प्रश्न

प्रश्न 1. बाल केन्द्रित शिक्षा में शिक्षक के द्वारा बालक की .... को विशेष ध्यान में रखना पड़ता है।

प्रश्न 2. बाल केन्द्रित शिक्षा में शिक्षक एक .... एवं .... होता है।

प्रश्न 3. पहले संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद मूल संकल्पना को प्रस्तुत करते समय किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है?

प्रश्न 4. खेल विधि में .... को अधिक महत्व दिया जाता है।

(क) रूचि और क्रिया (ख) खेल

(ग) स्वाध्याय (घ) खिलौना

उप इकाई – 3

शैक्षणिक वातावरण निर्माण–

बाल केन्द्रित पद्धति में शिक्षक द्वारा बच्चों को बना बनाया ज्ञान का पिटारा नहीं दिया जाता वरन सीखने की परिस्थितियों को इस प्रकार उत्पन्न किया जाता है कि बालक पूर्व अनुभवों के आधार पर अपने ज्ञान का पुनः सृजन करता है। इस पद्धति में शिक्षण प्रक्रिया का बल ज्ञान प्रदान न होकर सीखने की पद्धतियों में क्षमतावान बनाना होता है बच्चों को जानकारी देने के स्थान पर, उनमें उत्सुकता जगानी होती है। उत्सुकता उत्पन्न करने से बालकों में समस्या को हल करने की प्रवृत्ति तथा स्वयं सीखने की आदत का विकास करने में सहायता मिलती है। सीखने के लिए वहीं वातावरण उचित माना जाता है जिसके सहारे बालकों में रचनात्मक सोच को बढ़ाया जा सके। रचनात्मक सोच के द्वारा बालकों की मानसिक क्षमताओं और तर्क शक्ति परिकल्पना बनाना और उसकी सत्यता को परखना आदि को विकसित किया जा सकता है।

बच्चों को किसी भी तथ्य की जानकारी देने के पूर्व सीखने की ओर अग्रसर होने के पूर्व सीखने की ओर आकर्षित करना अत्यावश्यक है। शिक्षा के प्रति रूचि जागृत करने से ही उसमें सीखने के प्रति आकर्षण आन्तरिक होगा। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक सिद्धांतानुसार बालकों में शिक्षण के प्रति रूचि होना अत्यावश्यक है। इसके लिए शाला परिवेश शैक्षणिक गतिविधियों के लिए पूर्णरूपेण तैयार होना चाहिए। शाला परिसर स्वच्छ, दीवाले साफ सुतरी, पुती हुई, चित्रों, कहानियों से चित्रांकित होना चाहिए, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से परिपूर्ण शिक्षक को होना चाहिए। शिक्षक समाख्या तथा स्कूल रेडिनेस कार्यक्रम से पूर्णरूपेण शिक्षक परिचित होकर शाला का परिवेश अध्ययन अध्यापन के लिए तैयार किया जाना चाहिए।

बच्चे को सीखने की ओर प्रवृत्त करने के लिए यह आवश्यक है कि कक्षा में इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न की जाए कि बालक अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर ज्ञान का सृजन कर सके। इस प्रक्रिया से बच्चों को जानकारी देने की अपेक्षा उनमें उत्सुकता जगाना आवश्यक है। इससे बच्चों में रचनात्मक सोच में वृद्धि होगी और वे सीखने की ओर प्रवृत्त हो सकेगे। शाला में रोचक वातावरण तैयार करना, बालकों की इच्छानुकूल, आवश्यकतानुकूल तथा क्षमताओं के अनुकूल, छोटी–छोटी कविताएं, कहानियां, पेड़ पौधों, जीव–जन्तुओं, दैनिक आवश्यकता की पूर्णता हेतु परिवेशीय सामग्रियों का रंगीन चित्र दीवारों पर बनाना चाहिए। चित्र बनाना, उन पर रंग भरवाना, उन पर बातचीत करना, चित्रों से कहानी बनाना, गतिविधियां करना, खेलकूद के आयोजन से बच्चों में सीखने के प्रति आन्तरिक रूप से प्रेरणा प्राप्त होती है जिससे उनमें सीखने के प्रति आकर्षण हो जाता है।

मित्रवत कक्षा प्रबन्धन–

शाला का वातावरण जब शैक्षिक दृष्टिकोण से आकर्षक होता है, शिक्षक बच्चों के साथ मिलकर गीत गाते है, कहानियां सुनाते है। उनके साथ मिलकर बालकों की रूचि के अनुसार खेलते है, वार्तालाप करते है, बच्चों को शाला की दीवारों पर कुछ भी लिखने, चित्र बनाने, चित्रों में रंग भरने की स्वतंत्रता देते है भय मुक्त वातावरण का निर्माण करते है, परीक्षा के भय से मुक्त करते है तभी बालकों का शाला के प्रति लगाव बढ़ता है और बालकों में आत्म सम्मान तथा आत्म विश्वास की भावना विकसित होती है

उनकी जिज्ञासाओं में वृद्धि होती है, स्कूल की ओर न चाहते हुए भी, अनेक बाधाओं के बाद भी भागे–भागे स्कूल को चले आते है तथा शैक्षणिक गतिविधियों में अपनी सहभागिता देकर सीखते है। इस मित्रवत कक्षा प्रबंध के लिए निम्नानुसार दो प्रायोजन म.प्र. शासन द्वारा संचालित की गई थी।

शिक्षक समाख्या–

म.प्र. की प्राथमिक शालाओं में दक्षता आधारित नया पाठ्यक्रम शिक्षक समाख्या का क्रियान्वयन किया गया था। इसका शिक्षकों ने अपनी सूझबूझ व्यावहारिक एवं अनेक प्रकार के क्रियाकलापों को अपनाकर दक्षता आधारित यह पैकेज बनाया है।

प्रमुख उद्देश्य–

- कक्षा एक से पांच तक हर बालक/बालिका, सीखने का वह न्यूनतम स्तर प्राप्त कर ले, जो प्रत्येक कक्षा के लिए निर्धारित है।
- बाल केन्द्रित होने के कारण बच्चों के लिए आनन्ददायी एवं सीखने की इच्छा में वृद्धि (ललक) उत्पन्न करना।
- शाला को आकर्षक बनाया जाता है, जिससे बालकों की रूचि जागृत होती है।
- शिक्षक बच्चों के साथ मिलकर गीत गाते है, कहानी सुनाते है, बच्चों को दीवाल पर कुछ भी लिखने की स्वतंत्रता देते है, मुखौटा पहनकर निर्भयता से गीत गाते है इससे सीखने की प्रक्रिया आनन्दायी बन जाती है।
- शिक्षक समाख्या परियोजना में प्राथमिक शिक्षक को केन्द्र में रखकर शिक्षक की शक्ति और उसकी क्षमता पर विश्वास कर शाला में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाया जाता है।
- शिक्षकों की हीनता बोध से मुक्त कर, उन्हें अपनी प्रतिभा का स्वतंत्र ढंग से उपयोग करने का अवसर प्राप्त होता है।
- समुदाय की सहायता से अच्छा, आकर्षक, रंगविरंगा स्कूल बनने से सभी लोगों का आकर्षक केन्द्र विद्यालय बन जाता है। इससे शिक्षकों के आत्म सम्मान तथा आत्म विश्वास में विकास होता है।
- कक्षा की दीवारों तथा श्यामपट पर कहानियों की पेटिंग भी किया जाता है।
- थोड़े से परिश्रम, जरा सी कल्पनाशीलता और न के बराबर व्यय से शिक्षकगण ऐसी सामग्री का निर्माण कर लेते है जो कक्षा के वातावरण को बच्चों के लिए आनन्दायी और आकर्षक बन जाता है।
- शिक्षण छात्र केन्द्रित और गतिविधि आधारित होती है, इससे बच्चों के सीखने की गति में विकास होता है।
- कक्षा के अन्दर की दीवारों पर जमीन से 3 फीट ऊपर तक काली पट्टी बनाई जाती है इस पर बच्चे आसानी से लिख लेते है।

- कक्षा के अन्दर, काली पट्टी ऊपर, चार्ट्स, गिनती, स्वर व्यंजन, मात्रा, निर्धारित चारों कहानियों के चार्ट, पत्ती के नमूने, प्लास्टिक की पारदर्शी थैलियों में विभिन्न प्रकार के बीच, पत्तियां, फल रंग, मिट्टी आदि के नमूने चिपकाए जाते हैं। उनके नीचे बड़े–बड़े अक्षरों में उन वस्तुओं के नाम लिखे जाते है। सब्जियों, दैनिक उपयोग की वस्तुएं, पशु पक्षी के चित्र काटकर ड्राईंग सीट पर चिपकाकर उनके नाम लिखे जाते है।
- चित्र बनाने एवं रंग के उपयोग के लिए मिट्टी के रंग का उपयोग किया जाता है, रंग के घोल में फेविकोल या सरेस का उपयोग कर रंग पक्का किया जाता है।
- एक दो मीटर लम्बा खादी का सफेद कपड़ा जिस पर काटन कट आउटस की सहायता से पाठ को पढ़ाया एवं गतिविधियां छात्रों से कराया जाता है, कट आउट्स 4" x 4", अक्षर कार्ड्स 4" x 4" चित्र कार्ड्स होते है। मुखौटे– हाथी, गाय, शेर, कौआ आदि का होता है।

विशेषताएं–

- माह के प्रत्येक कार्य दिवस के लिए सीखने का एक ही विशिष्ट लक्ष्य निश्चित किया जाता है।
- प्रतिदिन के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए गतिविधियों का एक समूह होता है जो छात्र केन्द्रित होता है, कोशिश यह होती है कि गतिविधियां छात्रों के परिवेश एवं रूचि के अनुकूल हो।
- छात्रों की रूचि के अनुकूल कक्षा की गतिविधियों को जिज्ञासा पूर्ण और रोचक बनाने के लिए गीत, कहानी एवं अभिनय गीत का समावेश किया जाता है।
- शाला को बाहर–अन्दर आकर्षक बनाया जाता है।
- बच्चों को स्थानीय परिवेश में भ्रमण करने की सुविधा प्रदान की जाती है, जहां से आवश्यकतानुसार शिक्षण सामग्री एकत्रित की जाती है।

सीखना–सिखाना पैकेज–

राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन द्वारा प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु सीखना–सिखाना पैकेज तैयार किया गया। सत्र 1996–97 से म.प्र. की समस्त प्राथमिक शालाओं में क्रियान्वित की गई। सर्वप्रथम कक्षा 1 के लिए यह पैकेज को प्रारंभ किया गया, जिसे बाद में कक्षा 2, 3, 4, 5 के लिए लागू किया जाना था जो कि बाद में क्रियान्वित नहीं हो सका।

सीखना–सिखाना पैकेज का उद्देश्य–

- बच्चों में झिझक का दमन होना।
- दक्षता आधारित अधिगम।
- कल्पनाशीलता का विकास।
- सृजन करने में सक्षम होना।
- शिक्षण प्रक्रिया को आनन्दायी बनाना।

- सीखने के लिए वातावरण का निर्माण करना।
- न्यूनतम अधिगम स्तर प्राप्त करना।
- बस्ते के बोझ से छुटकारा पाना।
- गतिविधि आधारित शिक्षण।
- तनाव उत्पन्न करने वाली तथा रटने वाली विधियों से बच्चों को मुक्ति दिलाना।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निम्न क्रियाएं की जानी थी–

- शैक्षिक खेल।
- कहानी सुनाना व कहानी कहने हेतु प्रेरित करना।
- हाव–भाव, संगीत, लय व नृत्य के साथ कविताएं कहने का अभ्यास कराना।
- चित्र पर आधारित गतिविधियां करना।
- प्रदत्त किट की सहायता से ठोस वस्तुओं से गतिविधियां करना।
- पर्यावरण से सामग्री प्राप्त करने हेतु मार्गदर्शन देना।
- समय–समय पर दक्षता प्राप्ति का मूल्यांकन करते रहना।
- कक्षा की दीवारें, शालाभवन, व परिसर को आकर्षक व सुसज्जित बनाना।
- सृजनात्मकता का विकास करने वाली गतिविधियां सम्पन्न कराना।

सृजनात्मक गतिविधियां –

बच्चों के व्यवहार की उत्कृष्टता जांच तथा खोज तकनीकी से ज्ञान प्राप्त करने पर निर्भर करती है। बच्चों द्वारा स्वयं खोज कर जांच करके जो ज्ञान प्राप्त होता है वह अधिक सार्थक समय और स्थाई होता है। इस तकनीक अन्तर्गत बच्चों को कोई प्रयोग करने के लिए छूट दी जा सकती है। प्राप्त परिणामों से सामान्य निष्कर्ष निकालने को कहा जाता है। बच्चों के निष्कर्षो को सृजनात्मक परिचर्चा के सहारे सामान्य नियमों में परिणित कराया जा सकता है। बच्चों के निष्कर्ष के नियमों के रूप में बदलने के लिए शिक्षक को परिस्थितियों से संबंधित समस्याएं तथ्य और प्रश्न करने पड़ते है। इससे विद्यार्थी निष्कर्षों की खोजने की स्थिति में आते है, अपनी सोच को व्यवस्थित कर प्रस्तुत करते है। परिचर्चा को सृजनात्मक बनाने हेतु–

- बच्चों को उनके निष्कर्ष मौलिक रूप से प्रस्तुतीकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
- निर्भीक रूप से बिना रोक–टोक से प्रस्तुतीकरण के लिए समुचित वातावरण निर्मित करना चाहिए।
- सही गलत का निर्णय बालकों पर छोड़ देना चाहिए।
- सामान्य नियम के निर्माण में बच्चों को ही निष्कर्षों के आधार पर सहायता दिया जाना चाहिए।
- शिक्षक द्वारा मुख्य बिन्दुओं पर बल देते हुए सामान्यीकरण करना चाहिए।

- सृजनात्मक शिक्षण का उद्देश्य समस्या समाधान के लिए छात्रों की सृजनात्मक शक्तियों, योग्यताओं एवं क्षमताओं का विकास करना है।
- कक्षागत वातावरण की आवश्यकता होती है जो सृजनात्मक अनुक्रियाओं को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है।
- सृजनात्मकता के लिए शिक्षक छात्रों को अभिप्रेरित करता है, जिससे छात्र क्रियाशील एवं सृजनशील बनते है।
- इस विधि का प्रारूप निश्चित होता है, इसमें शिक्षक एक निश्चित क्रम में अपनी क्रियाएं शुरू करता है तथा शैक्षिक अनुभवों के लिए व्यावहारिक युक्तियों के प्रयोग हेतु निर्देशन प्रदान करता है, छात्रों को समान अवसर प्रदान करता है तथा आन्तरिक प्रेरणा आवश्यकतानुसार छात्रों को देता है। छात्र सृजनशील बनकर खुशी तथा संतोष महसूस करते है।
- इस विधि में शिक्षक तथा छात्रों की समान भूमिका होती है।
- इसमें छात्रों की सृजनात्मक क्षमता के साथ–साथ उनकी विश्लेषण एवं संश्लेषण करने की योग्यता का भी विकास होता है।

स्व अधिगम के लिए समूह कार्य, सांस्कृतिक गतिविधियां क्षेत्र भ्रमण–

स्व अधिगम के लिए समूह में भावात्मक अभिव्यक्ति की सुविधा मिल पाने के कारण व्यक्तित्व का विकास सर्वांगीण दृष्टि से संभव हो पाता है। समायोजन, अभिवृत्ति निर्माण, आत्म नियंत्रण और सामाजिक संतुलन आदि को सीखना सामूहिक स्थिति में ही संभव हो पाता है। सामाजीकरण को प्रोत्साहित करने की दिशा में सामूहिक अनुदेशन अधिक आवश्यक होता है। सामाजिक कुशलता का विकास और समूह के सदस्यों के मध्य निकट के संपर्क का स्थापन होता है समायोजन और उपचारात्मक उपाय, अधिगम अनुभवों की व्यवस्था और नवीन तथ्य या वातावरण से परिचित कराने के लिए दिशा निर्देशन प्रदान करना भी सामूहिक अनुदेशन के लक्ष्य होते है।

सुरक्षा, भावना, विश्वास तथा निर्भरता जैसे विविध कारक समूह मानसिकता को जन्म देते है। विभिन्न समूहों में व्यक्ति के व्यवहार भिन्न–भिन्न हो सकते हैं। यह व्यवहार समूह की रचना तथा मानक आदि पर निर्भर करता है। समूह के सदस्य का स्थान ग्रहण करना उनकी आयु, परिपक्वता स्तर, बुद्धि समस्या और व्यवहारगत समानता, प्रतिभागिता काल आदि पर निर्भर करता है। कक्षा प्रायः आयु परिपक्वता स्तर और समानता आदि कारको के संदर्भ में निर्मित अधिगमकर्ता का समूह होता है। व्यक्तिगत प्रतिभागिता उद्देश्य हो तो समूह का आकार छोटा हो यह जरूरी हो जाता है अन्यथा सूचना प्रदान करने के लिए बड़े आकार की समूह रचना की जाती है।

समूह शब्द स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि व्यक्ति की आवश्यकता की संतुष्टि के लिए व्यवस्थित समुदाय को समूह कहा जा सकता है जो अन्तर्क्रियाशील हो तथा जिसमें प्रत्येक सदस्य समूह की आवश्यकतानुसार स्वयं के व्यवहार में परिवर्तन करने में तत्पर हो।

स्व अधिगम के लिए समूह कार्य के अन्तर्गत ए.बी.एल. गतिविधि आधारित अधिगम कार्यक्रम शैक्षिक परिभ्रमण एवं सांस्कृतिक गतिविधियों (समूह नृत्य, समूह गायन, विचार संगोष्ठी) खेल (कबड्डी, फुटबाल, वालीवाल, खो–खो आदि) तथा शिक्षक समाख्या, सीखना–सिखाना पैकेज के अन्तर्गत, छात्र

छात्राएं समूह में कार्य कर अपनी क्षमताओं, योग्यताओं, कुशलताओं के साथ–साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करते है।

समसामयिक शिक्षण विधियां–

1. **दक्षता संवर्धन।**
2. **सक्रिय अधिगम प्रविधि**
3. **गतिविधि आधारित अधिगम**

दक्षता संवर्धन–

मध्यप्रदेश की समस्त शालाओं में अध्ययनरत सभी बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करना तथा बच्चों को केन्द्रित करते हुए अभ्यास। गतिविधियों के माध्यम से मूलभूत दक्षताओं की प्राप्ति हेतु कक्षागत प्रक्रिया का निर्धारण करना। बच्चों को उनके सीखने की गति, आपसी सहयोग और मैत्रीभाव के साथ–साथ सीखने के अवसर प्रदान करना है। बच्चे सीखने की गति के साथ–साथ मूलभूत दक्षताओं, भाषा में धारा प्रवाह पढ़ना, व शुद्ध लेखन कर सकना, गणित में संख्याओं की समझ, गणित की संक्रियाओं– जोड़, घटाना, गुणा, भाग को न्यूनतम 80% उपलब्धि के साथ हासिल कर सकना है। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत बच्चों में भाषा (हिन्दी, अंग्रेजी) और गणित की मूलभूत दक्षताओं के विकास की प्रक्रिया, कक्षा में की जाने वाली गतिविधियों, कक्षाओं का समय प्रबंधन व कार्यक्रम की मानिटरिंग आदि का समावेश होता है।

उद्देश्य–

दक्षता संवर्धन कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्नवत हैः–

- दक्षता संवर्धन कार्यक्रम शिक्षकों एवं समुदाय की सहभागिता पर आधारित कार्यक्रम है, जिसमें निश्चित समय सीमा के बीच शाला में दर्ज शतप्रतिशत बच्चों की निर्धारित दक्षता प्राप्त करना है।
- 5 से 11 वर्ष आयु समूह के समस्त शाला जाने योग्य बच्चों की गुणवत्तायुक्त शिक्षा पर ध्यान देना।
- एक निश्चित समय सीमा में सभी बच्चों को मूलभूत दक्षताएं प्रदान करना।
- बच्चों में पढ़ने की आदत का विकास व बच्चों को स्वतंत्र पाठक के रूप में विकसित करना।
- सभी बच्चों का शाला में नामांकन एवं उनकी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना।
- प्रत्येक शिक्षक अपनी–अपनी आवंटित समस्त कक्षाओं के लिए उत्तरदायी होता है।
- सभी बच्चों की गुणवत्तायुक्त शिक्षा के लिए शिक्षकों को प्रेरित करना।
- गुणवत्तापरक कक्षागत प्रक्रियाओं, बच्चों के उपलब्धि स्तर में उन्नयन तथा प्रभावी मानिटरिंग प्रणाली को स्थापित करना।
- परीक्षण करते समय बच्चों को सहज, भयमुक्त स्नेहपूर्ण वातावरण दिया जाता है तथा पढ़ने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

- प्रत्येक बच्चे का अलग–अलग मूल्यांकन किया जाता है तथा प्रत्येक बच्चे का अभिलेख रखा जाता है।
- अच्छे कार्य की पूर्णता उपरांत शिक्षकों एवं समुदाय को पुरस्कृत करना।
- संबंधित पालकों/अभिभावकों को बच्चों की त्रुटियां बताकर आवश्यक संशोधन कर, घर पर भी अभ्यास कार्य कराना।
- त्रुटियों का आवश्यक संशोधन, बच्चों को श्यामपट पर लिखवाकर करना।
- सतत् मानिटरिंग व मूल्यांकन प्रक्रियां, शाला स्तर, जनशिक्षा केन्द्र स्तर, विकास खण्ड स्तर, जिला स्तर, राज्य स्तर (पांचो स्तर) पर सुनिश्चित करना।
- बच्चों की मूलभूत दक्षताओं की अलग–अलग स्तर प्राप्त होने पर, उनके लिए समय सारणी में विशेष कालखण्ड निर्धारित कर, हिन्दी, गणित, अंग्रेजी की मूलभूत दक्षताओं के विकास के लिए अभ्यास/गतिविधियां कराना।
- प्राथमिक स्तर में अध्ययनरत कक्षा 2 से कक्षा 5 तक के समस्त बच्चों में भाषा (हिन्दी, अंग्रेजी) विषय में पढ़ने तथा लिखने की मूलभूत दक्षताओं का विकास करना।
- प्राथमिक स्तर में अध्ययनरत कक्षा 2 से 5 तक के समस्त बच्चों में गणित की मूल संक्रियाओं संख्या की समझ, जोड़ना, घटाना, गुणा ओर भाग तथा कक्षा 4 एवं 5 में अध्ययनरत बच्चों में भिन्न व एकिक नियम की दक्षताओं का विकास करना।
- बच्चों के उपलब्धि स्तर में गुणवत्तापरक कक्षागत प्रक्रियाओं के माध्यम से विकास करना।

सक्रिय अधिगम प्रविधि–

सक्रिय अधिगम प्रविधि एक ऐसी कक्षागत प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी कक्षागत प्रक्रियाओं में सक्रिय सहभागिता करता है। दो मूल मान्यताओं पर – ''सीखना अपनी प्रकृति में एक सक्रिय प्रयास है। अलग–अलग व्यक्ति अलग–अलग तरीकों से सीखते है।'' आधारित सक्रिय अधिगम है। ''सीखना एक सक्रिय प्रवृत्ति है'' के आधार पर विद्यार्थियों को सुनने के अलावा भी कुछ करना पड़ता है। इसके अन्तर्गत पढ़ना, लिखना, चर्चा करना, समस्या निदान की भी कोशिश किया जाता है। विद्यार्थियों की बौद्धिक कार्यों (विश्लेषण, संश्लेषण एवं मूल्यांकन आदि) में सक्रिय रूप से शामिल किया जाता है। कक्षा अध्यापन के समय सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने में ए.एल.एम. सक्रिय अधिगम प्रविधि शिक्षण की एक प्रभावशाली प्रविधि है।

पायलट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत सत्र 2009–10 में प्रत्येक जिले में चयनित 10 माध्यमिक विद्यालय तथा सत्र 2010–11 में प्रत्येक जिले की दो विकास खण्डों की समस्त माध्यमिक विद्यालयों में सक्रिय अधिगम प्रविधि द्वारा शिक्षण कार्य पूर्ण किया जा रहा है। इस प्रविधि में विद्यार्थियों को सार्थक बातचीत, लिखने–पढ़ने, पढ़े गए अंश/विचार/थीम्स आदि पर स्वयं की समझ को प्रदर्शित करने के अवसर प्राप्त होते है। यह सीखने–सिखाने केलिए अत्यन्त उपयोगी है। इस प्रक्रिया में विद्यार्थी स्वयं प्रक्रियाओं में सहभागी होते है तथा विद्यार्थियों की दक्षताओं/कौशलो के विकास पर बल दिया जाता है। विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन के माध्यम से विद्यार्थी उच्च स्तर की सोचने की प्रक्रियाओं से गुजरते हैं। पढ़ने, विचार विमर्श करने, लिखने सृजनात्मक प्रक्रिया के द्वारा विद्यार्थी गतिविधियों में व्यस्त रहते है।

विद्यार्थियों की अभिव्यक्ति, स्वयं की सोच के आधार पर विकसित होता है। इस बाल केन्द्रित प्रविधि में शिक्षक एक सुविधादाता के रूप में कार्य करता है।

अतः सक्रिय अधिगम प्रविधि एक ऐसी शिक्षण प्रविधि है जो बालकों को अवसर प्रदान करती है–

- व्याख्यान सुनने एवं नोट्स लेने के स्थान पर "स्वयं करके सीखने" का।
- विषयवस्तु पर आपस में बातचीत करने एवं सुनने का।
- व्यक्तिगत और छोटे समूहों में सीखने, पढ़ने एवं चिन्तन करने का।
- कक्षा शिक्षण में सक्रिय सहभागिता करने का।
- क्रियाकलाप आधारित अध्ययन के लिए उत्प्रेरित होने का।

विभिन्न शोध एवं अनुभवों के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि विद्यार्थी सबसे अधिक उस समय सीखते है जब वे स्वयं विषयवस्तु के साथ जुड़ते है और सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सहभागी होते है। यही सिद्धांत सक्रिय अधिगम प्रविधि का केन्द्रिय बिन्दु है। क्योंकि इस प्रविधि में–

- अधिगम प्रक्रिया शिक्षक केन्द्रित के स्थान पर बाल केन्द्रित होती है।
- सीखने की प्रक्रिया में सहज, सक्रिय सहभागिता समस्त विद्यार्थियों की होती है।
- परस्पर सहयोग, साथ कार्य करने के अवसर के साथ–साथ विद्यार्थियों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अवसर प्राप्त होता है। विद्यार्थियों को विश्लेषण/संश्लेषण, निष्कर्ष निकालना एवं सम्प्रेषण के द्वारा अवधारणाओं की समझ बनाने के लिए उच्च स्तरीय अधिगम प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।

महत्व–

- इस प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित होती है।
- उचित वातावरण तथा सक्रिय अधिगम वातावरण का विकास होता है।
- विद्यार्थियों में विषय संबंधित समस्या समाधान की दक्षताओं का विकास होता है।
- इस प्रविधि के लिए उपलब्ध सामग्री प्रयुक्त की जा सकती है।
- विद्यार्थियों में पढ़ने–लिखने की क्षमताओं का विकास होता है।
- विद्यार्थियों में मित्रता, परस्पर सहयोग, सहपाठियों के मध्य प्रतिस्पर्धाओं का विकास, सीखने की प्रवृत्ति का विकास, सर्वाधिक बौद्धिक विकास, नेतृत्व के गुणों, प्रस्तुतीकरण के गुणों का विकास, सृजनात्मकता, अवधारणात्मक समझ, स्वयं सीखने की प्रवृत्ति, झिझक दूर करने एवं विभिन्न कौशलों के विकास में सहयोगी है।
- इस प्रविधि के द्वारा विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के रिश्तों में प्रगाढ़ता आती है।
- विद्यार्थी इस प्रविधि के माध्यम से क्या? कैसे? कारण? व परिणाम से संबंधित प्रश्नों के हल करने के लिए अग्रसर होते है, जिससे विषय के संबंध में और अधिक जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है।
- इस प्रविधि के द्वारा रटने की प्रवृत्ति कम होती है तथा समझ की प्रवृत्ति बढ़ती है।

- सक्रिय अधिगम प्रविधि में कक्षा शिक्षण चरणबद्ध रूप से समयविभाजन के अनुसार किया जाता है। इसमें 90 मिनट के एक कालखण्ड में –
  परिचय, पढ़ना – 10 मिनट
  मानस चित्रण, सारांश – 30 मिनट
  प्रस्तुतीकरण, सुदृढ़ीकरण – 20 मिनट
  आकलन, उपचारात्मक शिक्षण – 30 मिनट
  लेखन – निर्धारित किया गया है।

  स्वअधिगम प्रपत्र (Pair Learning) S Q 4 R प्रपत्र Chack and Talk प्रपत्र एवं Tiger प्रपत्र का उपयोग वर्तमान में गणित विषय के अन्तर्गत किया जाता है–

T- Teacher as a facilitator	–	शिक्षक सुविधादाता के रूप में
I- Individual work	–	व्यक्तिगत कार्य
G- Group work	–	समूह कार्य
E- Evaluation	–	मूल्यांकन
R- Reinforcement	–	प्रतिपुष्टि (पुनर्वलन)

गतिविधि आधारित अधिगम–

प्रारंभिक शिक्षा के लोकव्यापीकरण के लिए, बच्चों को गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए, शिक्षक अपनी सकारात्मक ऊर्जा का संगठित और सामाजिक सदुपयोग कर शैक्षिक परिणामों को प्राप्त करता है। शिक्षक के ज्ञान, कौशल और अनुभव का लाभ ''गतिविधि आधारित शिक्षण कार्यक्रम'' के माध्यम से बच्चों को प्रदान किया जाता है।

मनोविज्ञान पर आधारित पाठयक्रम के आधार पर सुनकर, चित्र देखकर, गतिविधियों के माध्यम से, बार–बार अभ्यास करके, बच्चे अपनी दक्षताओं, कौशलों एवं क्षमताओं एवं बुद्धि में वृद्धि करते हैं। गतिविधि के माध्यम से कक्षा के वातावरण में रोचकता बनी रहती है। बच्चों में क्रमबद्ध ज्ञान को स्थापित करने की संभावनाएं बढ़ जाती है। बच्चों को सीखने की गति और उनकी क्षमता के अनुसार ''करके सीखने'' के अवसर उपलब्ध होते है। बाल केन्द्रित शिक्षण के अनुरूप बच्चे जल्दी सीखते है। रोचक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों और शिक्षकों के बीच सह संबंध स्थापित करने एवं बच्चों के लिए आनन्ददायी शिक्षण प्रक्रिया करके सीखने हेतु सहज वातावरण प्राप्त होता है।

ए.बी.एल. में सीखने के उद्देश्यों को पाठयक्रम की निरंतरता के अनुसार कई चरणों में क्रमबद्ध रूप से बांटा गया है, एवं प्रत्येक चरण को ''माइलस्टोन'' नाम दिया गया है। पाठयक्रम की अवधारणाओं को एक निश्चित क्रम में सीखने के उद्देश्यों को माइलस्टोन के रूप में रखा गया है। एक माइलस्टोन से दूसरे माइलस्टोन तक सीखने की अवधि को संभावित दिवसों में लिखा गया है। एक माइलस्टोन में बच्चे अनेक रोचक और आनन्ददायी गतिविधियों को पूरा करते हुए सीखने के क्रम में आगे बढ़ते हैं और उसके मूल्यांकन के उपरांत ही बच्चे अगले माइलस्टोन पर पहुंचते है, इस प्रकार बच्चे अपने गन्तव्य स्थान (संपूर्ण पाठयक्रम) को प्राप्त करते है। चयनित विषय में माइलस्टोन निम्न प्रकार से प्राप्त होता है:–

विषय	माइलस्टोन		
	कक्षा–1	**कक्षा–2**	**कक्षा–3**
हिन्दी	0–15	16–24	25–37
गणित	0–10	11–19	20–39
अंग्रेजी	0–12	13–21	22–35
पर्यावरण	हिन्दी विषय के साथ सम्मिलित	हिन्दी विषय के साथ सम्मिलित	1–21

गतिविधियों की पहचान करने के लिए जिन संकेत चिन्हों का उपयोग किया गया है उसे ''लोगो'' का नाम दिया गया है। अवधारणाओं के परिचय के लिए निम्नानुसार संकेत चिन्हों का उपयोग किया गया हैः–

1. हिन्दी में परिचायात्मक गतिविधियों के लिए – चूहा
   गणित में परिचायात्मक गतिविधियों के लिए – मुर्गा
   अंग्रेजी में परिचायात्मक गतिविधियों के लिए – बांसुरी
   पर्यावरण में परिचायात्मक गतिविधियों के लिए – अनाज

2. मूल्यांकन की अवधारणों के लिए निम्नानुसार संकेत चिन्हों का उपयोग किया गया हैः–
   हिन्दी में मूल्यांकन के लिए – घोड़ा
   गणित में मूल्यांकन के लिए – मोर
   अंग्रेजी में मूल्यांकन के लिए – निशाने पर लगा तीर
   पर्यावरण में मूल्यांकन के लिए – नदी

3. विषयवार ''लोगो'' की संख्या –
   हिन्दी – 23
   अंग्रेजी – 16
   गणित – 14
   पर्यावरण – 21 होती है।

ए.बी.एल. के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के छः समूह होते हैः–

प्रथम समूह – शिक्षक समर्थित समूह।
द्वितीय समूह – आंशिक शिक्षक समर्थित समूह।
तृतीय समूह – सहपाठी समर्थित समूह।
चतुर्थ समूह – आंशिक सहपाठी समर्थित समूह।
पंचम समूह – स्व अधिगम समूह।
षष्ठम समूह – मूल्यांकन समूह।

ए.बी.एल. कार्यक्रम में गतिविधियों पर आधारित सामग्री को ए.बी.एल. किट के रूप में प्राथमिक विद्यालयों को उपलब्ध कराया गया है–

1. कार्ड्स
2. टी.एल.एम. सामग्री
3. लोगो स्टीकर
4. समूह लोगो
5. सीखने की सीढ़ी
6. अभ्यास पुस्तिका
7. ए.बी.एल. शिक्षक मार्गदर्शिका
8. पोस्टर्स

विशेषताएंः–

- ''स्वयं करके सीखने'' के अवसर प्रदान किये जाते है।
- ज्ञान का रचनात्मक सुदृढ़ विकास होता है।
- कक्षा शिक्षण प्रक्रिया को शिक्षक केन्द्रित न रखकर बच्चों के अनुरूप संचालित किया जाता है।
- बच्चों में अभिव्यक्ति की दक्षता का विकास होता है और उसका आत्मविश्वास बढ़ता है।
- बच्चों की सृजनात्मकता एवं कल्पनाशीलता में विकास होता है।
- बच्चे मानसिक बोझ से बचते हैं।
- बच्चे परीक्षा के भय से मुक्त रहते है।
- बच्चों का सतत् व्यापक– निदानात्मक उपचारात्मक मूल्यांकन होता है।
- गतिविधियों के माध्यम से कक्षा के वातावरण में रोचकता बनी रहती है तथा बच्चों में क्रमबद्ध ज्ञान के स्थापित होने की संभावना बढ़ जाती है।
- बच्चे परस्पर एवं स्वयं ज्ञान का सृजन करते हुए सीखते है।
- बच्चे गतिविधि एवं सहायक शिक्षण सामग्री की सहायता से अपनी समझ पक्की करते है और जल्दी सीखते हैं।
- प्रत्येक बच्चे अपनी गति और विधि से सीखते है।

पाठगत प्रश्न–

प्रश्न 1. शैक्षणिक वातावरण निर्माण किसके लिए किया जाता है?

प्रश्न 2. शैक्षणिक वातावरण निर्माण किसे द्वारा किया जाना चाहिए?

प्रश्न 3. सृजनात्मक शिक्षण के द्वारा बालकों की ....एवं .... का विकास करना है।

इकाई का सारांश–

प्रस्तुत इकाई बाल केन्द्रित शिक्षा के अर्थ, परिभाषा, उसके अध्ययन के महत्व, बाल केन्द्रित शिक्षा एवं शिक्षक केन्द्रित शिक्षा में अन्तर, बाल केन्द्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका। इस इकाई के अन्तर्गत शाला शैक्षिक वातावरण निर्माण, मित्रवत कक्षा प्रबंधन, सृजनात्मक गतिविधियों के साथ–साथ, स्वअधिगम के लिए समूह कार्य, सांस्कृतिक गतिविधियां, क्षेत्र परिभ्रमण, सत्र सामयिक शिक्षण विधियों, दक्षता संवर्धन, सक्रिय अधिगम प्रविधि गतिविधि आधारित अधिगम से संबंधित तथ्यों का वर्णन किया गया है।

अपनी प्रगति की जांच करना–

- बाल केन्द्रित शिक्षा एवं उसकी उपयोगिता पर परिचर्चा करना।
- बाल केन्द्रित शिक्षा की विभिन्न विधियों पर चर्चा करना।
- शाला में शैक्षिक वातावरण एवं मित्रवत कक्षा प्रबंध पर विचार विमर्श करना।
- सक्रिय अधिगम प्रविधि, दक्षता आधारित अधिगम आधारित कक्षाओं में शिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना।

नियत कार्य एवं गतिविधियां–

- विद्यालय में सक्रिय अधिगम प्रविधि पर आधारित कक्षा व्यवस्था कर गुण/अवगुणों का सारणीयन करना।
- विद्यालय में गतिविधि आधारित कक्षाओं का आयोजन कर उसकी विशेषताओं का अध्ययन करना।

चर्चा के बिन्दु–

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप कुछ बिन्दुओं पर चर्चा करना चाहे व कुछ अन्य के विषय में कुछ स्पष्टीकरण चाहे ऐसी स्थिति में कृपया उन्हें नीचे लिखिए।

स्पष्टीकरण के बिन्दु ....

पाठगत प्रश्नों के उत्तर–

उप इकाई–1

उत्तर 1. बालक

उत्तर 2. अध्ययन

उत्तर 3. आत्मानुशासन, स्वावलम्बन, अध्यवसाय

उत्तर 4. मूल्यांकन

उप इकाई – 2

उत्तर 1. रूचियों, क्षमताओं, विषयगत आवश्यकताओं

उत्तर 2. पथ प्रदर्शक, सुविधादाता, मार्गदर्शक

उत्तर 3. सरल से सूक्ष्म की ओर रूची और क्रिया

उप इकाई – 3

उत्तर 1. बालकों

उत्तर 2. शिक्षकों

उत्तर 3. सृजनात्मक शक्तियों, योग्यताओं, क्षमताओं

आत्म परीक्षण के प्रश्न

नीचे आत्म परीक्षण के प्रश्न दिये जा रहे है। छात्र जिन्हें संपूर्ण पाठ के आधार पर हल करने का प्रयास करेंगे।

प्रश्न 1. मित्रवत कक्षा प्रबंध से बालकों को क्या लाभ होगा?

प्रश्न 2. शिक्षक समाख्या की प्रमुख दो विशेषताएं लिखिए।

प्रश्न 3. सीखना–सिखाना पैकेज किस मिशन द्वारा क्रियान्वित की गई थी?

– – – – –